दशम माला, खण्ड 41, अंक 36

शुक्रवार, 26 मई, 1995
5 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 14.10.96

तेरहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

26 मई, 1995 के वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धिपत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
विषय सूची (i)	19	संसदीय कार्य	सभा का कार्य
विषय सूची	अंतिम	ब्यालिसवां	बयालीसवां
16	24	श्री एस॰वी॰वी॰एस॰मूर्ति	श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति
32	11	नागर विमाननन और पर्यटन मंत्री	नागर विमानन और पर्यटन मंत्री
33	11	वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री
50	32	श्री पी॰ए॰सगंमा	श्री पी॰ए॰संगमा
56	नीचे से 15	श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्य	श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये
117	31	बंग्लादेश	बंगलादेश
174	20	श्री के॰एच॰मुंनियप्पा	श्री के॰एच॰मुनियप्पा
175	34	"वर्ष 1994-95" के पहले "क" जोड़िये।	
195	2	(ग)	(घ)
214	37	(ज)	(च)
222	1	बांग्लादेश	बंगलादेश
223	नीचे से 10	सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी से पहले "श्री" पढ़िये।	
251	नीचे से 4	कारणों	कारण
289	20	पीठासनी	पीठासीन

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला खंड : 41, चौदहवां सत्र, 1995 / 1917 (शक)

अंक : 36, शुक्रवार 26 मई, 1995 / 5 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 721 - 724 तथा 729	1-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 725-728 तथा 730 - 740	31-46
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7289 - 7518	46-223
नियम 193 के अधीन चर्चा	223-251
महिलाओं पर अत्याचार और उनके सामने आ रही समस्याएँ	
श्री पी. एम. सईद	223-232
श्रीमती बासवा राजेश्वरी	232-235
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	251-259
राज्य सभा से संदेश	259
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
(i) सत्रहवां प्रतिवेदन - सभापटल पर रखे गए पत्र	259
(ii) साक्ष्य - सभा पटल पर रखे गए पत्र	259
संसदीय कार्य	260-266
व्यापार चिन्ह विधेयक	264-272
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम कापसे	264-266
श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार	266-268
श्री राम कृपाल यादव	268-270
श्री गिरधारी लाल भार्गव	270-272
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
ब्यालिसवां प्रतिवेदन -- **स्वीकृत**	272

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

नियम 29 के परन्तुक को निलंबित रखने के संबंध में घोषणा	272-273
सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के बारे में संकल्प	273-306
श्री सुदर्शन राय चौधरी	273-279
श्री गोपी नाथ गजपति	280-282
श्री बलराज पासी	282-284
प्रो. सुशान्त चकवर्ती	286-291
श्री ओस्कर फर्नान्डीज	292-293
प्रो. रासा सिंह रावत	293-299
श्री विजय कुमार यादव	299-302
श्री शैयद शहाबुद्दीन	302-306

लोक सभा

शुक्रवार, 26 मई, 1995/5 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अप्रयुक्त विदेशी ऋण

[अनुवाद]

*721. **डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :**

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और उससे सम्बद्ध वित्तपोषी संस्थाओं तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को 31 मार्च, 1995 तक कुल कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया; और

(ख) 31 मार्च, 1995 तक अप्रयुक्त रही कुल विदेशी ऋण राशि का शीर्ष-वार, परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मैंने पर्याप्त समय रहते हुए प्रश्न किया था और यह महत्वपूर्ण मामला है परन्तु निरन्तर 2 वर्ष तक प्रयास करने के बाद भी मेरे इस तारांकित प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस पर भी वित्त मंत्री सरकार की आर्थिक नीति को सही प्रमाणित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास संसद में मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए नवीनतम जानकारी नहीं है। सम्पूर्ण सरकारी तंत्र बजट तैयार करने में लगाया गया है फिर भी उनके पास अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो समस्या उन्होंने बताई वह यह है कि उनके पास उस धनराशि के आंकड़े हैं जो उन्होंने राज्य सरकारों को दी है। किन्तु यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे उस धन का उपयोग करें और उन्होंने केन्द्रीय सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी है। उनकी यह कठिनाई है और मैंने यह कहा है : "ठीक है, मैं यह कठिनाई समझता हूँ; आप सूचना एकत्र करें और दे दें।" कारण यह है कि वे इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं वरन् राज्य सरकार व्यय कर रही है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, आप मेरी बात समझें, मुझे पहले भी जानकारी मिली है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हमें इसपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी कठिनाई बता दी है और आप भी उनकी कठिनाई को समझते हैं। आप दूसरे मुद्दे पर आएं।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त पड़े धन के बारे में मुझे 2 वर्ष पहले भी जानकारी दी गई थी। 1993 तक के आंकड़े तो तैयार हैं। लेकिन उसके बाद के आंकड़े तैयार हुए हैं या नहीं इस जानकारी के बारे में मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं अधिक विवाद में नहीं पड़ना चाहूँगा।

महोदय, पिछले 4 वर्षों मे मैं इस विषय पर चिंता व्यक्त करता आ रहा हूँ और मैंने 20 दिसम्बर, 1991 से आज तक भेजे पत्रों की लम्बी सूची तैयार कर रखी है जिनकी संख्या 33 बैठती है जो मैंने वित्त मंत्रालय को लिखे हैं। मैं विदेशों से लिए गए ऋण और उनके उपयोग के बारे में कार्य करता आ रहा हूँ लेकिन मुझे यह कहते बहुत खेद है कि इतने अधिक पत्र लिखने के बाद भी मुझे संगत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है जिससे मेरी संतुष्टि हो सके।

फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा कि विदेशी ऋण जो पाँचवें दशक में 8000 करोड़ रुपये था वह अब बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। ऋण सेवा लागत भी बहुत अधिक बढ़ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1997 तक यह बढ़कर 14.5 बिलियन डॉलर हो जाएगी। देश ऋण के बहुत बुरे जाल में फंस गया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने देश को ऋण मुक्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। और क्या सरकार की वर्तमान नीतियां अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं अथवा सरकार का कोई ऐसे ठोस कदम उठाने का विचार है ? मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या इस उद्देश्य के लिए, क्योंकि भारत के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय हो गया है, सरकार श्वेत पत्र लायेगी क्योंकि देश भर में यह माँग की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रश्न है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है ...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, उनका यह कहना नहीं है। वह यह कह रहे हैं कि हमने बहुत अधिक ऋण लिया है। हम इसका भुगतान कैसे करेंगे। हम अपने देश को कब तक ऋण भार से मुक्त कर सकेंगे? क्या ऐसी कोई योजना है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, जब हम मुख्य प्रश्न को देखते हैं, तो यह मुद्दा उसमें नहीं आता क्योंकि माननीय सदस्य ने स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक लिए गए सभी ऋणों, सभी राज्यों में अप्रयुक्त ऋणों का राज्य-वार, परियोजना-वार और शीर्ष-वार ब्यौरा मांगा है। हमें यह सूचना एकत्र करनी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वह राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों के उपयोग के बारे में सूचना नहीं मांग रहे हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह देश कभी ऋण मुक्त देश बन सकेगा ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मेरा यह आशय है कि यह भी विदेशी ऋण का ही भाग है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, मुझे यह कहते हुए वास्तव में अत्यधिक खेद है कि मेरे सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। यह तो मेरा प्रश्न है ही नहीं। मेरे प्रश्न को तो बिल्कुल नकारा जा रहा है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत ही व्यापक आयाम वाली सूचना है जो हमें एकत्र करनी है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी यह सुनिश्चित करने की कोई नीति नहीं है कि आप इस ऋण का भुगतान करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : प्रधानत: यह सूचना सांख्यिकीय प्रकृति की है और मंत्रालय इसे एकत्र कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह तथ्य नहीं मांग रहे हैं। वह नीति के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यदि अध्यक्ष महोदय निर्णय दें तो मैं इस प्रश्न को आस्थगित करने के लिए तैयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसे स्थगित नहीं करूंगा। यह कोई अच्छी नीति नहीं है।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, मेरी बात समझिए। मुझे प्रश्न के इस भाग की बहुत अधिक चिंता है अर्थात् मैं इसके बारे में बहुत ही गम्भीर हूँ। मैं 1991 से वित्त मंत्रालय को पत्र लिखता आ रहा हूँ। मेरे पास विषयवार 33 पत्रों की सूची है। जब मुझे वित्त मंत्रालय से कोई उत्तर नहीं मिला तो मुझे माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करना पड़ा और उन्होंने प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री को निदेश जारी किए। फिर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए। मैं बाद में उस पर आधे घण्टे की चर्चा कराऊंगा। हो सकता है कि मंत्री महोदय अपने वरिष्ठ मंत्री से इस पर चर्चा करें। सम्भवत: वरिष्ठ मंत्री किसी मेहमान का स्वागत करने गए हैं जो बाहर से आने वाले हैं। हम इसे देखेंगे। आपको जो सूचना मिले वह तो प्राप्त करें। मैं इस पर आधे घण्टे की चर्चा नियत करूंगा।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, क्या मैं दूसरा प्रश्न पूछूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हाँ।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : ठीक है, चूंकि महोदय आपने मुझे पर्याप्त संरक्षण दिया है, इसलिए मैं ...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह व्यापक नीतिगत मामला है और वरिष्ठ मंत्री को इसका उत्तर देना है अत: यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहेंगे।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : ठीक है, महोदय, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मेरे पास विदेशी सहायता के उपयोग के स्तर के बारे में 1968-69 में गठित प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन है।

प्रतिवेदन के अनुसार, मैं नहीं जानता, सरकार के पास यह है या नहीं, विदेशी सहायता के उपयोग का स्तर सातवें दशक के मध्य में 70 प्रतिशत से घटकर आज 43 प्रतिशत रह गया है। सेवा प्रभार जो हमें अप्रयुक्त ऋणों पर वहन करना पड़ता है, के बारे में भी गम्भीर चिंता है। 1993 में 61000 करोड़ रुपये के ऋण अप्रयुक्त रहे थे। प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त की गई सरकारी रिपोर्टें मेरे पास हैं। दूसरे वर्ष यह राशि 65000 करोड़ रुपये हो गई आज अप्रयुक्त ऋण की राशि 83000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है। इसके ऊपर अनुत्पादक सेवा प्रभार का भी बोझ है। 1963 में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित विदेशी सहायता के उपभोग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन मेरे पास हैं। इन प्रतिवेदनों में भी गम्भीर चिंता व्यक्त की गई है और सरकार को निदेश दिए गए हैं कि जो विदेशी सहायता सरकार प्राप्त कर रही है जब तक इसके उपयोग की योजना नहीं बनाती तब तक आगे सहायता न मांगे। इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन हैं। विदेशी सहायता तुरन्त और सार्थक उपयोग के लिए होती है।

महोदय, मुझे दो प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्या सरकार की गई सिफारिशों के अनुरूप सहायता के उचित उपयोग की दिशा में गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और दूसरा क्या इस सम्बन्ध में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो दी गई सहायता का पूरा-पूरा उपयोग कर सकता है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र इस ओर कदम बढ़ाने के लिए राजी नज़र नहीं आता।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार भूतपूर्व सोवियत रूस के अतिरिक्त सरकारी और गैर-सरकारी लेखाओं में मार्च 1991 में 35,442.12 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रहे थे; मार्च 1992 में यह राशि बढ़कर 52,012.78 करोड़ रुपये; मार्च 1993 में 55,677.65 करोड़ रुपये; मार्च 1994 में 51,889.73 करोड़ रुपये हो गई थी। मार्च 1995 में अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 47,448.62 करोड़ रुपये हैं। 1984-85 से 1993-94 तक भुगतान किए गए वचनबद्धता-प्रभार (वायदा-प्रभार) की राशि के आंकड़े मेरे पास हैं। 1992-93 में हमने लगभग 68.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 1993-94 में हमने ....

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, ये बिल्कुल भिन्न जानकारी दे रहे हैं। मेरे पास सभी सरकारी आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आप जानकारी दे सकते हैं तो उत्तर दें अन्यथा आप बाद में उत्तर दे देना।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : महोदय, ये तो मेरे प्रश्न को समूल नष्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में पूरा अवसर मिलेगा।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जो भी जानकारी मेरे पास है मैं माननीय सदस्य को दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह वह जानकारी नही है जो माननीय सदस्य चाहते हैं। वह यह जानना चाहते हैं कि ऋणों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए आप क्या कर रहे हैं; ऋणों के उपयोग की प्रतिशतता में वृद्धि होनी चाहिए।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, ऋणों के उपयोग के संबंध में आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। अन्यथा हम मुख्य प्रश्न के उत्तर में प्रस्तुत कर देते।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप मुझे नोटिस दें। मैं दो-तीन दिन में इसे निश्चित कर दूंगा। मंत्री महोदय, आप राज्य सरकारों को विशेष संदेश भेज कर सूचना एकत्र कर लें और तभी इसका उत्तर दें। मैं समझता हूँ अब इसपर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : सर, मेरा नहीं हुआ। प्रश्न में मेरा दूसरा नाम है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बाद में पूछ लेना।

[हिन्दी]

भारत-भूटान व्यापार संबंध

*722. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-भूटान व्यापार संबंधों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ चयन किये गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूटान के साथ किसी नये व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) भारत और भूटान के बीच परम्परागत मुक्त व्यापार तथा वाणिज्य होता है जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार का निरंतर विस्तार करते रहना है।

(ग) भारत तथा भूटान के बीच किए गए व्यापार तथा वाणिज्यिक करार को दिनांक 1 मार्च, 1995 को इसकी वैधता समाप्त होने के बाद भी और आगे बढ़ाते रहने के लिए दोनों सरकारों ने इसमें यत्किंचित संशोधन करके इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी वैधता अवधि दिनांक 2 मार्च, 1995 से लेकर 10 वर्षों के लिए होगी।

(घ) पहले की तरह इस करार में दोनों देशों के बीच होने वाले मुक्त व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान है। लेकिन, इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जैसे कि भूटान में उद्योगों का संरक्षण अथवा तीसरे देश के मूल के माल के प्रवेश पर प्रतिबंध, भारत के भूक्षेत्र से होकर भूटान का तीसरे देशों के साथ व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करना, दोनों में से प्रत्येक देश को निर्यातित माल पर उत्पाद शुल्क की वार्षिक वापसी और परस्पर परामर्श करना।

श्री प्रकाश वी. पाटील : महोदय, भारत के भूटान के साथ विशेष सम्बन्ध हैं। हमारे व्यापार सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के मामले में ये सम्बन्ध अत्यधिक सहायक रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन, सीमेंट निर्माण, इमारती लकड़ी के उत्पादन, वस्त्र, खनिज-विदोहन तथा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भूटान के साथ संयुक्त क्षेत्र में सहयोग करार का प्रस्ताव किया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम् : माननीय सदस्य, भूटान में संयुक्त उद्यमों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम् : इसका वास्तव में प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि हमारी भूटान के साथ बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं जिन्हें हमने वित्त पोषित किया है। ये परियोजनाएं हैं - चुक्खा पन-बिजली परियोजना, पेंडेन सीमेंट संयंत्र तथा कुछ सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजनाएं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उद्योग मंत्रालय अथवा बी.ओ.ए. से सूचना एकत्र कर सभापटल पर प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री प्रकाश वी. पाटील : 'दक्षेस' देशों को वर्तमान विश्वव्यापी परिदृश्य का लाभ उठाने के लिए अपनी शक्ति और योग्यता प्रदर्शित करनी चाहिए जहाँ कि ई.ई.सी. के देश और दोनों जर्मनी मिल गए हैं और सोवियत रूस विघटित हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार 'दक्षेस' देशों के विश्वव्यापी परिवेश में आन्तरिक भावी नीति की कतिपय उपलब्धियों पर प्रकाश डालेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि दोनों देशों में 'लिफ्ट' सिंचाई कार्यक्रम के लिए समझौते का स्वरूप क्या है। इस कार्यक्रम में अपनाई गई तकनीक तथा आर्थिक सहायता का अन्तर्विनियम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझौते का स्वरूप और उसका आयाम जानना चाहते हैं ?

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं आर्थिक सहायता का स्वरूप जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आपका 'स्वरूप (शेप)' से क्या तात्पर्य है ?

कृपया इसको स्पष्ट करें ताकि इसका उत्तर दिया जा सके।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या भूटान के साथ किसी 'लिफ्ट' सिंचाई योजना प्रारम्भ की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह 'लिफ्ट' सिंचाई नहीं है। यह व्यापार के बारे में है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मंत्री महोदय ने इसके बारे में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : हमें यह समझना चाहिए कि व्यापार फैक्ट्रियां लगाने से बिल्कुल भिन्न है। अत: प्रश्न की अनुमति नहीं है।

श्री राम कापसे : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि भूटान के साथ किए गए समझौते में मामूली संशोधन किया गया है। मैं उन मामूली संशोधनों के बारे में जानना चाहूँगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दोनों देशों की सरकारों ने सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम् : संशोधन बहुत ही मामूली स्वरूप के हैं, और जो वास्तव में मुख्यत: मौखिक ही हैं। उदाहरण के लिए करार की प्रस्तावना में हमने "द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार" शब्द जोड़े हैं। अनुच्छेद 6 में "राष्ट्रीय निधियों का संरक्षण" शब्द जोड़े हैं। अनुच्छेद 11 में 'पाँच वर्ष की अवधि' के स्थान पर अब करार 10 वर्ष तक के लिए लागू रहेगा।

सन्धि के पूर्व लेख में हमने भूटान लाटरी टिकटों, जो भारत में बिक रहे हैं, का विशेष उल्लेख किया है और फिर प्रवेश स्थानों की सूची में कुछ और प्रवेश स्थान जोड़े हैं तथा निर्यात प्रक्रिया में एक उप-पैराग्राफ में हमने 90 दिन के स्थान पर 60 दिन प्रतिस्थापित किया है। ये मामूली से परिवर्तन हैं। जहाँ तक तस्करी का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भारत और भूटान के बीच तस्करी की कोई संकल्पना नहीं है क्योंकि यहाँ निर्मुक्त व्यापार है। भारत से भूटान में और भूटान से भारत में कोई भी चीज़ (वस्तु) लाई-ले जाई जा सकती है और यह व्यापार भारतीय तथा भूटानी मुद्राओं दोनों में होता है। भारत और भूटान के बीच तस्करी की कोई समस्या नहीं है।

आप तीसरे देश की वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये भूटान में लाई जा सकती हैं और फिर भारत में। हम सतर्क रहने का प्रयास कर रहे हैं। भूटान भी सीमा पर सर्तकता बरत रहा है ताकि तीसरे देश की वस्तुएं भारत से होकर और फिर भूटान में न आने पाएं। मैं नहीं समझता कि इस सीमा पर तस्करी इतनी महत्व की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भूटान इस मामले में काफी सावधान है।

श्री सुब्रत मुखर्जी : हम चुक्खा से भारी मात्रा में बिजली ले रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत-भूटान सहयोग से भूटान में नई परियोजनाएं स्थापित करने की बहुत अधिक सम्भावना है क्या सरकार का भूटान सरकार के सहयोग से चुक्खा की तरह भूटान में नई पन-बिजली परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ? क्या ऐसी कोई नई परियोजना है ?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, आपके सुझाव का आदर करते हुए मैंने अन्य परियोजनाओं की एक छोटी सी सूची दी है। वस्तुत: प्रश्न व्यापार के बारे में है किन्तु यदि वह किसी विशेष सिंचाई परियोजना या जल संसाधन परियोजना के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे बताया गया है कि चुक्खा पन-बिजली परियोजना के विस्तार के साथ-साथ कुछ और पन-बिजली परियोजनाएं भी हैं। यह प्रश्न वस्तुत: जल संसाधन मंत्री को सम्बोधित किया जाना चाहिए।

कॉफी बोर्ड

***723. श्री वी. धनंजय कुमार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने कोई स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और कितने कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त होना चाहते हैं; और

(ग) क्या इस योजना से बोर्ड के सामान्य कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) कॉफी बोर्ड द्वारा लागू की जा रही स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. यह योजना विपणन निदेशालय में कार्यरत केवल उन कर्मचारियों पर ही लागू होती है जिनके पूर्ण अथवा आंशिक वेतन एवं भत्ते पूल फंड (निधि) में दिए जाते हैं।
2. यह योजना विपणन निदेशालय के सभी गैर-अन्तर्बदल स्टाफ पर लागू है।
3. जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष की सेवा अथवा 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने के पात्र हैं।
4. सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए तीन महीने के समतुल्य अनुग्रह वेतन (वेतन - मंहगाई भत्ता) या सेवा-निवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले बचे सेवा के शेष महीनों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मासिक परिलब्धियों से गुणा करने पर मिलने वाली राशि, जो भी कम हो, देय होगी।
5. पाँच वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ जैसा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अनुमत्य है, लाभों की गणना के उद्देश्यों से हिसाब चुकाया जाता है।
6. अन्य सभी सामान्य लाभों जैसे पेंशन, ग्रेच्यूटी, राशिकरण आदि का भी भुगतान प्रचलित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

इस योजना के तहत विपणन निदेशालय के 1493 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया है।

(ग) कॉफी विपणन प्रणाली के उदारीकरण के बाद इसके विपणन क्रियाकलापों में आई कमी के अनुरूप केवल विपणन निदेशालय में ही जनशक्ति कम करना तय किया गया है। जो कर्मचारी अनुसंधान, विस्तार, विकास, परियोजनाओं आदि के कार्यों में लगे हैं, उन्हें कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए बोर्ड के अन्य कार्यकलाप प्रभावित नहीं होंगे।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, मैं समझता हूँ कि कॉफी बोर्ड में कुल 3000 व्यक्ति काम करते हैं। जैसी कि सूचना दी गई है 1493 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति चाही है। इसका तात्पर्य यह है कि कॉफी बोर्ड के लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प स्वीकार किया है। मैं यह भी समझता हूँ कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प स्वीकार करने वाले अधिकांश कर्मचारी "घ" श्रेणी के कर्मचारी हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इससे कॉफी बोर्ड के प्रचार कार्यक्रम जैसे सामान्य कार्यकललाप प्रभावित नहीं होंगे ? विवरण में बताया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प स्वीकार करने वाले अधिकांश कर्मचारी विपणन निदेशालय में कार्य करते हैं। कॉफी बोर्ड का प्रचार कार्यकलाप भी विपणन निदेशालय के अन्तर्गत आता है जिसमें कॉफी बोर्ड की कॉफी की दुकानें आती हैं जैसी कि एक संसद भवन में केन्द्रीय हाल में भी है और एक साऊथ ब्लॉक तथा एक उद्योग भवन में। क्या इन दुकानों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू होने से बढ़िया किस्म की कॉफी उपलब्ध नहीं होगी। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। कॉफी बोर्ड यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि इसका प्रचार कार्यकलाप निर्विघ्न जारी रहे और उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की कॉफी उपलब्ध हो ?

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो 1994 के आरम्भ में लागू हुई, केवल विपणन निदेशालय के गैर-अन्तर्बदल स्टॉफ पर ही लागू है। इसका तात्पर्य है कि 1705 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। 1705 कर्मचारियों में से अधिकांश कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए आवेदन किया है। कुल 1493 आवेदन-पत्र थे। कुछ इसके पात्र नहीं समझे गए। श्रेणी 'ख', 'ग' तथा 'घ' के 1318 व्यक्तियों के इस योजना के लिए आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं और 525 कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दे दिया गया है। अब मुझे बताया गया है कि कॉफी बोर्ड की खुदरा दुकानों, जिसमें संसद भवन का कॉफी स्टाल भी शामिल है, में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी भी इस योजना के लागू होने से प्रभावित होंगे। इनमें से अधिकांश ने इस योजना का विकल्प दिया है। मैंने अनुदेश जारी किए हैं कि जब तक मैं इस योजना की पुनरीक्षा नहीं कर लेता तब तक कर्मचारियों को सेवा मे निवृत्त करने में धीमी गति से कार्य करें। अनेक माननीय सदस्यों ने भी मुझे इसकी जानकारी दी है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस योजना के लागू होने से इन दुकानों पर कॉफी के विक्रय पर कोई प्रतिकूल प्रभव नहीं पड़े। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि केवल बढ़िया कॉफी ही नहीं दी जाए बल्कि शिष्ट तरीके से भी प्रस्तुत की जाए।

श्री वी. धनंजय कुमार : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के सन्दर्भ में उत्तर दिया गया है कि विपणन व्यवस्था को उदार बनाए जाने के फलस्वरूप, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कॉफी बोर्ड के अन्य कार्यकलाप प्रभावित नहीं होंगे।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भारत में प्रतिवर्ष औसतन 2.5 लाख टन कॉफी का उत्पादन होता है और आन्तरिक खपत लगभग 60,000 टन है। लगभग दो तिहाई कॉफी का उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना पड़ेगा। मंत्री महोदय उदारीकृत विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय बाजार में कॉफी की बिक्री कैसे सुनिश्चित करेंगे जिससे कॉफी उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर कॉफी मिले ?

मेरा आशय उन छोटे-छोटे कॉफी उत्पादकों से है जिनकी संख्या बहुत अधिक है। कुल 1.3 लाख उत्पादकों में से 1.1 लाख छोटे उत्पादक हैं। अत: सरकार उदारीकृत विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत छोटे उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य कैसे सुनिश्चित करेगी?

श्री पी. चिदम्बरम् : महोदय, कॉफी उद्योग तथा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य सहित अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हमने छोटे कॉफी उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली कॉफी की बिक्री को पूर्णत: उदार बना दिया है। 10 हैक्टेयर अथवा इससे कम जोत वाले व्यक्तियों के मामले में शत प्रतिशत एफ.एस.क्यू. कर दिया गया है। अत: यह समस्या नहीं है कि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे। समस्या यह है कि निर्यात बाजार में मूल्य बहुत अधिक हैं जिसका आन्तरिक मूल्यों पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। पिछले दिनों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव गिरने लगा है इस गिरावट का प्रभाव आन्तरिक बाजार पर भी पड़ेगा।

माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि मैंने सम्पूर्ण मामले की समीक्षा की है। मैं बंगलौर में था। मैंने नीति में परिवर्तन करते हुए व्यापक वक्तव्य दिया था जिसका उद्योग ने स्वागत किया है। मैंने बड़े उत्पादकों से अपील की है कि 30 प्रतिशत कॉफी पूल में देने में सहयोग करें। अत: हम चाहते हैं कि हम प्रभावी बाजार उद्यदार बनें और मुझे विश्वास है, महोदय, यदि समय मिला तो जिस नीति की मैंने घोषणा की है उसके परिणाम सामने आयेंगे। निर्यात मूल्य बहुत अधिक हैं जो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कॉफी उत्पादकों को ऐसे अधिक मूल्य नहीं मिले हैं और एक बार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट

आने से आन्तरिक मूल्यों में भी गिरावट आयेगी। मैं प्रतिदिन मूल्यों पर नज़र रखे हुए हूँ। पिछले सप्ताह से गिरावट आनी शुरू हो गई है और हम आशा करते हैं कि आन्तरिक मूल्यों में भी गिरावट आयेगी।

मैं समझता हूँ कि इससे हमारे दो उद्देश्य सिद्ध होंगे। एक है हमारे किसानों एवं उत्पादकों को निर्यात बाजार में अच्छे मूल्य मिलेंगे। दूसरा उद्देश्य है आन्तरिक खपत के लिए पर्याप्त मात्रा में कॉफी उपलब्ध होगी। जो अब उपलब्ध है। लेकिन उपलब्धता मुद्दा नहीं है। मुद्दा है मूल्य तथा नए नीति परिवर्तनों के अनुसार कॉफी बोर्ड द्वारा चुनिन्दा उद्गदारी। मैं समझता हूँ कि हम कॉफी के मूल्य स्थिर रख सकेंगे और इस वर्ष कॉफी के मूल्यों पर सामान्य प्रभाव रहेगा। मुझे विश्वास है कि यह नीति सफल रहेगी। मैं इस मामले पर निगरानी रख रहा हूँ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, तथाकथित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वास्तव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है। वास्तव में कॉफी बोर्ड ने उनकी जबरन छंटनी की है। क्रिया रूप में वे इसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहते हैं। मैं उनका एक परिपत्र उद्धृत कर रही हूँ जिसमें यह कहा गया है कि :

> "विपणन निदेशालय में गैर-अन्तर्बदल कर्मचारी संवर्ग में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि वे इस अवसर का उपयोग नहीं करेंगे तो बोर्ड को केन्द्रीय सरकार (फालतू कर्मचारी कक्ष) के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों की पुन: तैनाती करनी पड़ेगी अथवा अन्तत: उनकी नौकरी से छंटनी करनी पड़ेगी।"

अभी हाल में जारी किए गए एक अन्य परिपत्र में यह कहा गया है कि कर्मचारियों की या तो केन्द्रीय सरकार (फ़ालतू कर्मचारी कक्ष) के माध्यम से पुन: तैनाती करनी होगी या फिर उनकी सारणीबद्ध तरीके से छंटनी करनी पड़ेगी। अत: उनकी छंटनी करने के पश्चात् और उन्हें एक लाख या दो लाख रुपये देने से कोई लाभ नहीं होगा। वे कैसे गुजारा करेंगे ?. उन्होंने 15 या 20 वर्ष तक सेवा की है। लेकिन उनकी यहाँ आवश्यकता है। उनकी सेवाओं का उपयोग कर अब उन्हें 'दैनिक मजूरी' पर रखा जा रहा है। इसकी क्या आवश्यकता है ? पता नहीं इस नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप इस सरकार को क्या हो गया है ? वास्तव में मैं यह महसूस करती हूँ कि मानव मूल्यों का ह्रास हो गया है। जब कॉफी हाऊस हैं तो इन लोगों की छंटनी करने की क्या आवश्यकता है ? अब उन्हें दैनिक मजूरी पर पुन: तैनात किया जा रहा है। इसकी क्या आवश्यकता है जबकि कॉफी बोर्ड के बागान हैं जिनसे वे कॉफी का उत्पादन करते हैं ? इसकी क्या आवश्यकता है ? वस्तुत: यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं है। आप इसकी जाँच कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं मंत्री महोदय को मिली थी और उनसे अनुरोध किया था कि या तो इन कर्मचारियों को यहाँ ही नियमित किया जाए या फिर इन्हें अन्यत्र जहाँ भी आवश्यकता हो इनकी सहकारी समितियाँ बनाकर इन्हें संगठित किया जाए। उनके बच्चों के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं प्रोफैसर की भांति तो बोल नहीं सकती ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गोपालन, यदि आप इस तरह लम्बा भाषण देंगी तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। कृपया अपना प्रश्न स्पष्ट कीजिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं साधारण व्यक्ति की तरह ही बोल सकती हूँ जो उनके बीच रहकर कार्य करता है। मैं उनके कष्ट और उनकी भावनाएं समझती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रश्न है। इसे स्पष्ट करिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : पहले भी छंटनी की गई थी लेकिन उनका सहकारी संगठन बनाकर उन्हें संगठित किया गया था। . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूँ कि यदि आपने प्रश्न नहीं किया तो अब कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा और मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इन कर्मचारियों को, जहाँ भी सम्भव हो इन कॉफी गृहों में नियमित करेगी ? अन्यथा सरकार को इन्हें सहकारी समितियों में संगठित करने के लिए इनकी सहायता करे। ऐसे क्षेत्र हैं . . . . (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का बहुत आदर करता हूँ। ये मुझसे मिली थीं और इन्होंने बहुत नम्रतापूर्वक एक अभ्यावेदन दिया था और मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जाँच कराऊंगा। मैंने मामले की जाँच की है। इसीलिए मैंने माननीय सदस्य के पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि मैंने अनुदेश जारी कर दिए हैं कि कॉफी का कोई भी खुदरा विक्रय केन्द्र बन्द नहीं किया जाये। वस्तुत: ऐसी कोई खुदरा विक्रय केन्द्र बन्द नहीं किया जा रहा है।

जहाँ तक खुदरा विक्रय केन्द्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने का सम्बन्ध है मुझे वह विकल्प स्वीकृत करना ही होगा। लेकिन मैंने कॉफी बोर्ड से कह दिया है कि इस मामले में धीमी गति से काम लें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि यह वास्तव स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं उस पर ही आ रहा हूँ। मैंने यह परिपत्र देखा है। वस्तुत: उस परिपत्र में योजना को दर्शाते हुए कर्मचारियों से अपील की गई है .... (व्यवधान)। कृपया मुझे कहने दें। वस्तुत: परिपत्र में अपील की गई है कि यह योजना विपणन निदेशालय के लिए है कि गैर अन्तर्बदल स्टाफ के लिए यहाँ काम उपलब्ध नहीं हुआ तो

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

उनकी छंटनी करनी पड़ सकती है। लेकिन उनसे यह पेशकश भी की गई है कि ऐसे कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारी योजना के अन्तर्गत तैनात किया जा सकता है। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प स्वीकार नहीं किया है। यदि ऐसा कोई विशेष मामला है जहाँ कोई आकर यह कहे कि उसे गुमराह किया गया था और कोई यह महसूस करे कि उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प जबरन देना पड़ा तो मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मैं ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान दूंगा।

खुदरा विक्रय केन्द्रों में कार्य करने वाले लोगों के मामलों में कॉफी बोर्ड से मैंने कह दिया है कि उनको सेवा मुक्त करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि हम इन खुदरा विक्रय केन्द्रों को चालू रखना चाहते हैं। यदि यह खुदरा विक्रय केन्द्रों को चालू रखते हैं और यदि इन लोगों को सेवा में रखना है तो इसके लिए हम कोई मार्ग निकालेंगे। मैंने माननीय सदस्य को ऐसी पेशकश कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सर्वप्रथम यदि आप यह कहते हैं कि उनकी छंटनी की जायेगी तो यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं है। और दूसरे, माननीय महिला सदस्य यह कह रही थीं कि उनमें कुछ दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं।

. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वही व्यक्ति दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि कृपया आप मामले को देखें।

श्री पी. चिदम्बरम् : यदि किसी व्यक्ति ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प स्वीकार किया है और उससे दैनिक मजूरी पर निरन्तर कार्य कराया जा रहा है तो मैं ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा जानना चाहूंगा। मैंने इस सम्बन्ध में सूचना मांगी है। मैंने कॉफी बोर्ड से कह दिया है कि इस मामले में धीमी गति से कार्य किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हमें आप पर विश्वास है। आप इस मामले को देखें।

श्री पी. चिदम्बरम् : यदि कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भी वहाँ रखा जाता है तो मैं उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : दैनिक मजूरी पर।

. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री राम नाईक : मैं समझता हूँ कि नमूने के तौर पर आप संसद की कैन्टीन में ही इसकी जाँच कर लें ....**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम् : कृपया मुझे मामला स्पष्ट करने दीजिए। मैं आपका प्रश्न समझ गया हूँ। किसी माननीय सदस्य द्वारा अभी तक मेरे ध्यान में ऐसा मामला नहीं लाया गया कि किसी व्यक्ति ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के विकल्प स्वीकार किया हो और उसे सेवा से मुक्त करने के पश्चात् फिर उसे ही वहाँ पर कार्य पर पुन: रख लिया गया हो। फिर भी मैंने कॉफी बोर्ड से कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी दी जाए जिसे पुन: तैनात कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की भावना पूर्णत: भिन्न है। अन्यथा मामला बिल्कुल भिन्न ....

....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की भावना यह है कि उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर बाद में उन्हें दैनिक मजूरी पर रोज़गार दिया जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम् : जानकारी प्राप्त होने पर ही मैं यह कह सकूंगा कि किसी को सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर नहीं किया गया और ना ही किसी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है . . . . **(व्यवधान)**. . . . श्री राम विलास जी, कृपया मुझे बोलने दें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, परिपत्र पढ़ने के बाद हम यह नहीं कह सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के लिए उनपर दबाव नहीं डाला गया।

. . . . **(व्यवधान)** . . . .

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह संसद है ही ऐसे मामलों के लिए।

श्री पी. चिदम्बरम् : मेरा विनम्र निवेदन है कि यह परिपत्र अगस्त, 1994 में जारी किया गया था ....**(व्यवधान)**

श्रीमती सुशीला गोपालन : 1993 में भी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम् : यह परिपत्र अगस्त, 1994 में जारी किया गया था। मैंने माननीय सदस्य को बता दिया है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ तथा सदन से भी निवेदन करता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे मजबूर किया गया या उसे गुमराह किया या फिर उसे फुसलाया गया ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम इससे पूरी तरह सन्तुष्ट हैं। आप इस मामले को देखें।

श्री पी. चिदम्बरम् : मैं इस मामले को देखूंगा। लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है ....**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने बहुत ही अनिष्टकारी वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार किया है और वह दैनिक मजूरी पर निरन्तर काम पर लगाया हुआ है तो वह उसकी जाँच करेंगे ....**(व्यवधान)**.... अब यह उस व्यक्ति को ही बरखास्त कर देंगे .... **(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम् : किसी को बरखास्त नहीं किया जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जाँच का यही परिणाम होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कहते हैं, निर्मल कान्ति जी। आप इसे अनुपूरक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति देता हूँ और श्री नाईक जी आप अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि आपकी जाँच के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को, जो दैनिक मजूरी पर काम करता है, पुन: सेवानिवृत्त नहीं करेंगे अथवा उसका दर्जा या स्तर नहीं बदलेंगे ? क्या आप ऐसी गारंटी देना चाहते हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम् : मैंने समझा था कि मेरा वक्तव्य आज भी वैसा ही है जैसा कि मैं इस समय दे रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बारे में गुमराह किया गया और उसे फिर भी दैनिक मजूरी पर कार्य पर लगाया हुआ है ....**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप जाँच कर लें।

श्री पी. चिदम्बरम् : मैंने माननीय सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन दिया है और सदन को भी आश्वासन देता हूँ कि ऐसे मामले में किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं किया जायेगा। उसे वहाँ रखा जाएगा। मैंने आपको बता दिया था कि ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कान्ति जी, नहीं, वह सहानुभूति बरत रहे हैं -इतना ही यथेष्ट है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं अब इतना ही चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो लोग डेली वेजेज पर नियुक्त किये गये हैं, उनको तो नहीं निकालना चाहिए। मंत्री जी ने कहा है कि मैं इसके बारे में ख्याल करूंगा। यह मैं निश्चित जानना चाहता हूँ कि इसके आगे डेली वेजेज पर भी कोई लेना होगा तो कम से कम इस प्रकार के जो लोग कम्पलसरी रिटायर हुए हैं, उनको ही डेली वेजेज पर पहले लेना चाहिए, इतना तो मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह तो बोर्ड मैटर है, सभी मिनिस्ट्री से मत पूछिएगा, प्लीज़। उनके भी कुछ मामले हैं ....

....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय सहानुभूति बरत रहे हैं। लेकिन ऐसी शिकायतें हैं कि कुछ कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के मामलों की जाँच करेंगे कि क्या यह वास्तव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति थी या क्या किसी को जबरन ....**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम् : यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में लाता है, तो मैं उसकी जाँच करूंगा।

श्री ई. अहमद : यह सामान्य और साधारण शिकायत है क्योंकि ....**(व्यवधान)**

श्री पी. सी. थामस : यह योजना बनाए जाने और अनेक लोगों को सेवानिवृत्त किए जाने के बाद अब एक और मामला चला है कि बहुत से विपणन केन्द्र बन्द किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह तथ्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाया गया है अथवा नहीं क्योंकि दिल्ली में ही जो व्यक्ति सामान्य मूल्य पर कॉफी खरीदते थे अब उन्हें कॉफी नहीं मिल रही है क्योंकि विक्रय केन्द्र बन्द हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी जाँच की जाएगी और यदि कर्मचारियों की कमी के कारण विक्रय केन्द्र बन्द किए गए हैं तो क्या इस मामले में कुछ किया जाएगा और क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रय केन्द्र पर्याप्त मात्रा में खोले जाएं और लोगों को सामान्य उपभोक्ता मूल्य पर कॉफी उपलब्ध हो।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने श्री धनंजय कुमार के प्रश्न के उत्तर में यह बात कह दी है।

श्री पी. सी. थॉमस : विक्रय केन्द्रों के बारे में उन्होंने उत्तर नहीं दिया है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को कॉफी उपलब्ध हो।

अग्रिम व्यापार-समझौता नियम

***724. श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्री एस. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों के लिए अग्रिम व्यापार समझौता नियम (फारवर्ड कांट्रेक्ट रूल) में कुछ ढील दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिसम्बर, 1994 से निर्यातकों और आयातकों को प्रभावी करेंसी का लिहाज किए बगैर अपनी पसन्द की करेंसी में अग्रिम व्यापार समझौता करने की अनुमति दी गयी है। उपयुक्त परिवर्तन के पीछे जो औचित्य है वह करेंसी में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करते हुए उन्हें अपनी विदेशी मुद्रा के प्रभाव को अधिक गतिशील बनाने से सहायता पहुंचाना है। इससे निर्यातकों को ऐसी करेंसी में, जिसके सुदृढ़ होने की आशा होगी, जाने की आरे सरलता होगी और आयातकों को बीजक की करेंसी पर ध्यान दिए बगैर कमजोर करेंसी में आने में *सुविधा होगी जिससे उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़ेगी।*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसम्बर, 1994 से निर्यातकों और आयातकों को प्रभावी करेंसी का लिहाज किए बगैर अपनी पसन्द की करेंसी में अग्रिम व्यापार समझौता करने की अनुमति दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जो अनुमति दी गई है, उसका भारतीय आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है और किस सीमा तक आयातकों और निर्यातकों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग किया है ?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : नियमों में परिवर्तन किए जाने से निर्यातकों और आयातकों को अब प्रभावी करेंसी का विचार किए बिनाअपनी पसन्द की करेंसी में अग्रिम व्यापार समझौता करने की अनुमति दी गई है। इससे निर्यातकों को ऐसी करेंसी में, जिसके सुदृढ़ होने की आशा होगी, व्यापार करने में सरलता होगी और आयातकों को बीजक की करेंसी पर ध्यान दिए बगैर कमजोर करेंसी में आने में सुविधा होगी जिससे उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी। इससे निर्यातकों और आयातकों को अपनी आय बढ़ाने और लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न साधारण है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियम में हाल ही में छूट दी गई है और आयात तथा निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखालिया : अध्यक्ष महोदय, प्रभाव के बारे में ठीक तरह से जवाब मंत्री जी से नहीं मिला है कि क्या प्रभाव हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : हाल ही में शुरू हुआ है।

श्रीमती भावना चिखालिया : मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी, इसका जवाब लिख कर भिजवा दें।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, शुरू हुए।

श्रीमती भावना चिखालिया : इसको शुरू हुए पाँच-छः महीने हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अगले प्रश्न पर आइए।

श्रीमती भावना चिखालिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, अग्रिम व्यापार समझौता से भारतीय विदेश व्यापार समझौते से संदर्भ में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है और भविष्य में उसकी क्या सम्भावना है?

अध्यक्ष महोदय : इसका भी वही जवाब होगा।

श्रीमती भावना चिखालिया : महोदय, इसके छः महीने होने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : नियम में दी गई छूट का प्रभाव जाने बिना इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं मंत्री महोदय को कठिनाई में नहीं डालना चाहता। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या इसका तात्पर्य करेंसी की विनिर्मुक्त परिवर्तनीयता तो नहीं है, जोकि केवल अग्रिम करारों में है ? क्या यह सभी अग्रिम व्यापार में करेंसी के विनिर्मुक्त परिवर्तनीयता की दिशा में एक कदम है ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह केवल निर्यातकों और आयातकों को अपनी पसन्द की करेंसी में व्यापार करने के लिए है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह केवल उन्हीं के लिए है। यह केवल आयातकों और निर्यातकों के अग्रिम व्यापार-समझौतों के लिए ही है। आपका यही उत्तर है। यह विनिर्मुक्त परिवर्तनीयता है। ....(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न अच्छी तरह तैयार कर लें और फिर आप इनका उत्तर दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न बहुत साधारण है। वाणिज्य मंत्री भी इसमें सहायता कर सकते हैं। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसके अनुसार आप अपनी पसंद की करेंसी में अग्रिम व्यापार कर सकते हैं। इसका अर्थ है अग्रिम व्यापार के रूप में विनिर्मुक्त परिवर्तनीयता। अतः प्रश्न यह है कि क्या यह केवल अग्रिम व्यापार के लिए है अथवा यह परिवर्तनीयता सभी विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाइए। वह इसका उत्तर देंगे।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूंगा कि विदेशी मुद्रा की परिवर्तनीयता और अग्रिम व्यापार-समझौता नियम में कोई साम्यता नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि अग्रिम व्यापार-समझौता नियम और विदेशी मुद्रा की परिवर्तनीयता के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 725, श्री मनोरंजन भक्त - अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 726, श्री हरिन पाठक - अनुपस्थित

श्री एस. एम. लालजन बाशा - अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 727, श्री एन. जे. राठवा - अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 728, डा. वसन्त पवार - अनुपस्थित

....(**व्यवधान**)....

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : महोदय, एक-दो सदस्य अनुपस्थित हों तो समझ में आ सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत सहायक सिद्ध होंगी। अन्यथा इस सूचना को एकत्र करने के लिए व्यय किया गया इतना अधिक धन बेकार जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आप काफी कुछ कह चुके हैं। मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या 729, श्री लाल बाबू राम।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया है कि साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए आय कर विभाग ने मांगे थे उसमें से करीब 13 करोड़ रुपये के लगभग वसूली पाई गई। इतना बड़ा प्रतिभूति घोटाला हुआ है; इससे बड़ा घोटाला आज तक पूरी दुनियां में नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आय कर विभाग ने जो साढ़े आठ हज़ार करोड़ रुपये वसूल करने थे उसमें से केवल 13 करोड़ रुपये वसूल हुए, इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, इस घोटाले में संलिप्त व्यक्तियों और कम्पनियों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें दलाल, कम्पनियां, बैंक, बैंकों के कर्मचारी तथा दलालों के कर्मचारी शामिल हैं। इनकी दो श्रेणियां हैं। एक है अधिसूचित व्यक्ति और दूसरी है गैर-अधिसूचित व्यक्तियों की श्रेणी। अधिसूचित व्यक्ति वे हैं जिन के बारे में विशेष न्यायालय द्वारा पता लगाया गया है या जिनकी अधिसूचना जारी की गई है। विशेष न्यायालय के परिरक्षक ने 41 व्यक्तियों का अधिसूचित व्यक्तियों के रूप में पता लगाया है। इन व्यक्तियों की सभी चल और अचल परिसम्पत्तियां ज़ब्त कर ली गई हैं। इन अधिसूचित व्यक्तियों की ओर कुल 8468.27 करोड़ रुपये की माँग है जिसमें से 13.07 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गए हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि विशेष न्यायालय ने हर्षद मेहता, दीपिका ए. मेहता, सुधीर मेहता, मैसर्स ग्रोमोर ग्रुप तथा अन्य कम्पनियों की ओर आय कर की बकाया राशि के भुगतान के लिए उक्त राशि में से धन निकालने से मना कर दिया है क्योंकि विशेष न्यायालय को आय कर विभाग द्वारा किए गए दावे के औचित्य की जाँच करनी है। मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि इस विभाग ने उच्चतम न्यायालय में 17 अप्रैल, 1995 तथा 30 अप्रैल, 1995 को दो दीवानी याचिकाएं प्रस्तुत की हैं, जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष हैं। बकाया राशि की वसूली न होने का यही मुख्य कारण है।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति प्रतिभूति घोटाले में शमिल हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? साथ ही साथ आय कर राशि प्राप्त न होने पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

प्रतिभूति घोटाले में संलिप्त पाये गये व्यक्तियों/कम्पनियों से आयकर की वसूली

***729. श्री लाल बाबू राय :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिभूति घोटाले में संलिप्त पाये गये उन व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध आयकर विभाग द्वारा आयकर की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति/कम्पनी से जिस पर उक्त घोटाले में फंसे होने का आरोप है, आयकर की कितनी राशि मांगी गई तथा उससे अब तक कितनी राशि वसूल की जा सकी है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अधिसूचित व्यक्तियों के नामों के साथ-साथ जारी की गई कुल कर-माँग और वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

क्र.स.	नाम	हैसियत	कर-निर्धारण वर्ष	माँग	वसूली
1	2	3	4	5	6
एच.एस.एम. ग्रुप					
1.	हर्षद एस. मेहता	व्यष्टि	1988-89	275.09	
			1989-90	1110.64	
			1990-91	15126.57	
			1991-92	89774.56	
			1992-93	258506.42	
	[लाख रु. में]		उप-योग	364793.28	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	सुधीर एस. मेहता	व्यष्टि	1987-88	4.34	
			1988-89	4.85	
			1989-90	7.30	
			1990-91	36.36	
			1991-92	1135.21	
			1992-93	6965.13	
			उप-योग	8153.19	0.00
3.	अश्विनी एस. मेहता	व्यष्टि	1987-88	2.45	1.15
			1988-89	0.60	0.02
			1989-90	2.97	
			1990-91	14.81	6.04
			1991-92	3842.65	
			1992-93	56953.42	
			उप-योग	60816.90	7.21
4.	हितेश एस. मेहता	व्यष्टि	1987-88	0.21	0.09
			1988-89	0.37	
			1989-90	0.75	
			1990-91	13.85	
			1991-92	600.12	2.38
			1992-93	2512.13	
			उप-योग	3127.43	2.47
5.	सुश्री प्रतिमा एच. मेहता	व्यष्टि	1988-89	0.33	
			1989-90	5.57	
			1990-91	6.51	1.66
			1991-92	703.30	
			1992-93	4583.62	
			उप-योग	5299.33	1.66
6.	सुश्री दीपिका ए. मेहता	व्यष्टि	1987-88	2.37	
			1988-89	13.31	
			1989-90	30.57	
			1990-91	39.64	
			1991-92	754.40	
			1992-93	3429.67	
			उप-योग	4259.96	0.00
7.	सुश्री ज्योति एच. मेहता	व्यष्टि	1988-89	14.72	2.86
			1989-90	6.03	
			1990-91	11.87	4.07
			1991-92	502.27	
			1992-93	51978.78	
	[लाख रु. में]		उप-योग	52513.67	6.93

1	2	3	4	5	6
8.	हर्षद एस. मेहता,	हि.अ.प.	1990-91	0.25	
	हि.अ.प.		1991-92	0.60	
			1992-93	0.02	
			उप-योग	0.83	0.00
9.	अश्विन एस. मेहता	हि.अ.प.	1990-91	0.27	
	हि.अ.प.		1991-92	0.83	
			1992-93	0.00	
			उप-योग	1.10	0.00
10.	हितेश एस. मेहता	हि.अ.प.	1990-91	0.38	
	हि.अ.प.		1991-92	0.87	
			1992-93	0.00	
			उप-योग	1.25	0.00
11.	ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट	कंपनी	1989-90	27.56	
	मैनेजमेंट लिमिटेड		1990-91	262.84	
			1991-92	7650.15	
			1992-93	21139.75	
			उप-योग	29080.30	0.00
12.	ग्रोमोर लीज़िंग एंड	कंपनी	1990-91	286.90	
	इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.		1991-92	3315.21	
			1992-93	8473.01	
			उप-योग	12075.12	0.00
13.	ग्रोमोर एक्सपोर्ट्स	कंपनी	1990-91	1.00	
	प्रा.लि.		1991-92	34.51	
			1992-93	914.59	
			उप-योग	950.10	0.00
14.	आतूर होल्डिंग्स	कंपनी	1989-90	0.50	
	प्रा.लि.		1990-91	1.00	
			1991-92	66.21	
			1992-93	186.29	
			उप-योग	254.00	0.00
15.	ओरियन ट्रेवल्स प्रा.लि.	कंपनी	1990-91	5.12	0.25
			1991-92	77.01	
			1992-93	205.01	
			उप-योग	287.14	0.25
16.	हर्ष एस्ट्ेट्स प्रा.लि.	कंपनी	1989-90	0.50	
			1990-91	1.00	
			1991-92	9.64	
			1992-93	159.31	
	[लाख रु. में]		उप-योग	170.45	0.00

1	2	3	4	5	6
17.	कासकेड होल्डिंग्स	कंपनी	1991-92	155.68	
	प्रा.लि.		1992-93	15301.85	
			उप-योग	15457.53	0.00
18.	फॉरच्यून होल्डिंग्स	कंपनी	1991-92	196.56	
	प्रा.लि.		1992-93	339.41	
			उप-योग	535.97	0.00
19.	सनराईज़ इंटरप्राइज़ेज	पं.फ.	1992-93	4.68	
			1993-94	6.59	
			उप-योग	11.27	0.00
			ग्रुप योग	557798.81	18.52
भूपेन दलाल ग्रुप					
1.	भूपेन सी. दलाल	व्यष्टि	1988-89	168.74	
			1989-90	1556.66	
			1990-91	8897.85	58.38
			1991-92	10621.42	
			1992-93	51802.30	
			उप-योग	73046.97	58.38
2.	हितेन पी. दलाल	व्यष्टि	1988-89	2.79	
			1989-90	2531.64	
			1990-91	3307.99	
			1991-92	39445.04	
			1992-93	82019.34	
			उप-योग	127306.80	0.00
3.	जे.पी. गाँधी	व्यष्टि	1988-89	48.74	
			1989-90	1233.08	
			1990-91	2429.47	
			1991-92	3338.22	
			1992-93	1323.62	
			उप-योग	8373.13	0.00
4.	अभय डी. नरोत्तम	व्यष्टि	1988-89	203.23	
			1989-90	143.28	
			1990-91	2156.39	
			1991-92	16071.90	
			1992-93	29901.52	
			उप-योग	48476.32	0.00
5.	टी.बी. रूइया	व्यष्टि	1988-89	2.52	
			1989-90	7.84	
			1990-91	1.19	
			1991-92	0.96	
			1992-93	2.70	
	[लाख रु. में]		उप-योग	15.21	0.00

1	2	3	4	5	6
6.	धनराज मिल्स प्रा. लि.	कंपनी	1987-88	578.99	
			1988-89	50.54	
			1989-90	2808.19	
			1990-91	523.72	
			1991-92	18310.97	
			1992-93	3108.15	
			1993-94	536.59	
			उप-योग	25917.15	0.00
			ग्रुप योग	2831135.58	58.38
अन्य					
1.	फेयरग्रोथ फाइनेंशियल		1991-92	313.25	
	सर्विसेज लि.		1992-93	5552.65	1228.73
			उप-योग	5865.90	1228.73
2.	आर. गणेश	व्यष्टि	1991-92	0.60	
			1992-93	0.51	0.44
			उप-योग	1.11	0.44
3.	सी.एल. खेमानी	व्यष्टि	1992-93	0.98	0.98
4.	ए.एन. बावडेकर	व्यष्टि	1992-93	5.66	
5.	आर. सीतारमन	व्यष्टि	1992-93	19.14	
	[लाख रु. में]		ग्रुप योग	5892.79	1230.15
			कुल योग	846827.18	1307.05

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, हमने यह धनराशि वसूल करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही की है। हमने उच्चतम न्यायालय में अपील की है। हमने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका भी दायर की है। हमने अधिसूचित व्यक्तियों के विरूद्ध 43 आपराधिक शिकायतें/मामले दर्ज किए हैं। विशेष न्यायालय जब तक मामले का निपटारा नहीं करता है यह बहुत कठिन है क्योंकि अधिकांश मामलों में उनका कहना है कि करों की बकाया राशियों के मामलों में ही प्राथमिकता दी जायेगी, सम्बन्धित व्यक्तियों के ब्याज अथवा जुर्माने के मामलों में प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। इसीलिए हमने उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया है। दो मुख्य समूहों अर्थात् हर्षद मेहता समूह तथा भूपेन दलाल समूह के मामलों में ही 226 याचिकाएं विचाराधीन हैं, जो आयकर और सम्पत्तिकर से सम्बन्धित हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : मंत्री जी ने बताया है कि केसेज न्यायालय में लम्बित हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने न्यायालय में आवेदन दिया है कि वसूली के आदेश जल्दी से जल्दी दिए जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : न्यायालयों ने इसकी अनुमति नहीं दी है। क्या आपने अनुमति लेने के लिए न्यायालय से अपील की है ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इसीलिए हमने उनके विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है।

अध्यक्ष महोदय : न्यायालयों से शीघ्र निर्णय प्राप्त करने के लिए ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी हाँ, हमने ऐसा ही किया है क्योंकि अवकाश हो गया तो बहुत कठिनाई हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उत्तर से पता चलता है कि टोटल 8468 करोड़ इन्कम टैक्स आना बाकी है और इसमें से केवल 13 करोड़ आया है। मेरा प्रश्न यह है कि जब 8468 करोड़ का इन्कम टैक्स बकाया है तो सरकार को कम से कम अब यह तो पता चल गया होगा कि टोटल स्कैम कितने हज़ार करोड़ रुपये का है। क्या इसका कुछ अंदाजा सरकार के पास है, यदि है तो इस कार्य में और गति लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि अभी तक तो केवल 13 करोड़ ही प्राप्त करने की कोशिश हुई है।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, 41 अधिसूचित व्यक्तियों की ओर 8468.27 करोड़ रुपये की कुल माँग है। हमने बैंक के विरूद्ध कार्यवाही की है और कुछ धन वसूल भी किया है। हमने गैर-अधिसूचित व्यक्तियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की है और कुछ धन वसूल किया है ....(**व्यवधान**)....लेकिन ये सभी मामले सी.आई.टी. बम्बई में अपील में लम्बित पड़े हैं और कुछ याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं।

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार को यह पता चल गया है कि कुल कितनी राशि का घोटाला हुआ है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मुख्य प्रश्न घोटाले में संलिप्त व्यक्तियों से आयकर की राशि वसूल करने से सम्बन्धित है।

श्री पवन कुमार बंसल : मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार उच्चतम नयायालय में लम्बित मामलों में 5577 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है जबकि कुल वसूली 8468 करोड़ रुपये की होनी है। शेष 3000 करोड़ रुपये सरकार द्वारा वसूल किए जाने हैं। इन मामलों में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 226 याचिकाएं सी.आई.टी., बम्बई के समक्ष लम्बित पड़े हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि ब्याज की वसूली तथा जुर्माने की वसूली के मामलों में न्यायालय आदेश पारित करने में हिचकिचा रहे हैं। मुख्य मद जो न्यायालयों में है वे ब्याज और विशेष जुर्माने के हैं। मंत्री महोदय के अनुसार न्यायालय अभी तक अनुकूल निर्णय देने से कतरा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये मामले रद्द भी नहीं किए हैं। यहाँ निर्धारण वर्षों का एक कालम है जिसमें जिस-जिस वर्ष की ये बकाया राशियां हैं। हम यह देखते हैं कि अनेक मामले निर्धारण वर्ष 1988-89, 1987-88 आदि के हैं। इतने अधिक वर्ष बीत गए हैं। यह हमारी व्यवस्था में वैधानिक प्रक्रिया पर ही एक बदनुमा दाग नहीं है बल्कि सरकार पर भी उंगली उठती है जो इन मामलों को देख रही है। यह उन व्यक्तियों पर आशंका नहीं कर सकते जिन्होंने बैंकों से आम जनता का धन निकालने का तरीका ढूंढा है। उनके मन में यह आशंका कभी भी नहीं हुई होगी कि उन्हें कभी यह धन वापस करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई है या कुर्क कर ली गई और क्या यह हिसाब लगाया है कि उन सम्पत्तियों से कितना धन वसूल किया जा सकता है। जुर्माना और ब्याज की राशि की वसूली की तो बात ही छोड़ दो क्योंकि यह राशि सरकार की या आयकर विभाग की है। यदि कुछ भी वसूली नहीं होनी तो इसका क्या लाभ ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, अधिसूचित व्यक्तियों की चल और अचल दोनों ही प्रकार की सम्पत्तियां जब्द कर ली गई हैं और परिरक्षक के कब्जे में हैं। जब तक विशेष न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देते तब तक कुछ भी किया जाना बहुत कठिन है। अधिकांश निर्णयों के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ। हर्षद मेहता जैसे बड़े समूहों के मामले में न्यायालय आयकर विभाग द्वारा की गई मांगों के औचित्य के बारे में सन्तुष्ट नहीं हैं और इसी पर हमने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। हम आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे है।

श्री ए. चार्ल्स : मुख्य उत्तर में कर निर्धारण वर्ष 1988-89 दिए गए हैं और प्रत्येक समूह की ओर कुल बकाया राशि दिखाई गई है। अब हम निर्धारण वर्ष 1992-93 देखते हैं। मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट उत्तर जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1988-89 औरं 1989-90 के पहले मामलों में वसूली करने के लिए अलग-अलग कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ? इन सबको एक ही समूह में क्यों डाला गया है और सम्मिलित कार्यवाही क्यों की गई है ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हमने इन सभी समूहों को पहले ही एक साथ मिला दिया है और जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया उसी के अनुरूप कार्यवाही कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, गाँव में यदि किसान के ऊपर सरकार का दस हज़ार रुपया, पाँच हज़ार रुपया बकाया हो जाता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उसकी कुर्की हो जाती है जबकि ये आठ हज़ार करोड़ रुपया हड़प कर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार संसद के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव लाएगी जिससे कोर्ट की बाधा दूर करके जो लोग टैक्स का घोटाला करते हैं उनसे सरकार टैक्स वसूल करने में सक्षम हो सके।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, जैसा कि पहले ही बताया गया है, यह सभी उद्देश्य का मामला विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित है ....(**व्यवधान**).... इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम तो यही कह रहे हैं कि कोर्ट का चक्कर ही न रहे। क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है? आप या तो हिन्दी में समझ लें या अनुवाद पहले समझ लें। मेरा सीधा सा सवाल है कि कोर्ट के कारण ही सरकार अक्षम हो रही है। तो क्या सरकार इस तरह का कोई कानून लाने का विचार कर रही है जिससे टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ समुचित कार्रवाई हो सके और कोर्ट की बाधा से भी बचा जा सके।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद ...

अध्यक्ष महोदय : कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हो रहा है। आजादी से अब तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे प्रश्न पर आइए।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं वे न्यायालय की शरण लेकर बैठ जाते हैं। मूंदड़ा कांड से लेकर शेयर घोटाले तक ऐसे कितने ही कांड हुए हैं। हम यहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं। क्या मंत्री जी इस सदन में ऐसा कोई कानून लायेंगे जिससे अपराधी लोगों को दंड दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी यही पूछा था।

प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

***725. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया और इस लाभार्जन में इस निगम के होटलों का योगदान कितना है;

(ख) क्या लाभार्जन की दृष्टि से इसके होटलों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत होटल उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) 1994-95 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने 42.25 करोड़ रुपये का अनन्तिम निवल लाभ (कर पूर्व) अर्जित किया। उसमें होटल प्रभाग का योगदान 20.21 करोड़ रुपये था, जोकि कुल लाभ के 48% का परिचायक है। होटल प्रभाग का 20.21 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का लाभ, पिछले वर्ष के 8.29 करोड़ रुपये के लाभ से 143.8% उच्चतर है।

(ग) निष्पादन में सुधार, एक निरंतर प्रक्रिया है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों में सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, उद्यमशील विपणन, होटलों की स्तर वृद्धि/सुधार/पुन: संरचना, परिचालन लागतों पर नियंत्रण, उपयुक्त प्रशिक्षण आदि प्रदान करके मानव संसाधन का विकास आदि शामिल हैं।

एयर इंडिया का उड़ानें भरने का अधिकार

***726. श्री हरिन पाठक**

श्री एस. एम. लालजान वाशा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ के लिए एयर इंडिया को उड़ानें भरने का अधिकार तो प्राप्त है किन्तु वहाँ तक उसके विमान नहीं जाते हैं; और

(ख) ऐसे स्थानों तक एयर इंडिया की उड़ानें शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) नये गंतव्य स्थानों के लिए उड़ानों का प्रचालन यातायात माँग और विमान क्षमता की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

वे राष्ट्र जहाँ के लिए भारतीय विमान कम्पनियों को यातायात अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु वह प्रचालन नहीं करती।

1.	आस्ट्रिया	20.	नीदरलैंड
2.	भूटान	21.	नाइजीरिया
3.	बुल्गारिया	22.	पोलैंड
4.	बर्मा (म्यांमार)	23.	रोमानिया
5.	ब्रुनेई	24.	सैशल्स
6.	चेकोस्लोवाकिया	25.	दक्षिण कोरिया
7.	मिस्र	26.	स्पेन
8.	इथोपिया	27.	सीरिया
9.	फिजी	28.	ताजिकिस्तान
10.	फिनलैंड	29.	टर्की
11.	घाना	30.	तुर्कमैनिस्तान
12.	हंगरी	31.	उक्रेन
13.	ईरान	32.	उज़बेकिस्तान
14.	ईराक	33.	यमन
15.	इज़रायल	34.	यूगोस्लाविया
16.	जोर्डन	35.	ज़ाम्बिया
17.	कज़ाकिस्तान	36.	ज़िम्बाबवे
18.	लेबनान		
19.	लिसोथो		

(मारीशस के लिए एयर इंडिया का प्रचालन एयर मारीशस के साथ एक सयुंक्त उपक्रम करार के अधीन है।)

तैयार उत्पादों का निर्यात

*727. श्री एन. जे. राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों को तैयार उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय इन देशों को निर्यात किये जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इनके निर्यात से प्रत्येक देश से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) पश्चिमी देशों को तैयार उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल-जनवरी) और वर्ष 1993-94 को इसी अवधि के लिए पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के पश्चिमी देशों को विनिर्मित उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

मि.लि. अमरीकी डालर

1992-93	1993-94	प्रतिशत वृद्धि	1993-94 (अप्रैल-जन.)	1994-95* (अप्रैल-जन.)	प्रतिशत वृद्धि
9568	10649	11.3	8501	10276	20.9

*अनंतिम

निर्यातित मुख्य विनिर्मित वस्तुओं में शामिल हैं - चमड़ा उत्पाद, रत्न तथा आभूषण, खेल का सामान, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी माल, इलैक्ट्रानिक्स सामान, परियोजना माल, वस्त्र, हस्तशिल्प तथा कालीन। इन उत्पादों के देशवार निर्यात के आंकड़े अत्यधिक हैं। किन्तु यह आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय, कलकत्ता के मासिक प्रकाशन फारेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया (प्रिंसीपल कमोडिटीज़ एंड कंट्रीज़) में प्रकाशित किए जाते हैं और यह प्रकाशन लोक सभा पुस्तकालय को उपलब्ध कराया जाता है।

सरकार का यह प्रयास रहता है कि पश्चिमी देशों सहित सभी देशों को सभी मदों का निर्यात संवर्धन किया जाता रहे। उनमें तैयार उत्पाद भी शामिल होते हैं। इस उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए कई उपाय किए जाते हैं जैसे संयुक्त आयोगों की बैठकें आयोजित करना, व्यापार एवं उद्योग प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, सेमीनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

कपास का उत्पादन

*728. डा. वसंत पवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत वर्ष देश में कपास के उत्पादन में कमी आई;

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश में माँग को पूरा करने के लिए कपास के आयात की कोई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) पिछले दो कपास वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कुल अपरिष्कृत कपास निम्न अनुसार है :

कपास मौसम	मात्रा (लाख गांठ में) (170 कि.ग्रा.)
1992-93	135
1993-94	121.50

(कपास सलाहकार बोर्ड के प्राक्कलन)

(ख) वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान उत्पादन में गिरावट आई।

(ग) और (घ) घरेलू माँग को पूरा करने के लिए एक उपाय के रूप में अप्रैल, 1994 से ओ.जी.एल. के अन्तर्गत प्रोक्सी मिलों को कपास के आयात की अनुमति दी गई।

[हिन्दी]

वस्त्र मिलों का बन्द होना

*730. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी वस्त्र मिलों को बन्द किया गया;

(ख) इनमें से प्रत्येक मिल को बन्द किए जाने के क्या कारण हैं और इन्हें बन्द करने से कितने कर्मकार बेरोज़गार हुए;

(ग) इसके फलस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-वार कितने राजस्व की हानि हुई; और

(घ) इन मिलों के बन्द होने के कारण बेरोज़गार हुए कर्मकारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्यतः वित्तीय कठिनाइयों, श्रमिक समस्याओं, तालाबन्दी, विद्युत आपूर्ति न होने आदि के कारण 35 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें अस्थाई रूप से बन्द पड़ी थीं। चार सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें सरकारी व्यासमापन के अधीन बन्द पड़ी थीं तथा पिछले तीन वर्षों (1.4.92 से 31.3.95 तक) के दौरान आई.डी. अधिनियम के अन्तर्गत कोई मिल बन्द नहीं की गई थी। बन्द मिलों की राज्यवार संख्या, बन्द होने के कारण तथा प्रभावित कामगारों के ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कर जैसे कि बिक्री कर, चुंगी, मण्डी कर, उत्पादन कर आदि में राज्य-दर-राज्य तथा

मद-दर-मद भिन्नता होती है। इस लिए वस्त्र मिलों के बन्द होने के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों को हुए राजस्व संबंधी घाटों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सरकार ने मिल के स्थाई/आंशिक रूप से बन्द होने के कारण बेरोज़गार हुए कामगारों को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना स्थापित की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की राज्य-वार संख्या, बन्द किए जाने के कारण तथा प्रभावित कामगारों के ब्यौरे

क्र.सं.	मिल का नाम	बंद करने की तरीख	नामावली पर कामगार	बंद करने के कारण
	1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश				
1.	सतवहाना कॉटन ग्रोअर्स कोआप. स्पि. मिल्स लि.	18-10-1994	719	मिल को उच्च न्यायालय द्वारा सील कर दिया गया।
2.	अन्नावरम स्पि. मिल्स लि.	10-07-1993	116	विद्युत आपूर्ति
गुजरात				
3.	श्री अरबुदा मिल्स लि.	14-11-1994	2178	वित्तीय
4.	न्यू राजपुर मिल्स कं.लि.	04-03-1994	1106	वित्तीय (सरकारी व्यासमापन)
5.	रुस्तम मिल्स एंड इण्डस्ट्रीज़ लि.	26-06-1993	1397	वित्तीय (सरकारी व्यासमापन)
6.	वाई.एस. सिन्थेटिक्स प्रोजेक्ट्स लि.	24-10-1994	1000	--
7.	राजप्रकाश स्पि. मिल्स लि.	17-12-1993	390	--
8.	सुकेतु टैक्सटाईल्स	01-01-1994	64	श्रमिक समस्याएं
9.	नवसारी कॉटन एंड सिल्क मिल्स लि.	08-07-1994	1552	वित्तीय
हरियाणा				
10.	श्री सरस्वती स्पि. मिल्स	18-04-1993	30	वित्तीय
कर्नाटक				
11.	बागलकोट कोआप. स्पि. मिल्स लि.	15-03-1993	356	कामगारों द्वारा हड़ताल
12.	नन्दी हस्बी टैक्सटाइल मिल्स लि.	30-10-1994	562	विद्युत आपूर्ति
13.	बिन्नी एंड कंपनी लि.	06-11-1994	3114	--
केरल				
14.	मदुरा कोट्स लि., त्रिचुर	14-02-1993	2178	तालाबन्दी
मध्य प्रदेश				
15.	निमाण टैक्सटाइल्स लि.	01-04-1994	550	-
16.	जीयाज़ी राव कॉटन मिल्स लि.	28-04-1992	6746	विद्युत आपूर्ति
महाराष्ट्र				
17.	दि नान्देद उत्पादक साह सूत गिरनी लि.	01-06-1992	459	वित्तीय
18.	श्री रामपुर ताल कपास उत्पादक साहसूत गिरनी मर्यादित	01-10-1994	735	सरकार व्यासमापन
19.	जलगांव कपास उत्पादक साह गिरनी लि.	21-07-1992	391	वित्तीय
20.	नासिक जिला कोआप. स्पि. मिल्स	01-11-1994	1039	सरकारी व्यासमापन
21.	राजा बहुदेव मोतीलाल पूना मिल्स लि.	01-03-1994	1113	वित्तीय

1		2	3	4
उड़ीसा				
22.	लिंगराज टैक्सटाईल्स प्रा.लि.	01-10-1993	उपलब्ध नहीं	--
तमिलनाडु				
23.	शिवानन्दा मिल्स लि.	18-12-1993	510	कामगारों द्वारा धीमी गति से कार्य
24.	चन्द्रा टैक्सटाइल लि.	14-01-1995	410	कच्चे माल की ऊँची कीमतें
25.	श्री गीता लक्ष्मी टैक्सटाईल्स	01-09-1993	75	प्रबन्ध विवाद
26.	श्री अलगुललक्ष्मी मिल्स (प्रा.) लि.	01-06-1994	88	वित्तीय
27.	कालेश्वरर मिल्स, युनिट नं. 1	02-09-1992	1028	कामगारों द्वारा हड़ताल
28.	श्रीसीता वेंकटेश मिल्स	22-08-1993	328	वित्तीय
29.	पलानी श्री मुरूगन टैक्सटाईल्स	01-07-1992	135	वित्तीय
30.	अरुप्पूकोटाई श्री विजयलक्ष्मी टैक्स्टाईल मिल्स लि. (ए यूनिट)	30-04-1994	उपलब्ध नहीं	वित्तीय
31.	श्री सैंथूरम स्पि. मिल्स	20-03-1994	33	बकाया वसूली के लिए टी.आई.आई.सी. द्वारा बंद किया जाना।
32.	श्री बलेश्वरर मिल्स	01-07-1993	74	--
33.	श्री योगलक्ष्मी मिल्स (प्रा.) लि.	17-01-1995	135	वित्तीय
34.	देवी स्पि. मिल्स लि.	01-11-1994	35	निदेशकों में विवाद
35.	मदलियेनन्दन स्पि. मिल्स (प्रा.) लि.	15-11-1993	130	वित्तीय
36.	मेट्टूर टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज़ लि.	02-07-1992	2852	कामगारों द्वारा हड़ताल
उत्तर प्रदेश				
37.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	17-05-1992	1029	कामगार विवाद
38.	मोदी स्पि. एंड वी. मिल्स कं. लि.	08-04-1994	1404	वित्तीय
39.	सन्त कबीर साह मिल्स लि.	29-09-1994	1200	वित्तीय

चीन के साथ व्यापार समझौता

[अनुवाद]

*731. **श्री के. प्रधानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के रक्षा मंत्री के साथ आये शिष्टमंडल सहित वहाँ से हाल ही में भारत की यात्रा पर आये अन्य शिष्टमंडलों ने चीन और भारत के बीच व्यापार निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानवशक्ति विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर बल दिया है जिससे इन दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापार होने का संकेत मिलता है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या इन दोनों देशों द्वारा किसी व्यापार समझौते/संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चीन को निर्यात में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हाँ। किन्तु द्विपक्षीय व्यापार ब्लाक बनाने पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।

(ख) पिछले छः महीनों में चीन से भारत में दो प्रतिनिधि मंडल आए हैं। कोयला क्षेत्र में दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की, विशेषज्ञों के एक कार्यदल का गठन किया तथा निर्माण, भारतीय कोयले की चीनी प्रौद्योगिकी से ईंटें बनाने और कोल इण्डिया द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना के विकास के लिए नई परियोजनाओं आदि जैसे कई क्षेत्रों को अभिज्ञात किया। दूसरा प्रतिनिधिमंडल लोहा और इस्पात सैक्टर में था, इसके अन्तर्गत एम.एम.टी.सी. द्वारा लौह अयस्क चूरे की दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए व्यवस्था की गई।

(ग) और (घ) भारत और चीन के बीच व्यापार करार पर दिनांक 15 अगस्त, 1984 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी मुख्य-मुख्य बातें हैं - द्विपक्षीय व्यापार संबंध संवर्धन, परस्पर परम मित्र राष्ट्र व्यवहार, मुक्त रूप से सम्परिवर्तनीय मुद्रा में लेन-देन, व्यापार मेलों तथा वैसे ही अन्य अवसरों पर पारस्परिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना, परस्पर व्यापार हित की मदों को अभिज्ञात करना और नियमित रूप से परस्पर परामर्श करना।

भारतीय कम्पनियां चीन में भेषज, ऑटोमोटिव दुपहियों और रिफ्रैक्टरीज के क्षेत्र में 3 संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही है। वर्ष 1988 से अब तक इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात, रसायन, भेषज, मत्स्य ग्रहण तथा अक्वाकल्चर, कोयला आदि क्षेत्रों में 29 तकनीकी/वित्तीय चीनी सहयोग प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(ङ) चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में शामिल हैं - भारत के निर्यात हित की उन मदों को परस्पर अभिज्ञात करना जिनके आयात से चीनी पक्ष को आसानी हो, प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान तथा व्यापारिक यात्राओं का संवर्धन करना, सीमा व्यापार का विस्तार करना, विशेष रूप से संयुक्त उद्यम स्थापित करने में आर्थिक सहयोग देना तथा बढ़ाना एवं व्यापार सैक्टर पहले के रूप में संयुक्त व्यापार परिषद् सहित विभिन्न मंचों पर नियमित रूप से परामर्श करना।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कुछ कम्पनियों का बन्द किया जाना

*732. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय सं पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की जिन कम्पनियों को अन्तिम रूप से बन्द किए जाने पर विचार किया गया है, उनकी नवीनतम संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक कम्पनी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने आगे की कार्यवाही के लिए इन मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों के पास भेजा है;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के एककों के समुचित आधुनिकीकरण, पुर्नस्थापन तथा भावी प्रगति के लिए धनराशि की व्यवस्था कराकर देश के व्यापक हित में इनकी सुरक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने सूचित किया है कि दिनांक 30-4-1995 की स्थिति के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 (एस.आई.सी.ए.) की धारा 20(1) के अंतर्गत इसने 11 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) सहित 377 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के समापन की सिफारिश सम्बद्ध उच्च न्यायालय के पास की थी। इनमें से दो गैर-सरकारी कंपनियों की परिसम्पत्तियां बेच दी गई थीं और बिक्री से हुई आय को सम्बद्ध उच्च न्यायालय में भेज दिया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शेष मामले आगे की कार्रवाई के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालयों के पास हैं। इन 377 कंपनियों के नामों की सूची तैयार करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिसम्बर, 1991 में एस.आई.सी.ए. के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के लिए एस.आई.सी.ए. की धारा 15(1) के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. को संदर्भ भेजना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्राप्त संदर्भों पर बी.आई.एफ.आर. द्वारा कार्रवाई की जाती है। बी.आई.एफ.आर. कहीं भी संभव हो, प्रशासनिक मंत्रालय या राज्य सरकार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, कामगारों इत्यादि द्वारा दिए गए राहतों/रियायतों/लाभ अतिरिक्त निधियों का प्रावधान इत्यादि को शामिल करते हुए पुनरुज्जीवन योजना तैयार करता है और सभी संबंधितों की सहमति से एस.आई.सी.ए. के अंतर्गत पुनरुज्जीवन योजना मंजूर करता है। मंजूर योजना में सम्बद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के आधुनिकीकरण, पुनर्वास और दीर्घकालीन अर्थक्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

रूस को चाय और कृषि उत्पादों का निर्यात

*733. **श्री अंकुशराव टोपे :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूप को चाय और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु भारत और रूस के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्ववर्ती सोवियत संघ के विघटन से चाय के निर्यात को भारी धक्का लगा;

(घ) यदि हाँ, तो रूस को चाय और कृषि उत्पादों के निर्यात में नए समझौते से कितनी मदद मिलेगी; और

(ङ) वर्ष 1995 के दौरान रूस को चाय और कृषि उत्पादों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हाँ।

(ख) ऋण पुनर्भुगतान कोष से कुछ उपयोगी वस्तुओं की दीर्घवधि खरीदारियों के बारे में एक समझौते पर 23 दिसम्बर, 1994 को रूसी प्रधानमंत्री महामहिम श्री चेरनोमिर्दीन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अनुसार, भेषजों सहित निम्नांकित उपयोगी वस्तुओं की वार्षिक खरीदारियों को, 1995-97 के लिए नीचे दिखाई गई अनुमानित मात्रा/मूल्य के अनुसार पूरा करने के लिए रूसी पक्ष को आवश्यक उपाय करने हैं :

1. तम्बाकू	20000 मी. टन
2. चाय	30000 मी. टन
3. सोयाबीन खाद्य	10000 मी. टन

(ग) जी, हाँ।

(घ) वर्ष 1995 के दौरान ऋण पुनर्भुगतान लेखा के अन्तर्गत उपर्युक्त उपयोगी वस्तुओं का आयात किए जाने के लिए रूसी सरकार ने विभिन्न रूसी संगठनों को धन का आबंटन किया है। संबंधित संगठनों द्वारा एक बार खरीदारी करारों में शामिल होने के बाद इन उपयोगी वस्तुओं का निर्यात सुविधाजनक हो जाएगा।

(ङ) जैसा कि पूर्वोत्तर समझौते में ध्यान रखा गया है, चाय और अन्य उपयोगी वस्तुओं के 1995 के दौरान रूस की निम्नानुसार निर्यात किए जाने की संभावना है :

1. तम्बाकू	20000 मी. टन
2. चाय	30000 मी. टन
3. सोयाबीन खाद्य	10000 मी. टन

कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट

*734. **प्रो. के. वी. थॉमस : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी बीमा योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को ई.एस.आई. के अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों में उपलब्ध सुविधाएं अपेक्षित स्तर की नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ मजदूर संघों ने सरकार से अनुरोध किया है कि कर्मचारियों को इस योजना से छूट दी जाये;

(ग) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में दी जाने वाली सुविधाएं प्रायः संतोषजनक हैं। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों में अनुपयुक्त चिकित्सा सुविधा, औषधियों, दवाइयों, उपस्करों, चिकित्सीय और अर्द्ध-चिकित्सीय स्टाफ की कमी के बारे में छिटपुट शिकायतें मिलती रही हैं। दिल्ली और नोएडा के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा के संचालन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसलिए, ऐसी शिकायतें, जब भी प्राप्त होती हैं, उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी जाती हैं।

2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है और उन प्रतिष्ठानों के पक्ष में छूट प्रदान की जाती है जहाँ कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों के समान अथवा बेहतर लाभ मिलते हैं। कुछ कर्मचारी संघों विशेषतः उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान आर्गेनिज़िक केमिकल लि., इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़, हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिन्ट लि. (केरल) और सुपर बाज़ार (दिल्ली) में कार्य कर रहे संघों के अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन हैं।

3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को भी छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए, इस संबंध में राज्य सरकारों को प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

हवाई अड्डों में सुधार लाने हेतु कार्यवाही

*735. **प्रो. प्रेम धूमल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में हवाई अड्डों का विस्तार करने तथा वहाँ पर विमान उतारने की बेहतर सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हिमाचल प्रदेश में भुंतर (कुल्लू), शिमला, गग्गल (कांगड़ा) हवाई अड्डों का भी विस्तार किया जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (घ) हवाई अड्डों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे प्रक्षेपित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है।

भारतीय विमानपत्तन की हिमाचल प्रदेश में भुंतर (कुल्लू), शिमला और गग्गल (कांगड़ा) में निम्नलिखित निर्माण-कार्य करने की योजनाएं हैं

भुंतर (कुल्लू)

(1) धावनपथ पर पुनः परत बिछाना।

(2) नये एप्रन और टैक्सीपथ का निर्माण।

शिमला

(1) 200 फुट के अतिधावन क्षेत्र सहित धावनपथ का विस्तार करके उसे 3800 फुट से 4100 फुट करना।

(2) भू-स्खलन को रोकने के लिए जल-निकास व्यवस्था और वन-रोपण।

गग्गल (कांगड़ा)

(1) भूमि की उपलब्धता और सड़क के अपवर्तन की शर्त के अधीन, धावनपथ का विस्तार करके उसे 3900 फुट से 4500 फुट करना।

(2) नये टर्मिनल भवन का निर्माण।

(3) नए एप्रन और टैक्सीपथ का निर्माण और जल-निकास प्रणाली का प्रावधान।

कॉफी बोर्ड

***736. श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड का विचार बाज़ार में सीधे प्रवेश करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कॉफी बोर्ड द्वारा कब से बाज़ार में प्रवेश किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) देश में उचित कीमत पर कॉफी की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि कॉफी बोर्ड को चाहिए कि वह चुनिंदा बाज़ार हस्तक्षेप के लिए इकट्ठी की गई (पूल्ड) और खरीदी गई कॉफी की बिक्री अपने दुकानों के जरिए करें।

(ग) कॉफी बोर्ड दिनांक 1 मई, 1995 से अपनी दुकानों के जरिए 120 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से कॉफी बीज के मिश्रण का विपणन करके बाज़ार हस्तक्षेप आरम्भ कर चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

***737. श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 1995 की श्रम संबंधी विश्व रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है;

(ख) इस रिपोर्ट में भारत के संबंध में की गई मुख्य टिप्पणियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जाँच की है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत में 70,000 से अधिक श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और इतने ही श्रमिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के मामलों में कार्यवाही चल रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (च) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट, 1995 में अन्य बातों के साथ-साथ भारत के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं :

(1) 1970 से त्रिपक्षीय व्यवस्थाओं की कारगरता में गिरावट के परिणामस्वरूप, ह्रासोन्मुख उद्योगों में रोज़गार सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए सरकार और व्यवसाय संघों के बीच द्विपक्षीय परामर्श एक महत्वपूर्ण तंत्र हो गया है।

(2) यद्यपि भारत में औपचारिक त्रिपक्षीय परामर्श तंत्र, जिसमें भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति शामिल है, का काफी दुरूपयोग हुआ प्रतीत होता है, विशेष उद्योगों से संबंधित विषयों संबंधी त्रिपक्षीय वार्ताएं अभी भी आवधिक रूप से आयोजित की जाती प्रतीत होती हैं।

(3) भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के प्रभावी प्रचालन को व्यवसाय संघों की बहुलता तथा अन्तर-संघ प्रतिस्पर्द्धाओं के कारण इन निकायों में कर्मकारों को प्रतिनिधित्व दिए जाने संबंधी करार के अभाव से हमेशा आघात पहुँचता रहा है।

औद्योगिक संबंधों में त्रिपक्षीयता देश में औद्योगिक विवाद समाधान के सर्वाधिक स्वीकार्य रूप में अभी भी विद्यमान है। अनेक त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियां तथा एक राष्ट्रीय स्तर की विशेष त्रिपक्षीय समिति हैं जिनकी श्रम से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आवधिक रूप से बैठकें आयोजित होती हैं। किसी भी मामले में सरकारी सतर के परामर्श औद्योगिक उद्यम स्तर पर त्रिपक्षीय परामर्शों के स्थान पर नहीं है अपितु उनके अतिरिक्त है। संघों के साथ सरकारी स्तर के परामर्श केवल त्रिपक्षीय आधार से ही आयोजित किए जाते हैं न कि द्विपक्षीय आधार पर। भारतीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति श्रम से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए शीर्ष स्तर पर अति महत्वपूर्ण और प्रभावी त्रिपक्षीय तंत्र बना हुआ है। इन शीर्षस्थ निकायों को व्यवसाय संघों की सत्यापित और अधिसूचित नफरी के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान कर एक स्थापित और स्वीकार्य पद्धति के आधार पर गठित किया जाता है। अतः, वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट में की गयी टिप्पणियां भारत में पाई जाने वाली वास्तविक स्थिति को यथेष्ट रूप से प्रतिबिम्बित नहीं करती हैं।

वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 1995 में भारत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं किया गया है। 1992-93 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लगभग 76,000 कर्मकारों ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि द्वारा वित्तपोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाया है। योजना के लाभों का लाभ उठाने की प्रक्रिया में लगे कर्मकारों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विश्व बैंक द्वारा ऋण

***738. श्री प्रमथेश मुखर्जी :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न परियोजनाओं के लिए अपेक्षित ऋण और सहायता मांगने वाले कुछ नए प्रस्तावों को विश्व बैंक ने हाल ही में मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने यह भी सलाह दी है कि इन ऋणों का उपयोग किस प्रकार किया जाए; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हाँ। जनवरी, 1995 से विश्व बैंक के साथ ऋण/उधार करार (i) 59.5 मिलियन अमरीकी डालर के लिए कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना हेतु (ii) 700 मिलियन अमरीकी डालर के लिए वित्तीय क्षेत्र विकास ऋण हेतु और (iii) 58.0 मिलियन अमरीकी डालर के लिए मध्यप्रदेश वानिकी परियोजना हेतु निष्पन्न हुए हैं।

(ग) और (घ) सहायता के लिए प्रस्तावों पर बातचीत पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर की जाती है जो अलग-अलग परियोजना के प्रस्तावों पर आधारित होती है और इन राशियों का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची चक्र पर निर्भर करता है जो सामान्यत: 5 से 7 वर्ष है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

***739. श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

डा. के. वी. आर. चौधरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के आधुनिकीकरण योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले आधुनिकीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी): (क) से (ग) सरकार ने एन.टी.सी. मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक संशोधित सर्वागीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें 2005.72 करोड़ रुपये की लागत से 79 मिलों का आधुनिकीकरण तथा 36 गैर-अर्थक्षम मिलों को 18 अर्थक्षम मिलों में समामेलित करके उनका पुनर्निर्माण आदि निहित है। यह योजना वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई योजनाओं तथा श्रम मंत्रालय की एन.टी.सी. विषयक विशेष त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप है। इस योजना को क्रियान्वयन से पहले बी.आई.एफ.आर. के समक्ष उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करना होगा। योजना के ब्यौरे शीघ्र ही सदन के सभा पटल पर रखे जायेंगे।

विदेशों द्वारा भारतीय औषधियों के आयात पर प्रतिबंध

***740. श्री दत्ता मेघे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारतीय औषधियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इन औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप औषध निर्माताओं को अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जनवरी, 1994 में संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के प्राधिकारियों ने औषधियों के आयात हेतु कुछ निश्चित पंजीयन मानदण्डों का आह्वान किया था जिससे उस देश को होने वाला भारतीय औषधियों का निर्यात संकट में पड़ गया क्योंकि भारतीय निर्यातकों को उक्त नए मानदण्डों को पूरा करने में कठिनाई हो रही थी। इस बात को उच्च-स्तर पर यू.ए.ई. सरकार के ध्यान में लाया गया और उसका कारगर ढंग से अनुसरण किया गया। फलस्वरूप, अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों पर एक पारस्परिक तालमेल बनाया गया जिसका उद्देश्य यू.ए.ई. को भारतीय औषधियों का निरन्तर निर्यात सुनिश्चित करना और उसे सुकर बनाना है।

भारतीय स्टेट बैंक के शेयर

[अनुवाद]

7289. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा/अथवा भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के 2,600 करोड़ रुपये के शेयरों तथा बांड निर्गम के संबंध में पूँजी निवेशकों द्वारा की गई शिकायतों की जाँच के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या यह जाँच अब तक पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो जाँच के मुद्दे क्या हैं, इसके क्या निष्कर्ष हैं तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कारों से लदा पोत (कार-लेडन शिप)

7290. श्री संदीपन भगवान थोरात :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में "ए फायर सिंग्ड, कार-लेडन शिप इन द डॉक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) विदेशों से 3100 कारों की खेप को स्वीकृति देने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लेख किए गए समाचार की सरकार को जानकारी है। "मगनोलिया ऐस" नामक एक समुद्री जहाज, जिसमें लगभग 3900 मोटर वाहनों का कार्गो लदा हुआ था, जब यह जापान से यूरोप की यात्रा पर जा रहा था, तो इसमें श्रीलंका के समुद्री तट से दूर आग लग गई थी और इसे अलंग शिप ब्रैकिंग यार्ड, भावनगर में लाया गया था। चूंकि उचित आयात लाइसेंस के बिना मोटर वाहनों और उनके पुर्जों का आयात करना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत एक अपराध है, अत: समुद्री जहाज को इसके कार्गो सहित 14-3-1995 को अभिगृहीत कर लिया गया था। इस मामले में आगे जाँच कार्य जारी है।

(ग) चूंकि जलयान और कारों को विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के उल्लंघन करने के कारण अभिगृहीत किया गया है अत: कार्गो की निकासी का प्रश्न नहीं उठता है।

वित्तीय/तकनीकी सहयोग

7291. **डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय/तकनीकी सहयोग के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) इस अवधि के दौरान किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 1994-95 की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किए गए वित्तीय/तकनीकी सहयोग संबंधी प्रस्तावों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :

तकनीकी	वित्तीय	कुल	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि (करोड़ रुपये में)
577	211	788	584.63

बैंकों के प्रबंधन पर व्यय

7292. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिर्ज़व बैंक अथवा सरकार ने बैंकों द्वारा स्थापना प्रबंधन और प्रशासन के मामले में उनकी इक्विटी अथवा कार्यशील पूँजी अथवा जमा व्यापार कारोबार के अनुपात के रूप में व्यय करने हेतु कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, विशेष रूप से घाटे में चलने वाले बैंकों के कार्य-निष्पादन की इस दृष्टि से समीक्षा की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) यद्यपि बैंकों द्वारा स्थापना, प्रबंध और प्रशासन पर किए गए व्यय के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन के बारे में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अतिरिक्त पूँजी अंशदान के निर्गम के संबंध में हानि उठाने वाले संबंधित बैंकों ने कार्यनिष्पादन बाध्यताओं और निम्नलिखित आशय की प्रतिबद्धताओं वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं :

(1) विशेषज्ञ श्रेणी के सिवाय कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं की जाएगी,

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना कोई पूँजी व्यय नहीं किया जाएगा,

(3) कोई शाखाएं नहीं खोली जाएंगी,

(4) बन्द/विलय करने के लिए बैंक लम्बे अरसे से हानि उठाने वाली शाखाओं का पता लगाएंगे, और

(5) बन्द/विलय की गई या बन्द/विलय किए जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को कही और लाभप्रद ढंग से पुनर्नियोजित किया जाएगा।

रबड़ की खेती

7293. **श्री द्वारकानाथ दास : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रबड़ की खेती के लिए पूर्वोत्तर राज्य सर्वाधिक उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में रबड़ की खेती के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रबड़ के उत्पादन में कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) रबड़ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की वाणिज्यिक खेती के लिए कुछ उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वर्ष 1984 में इस क्षेत्र में रबड़ की खेती के तेजी से विकास हेतु एक योजना मंजूर की थी। वर्ष 1984-85 में इस क्षेत्र में रबड़ की खेती 9250 हेक्टेयर भूमि पर की जाती थी, जोकि अब बढ़कर 35000 हेक्टेयर हो गयी है। रबड़ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशिष्ट

आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने हेतु अपनी कुछ योजनाओं को पुनर्निर्धारित किया है तथा स्थानपरिवर्ती किसानों के पुनर्नियोजन हेतु विशिष्ट योजनाएं भी कार्यान्वित की हैं। वर्ष 1993-94 में रबड़ की खेती के अंतर्गत, 6000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विकसित करने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक रबड़ परियोजना भी इस क्षेत्र में शुरू की गई है, और 1997-98 तक 13,050 हेक्टेयर क्षेत्र में रबड़ के बागान लगाए जाएंगे।

(ग) रबड़ बोर्ड प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धताओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से घरेलू रबड़ उत्पादन को बढ़ाने हेतु विभिन्न रणनीतियां अपनाता चला आ रहा है। हाल ही में, रबड़ की घरेलू माँग में तीव्र गति से वृद्धि होने की वजह से, पहले से यह कहना संभव नहीं है कि कितनी समयावधि में रबड़ के उत्पादन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी।

बैंक कर्मियों की मांगें

7294. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारी संगठनों ने अपनी माँगों के संबंध में हाल ही में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके द्वारा क्या-क्या माँगें रखी गईं हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) कामगार यूनियनों/अधिकारी संघों द्वारा वेतन, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में प्रस्तुत मांग-पत्र पर भारतीय बैंक संघ (बैंक प्रबंधन प्रतिनिधि) और कर्मचारी/अधिकारी यूनियनों/संघों ने विचार-विमर्श किया था तथा छठे द्विपक्षीय समझोते के नाम से जानी जाने वाली उद्योग-स्तर के समझौते पर दिनांक 14-2-1995 को कामगार कर्मचारियों की तरफ से हस्ताक्षर किए गये थे।

अधिकारी-संगठनों द्वारा पेश की गई मांगों के संबंध में समझौता-वार्ताएं चल रही हैं। अधिकारी-कर्मचारियों की मुख्य माँगें निम्नलिखित हैं :

(1) कामगार-कर्मचारियों की तरह ही कम्प्यूटरीकरण के कारण एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि।

(2) गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतन-संरचना में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर मूल वेतन और भत्तों में सुधार।

(3) अन्य भत्तों, चिकित्सा सहायता, अस्पताल में भर्ती संबंधी खर्चे, आदि में सुधार।

अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंकों में जमा की गई राशि

7295. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 के दौरान आज तक कर्नाटक स्थित विभिन्न सरकारी बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंक-वार कितनी राशि जमा की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति

7296. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई "बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति" को वाणिज्यिक संगठनों तथा वित्तीय संस्थाओं की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक प्राप्त हुए प्रमुख सुझाव क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित 'बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए समिति' ने 7 जनवरी, 1994 को सरकार को अपनी रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी है। इसमें विभिन्न संगठनों और संघों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं हैं, जिनमें अन्यों के साथ-साथ वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। समिति ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखा था।

रोज़गार कार्यालय

7297. **श्री राम शरण यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोज़गार कार्यालयों की शिल्प-वार तथा स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कार्यालयों को परिणामोन्मुख बनाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली में इन कार्यालयों के माध्यम से बेरोज़गार व्यक्तियों को वर्ष 1994 के दौरान लिपिक श्रेणी में कितनी नौकरियां दी गई?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में 24 रोज़गार कार्यालय हैं। इन कार्यालयों के स्थापना स्थल तथा इनके द्वारा किये जाने वाले पंजीकरण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय रोज़गार सेवा मैनुअल के अनुदेशानुसार नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित की गई रिक्तियों के प्रत्युत्तर में रिक्तियां भरने के संबंध में रोज़गार कार्यालयों की भूमिका सीमित है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध सूचनानुसार, वर्ष 1994 के दौरान 500 व्यक्तियों को लिपिक श्रेणी में नौकरियां दी गई हैं।

दिल्ली के रोज़गार कार्यालयों में कार्यवार वितरण

क्र.स.	रोज़गार कार्यालय का नाम	किया जाने वाला पंजीकरण
1	2	3
1.	उप-क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 14 दरियागंज, नई दिल्ली	लिपिक, अनुसचिवीय एवं बिक्री क्लर्क जैसे कि अनुभवी क्लर्क, लेखा क्लर्क, रोकड़िया, टंकक, आशुलिपिक, मशीन ऑपरेटर, की-पंच ऑपरेटर, सेल्समैन, बिक्री सहायक, चैकर, टैस्टर, सार्टर, तथा व्यावसायिक प्रभाग 1, 2, 3, 9 में अन्य संबंधित कामगार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य डिग्री में तृतीय श्रेणी के स्नातक सहित नए अभ्यर्थी तथा अन्य विश्वविद्यालयों के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के स्नातक, कम्प्यूटर।
2.	व्यावसायिक एवं कार्यपालक रोज़गार कार्यालय, आर. के. पुरम्, सैक्टर-7, नई दिल्ली	टी.जी.टी. एवं पी.जी.टी. शिक्षक, बी.एस.सी. (कृषि), एम.एस.सी. (कृषि), पी.टी. आई., पराचिकित्सा कार्मिक लेडी हैल्थ निरीक्षक, एक्स-रे तकनीशियन, फिजियो-थैरपिस्ट, व्यवसायिक थैरपिस्ट, फार्मेसिस्ट, कैमिस्ट एवं वैज्ञानिक, चिकित्सक तकनीशियन एवं अन्य।
3.	उप-क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, पूसा (टी), नई दिल्ली-12	(सभी आई.टी.आई. व्यवसायों के) सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग के डिग्रीधारी, प्रिंटिंग, ट्रेसर व्यवसाय, होटल उद्योग, डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर, लैब सहायक, (इंजी.), कैमरामैन एवं सर्वेक्षक, ड्राईवर एवं कंडक्टर वाले व्यवसायों में अनुभव सहित सभी तकनीकी कार्मिक
4.	शारीरिक रूप सै विकलांगों हेतु विशेष रोज़गार कार्यालय, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अर्थात्, नेत्रहीन, बहरे, गूंगे, ऑर्थोपैडी, म्इडन्यूरो-लॉजी विज्ञान, पैराप्लेजिया, हेमाप्लेजिया सभी व्यवसायों में।
5.	उप-क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय (भूतपूर्व सैनिक) आर.के. पुरम्, सेक्टर-4	सुरक्षा कर्मियों सहित सभी श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिक एवं सुरक्षा गार्ड, बैंड मैन, फायरमैन, सिविल सुरक्षा गार्ड तथा तकनीकी, लिपिक व्यवसायों के अन्य सैनिक।
6.	उप-क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली	अकुशल कामगार, निम्नलिखित व्यवसायों हेतु मिडिल पास या इससे अधिक, चपरासी, दफ्तरी, कारिन्दा (घरेलू), मशालची, बेयरा, वेटर, आया, चौकीदार, मिडवाइफ, जमादार, वाटरमैन, धोबी, माली, खलासी, सारटर, कुली इत्यादि।
7.	उप-क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय झिलमिल कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली	जमुना पार क्षेत्र के निवासियों हेतु लिपिक श्रेणी के लिए पंजीकरण, नियुक्ति, रिक्तियां जारी करना। (आंकड़े क्रम संख्या 1 में दिए गए हैं)
8(क)	विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	प्रथम व द्वितीय श्रेणी स्नातक तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर, प्रथम श्रेणी के स्नातक सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्राम तथा अन्य विश्वविद्यालयों के सभी स्नातकोत्तर जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं यथा 3, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 22, 29, 30, 38, 44, 48, 49, 66 व 67 के अतिरिक्त पोस्टल क्षेत्र।
(ख)	विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एंव मार्गदर्शन (अंशकालिक सैल) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	विद्यार्थियों को अंशकालिक रोज़गार सहायता दी जाती है।
9.	विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, जे.एम.आई., जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी स्नातक तथा 3, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 29, 30, 38, 48, 49, 66, व 67 पोस्टल क्षेत्रों में रहने वाले अन्य विश्वविद्यालयों के सभी स्नातकोत्तर, सिस्टम एनेलिसिस प्रोग्रामर।
10.	विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एंव मार्गदर्शन ब्यूरो, जे.एन. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्नातकों का पंजीकरण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा मैडीकल डॉक्टरों इत्यादि का पंजीकरण।

1	2	3
11.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, झिलमिल कालोनी, शाहदरा।	सभी अनुभवी एवं अनुभवहीन अकुशल कामगार परन्तु निम्नलिखित व्यवसायों में मिडिल से नीचे। पशु परिचर, नर्सिंग परिचर, मिडवाइफ, फराश, संदेशवाहक, कुली, रसोइया (घरेलू), चौकीदार, घरेलू नौकर, सीवरमैन, सफाईवाला (अनुभवी), धोबी, नाई, खलासी, माली, पैकर्स, वाटरमैन, इत्यादि जो यमुनापार की कालोनियों में रहते हैं।
12.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, पूसा।	यथोक्त - 5, 8, 12, 15, 27 तथा 55 पोस्टल क्षेत्रों में रहने वाले।
13.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, सब्जी मंडी, ITI बिल्डिंग, नई दिल्ली।	यथोक्त - 2, 6, 7, 9, 26, 35, 52 तथा 54 पोस्टल क्षेत्रों में रहने वाले।
14.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली।	सभी अनुभवी एवं अनुभवहीन अकुशल कामगार परन्तु निम्नलिखित व्यवसायों में मिडल से नीचे : मिडवाइफ, फराश, संदेशवाहक, कुम्हार, रसोइया (घरेलू) चौकीदार, घरेलू नौकर, सीवरमैन, सफाईवाले (अनुभवी), धोबी, नाई खलासी, माली, पैक्स, दुकान परिचर, श्रमिक, (शिक्षित/अशिक्षित) कटरमैन इत्यादि, जो 16, 22, 23, 29, 57 पोस्टल क्षेत्रों में रहते हैं।
15.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय	निम्नलिखित व्यवसायों में, इस कार्यालय के तथा अलीपुर ब्लाक, पोस्टल जोन 36 के नज़दीक रहने वाले, मैट्रिक पास से कम के सभी अनुभवी एवं गैर अनुभवी कामगार, मिडवाइफ फराश, संदेशवाहक, कुली, रसोइया (घरेलू), चौकीदार, घरेलू नौकर, सीवरमैन, जमादार (अनुभवी), धोबी नाई, खलासी, माली, पैकर, शिप अटैंडेट, मजदूर (शिक्षित/अशिक्षित) वाटरमैन इत्यादि।
16.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, बादली	-वही- जोन 42, 33 एवं 39 के अंदर रहने वाले
17.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, दिल्ली कैंट, सैक्टर-7, आर.के. पुरम् नई दिल्ली।	-वही- डाक जोन 10, 18, 28, 46, 58, 64, 45 एवं 37 के अंदर रहने वाले
18.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, ओखला, नई दिल्ली।	-वही- डाक जोन 13, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 44, 48, 62 एवं 65 के अंदर रहने वाले।
19.	रोज़गार सूचना एवं सहायता ब्यूरो, बी.डी.ओ. कार्यालय, महरौली नई दिल्ली।	महरौली ब्लाक के कामगारों हेतु पंजीकरण एवं रोज़गार सहायता।
20.	रोज़गार सूचना एवं सहायता ब्यूरो, नांगलोई, नई दिल्ली।	-वही- डाक जोन 34, 41, 83 एवं 92 सहित नांगलोई ब्लाक
21.	रोज़गार सूचना एवं सहायता ब्यूरो, नजफगढ़, नई दिल्ली।	-वही- नजफगढ़ ब्लाक
22.	मस्टरोल रोज़गार कार्यालय, कमला मार्किट, अजमेरी गेट, नई दिल्ली।	दिल्ली में रहने वाले सभी व्यक्तियों हेतु मस्टर रोल रोज़गार सहायता।
23.	मोबाइल एकक-I	यमुना पार की पुनर्वास कॉलोनी हेतु पंजीकरण एवं रोज़गार सहायता।
24.	मोबाइल एकक-II	पश्चिम दिल्ली की पुनर्वास कॉलोनियों हेतु पंजीकरण एवं रोजगार सहायता।

न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवाद

7298. श्री शिव शरण वर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निपटारे के लिए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लम्बित भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके श्रमिकों एवं यूनियनों के बीच औद्योगिक विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रबंधन द्वारा कितने निर्णयों का कार्यान्वयन किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में कितनी अपीलें दर्ज की गईं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निपटारे के लिए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लम्बित भारत पर्यटन सिकास निगम और उसके श्रमिकों एवं यूनियनों के बीच औद्योगिक विवादों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	प्रबंधन और श्रमिकों, यूनियनों के बीच लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या		
	श्रमिक	यूनियन	कुल
31-3-93	274	25	299
31-3-94	265	25	290
31-3-95	247	23	270

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान (1992-93 से 1994-95 तक) प्रबंधन द्वारा 9 निर्णय कार्यान्वित किए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान (1992-93 से 1994-95 तक) उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में 4 अपीलें दायर की हैं।

संयुक्त उद्यम वित्तीय सेवाएं

7299. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने अमरीकी बैंकों में से एक बड़े बैंक, बैंकर्स ट्रस्ट से अपने घरेलू संयुक्त उद्यम भागीदार का नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) बैंकर्स ट्रस्ट द्वारा 75% की भागीदारी से भारत में स्थापित की जा रही संयुक्त उद्यम वित्तीय सेवा कंपनी को क्या भूमिका देने पर विचार किया गया है; और

(घ) इसका वर्तमान व्यापक वित्तीय तकनीक पर संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और इस बैंकर्स ट्रस्ट द्वारा सरकार, वित्तीय संस्थाओं, निगम और व्यक्तियों को क्या सलाह दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हाँ।

(ख) कंपनी ने अभी तक अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) बैंकर्स ट्रस्ट कंपनी ने मर्चेन्ट बैंकिंग और संबंधित कार्य करने के लिए भारत में 75% इक्विटी की भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम वित्तीय सेवा कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।

(घ) यह प्रत्याशा की जाती है कि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सामान्य विदेशी निवेश से भारत में वित्तीय सेवा उद्योग में प्रौद्योगिकी का अन्तरण और कौशल का उन्नयन होगा।

स्टाम्प पेपर की कम आपूर्ति

7300. श्री राम नारायण बैरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मूल्य वर्ग के डाक टिकटों और स्टाम्प पेपरों की बिक्री पर इस समय कमीशन की वर्तमान दर कब निर्धारित की गई है;

(ख) डाक टिकटों और स्टाम्प पेपरों के उत्पादन पर उदारीकरण की नीति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का देश में गैर विद्युत संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए डाक टिकटों और स्टाम्प पेपरों का उत्पादन तथा आपूर्ति को बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादों का निर्यात

7301. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार कृषि उत्पाद निर्यात से आय कितनी है और आगामी तीन वर्षों में कितनी अनुमानित आय होगी;

(ख) कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए गोवा में मूलभूत ढांचा नेटवर्क को तैयार और सुदृढ़ करने के लिए पूंजी निवेश संबंधी दिए गए आदेश का विवरण क्या है; और

(ग) कृषि उत्पादों, विशेषतः काजू के निर्यात के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1994-95 (अप्रैल, 94 से फरवरी 95) में कृषिजन्य उत्पादों का निर्यात 8091.24 करोड़ रुपये का हुआ।

(स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता)

न तो कोई राज्य-वार निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और न ही इस तरह निर्यात आंकड़े संकलित किए जाते हैं।

(ख) अवस्थापना का निर्माण एवं सुधार करना सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का एक सतत् प्रयास है। कृषिजन्य निर्यातों के संवर्धन के लिए अवस्थापना संबंधी नेटवर्क का निर्माण एवं उसे सुदृढ़ करने के राज्य-वार विवरण नहीं रखे जाते हैं।

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय हैं : निरीक्षण क्रियाविधियों का सरलीकरण, चुनिन्दा मदों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाना, रियायती निर्यात ऋण का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास, निर्यातोन्मुख एकक (ई.ओ.यू.)/निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी. ज़ेड.) की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों का कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विस्तार, तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50% बिक्री की अनुमति, बेहतर पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना, ब्राण्ड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात का संवर्धन, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदशर्नियों में भागीदारी।

उपर्युक्त सामान्य उपायों के अतिरिक्त काजूगिरी का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में निर्यात के लिए बिना आयात शुल्क के कच्ची काजूगिरी के आयात की अनुमति देना तथा मासिक एवं त्रैमासिक प्रकाशनों के द्वारा व्यापार सूचना का प्रसार शामिल है।

रुपये का मूल्य

7302. **श्री एम. जी. रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रुपये के वास्तविक मूल्य में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) रुपये का मूल्य (1982 = 100 के आधार सहित औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोग्ता मूल्य सूचकांक, सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू., से पारस्परिक रूप में निर्धारित) वर्ष 1993-94 में 38.76 पैसे और वर्ष 1992-93 में 41.67 पैसे से वर्ष 1994-95 में 35.21 पैसे तक गिर गया।

(ख) और (ग) रुपये का मूल्य, जोकि इसकी क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, साधारण मूल्य स्तर के घटबढ़ पर निर्भर करता है। इसलिए, सरकार कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किए जाने की आवश्कयता के बारे में सर्तक रहती है। यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि मुद्रास्फीतिकारी दबाव नियंत्रण में हैं, अनेक उपाए किए गए हैं। वर्ष 1994-95 से किए गए कुछ उपाए हैं :

(एक) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली बाज़ार बिक्री के माध्यम से सार्वजनिक भण्डारों से खाद्यान्नों की निर्मुक्ति।

(दो) चीनी के आयात को शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस पर रखना।

(तीन) चीनी का शून्य शुल्क पर आयात करके सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(चार) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए पामोलिन तेल का आयात करना।

(पांच) मार्च, 1995 से 30 प्रतिशत के घटे शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत प्रमुख खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देना।

(छः) शून्य शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रूई के आयात की अनुमति देना।

(सात) तदर्थ सरकारी हुंडियों के निर्गम द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से केन्द्र सरकार के ऋण लेने पर नियंत्रण लगाना तथा प्रारक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि करने एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करने सहित कई उपायों के जरिए मौद्रिक अभिवृद्धि को नियंत्रित करना।

(आठ) वर्ष 1995-96 के बजट में उत्पाद एवं सीमा शुल्क में इस तरह कमी करना जिससे मुद्रास्फीति घट सके।

खेलकूद के सामान का निर्यात

7303. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद सामान बाजार में भारत के प्रतियोगी देशों का ब्यौरा क्या है तथा इस समय उक्त बाजार में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा है और आगामी वर्षों में यह हिस्सा किस प्रकार बढ़ाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ बनाये रखने के उद्देश्य से नई निर्यात फर्मों को प्रोत्साहित करने हेतु इन फर्मों से नाममात्र का शुल्क लेकर इन्हें अपनी डाक सूची में शामिल करने के लिए खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद को निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इन फर्मों को कब तक इसमें शामिल कर लिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खेलकूद सामान उद्योग के आधुनिकीकरण और निर्माणकारी सुविधाओं से इसका निर्यात बढ़ाया जा सकता है;

(ङ) क्या खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद अथवा किसी अन्य एजेंसी ने इस प्रयोजनार्थ कुछ उपकरणों का चयन किया है और किन-किन स्रोतों से इनका आयात किया जा सकता है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क)

अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद सामान बाजार में, जिसमें हांगकांग, यू.एस.ए., चीन, जापान, जर्मनी, कोरिया आदि का अधिपत्य है, भारत का शेयर बहुत ही कम 0.1% है। भारत द्वारा निर्यात किए जा रहे खेल-कूद सामान के क्षेत्र में हमारे प्रमुख प्रतियोगी देश पाकिस्तान, ताईवान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, सिंगापुर आदि हैं। निम्नलिखित निर्यात संवर्धन उपायों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद सामान बाजार में भारत के शेयर को बढ़ाने का विचार है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का प्रायोजन, भारतीय विनिर्माताओं को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाए और संयुक्त उद्यम में शामिल हों तथा उत्पाद श्रेणियों का विविधीकरण करना आदि।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। गैर-सदस्य नई निर्यात फर्मों को मामूली शुल्क के साथ खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद की डाक-सूची में शामिल करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि परिषद चाहेगी कि नई निर्यात फर्में इस सुविधा का लाभ उठाने से पहले उसके सदस्य बनें।

(घ) से (च) जी, हाँ। विनिर्माताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि संयुक्त उद्यमों/विदेशी सहयोगों में शामिल होकर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण करें।

हाथ के औज़ार ओर इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात

7304. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत से हाथ के औज़ारों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) उन प्रमुख देशों का ब्यौरा क्या है जो भारत से हाथ के औज़ारों का आयात कर रहे हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन देशों को कितने रुपये के औज़ारों का निर्यात किया गया;

(ग) इंजीनियरी वस्तुओं की निर्यात क्षमता के बारे में क्या आकलन किया गया है तथा इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या उक्त वस्तुओं के निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी सहित कोई प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) भारत से लघु एवं काटने वाले औज़ारों सहित हाथ के औज़ारों के निर्यात में वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान पिछले वर्ष की समसामयिक अवधि की तुलना में क्रमशः 41.67%, 28.09% तथा 11.11% की वृद्धि दर प्रदर्शित हुई।

(ख) भारत से लघु एवं काटने वाले औज़ारों समेत हाथ के औज़ारों का आयात करने वाले कुछ प्रमुख देश तथा रुपये के रूप में इन्हें निर्यात की कीमत नीचे दी गयी है :

(कीमत करोड़ रुपये में)

देश का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
यू.एस.ए.	19.60	32.29	53.95
जर्मनी	27.32	31.21	30.18
यू.के.	13.60	17.01	26.26
यू.ए.ई.	4.72	7.59	13.96
फ्रांस	9.49	8.22	11.49
नीदरलैंड	4.35	7.29	10.96
सिंगापुर	3.82	6.18	9.15

(ग) से (ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान इंजीनियरिंग निर्यात के लिए लगभग 16% की वृद्धि दर निर्धारित की गयी है जिसमें हाथ के औज़ार भी शामिल हैं।

निर्यात का संवर्धन सरकार का सतत् प्रयास रहा है। इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में विभिन्न प्रोत्साहन शामिल हैं जैसे - शुल्क छूट योजना, निर्यात संर्वधन पूँजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस आदि, समय-समय पर लागू वापसी अदायगी की दर, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के तहत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आस्थगन ऋण उपलब्ध कराना और ऋण सुविधाएं प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1-3-1995 को इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात (लोहा तथा इस्पात मध्यवर्ती प्रतिपूर्ति) स्कीम नाम एक योजना अधिसूचित की है।

शुल्क दर कोटा प्रणाली

7305. डा. आर. मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका प्रमुख निर्यातक देशों से अमरीका में तम्बाकू के आयात के लिए 'गैट' के अनुच्छेद 28 के अन्तर्गत शुल्क दर कोटा प्रणाली के बारे में बातचीत कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को तम्बाकू बोर्ड से भारत के लिए शुल्क दर कोटा प्रणाली पर विचार करने तथा इससे सुरक्षा करने हेतु अमरीका में उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अमरीका गाट की धारा 28 के अन्तर्गत तम्बाकू के आयात के लिए एक टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू) पर वार्ताएं कर रहा है। इस प्रावधान के अन्तर्गत ऐसी वार्ताएं उन देशों के साथ की जानी हैं जिनका इस मद की आपूर्ति में प्रमुख हित है। ऐसा कोटा प्राप्त

करने के तम्बाकू बोर्ड के अनुरोध पर गाट के सम्बद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

राज्य व्यापार निगम

7306. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1994-95 में रिकार्ड कारोबार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में कितना कारोबार हुआ और वर्ष 1994-95 में रिकार्ड कारोबार के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त निगम का विचार वर्ष 1995-96 के दौरान अपना कारोबार निर्यात और आयात दोनों क्षेत्रों में बढ़ाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 के लिए अनुमानित कारोबार और लक्ष्य कितना है;

(ङ) क्या राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों के कई विदेशी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हाँ। एस.टी.सी. का वर्ष 1994-95 का कारोबार हाल के वर्षों में सबसे अधिक था। वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 में प्रत्येक वर्ष का कारोबार नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये)

(अनन्तिम)

	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
निर्यात	625	551	798	790
आयात	610	324	239	959
घरेलू	80	138	80	90
कुल	1315	1013	1117	1839

एस.टी.सी. के वर्ष 1994-95 के कारोबार में वृद्धि की मुख्य वजह 590 करोड़ रुपये की चीनी का आयात है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। एस.टी.सी. का प्रस्ताव है कि वर्ष 1995-96 में लगभग 2000 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त करने के लिए अपने निर्यात और आयात दोनों कार्यों का विस्तारण निम्नलिखित उपायों के जरिए किया जाए -

- चावल, गेहूँ, कॉफी और रसायन इत्यादि में सीधे व्यापार बढ़ाकर;
- उर्वरकों, अलौह धातु और मिट्टी के तेल के आयात जैसे व्यापार के कई नए क्षेत्रों में प्रवेश कर;
- चावल, गेहूँ और काजू के क्षेत्रों में घरेलू व्यापार बढ़ाना।

(ङ) और (च) जी, हाँ। एस.टी.सी. ने हाल ही में मुख्यतः सी.आई.एस. देशों के साथ अपना कार्यकलाप बढ़ाने के लिए सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक कम्पनी के साथ समझौते एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

तमिलनाडु के रुग्ण एकक

7307. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक तमिलनाडु में कितने रुग्ण औद्योगिक एकक थे;

(ख) राज्य में ऐसे कितने रूग्न औद्योगिक एकक हैं जिन्हें 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा गया;

(ग) औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड ने अपने गठन से लेकर अब तक राज्य में औद्योगिक एककों के कितने मामलों को निपटाया है तथा बोर्ड ने इनमें से कितने मामलों में एककों को पुनः चालू करने का आदेश दिया है; और

(घ) इनमें से कितने औद्योगिक एककों को अब तक पुनः चालू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बौर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि उसकी स्थापना से दिनांक 31.03.1995 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु की रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के संदर्भ में 137 दर्ज किए गए हैं, इनमें जनवरी, 1992 से मार्च, 1995 तक की अवधि के 40 संदर्भ शामिल हैं।

(ग) और (घ) वाइफर ने सूचित किया है कि दर्ज किए गए संदर्भों में से दिनांक 30.4.1995 की स्थिति के अनुसार, 104 संदर्भों का निपटान कर दिया गया है, इनमें 51 ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो पुनरुज्जीवन योजनाओं के तहत स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 10 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

गुड़ की तस्करी

7308. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री पंकज चौधरी :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सीमा क्षेत्र से नेपाल को गुड़ की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत छः महीनों के दौरान नेपाल को कितने गुड़ की तस्करी की गई है;

(ग) क्या सरकार तस्करी को रोकने हेतु कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि तस्करी एक चोरी छिपे किए जाने वाला धन्धा है, इसलिए विगत छः महीनों के दौरान नेपाल को तस्करी किए गए गुड़ की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश से नेपाल को गुड़ की तस्करी किए जाने के केवल दो मामलों का पता लगाया ग़या है। अभिग्रहण संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है :

मात्रा	मूल्य
150 कि.ग्रा.	450.00 रुपये
2000 कि.ग्रा.	16000.00 रुपये

(ग) और (घ) गुड़ की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी-रोधी एजेंसियां सतर्क हैं। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के कार्य में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

मुद्रा संबंधी नीति

7309. श्री आर. अन्बारासु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठोर मुद्रा नीति के मुद्रा प्रसार तथा मुद्रास्फीति कम होंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीतिगत परिवर्तन किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 1995 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित ऋण नीति में मुद्रा आपूर्ति (एम.3) के प्रसार को वर्ष 1993-94 में 18.2 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में 21.4 प्रतिशत (अनंतिम) के विपरीत चालू वित्त वर्ष में 15.5 प्रतिशत के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाने का प्रयास किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद में 5.5 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि की संभावना तथा वर्ष 1995-96 के दौरान मुद्रास्फीति दर को लगभग 8 प्रतिशत पर सीमित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा आपूर्ति (एम.3) वृद्धि में 15.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस नीति में लागू किए गए उपाय हैं (I) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की घरेलू सावधिक जमाराशियों पर 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की उच्चतम सीमा ब्याज दर में उर्ध्वमुखी संशोधन (II) पत्तन लदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज दर में अमेरिकी डालरों में 6.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की वृद्धि और 5.5 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक ऐसे ऋण के विपरीत पुर्नवित्त पर ब्याज दर (III) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए अस्थायी ऋण पर प्रतिबंध लगाना और (IV) बैंकों से गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा उधार राशियों की सीमा में कमी करना। चूंकि जमाराशियों पर ब्याज दर में उर्ध्वमुखी संशोधन को अपनाते हुए विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिक ऋण दर में उर्ध्वमुखी संशोधन भी किया गया है। सरकार का राजकोषीय घाटे को वर्ष 1994-95 (संशोधन अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 6.7 प्रतिशत से वर्ष 1995-96 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत तक कम करने का भी कार्यक्रम है।

चालू वित्त वर्ष के शुरू से ही मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित) में मंदी प्रवृत्ति रही है और 6 मई, 1995 के अनुसार अब यह 8.5 प्रतिशत हो गई।

[हिन्दी]

इराक में पुल का निर्माण

7310. श्री राजवीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से इराक में पुल निर्माण का काम किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो किस राज्य पुल निगम ने यह कार्य किया है और इसमें कितनी धनराशि निहित है;

(ग) क्या सम्बद्ध निगम को खर्च की गई धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हाँ। एक्सिम बैंक की मार्फत इराक में 5 पुलों के निर्माण की परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम; दिनांक 17.11.93 को प्राप्त करने योग्य राशि थी - 4,603,236.07 अमरीकन डालर (144,541,612.60 रुपये)।

(ग) और (घ) 139,608,307.6 रुपये का भुगतान निम्नानुसार किया गया है :

आर.बी.आई. बाण्ड	रु. 120,236,771.60
ई.सी.जी.सी. बाण्ड	रु. 3,304,216.00
ई.सी.जी.सी. - नकद रूप में	रु. 21,000,625.00

(ङ) और (च) तकनीकी कारणों से ई.सी.जी.सी. ने इसे रिलीज़ करने का निर्णय लिया है।

ऋणों को बट्टे खाते डालना

7311. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
डा. रमेश चन्द तोमर :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उन सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य नियम बनाने पर विचार कर रही है कि वे दस लाख रुपयों से अधिक ऋण सीमा या बकाया ऋण के संदर्भ में उसे बट्टे-खाते में डालने या किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ऐसे सभी ऋण-मामलों को विशेष वसूली न्यायाधिकरण को भेजे;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारी जमा राशि वाले खातों के संदर्भ में अनियमित रूप से बट्टे-खाते डालने/समझौते पर हस्ताक्षर करने के मामलों की जाँच करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 10 लाख रुपये से अधिक के ऋणों को बट्टे-खाते डालने या उनके संबंध में समझौता करने से पूर्व विशेष वसूली अधिकरणों की स्वीकृति प्राप्त करने को बाध्य कर बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बट्टे-खाते डालने या समझौता प्रस्तावों संबंधी मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

7312. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिये पूसा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली में हाल ही में अनेक इंटरकॉम टेलीफोन लाइनें बनाई गयी हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त केन्द्र में ऐसी टेलीफोन प्रणाली बनाने की कोई आवश्यकता थी;

(ग) क्या इस संबंध में खर्च की गयी धनराशि मानदंडों के अनुरूप थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली में पुरानी इंटरकॉम टेलीफोन प्रणाली बेकार होने से, मै. अपट्रान इण्डिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार का एक उद्यम, से 12 इंटरकॉम टेलीफोन की लाईन खरीद करके लगा दी गयी हैं। संगठन के विभिनन स्कंधों में प्रभावी एवं सुचारू रूप से संचार प्रणाली निश्चित करने तथा उनके कार्य का प्रबोधन करने हेतु यह प्रणाली आवश्यक हो गई थी। इस संबंध में खर्च की गई धनराशि कार्यालय की आवश्यकतानुसार थी।

अवांछित मशीनों की खरीद

7313. श्री बलराज पासी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में स्प्रे पेंट मशीन, लैदर सीऊंइग मशीन और पाइप वैंडिंग जैसी अनेक मशीने खरीदी गई हैं और विशेष रूप से दिल्ली में स्थित ऐसे केन्द्रों के लिए जो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित नहीं हैं उनके लिए भी ऐसी मशीनों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन मशीनों की खरीद के बाद लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियां की गई थी और इन मशीनों के ममुचित उपयोग हेतु इन्हें किसी अन्य केन्द्र अथवा संस्था में भेजने का सुझाव दिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा): (क) जी, हाँ। विकलांग व्यक्तियों में अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करने तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली स्थित व्यावसायकि पुनर्वास केन्द्र सहित अधिकांश व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों ने स्प्रे पेंट मशीन, चमड़े के सिलाई मशीन तथा पाईप बैंडिंग मशीन, जैसी मशीनें खरीद ली हैं।

(ख) और (ग) विकलांग व्यक्तियों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली के लेखों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निहित है कि इन मशीनों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है चूंकि इस केन्द्र में इनकी उपयोगिता कम है। इन मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर आने वाले व्यय की अत्यधिक धनराशि को देखते हुए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इस केन्द्र ने रोज़गार चाहने वाले विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु इन मशीनों का पुनः उपयोग करने का प्रस्ताव किया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारपोरेशन की 'टर्न अराउंड' योजना

7314. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारपोरेशन, रांची से 'टर्न अराउंड' योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) द्वारा परिचालन एजेंसी (ओए) के रूप में नियुक्त किए गए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उसे हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारपोरेशन (एच.ई.सी.) से एक संशोधित सम्भावित कार्य नीति (टर्न अरांउड) योजना प्राप्त हुई है। एच.ई.सी. के मामले की अन्तिम सुनवाई बाईफर ने 7 मार्च, 1995 को की थी जब ओए ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि कम्पनी पुनर्वास की लागत को पूरा करने के लिए अपेक्षित वित्त की व्यवस्था नहीं कर पाई है। बाईफर ने बोर्ड/ओए को संधोधित पुनरूद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उद्योग मंत्रालय को 7 अप्रैल, 1995 तक का समय दिया था, जिसके न हो सकने पर परिचालन एजेंसी ने एक वैकल्पिक पार्टी का पता लगाने के लिए प्रकाशित करना था।

[अनुवाद]

श्रमिकों का पुन: प्रशिक्षण

7315. **श्री रवि राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दी गयी रिपोर्ट कि सरकार श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षित करने में असफल रही है कि ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु पुन: प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(घ) इस संबंध में श्रमिकों को पुन: प्रशिक्षित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 'विश्व श्रम रिपोर्ट 1995' में अन्य बातों के साथ-साथ 'पुनर्प्रशिक्षण और काम पर लौटना' : एक ऐसा मुद्दा जो हम सभी से संबंधित है, संबंधी एक अध्याय है जो मुख्यत: औद्योगीकृत देशों से लिए गए उदाहरणों पर पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन के मुद्दे से संबंधित है। अध्याय का समापन इस बात से होता है। कि 'सर्वोत्तम नीति यह होनी चाहिए कि कौशल पुनर्प्रशिक्षण को सावधानीपूर्वक और चुनिन्दा समूहों के लिए, नियोजकों के निकट सहयोग से, सक्रिय उपायों के एक एकीकृत पैकेज के भाग के रूप में, और केवल भली-भांति उल्लिखित उद्देश्यों के लिए, लक्ष्यित किया जाना चाहिए। तथापि, अध्याय में भारत के बारे में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं है।

राज्य व्यापार निगम

7316. **श्री राम निहोर राय :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आर्थिक नीति के उदारीकरण के बाद राज्य व्यापार निगम की लाभप्रदता और कुल बिक्री में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि निदेशक स्तर के कई पद खाली पड़े हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो विभाग से ही इन पदों को नहीं भरने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार द्वारा वर्ष 1991 में आर्थिक नीति के उदारीकरण के बाद, सरणीयन समाप्त किए जाने के कारण एस.टी.सी. का कारोबार जो 1990-91 में 1756 करोड़ रुपये का था वह 1993-94 में घटकर 1117 करोड़ रुपये का रह गया। फलस्वरूप, कर-पूर्व लाभ भी जो 1990-91 में 35 करोड़ रुपये था वह घटकर 1993-94 में 30 करोड़ रुपये रह गया।

तथापि, वर्ष 1994-95 के दौरान एस.टी.सी. का (अनंतिम) बिक्री कारोबार 1839 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जिसके कारण वर्ष 1994-95 के दौरान अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 36 करोड़ रुपये का कर-पर्वू (अनंतिम) लाभ हुआ।

(ग) और (घ) एस.टी.सी. सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर भर्ती लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.पी.) द्वारा की जाती है। इस समय एस.टी.सी. में निदेशक (मार्केटिंग) और निदेशक (कार्मिक), प्रत्येक का एक-एक पद खाली है। निदेशक (मार्केटिंग) के पद को भरने के लिए एक पैनल पहले ही आ चुका है और एक उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया जारी है। निदेशक (कार्मिक), एस.टी.सी. के लिए पेनल पी.ई.एस.पी. से अभी प्राप्त होना है।

ऋण देने की प्रणाली के लिए समिति

7317. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण देने की विद्यमान प्रणाली के विकल्प सुझाने के लिए नियुक्त की गई राशिद जिलानी समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक निष्कर्ष पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हाँ। नकदी ऋण प्रणाली के स्थान पर ऋण देने की संशोधित पद्धति के बारे में सुझाव देने के लिए श्री राशिद जिलानी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह ने अक्तूबर, 1993 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंक ऋण के उपयोग में अनुशासन लाने और ऋण के प्रवाह पर बेहतर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से 17 अप्रैल, 1995 से बैंक ऋण के वितरण के लिये एक "ऋण प्रणाली" शुरू की है। 20 करोड़ रुपये और इससे अधिक की निर्धारित अधिकतम अनुज्ञेय बैंक वित्त प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के लिए, अब बैंकों/सहायता संघों/व्यवसाय संघों के लिए नकद ऋण संघटक को अधिकतम अनुज्ञेय बैंक वित्त के 75% तक सीमित करना अनिवार्य होगा। अधिकतम अनुज्ञेय बैंक वित्त की शेष 25% राशि या उसका कोई भाग, मूल्यांकन और निगरानी, प्रतिभूति/आहरण शक्ति की उपलब्धता आदि के लिए वर्तमान ऋण अनुशासन/मार्गनिर्देशों के अनुरूप, बैंकों/सहायता संघों/व्यवसाय संघों द्वारा कार्यशील पूंजी प्रयोजनों के लिए अल्पावधिक ऋण के रूप में मंजूर किया जा सकता है। बैंकों द्वारा निर्धारित मूल उधार दर के अनुपालन के अध्यधीन, बैंकों को "नगद ऋण संघटक" और "ऋण संघटक" पर ब्याज दर प्रभारित करने की स्वतंत्रता होगी।

दक्षेस देशों के व्यापार मेले

7318. **डा. के. वी. आर. चौधरी :**

श्री मोहन रावले :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय के अस्तित्व में आने के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी सात सदस्य देशों में दक्षेस व्यापार मेले आयोजित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर दक्षेस के अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हाँ।

(ख) आर्थिक सहयोग पर सार्क समिति की ढाका में 8-9 अप्रैल, 1995 को आयोजित 5वीं बैठक में एक भारतीय प्रस्ताव पर यह सहमति हुई कि इसकी वर्षगांठ के दौरान विभिन्न सदस्य देशों में सार्क व्यापार मेले आयोजित करने पर विचार किया जाये। आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय लेने का मामला प्रत्येक मेज़बान देश पर ही छोड़ दिया जाये।

(ग) अन्य सभी सार्क निर्णयों की तरह उपरोक्त निर्णय भी सभी सदस्य देशों की सहमति से लिया गया।

[हिन्दी]

"स्किम्ड मिल्क पाउडर" का निर्यात

7319. **श्री नीतीश कुमार :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अब तक स्किम्ड मिल्क पाउडर का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कुल कितनी विदेश मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या इस पाउडर के निर्यात के कारण देश में दूध की कोई कमी हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल से नवम्बर 94) के दौरान निर्यात किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर (एस.एम.पी.) की मात्रा और मूल्य निम्नलिखित हैं :-

मात्रा : मी.टन में

मूल्य : करोड़ रुपये में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1992-93	50	0.34
1993-94	559	2.22
1994-95	3641	12.61

(ख) आयात-निर्यात नीति में वर्ष 1994-95 में 25000 मी. टन की मात्रात्मक सीमा के अन्तर्गत एस.एम.पी. के निर्यात की अनुमति दी थी जबकि उसी समय के दौरान इस उत्पाद का लाइसेंस पर आयात भी किया जा सकता था इस बात की संभावना नहीं है कि स्किम्ड मिल्क पाउडर का वर्ष 1994-95 में इतनी कम मात्रा में निर्यात करने से देश में दूध की कमी हुई हो। इसके अतिरिक्त, देश में आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए नीति को अप्रैल, 1995 में पुनः उदारीकृत कर दिया गया तथा अब एस.एम.पी. का मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति है।

(ग) से (ङ) व्यापार नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार किसी मद के बारे में जब कभी भी और जैसे ही कोई निर्णय लेगी, उसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

रबड़ की माँग

7320. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सदी के अन्त तक घरेलू बाजार में रबड़ की माँग में भारी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सदी के अन्त में इसकी अनुमानित माँग कितनी होगी और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार रबड़ की खेती में सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया है ?

(च) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) रबड़ बोर्ड के अनुमानों के अनुसार प्राकृतिक रबड़ की माँग बढ़ रही है और वर्ष 2000 तक यह बढ़कर 7 लाख टन हो जायेगी। रबड़ का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में शामिल हैं :-

(1) रबड़ पौध-रोपण विकास योजना के तहत नव पौध-रोपण एवं पुनर्रोपण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

(2) रबड़ उपजकर्त्ताओं को अधिक पैदावार देने वाली पौध सामग्री का उत्पादन एवं उसका वितरण।

(3) परामर्शी, विस्तारण एवं प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना।

(4) लघु जोत धारकों में सामूहिक प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहन देना।

(5) रबड़ की खेती, उत्पादन एवं उसके प्रसंस्करण पर अनुसंधान करना।

(6) रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 1993-94 से एक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें उन्नत कृषि प्रबन्ध एवं दोहन के जरिए परम्परागत क्षेत्रों में 40,000 है। क्षेत्र में पुराने एवं अलाभकारी रबड़ का पुनर्रोपण, 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र में नव-पौधरोपण, परिपक्व लघु जोत क्षेत्र के 60,000 हेक्टेयर में उत्पादकता बढ़ाना और रबड़ बोर्ड को अनुसंधान, विस्तारण, व्यापार एवं तकनीकी सहायता आदि के लिए संस्थागत रूप से सुदृढ़ करना।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

(छ) चूंकि भारत के पास रबड़ बागानों को विकसित करने के लिए पर्याप्त जानकारी, संसाधन और प्रबन्धकीय क्षमताएं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में किसी विदेशी सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है।

बाल श्रम पर संगोष्ठी

7321. **श्री राम विलास पासवान :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 में नई दिल्ली में बाल श्रम पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो संगोष्ठी में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) सरकार ने अप्रैल, 1995 माह में नई दिल्ली में बाल श्रम के संबंध में कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चारा मशीन

7322. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फोमेटा' नामक आयातित चारा मशीनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ये मशीनें किन-किन स्थानों पर लगाई गई हैं;

(ग) इन मशीनों द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इतने लम्बे समय से इन मशीनों को बेकार रखे रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शेयरों संबंधी जालसाजी

7323. **श्री श्रीकांत जेना :**
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रामपाल सिंह :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई, दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में

जाली शेयर सर्टिफिकेटों की खरीद-फरोख्त संबंधी बड़े पैमाने पर चल रही धांधली का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अधिकारियों की नयी श्रेणी का सृजन

7324. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विशिष्ट पदनामों से आयकर अधिकारियों की एक नई श्रेणी का सृजन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आयकर अधिकारियों की नयी श्रेणी के सृजन का प्रावधान करने वाले खंड को लगू करने हेतु कोई अधिसूचना जारी की है;

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रावधान के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निर्णय को कब तक अधिसूचित एवं कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हाँ। वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अपर आयकर निदेशक अथवा अपर आयकर आयुक्त अथवा अपर आयकर आयुक्त (अपील) के पदनामों से नए आयकर प्राधिकारियों का सृजन किया गया था।

(ग) से (ङ) उप आयकर आयुक्तों/उप आयकर निदेशकों को अपर आयकर आयुक्तों/अपर आयकर निदेशकों के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य योजना

7325. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात में पर्यटन के विकास एवं इसे बढ़ावा देने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के उद्देश्य से पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य-योजना बनाई थी जिसे मई, 1992 में संसद में पेश किया गया था। इस कार्य-योजना में गुजरात राज्य सहित पूरा देश शामिल किया गया है।

(घ) केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए 107.85 लाख रुपये की लागत की 12 परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की थीं। गुजरात में पर्यटन का संवर्धन करने के उद्देश्य से रायल ओरियन्ट एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलाई गई है।

विमान परिचारिकाओं तथा विमान चालकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

7326. डा. जी. एल. कनोजिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1995 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'इंडिया ए पोटेंशियल एविएशन जायंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें उठाये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) विमानन और आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र को ऐसे केन्द्र खोलने हेतु प्रोत्साहन देने का है जिनमें विमान परिचारिकाओं और विमान चालकों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) समाचार में व्यक्त विचार सामान्य प्रकृति के हैं। अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा सुरक्षा और संरक्षा के पहलुओं की निगरानी के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं।

(घ) विमान चालकों संबंधी भावी माँग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के चार उड़ान स्कूल उड़ान प्रशिक्षण दे रहे हैं। विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए निजी क्षेत्र से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

गुजरात में मोटल और यात्री निवास

7327. श्री काशीराम राणा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को मोटलों और यात्री निवासों के लिए कितनी सहायता दी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में इस वित्तीय सहायता से बनाए गये मोटलों और यात्री निवासों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) क्योंकि गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था अत: वर्ष 1994-95 के दौरान भारत सरकार, पर्यटन विभाग द्वारा गुजरात राज्य सरकार को मोटलों और यात्री निवासों का निर्माण करने के लिए कोई सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। इसके अतिरिक्त मोटलों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता रिलीज़ करने की कोई स्कीम नहीं है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :-

परियोजना का नाम	स्वीकृत की गई राशि
1. कुडा (भाव नगर जिला) में पर्यटक लॉज	14.50
2. रॉयल ओरियन्ट एक्सप्रेस के लिए ब्रोशरों हेतु सहायत	5.00
3. तारनेतर उत्सव	1.69

[अनुवाद]

कर्नाटक में एयर टैक्सी सेवा

7328. **श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने के लिए बंगलौर, हुबली और मंगलौर के अलावा कर्नाटक में किसी और शहर का चयन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) कर्नाटक में मैसूर और बेलगाम भी अनुसूचित/गैर-अनुसूचित सेवाओं के लिए अनुमोति किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

7329. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री सत्य देव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में कार्यालय संबंधी कार्यों तथा कम्प्यूटर में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी प्रयोजनों के लिए बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे कम्प्यूटर लगाने के लिए बैंकों को पहले ही अनुदेश दिये हैं जिनका उपयोग हिन्दी में भी कार्य करने के लिए किया जा सके।

(ख) और (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित अखिल भारतीय प्रतियोगितायें प्रति वर्ष आयोजित की जाती हैं :-

(1) बैंकों के लिए इंदिरा गाँधी राजभाषा शील्ड। सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने में विशिष्ट उपलब्धि के लिये यह शील्ड गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिया जाता है।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड जो पृथक रूप से क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' के बैंकों को दिया जाता है। अपने संगठनों के भीतर राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए ये शील्ड दी जाती है।

(3) मौलिक रूप से हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गाँधी पुरस्कार।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग संबंधी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिये भी एक योजना लागू की है। बैंकिंग संबंधी विभिन्न विषयों पर पुस्तकें और/या लेख लिखने हेतु अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बैंकों ने अपनी स्वयं की योजनाएं भी तैयार की हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण की परीक्षाएं पास करने पर बैंकों के कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन/प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त बैंकों के उन आशुलिपिकों और टंककों को विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं जो अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी अपना कार्य करते हैं।

इन योजनाओं का कार्यान्वयन पहले ही किया जा रहा है।

सूती धागे का निर्यात

7330. **श्री गुमान मल लोढा :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 की प्रथम तिमाही में सूती धागे के निर्यात पर लगे कतिपय प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के फलस्वरूप देश से सूती धागे के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हाँ, तो वर्ष 1994 के प्रथम चार महीनों की तुलना में 1985 के प्रथम चार महीनों के दौरान कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में सूती धागों का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं। सरकार ने वस्तुत: वर्ष 1995 के लिए सूती यार्न के निर्यात की उच्चतम सीमा को कम करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1994 के दौरान रिलीज़ किए गए सभी काउंटों के लिए 130 मि. कि.ग्रा. की अन्तिम उच्चतम सीमा की तुलना में वर्ष 1995 के लिए उच्चतम सीमा को कम करके 75 मि. कि.ग्रा. कर दिया गया है। तथापि, 75 मि. कि.ग्रा. की कम की गई उच्चतम सीमा केवल 11-40 काउंट ग्रुप के सूती यार्न के निर्यात पर ही लागू होगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि 75 मि. कि.ग्रा. की उच्चतम सीमा में से 23 मि. कि.ग्रा. की मात्रा कोटा देशों को निर्यात के लिए अलग से रखी जाएगी तथा 52 मि. कि.ग्रा. की अधिशेष उच्चतम सीमा की मात्रा को 26 मि. कि.ग्रा. की प्रत्येक किस्त में वर्ष में दो बार दो किस्तों में वितरित किया जाएगा। यह उपाय अन्य बातों के साथ-साथ विशेषकर विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए सूती यार्न की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए गए हैं।

(ग) और (घ) जनवरी-अप्रैल, 1994 की अवधि के दौरान सूती यार्न के निर्यात 73.72 मि. कि.ग्रा. के हुए जिनका मूल्य 715.9 करोड़ रुपये था। इसकी तुलना में 1-1-95 से 25-4-95 की अवधि के दौरान इसके निर्यात 71.89 मि. कि.ग्रा. के हुए जिनका मूल्य 908.8 करोड़ रुपये था।

[अनुवाद]

पीतल सामग्री का निर्यात

7331. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पीतल सामग्री का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) पीतल सामग्री के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) पीतल की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात आंकड़े मात्रा-वार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान पीतल की वस्तुओं सहित कलात्मक धातु पात्रों के संबंध में निर्यात आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	करोड़ रुपये में	मिलियन अमरीकी डालर
1992-93 (वास्तविक)	560.60	196.40
1993-94 (अनन्तिम)	680.20	216.87
1994-95 (अनन्तिम)	1022.25	325.82

(ख) पीतल के कलात्मक पात्रों सहित हस्तशिल्पों का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, केटलाग का प्रकाशन तथा विदेशी प्रचार, कार्यशाला तथा सेमिनार का आयोजन तथा वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों का आयोजन करना शामिल है।

यू.एन.डी.पी. की सहायता से मुरादाबाद में एक धातु हस्तशिल्प सेवा केन्द्र कार्य कर रहा है। यह केन्द्र पीतल की कलात्मक सामग्रियों के विनिर्माताओं को पाउडर कोटिंग तथा रंग, इलैक्ट्रोप्लेटिंग जैसी धातु फिनिशिंग में सेवाएं देता है।

बैंकों द्वारा हथकरघा क्षेत्रों को ऋण

7332. **डा. परशुराम गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हथकरघा क्षेत्र में श्रमिकों को कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनसे कितने ऋण की वसूली हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत शिल्पियों, ग्राम और कुटीर उद्योगों, जिनमें हथकरघा क्षेत्र भी शामिल हैं को अग्रिम देते हैं। मार्च, 1991, 1992 और 1993 के अन्त (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार शिल्पियों, ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को बैंकों के बकाया अग्रिम निम्नलिखित हैं :-

मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार	खातों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1991	510406	375.88
1992	591396	450.24
1993	617646	481.81

आंकड़ा एकत्रीकरण प्रणाली से हथकरघा क्षेत्र के तहत बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि और उसके अन्तर्गत वसूली की जानकारी अलग से प्राप्त नहीं होती है।

[हिन्दी]

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद

7333. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि निर्यात व्यापार में संलग्न सभी बुनकरों को राजसहायता के लाभ दिये जायें;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस परिषद ने मिलों से लच्छी धागा (हैंक यार्न) के उत्पादन में 60 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अनुरोध भी किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि बुनकरों के कमज़ोर वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई जनता योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट आबंटित किया गया और सीमित राशि की उपलब्धता को मद्देनज़र रखते हुए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुरोध को भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती।

(ग) जी, हाँ।

(घ) चूंकि वस्तुस्थिति यह है कि हथकरघा क्षेत्र में इस समय हैंक यार्न उपलब्धता की कोई कमी नहीं है इसलिए हैंक यार्न बाध्यता की वर्तमान प्रतिशतता को बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया।

इंडियन एयरलाइंस की रियायती टिकटें

7334. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस रियायती दर पर टिकटें देती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि की छूट दी गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हाँ। विशेष और यातायात सम्वर्धन किरायों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइंस दिए जाने वाली विभिन्न रियायतों के मूल्य के परिमाण के ब्यौरे नहीं रखता।

विवरण

विशेष किराया - अंतर्देशीय

(क) रियायतें		
1.	सशस्त्र सेना छूट	किराये पे 50% छूट
2.	रिज़र्व इंजीनियरिंग बल के कार्मिक	किराये पे 50% छूट
3.	युद्ध में विकलांग व्यक्ति	किराये पे 50% छूट
4.	सशस्त्र सेना के भूतपूर्व कार्मिक जो बहादुरी पुरस्कार (स्तर I और II) के प्राप्तकर्ता हैं	किराये पे 50% छूट
5.	युद्ध में हुई विधवाओं को छूट	किराये पे 50% छूट
6.	विद्यार्थी छूट (अंतर्देशीय)	किराये पे 50% छूट
7.	शिक्षकों के लिए छूट	किराये पे 50% छूट जब दस विद्यार्थियों के समूह के साथ हों
8.	युवक छूट	अंतर्देशीय डॉलर टैरिफ पे 25% छूट
9.	अंधे व्यक्तियों के लिए छूट	किराये पे 50% छूट
10.	कैंसर के रोगियों को छूट	किराये पे 50% छूट
11.	पोर्ट ब्लेयर सैक्टर पर पारिवारिक छूट	एक परिवार के दो सदस्यों के लिए प्रत्येक को 50/- रुपये की छूट
12.	टूर कंडक्टरों के लिए छूट	10 से 14 तक के समूह के लिए 50% छूट तथा 15 या उससे अधिक यात्रियों के समूह के लिए 100% छूट
13.	दक्षिण भारत भ्रमण किराया	अंतर्देशीय डॉलर टैरिफ पे 30% छूट
14.	जहाज़ कर्मीदल छूट (व्यक्तिगत)	अंतर्देशीय डॉलर टैरिफ पे 25% छूट
15.	एयरलाइन्स/आई.ए.टी.ए. कर्मचारी छूट	अंतर्देशीय डॉलर टैरिफ पे 50% छूट
16.	अंतर्देशीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए पैकेज टूर रियायत	न्यूनतम आठ और अधिकतम 32 यात्रियों के समूह के लिए किराये पे 20% छूट (30 जून, 1995 तक मान्य)
17.	खिलाड़ियों के लिए रियायत	उत्तर-पूर्वी राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों के लिए किराये पे 25% छूट
18.	राज्य/केन्द्रीय/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत	किराये पे 30% छूट (30 जून, 1995 तक मान्य)

19.	वयस्क नागरिक छूट	किराये पे 50% छूट
20.	सामान्य हित समूह रियायत	10 यात्रियों के समूह के लिए सामान्य किराये में 10% छूट (30 जून, 1995 तक मान्य)
(ख) एक मुश्त किराया		
1.	डिस्कवर इंडिया किराया	किराया : अमरोकी डॉलर 400 संशोधित किराया : अमरीकी डॉलर 500 (15 जून, 1995 से लागू)
2.	इंडिया वंडर किराया	किराया : उत्तरी/पश्चिमी/दक्षिणी/पूर्व क्षेत्रों के समूह के स्टेशनों में से किन्हीं एक पे यात्रा करने के लिए प्रत्येक को 200 अमरीकी डॉलर किराया : दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों के स्टेशनों के समूह के यात्राक्रम में पोर्ट ब्लेयर सहित किसी जगह में यात्रा करने पर किराया 300 अमरीकी डॉलर
(ग) मार्ग प्रोत्साहन किराया		
1.	बम्बई-कालीकट और वापसी सैक्टर पर छूट	किराये पे 15% छूट (छूट 30 जून, 1995 तक मान्य)
2.	बम्बई-कलकत्ता और वापसी सैक्टर पर वापसी किराया	वापसी सैक्टर पर किराये में 25% छूट (छूट 31 मई, 1995 तक मान्य)
3.	दिल्ली-गुवाहाटी-दिल्ली और वापसी सैक्टर पर वापसी किराया	वापसी सैक्टर पर किराये पे 25% छूट (छूट 7 जुलाई, 1995 तक मान्य)
4.	दिल्ली-बागडोगरा-दिल्ली और वापसी सैक्टर पर वापसी किराया	वापसी सैक्टर पर किराये पे 25% छूट (छूट 7 जुलाई, 1995 तक मान्य)
		विशेष किराया - अंतर्राष्ट्रीय
1.	विद्यार्थी रियायत (अंतर्राष्ट्रीय)	दक्षिण एशियाई उप-महाद्वीप में अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों पर किराये में 25% रियायत
2.	भारतीय मिशन के कर्मचारियों के लिए विशेष किराया	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय किराये में 40% रियायत
3.	भारत-नेपाल सैक्टर पर गोरखा रक्षा कार्मिकों के लिए विशेष किराया	सामान्य रुपये किराये पे 40% रियायत
4.	सामान्य हित समूह रियायत	अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों तथा उसे जोड़ने वाली अंतर्देशीय सैक्टरों पर सामान्य इकॉनॉमी श्रेणी में किराये में 10% रियायत
5.	जहाज कर्मीदल छूट (समूह)	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय किराये तथा अंतर्देशीय अमरीकी डॉलर किराये के साथ संयुक्त रूप से (यात्रा के देश पर निर्भर करके) 44-45% छूट
6.	सार्क देशों में भ्रमण किराया	
	(1) व्यक्तिगत	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सैक्टर किराये पर 20% रियायत
	(2) समूह	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सैक्टर किराये पर 30% रियायत
7.	क्षेत्र से बाहर विक्रय के लिए सार्क देशों में समूह भ्रमण किराया	सामान्य अंतर्राष्ट्रीय सैक्टर किराये पर 30% रियायत
8.	सामान्य विक्रय एजेंट कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क/घटाया हुआ किराया	अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों पर इंडियन एयरलाइंस के केन्द्रीय विक्रय एजेंटों के लिए दो नि:शुल्क तथा दो 90% रियायती टिकट प्रति वर्ष

[अनुवाद]

सूचीबद्ध एयरलाइंस की तरह मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी एयरलाइंस

7335. डा. लाल बहादुर रावल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन के पश्चात् किन-किन गैर-सरकारी एयरलाइंस को सूचीबद्ध एयरलाइंस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) ऐसी सभी एयरलाइंस के नाम क्या हैं और इनकी कार्यशील पूँजी, इनके पास विमानों की संख्या और संचालन क्षेत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ गैर-सरकारी एयरलाइंस कतिपय क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ा रही है और सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन कर रही हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) गैर-सरकारी अनुसूचित विमान कम्पनियों के नाम, उनके बेड़े में शामिल विमानों की संख्या तथा उनके द्वारा प्रचालित स्थानों के नाम सलंग्न विवरण में दिए गए हैं। इन अनुसूचित विमान कम्पनियों की कार्यशील पूँजी से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रचालनात्मक कठिनाइयों और तकनीकी कारणों से विमान उपलब्ध न होने आदि के कारण कभी-कभी कुछ प्रचालक विभिन्न श्रेणियों के मार्गों पर न्यूनतम सेवाएं लगाने की अपेक्षाओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते।

विवरण

	विमान कम्पनी का नाम	विमान बेड़े की क्षमता		प्रचालन का स्टेशन
		प्रकार	विमानों की संख्या	
	1	2	3	4
1.	अर्चना एयरवेज़	एल-410	3	इलाहाबाद, भोपाल, बम्बई
		डैश-8	2	चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, जबलपुर, जम्मू, कानपुर, कूल्लु, लेह, लुधियाना, रायपुर, शिमला, वाराणासी
2.	दमानिया एयरवैज़	बी-737-400	4	अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कोयम्बतूर, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गोवा, गुवाहाटी, इंदौर, मद्रास, पुणे
3.	ईस्ट-वेस्ट ट्रेवल्स एंड ट्रेड लिंक्स लिमिटेड	बी-737-200	7	अहमदाबाद, औरंगाबाद, बंगलौर, बेलगाम, भावनगर,
		एफ-27-500	3	कलकत्ता, कालीकट, कोचीन, कायेम्बतूर, दिल्ली, दिऊ, डिब्रूगढ़, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, मद्रास, मदुरै, मंगलौर, नागपुर, पोरबन्दर, पुणे, राजकोट, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वडोदरा, विजाग
4.	जेट एयरवेज़ (प्रा.) लि.	बी-737-300	4	अहमदाबाद, बागडोगरा, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता,
		बी-737-400	2	कालीकट, कोचीन, कोयम्बतूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मद्रास, मंगलौर
5.	मोदी लुफ्थ लिमिटेड	बी-737-200	4	बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, गोवा, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, वारणासी
6.	एन.ई.पी.सी. माइकॉन लि.	एफ-27-500	5	अगत्ती, अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कोचीन, कोयम्बतूर, गोवा, हुबली, हैदराबाद, जामनगर, काण्डला, केशोद, कोल्हापुर, मद्रास, मदुरै, मंगलौर, पोरबन्दर, सूरत, त्रिची, वडोदरा, विजयवाड़ा, विजाग

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भुगतान में विलम्ब

7336. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने लाभार्थी सदस्यों को भुगतान करने में काफी विलम्ब करता है;

(ख) यदि हाँ, तो उन दोषी अधिकारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार ने इसके त्वरित भुगतान हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) सभी रूप से सही पाये गये भुगतान दावों को यथासमय निपटाया जा रहा है। अत: इस संबंध में कार्रवाई किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) विवादों के त्वरित निपटान हेतु कर्मचारी बीमा न्यायालय और चिकित्सा अपील अधिकरण स्थपित किए गए हैं। इस संबंध में शिकायतों को मॉनीटर/निपटाने हेतु शिकायत अधिकारी भी नामांकित किये गये हैं।

विश्व बैंक द्वारा ऋण

7337. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा भारत को दिए जा रहे ऋण में कमी किए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारत की पुनर्परिभाषित ऋण नीति और दीर्घकालीन उच्च्व गुणवत्ता विकास सहायता की वचनबद्ध आवश्यकता के लिए विश्व बैंक की सिफारिश के अनुरूप भारत विकास मंच के सदस्यों ने 6 बिलियन डॉलर के दीर्घकालिक सहायता पैकेज की वचनबद्धता की है जिसमें 1994-95 के लिए विश्व बैंक द्वारा 2.4 बिलियन डॉलर की वचनबद्धता भी शामिल है। यह राशि हाल ही के वर्षों में वास्तव में प्राप्त किए गए वचनबद्धता के स्तरों से कुछ अधिक है और "तीव्र संवितरण सहायता" में पुन: कटौती किए जाने के सरकार के निर्णय के अनुरूप है।

इलाहाबाद-दिल्ली उड़ान

7338. श्री राम पूजन पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इलाहाबाद और दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार रद्द की गई उड़ानों को पुन: आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) प्रचालन कर्मीदल और विमान क्षमता की कमी के कारण, इंडियन एयरलाइंस द्वारा दिल्ली-इलाहाबाद सेवा बन्द कर दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इक्विटी शेयर

7339. श्री विजय एन. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टॉक बाज़ार में इक्विटी शेयरों के मूल्यों में लगातार गिरावट और उतार-चढ़ाव आ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस उतार-चढ़ाव के कारणों और शेयर बाज़ार के आंतरिक और बाह्य निवेशकों पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस प्रकार के उतार-चढ़ाव को रोकने और निवेशकों में विश्वास पैदा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) बी.एस.ई. सेन्सिटिव इन्डैक्स-जो शेयर-कीमतों के उतार-चढ़ाव को मापता है, में सितम्बर, 1994 से गिरावट देखी गई है। 28 सितम्बर, 1994 से 4 मई, 1995 के बीच की अवधि में बी.एस.ई. सैन्सैक्स 4528.17 से गिरकर 3104.23 पर पहुँच गया।

(ख) और (ग) स्टॉक बाज़ार में प्रतिभूतियों की कीमतों और उनके सूचकांकों में विभिन्न कारकों के पारस्परिक प्रभाव के कारण घट-बढ़ हो सकती है। ये कारक हैं : समग्र आर्थिक माहौल के संबंध में निवेशकों की प्रत्याशाएं, कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्य-निष्पादन, विशाल संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए लेन-देन, विदेशों में पूँजी बाज़ार की प्रवृत्तियां जिनमें भारतीय कंपनियों द्वारा जारी सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियों के द्वितीयक बाजार मूल्य शामिल हैं तथा नीति में परिवर्तन की संभावनाएं। स्टॉक मूल्य सट्टेबाजी की शक्तियों से भी प्रभावित होते हैं और इस तत्व की तीव्रता अलग-अलग परिस्थितियों में भिन्न होती है। शेयर कीमतों और उनके सूचकांकों में होने वाला उतार-चढ़ाव किसी एक कारक अथवा कारकों के एक समूह की वजह से हुआ नहीं कहा जा सकता। निवेशक, आम तौर पर निवेश संबंधी अपने निर्णय अनेक कारकों के आधार पर लेते हैं जिनमें भविष्य के प्रति उनका दृष्टिकोण भी शामिल होता है। इसलिए आंतरिक और बाह्य निवेशकों पर शेयर-कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा।

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, स्टॉक बाज़ार को कारगर रूप से विनियमित करने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। यह प्रतिभूति बाज़ार पर निरन्तर करने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। यह प्रतिभूति बाज़ार पर निरन्तर नज़र रख रहा है और उचित लेन-देन, प्रतिभूति बाज़ार की सुरक्षा तथा स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपाय कर रहा है। अपनी गतिविधियों के जरिए सेबी प्रतिभूति बाज़ार में निवेशकों का विश्वास बनाए रखने का प्रयास करता रहा है।

जारडीन फ्लेमिंग रिपोर्ट

7340. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1995 के "इकानॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित 'जारडीन फ्लेमिंग' रिपोर्ट पर टिप्पणियों से संबंधित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट में दी गई मुख्य टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिनांक 21 मार्च, 1995 को दक्षिणी एशियाई यूरो निर्गम शीर्षक से रिपोर्ट में तैयार की गई कुछ टिप्पणियां, सारांश में उल्लिखित समाचार विषयक से जार्डन फ्लेमिंग सिक्योरिटीज़ लिमिटेड द्वारा तैयार की गई। रिपोर्ट में संकेत किया है कि आर्थिक वृद्धि में 5.5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के बीच तथा वर्ष 1995-96 के दौरान औद्योगिक वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की सम्भावना की गई है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि मुद्रास्फीति और उच्च राजकोषीय घाटा चिन्ता का वास्तविक क्षेत्र है।

(ग) उपयुक्त नीतियों को तैयार करते समय सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

विमानों के बेड़े के नवीकरण हेतु प्रस्ताव

7341. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानों के बेड़ों के नवीकरण हेतु एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2000 तक बेड़े से कितने विमान हटाए जाएंगे और बेड़े में नए विमान कब तक शामिल कर दिए जायेंगे;

(ग) क्या पुराने विमान हो जाने के कारण इनमें तकनीकी खामियां पैदा हो रही हैं और जिसके कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) सन् 1994-95 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए एयर इंडिया की एक अनन्तिम मध्यम अवधि विमान ब्रेड़ा योजना बनाई गई है जिसमें वर्ष 2001-2002 तक विमान बेड़े के विमानों की मौजूदा संख्या को 26 से बढ़ाकर 54 विमान तक करना शामिल है।

एयर इंडिया ने हाल ही में बोइंग एयर प्लेन कंपनी के साथ दो बी 747-400 विमान प्राप्त करने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विमान जुलाई-अगस्त, 1996 में मिलने हैं। एयर इंडिया की योजना है कि इन विमानों को शामिल करके वह एक पुराने बी 747-400 विमान को सेवाओं से हटा दे। इस योजना में 1997-98 से आगे मध्यम क्षमता अधिक दूरी वाले विमान शामिल करना भी है। इन विमानों को शामिल करने पर एयर इंडिया का प्रस्ताव है कि बी 747-200 और 300 काम्बी विमानों के पूरे बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए।

इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े के संवर्धन हेतु दस विमानों (150 सीट वाले) को शामिल करने की योजना है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में अनुसूचित सेवाएं प्रचालित कर रहे सभी वर्तमान विमान सुरक्षित और उड़ान योग्य हैं। विमान अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में बैंक ऋण

7342. श्री बीर सिंह महतो :

डा. असीम बाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कितने उद्यमियों को बैंक ऋण दिए गए;

(ख) जिला औद्योगिक केंद्रों द्वारा ऐसे कितने शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की गई थी जिन्हें अब तक ऋण की स्वीकृति नहीं मिली है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे ऋण प्रदान करने में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 2 अक्तूबर, 1993 को आरम्भ की गई प्रधान मंत्री रोज़गार योजना (पी. एम.आर.वाई.) का उद्देश्य शिक्षित बेरोज़गार युवकों को रोज़गार प्रदान करना है। वर्ष 1993-94 के दौरान विकास आयुक्त (लघु उद्योग), उद्योग मंत्रालय के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में पी. एम.आर.वाई. के अंतर्गत बैंकों को जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत आवेदनों की संख्या 5448 थी, जिसमें से 899 आवेदनों पर उसी वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा ऋण मंजूर किए गए थे।

बैंकों को 25,000/- रुपये तक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अन्दर और 25,000/- रुपये से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाना अपेक्षित है। भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे निर्धारित समय सीमाओं के अन्दर आवेदन पत्रों को निपटायें।

मध्य प्रदेश में किसानों को ऋण

7343. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सहकारी, वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा टयूबवेल लगाने हेतु कितने सीमांत किसानों को ऋण दिया गया;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त अवधि के दौरान ऋण दिए जाने

के संबंध में अनियमितताएं बरतने संबंधी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनियमिततओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि सहकारी, वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में सीमान्त किसानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान टयूबवेल लगाने के लिए अलग से दिए गए ऋणों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अपने स्वयं के संसाधनों में से सब्सिडी योजना के तहत तथा बैंक ऋण से लगाये गये टयूबवेलों की संख्या नीचे दर्शायी गई है :-

वर्ष	संख्या
1992-93	2879
1993-94	2626
1994-95	3633

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि राज्य सरकार को उक्त अवधि के दौरान ऋण देने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। वित्तीय सहायता देने में अनियमितताओं के संबंध में बैंकों के खिलाफ जब भी शिकायत मिलती है, उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित बैंकों के साथ उसे उठाया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

7344. श्री कुन्जी लाल :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तक भारत पर कुल कितना विदेशी ऋण बकाया था;

(ख) किन-किन देशों से कितना-कितना ऋण लिया गया था;

(ग) भारत ने अब तक कितने ऋण की अदायगी कर दी है;

(घ) इस ऋण पर प्रति वर्ष कितना ब्याज दिया जा रहा है; और

(ङ) प्रत्येक देश के ऋण की अदायगी कब तक कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा नियम

7345. श्री अनंतराव देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा जारी करने के नियमों की जांच हेतु कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा के जोखिमों से बचाव के लिए उपलब्ध उत्पादों, भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ारों का आगे और विकास करने के क्षेत्र तथा नए व्युत्पन्न उत्पादों की शुरू करने से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में 22 नवम्बर, 1994 को विदेशी मुद्रा बाज़ारों से संबंधित एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री ओ. पी. सोधानी हैं। विशेषज्ञ दल ने अपनी अंतरिम सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दी हैं। इन अंतरिम सिफारिशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। विशेषज्ञ दल की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

द्वारका में हवाई अड्डा

7346. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिनन संस्थाओं, सांसदों और गुजरात सरकार ने द्वारका में एक हवाई-अड्डा बनाने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) द्वारका में हवाई अड्डे की स्थापना के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना

7347. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हेतु एक समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समिति की संरचना और विचारार्थ मुद्दों के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार ने 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के अन्य बैच की पहचान करने और ऐसे आर.आर.बी. के घाटों और अशोध्य ऋणों का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने को कहा है ताकि वर्ष 1994-95 के दौरान पुनर्संरचना हेतु लिए गए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरह ही पुनर्संरचना के अगले चरण में उन्हें सम्मिलित किया जा सके।

(ख) समिति में ये शामिल हैं :-

1. श्री के. बसु, महाप्रबंधक, नाबार्ड - अध्यक्ष
2. श्री सी. बी. प्रसाद, अवर सचिव वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) - सदस्य
3. श्री जी. एम. देशपाण्डे, उप महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक - सदस्य
4. श्री नाथ मल्ल, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक - सदस्य
5. श्री के. के. वर्मा, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा - सदस्य
6. श्री जे.एल. कपूर, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया - सदस्य
7. श्री पी.एस.एस.आर. शर्मा, प्रबंधक नाबार्ड - सदस्य सचिव

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :-

(एक) चरण-।। (1995-96) के अंतर्गत व्यापक पुनर्संरचना के लिए 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चयन के लिए पैरामीटरों का पता लगाना और ऐसी व्यापक पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूची तैयार करना।

(दो) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अशोध्य ऋणों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मानदण्ड सुझाना।

(तीन) चरण-।। के अंतर्गत चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन-पत्रों के निपटान से संबंधित मामले।

(चार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित अन्य कोई मामला।

जनता कपड़ा

7348. **श्री अमरराय प्रधान :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए उत्पादित जनता कपड़ा उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबों के लिए उत्पादित जनता कपड़ा उन्हें वास्तव में उपलब्ध हो, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) लक्षित समूह तक जनता कपड़े की डिलीवरी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को दी गई है और उन्हें भारत सरकार द्वारा निदेश दिए गए हैं कि वे गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को जनता कपड़े का वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठायें। ऐसे अभिकरणों का भी पता लगाया जा रहा है जहाँ ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण केन्द्र उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यान्वयन राज्य में हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की जनता कपड़ा योजना की कार्यान्वयन समिति को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इस बात की देख-रेख करें कि कपड़े का उत्पादन और वितरण भली-भाँति हो और बुनकरों को समय से भत्ता मिल सके। वर्तमान मार्ग दर्शिका के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों को जनता कपड़े की थोक बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। अतः जनता कपड़े की प्रतिव्यक्ति बिक्री 50 वर्ग मीटर तक ही सीमित की गई है। कार्यान्वयन अभिकरणों को यह कहा गया है कि वे उपभोक्ताओं और राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के अभिकरणों को खुदरा बिक्री ही करें।

[हिन्दी]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा किराए का भुगतान नहीं किया जाना

7349. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क विभाग ने जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डे पर स्थित एयर कार्गो कॉम्पलेक्स और इनलैंड कंटेनर डिपो किराए पर ले रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त भवन किससे किराए पर लिए हुए हैं और किराया-करार की शर्तों सहित किराये की राशि क्या है;

(ग) क्या सीमा-शुल्क विभाग ने उक्त दोनों भवनों के किराए का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हाँ, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किराए कब तक चुका दिए जाएंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) जयपुर हवाई अड्डा स्थित एयर कार्गो कॉम्पलेक्स और इनलैंड कंटेनर डिपो, राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड के हैं। इसलिए, सीमा-शुल्क विभाग द्वारा इन परिसरों में किराये पर ली गई जगह के किराये की अदायगी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को करने का प्रश्न नहीं उठता।

एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया गया ऋण

7350. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 1994 के दौरान दिये गये ऋण की राशि में पिछले वर्ष दिये गये ऋण की राशि की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान कितनी धनराशि के ऋण दिये गये;

(ग) इस ऋण का उपयोग किन-किन परियोजनओं के विस्तार और विकास हेतु किया गया और प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या सरकार ने ऋण राशि में कटौती किए जाने के कारणों का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी ऋणराशि की माँग की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) एशियाई विकास बैंक ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 1993 के दौरान 817.70 मिलियन डॉलर और वर्ष 1994 के दौरान 150 मिलियन डॉलर की सहायता अनुमोदित की :

वर्ष	ऋण/परियोजना	राशि (मि. डलार)	
1993	1222-आई.एन.डी. भभक कटौती परियोजना	300.00	
	1274-आई.एन.डी., राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	245.00	
	1279-आई.एन.डी., बम्बई वड़ोदरा, द्रुतमार्ग परियोजना	12.70	
	1285-आई.एन.डी. गैस पुनर्वास और विस्तार परियोजना	260.00	817.70
1994	1343-आई.एन.डी. औद्योगिक ऊर्जा क्षमता परियोजना	150.00	150.00

(घ) एशियाई विकास बैंक द्वारा अपने सदस्याओं को ऋण देने के स्तरों में सामान्य गिरावट आई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 1994 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 1994 के दौरान सरकारी क्षेत्र में ऋण देने की मात्रा और संख्या दोनों में गिरावट आई और यह मुख्यत:बैंक के उनके ऋण देने के कार्यक्रम का समेकन करने के प्रयत्नों और परियोजनाओं की गुणवत्ता में और सुधार करने के कारण हैं। यह गिरावट एशियाई विकास बैंक के ऋण देने के पोर्टफोलियो में बैंक द्वारा नए प्रतिबंधों को शुरू करने के परिणामस्वरूप भी हुई।

(ङ) भारत विकास मंच में एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 1993 में 1171 मिलियन डॉलर और 1994 में 700 मिलियन डॉलर की सहायता देने का वचन दिया था। हाल ही में ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड में हुई एशियाई विकास बैंक की 28वीं वार्षिक बैठक के दौरान ऋण के गिरते हुए स्तर के बारे में भारत की चिन्ता व्यक्त की गयी।

[अनुवाद]

थाणे पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक

7351. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थाणे पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक को किसी अन्य बैंक के साथ विलय करने के लिए कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि थाणे पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., थाणे का रूपीज़ को-ऑपरेटिव बैंक लि. पुणे के साथ विलय का प्रस्ताव सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आर.सी.एस.) महाराष्ट्र, पुणे से प्राप्त हुआ था। उपर्युक्त विलय के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र को भेज दिया गया था। आर.सी.एस., महाराष्ट्र ने हस्तांतरण स्वीकार करने वाले और हस्तांतरण करने वाले बैंकों के सदस्यों/जमाकर्ताओं/ऋणकर्ताओं इत्यादि से सुझाव/आपत्तियां मांगते हुए प्रारूप समामेलन आदेश जारी किया था। इसी बीच बैंक कर्मचारी संघ, पुणे ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

बाज़ार विकास सहायता

7352. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के संबंध में बाज़ार विकास सहायता की दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधित दरें किस तिथि से प्रभावी होंगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों के संबंध में विपणन विकास सहायता की संशोधित दरें इस प्रकार हैं :-

	कुल बिक्री	वि.वि. सहायता की संशोधित दर
1	2	3
1.	1 लाख से 100 लाख तक	कुल बिक्री का 10%
2.	100 लाख से अधिक और 200 लाख रु. तक	100 लाख रु. का 10% जमा शेष कुल बिक्री का 9%
3.	200 लाख रु. से अधिक और 300 लाख रु. तक	100 लाख रु. का 10% जमा शेष में से 100 लाख रु. का 9% जमा शेष कुल बिक्री का 8%
4.	300 लाख रु. से अधिक और 400 लाख रु. तक	100 लाख रु. का 10% जमा शेष में से 100 लाख रु. का 9% जमा शेष में से 100 लाख रु. का 8% जमा शेष में से कुल बिक्री का 7%।

1	2	3
5.	400 लाख रु. से अधिक की बिक्री के लिए	100 लाख रु. 10% जमा शेष में से 100 लाख रु. का 9% जमा शेष में से लाख रु. का 8% जमा शेष में से 100 रु. का 7% जमा शेष कुल बिक्री का 6%।

(ग) संशोधित दरें 1.4.1995 से लागू होंगी।

[हिन्दी]

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

7353. **श्री राम पाल सिंह :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने बैंकों में कम्प्यूटर सेवा शुरू की गई है; और

(ख) बैंकों में कम्प्यूटर सेवा शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा सभी बैंकों में कम्प्यूटर सेवा कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि देश के सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए आवास निर्माण योजना

7354. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लाभ के लिए कोई आवास निर्माण योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन स्थानों में इन आवासों का निर्माण किया है;

(ग) कर्नाटक में कितने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के पास अपने आवास नहीं हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितने आवास का निर्माण किया जाएगा; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की क्या कार्यपद्धति है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मणिपुर में मोरेह व्यापार केन्द्र पर बैंकिंग और सीमाशुल्क की सुविधाएं

7355. **श्री मंजय लाल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणिपुर में मोरेह में भारत-म्यांमार सीमा व्यापार केन्द्र पर मुद्रा विनिमय तथा अन्य आवश्यक लेन-देन के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सीमा-शुल्क तथा पारगमन सुविधाओं में रियायत देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सरकार ने म्यांमार के साथ सीमा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकिंग सुविधाओं, आव्रजन क्रियाविधियों, सीमाशुल्क औपचारिकताओं तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में आवश्यक प्रबन्ध किए हैं। मोरे में स्थित यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की शाखा म्यांमार के साथ सीमा व्यापार की सुविधा प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट बैंक है, जबकि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित सुविधा प्रदान करने हेतु आव्रजन एवं सीमाशुल्क चैक पोस्ट मोरे में स्थापित की गई है। म्यांमार संघ में उत्पादित कुछ सामानों पर आयात शुल्क घटाकर 5% यथामूल्य कर दिया गया है। व्यापारियों को म्यांमार तक जाने और वहाँ से वापस आने के लिए यात्रा पास जारी करने के लिए प्रबंध किए गए हैं।

भारतीय प्रसंस्कृत उत्पादों पर प्रतिबंध

7356. **श्री नारायण सिंह चौधरी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की सरकार ने भारतीय प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जर्मन सरकार ने 1994 में कुछ रंजक और रसायनों के उपयोग से बनने वाले उत्पादों के उत्पादन और आयात पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून बनाया था। यह प्रतिबंध, जो भारत सहित सभी देशों पर लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिक परियोजनाएं

7357. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में बाल श्रमिक परियोजनाओं संबंधी राष्ट्रीय नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के लिए किन-किन केन्द्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अंतर्गत मंदसौर, मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना इस समय कार्यान्वयनाधान है। इस परियोजना में 900 बालक शामिल हैं जिन्हें पोषणाहार, वजीफे और स्वास्थ्य जाँच संबंधो अतिरिक्त योगदान सहित शिक्षा प्रदान की जाती है। तथापि मध्य प्रदेश में नयी परियोजना आरंभ करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

7358. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का विचार कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में इक्विटी शेयर खरीदने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एयर इंडिया का अन्य क्या विशिष्ट कार्य-कलाप शुरू करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) विकास के प्रथम चरण में एयर इंडिया के प्रबंधक वर्ग ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड की इक्विटी पूँजी में 20 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के पूर्ण होने पर एयर इंडिया सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करना चाहती है।

[हिन्दी]

विमान दुर्घटना

7359. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी विमान दुर्घटनाओं की जाँच की गई है;

(ख) क्या जाँच निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) पिछले दो वर्षों में भारत में पंजीकृत सिविल विमानों की 24 दुर्घटनाएं हुईं, जिन सभी की जाँच की गई।

(ख) और (ग) जी, हाँ। सिफारिश के कार्यान्वयन में चूक करने वाले कार्मिकों/प्रचालकों के विरूद्ध कार्रवाई करना, नए मार्गदर्शी सिद्धान्त/अनुदेश जारी करना, सुधारात्मक प्रशिक्षण देना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

कारों से लदा जलपोत

7360. **श्री मोहन रावले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 में दक्षिण गुजरात में आलंग पत्तन पर 15 नई आयातित मोटर कारों को ले जा रहा एक रूसी जलपोत आया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलपोत के चालक दल ने इन कारों को अपना व्यक्तिगत सामान बताया;

(घ) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार मोटर कारें "व्यक्तिगत सामान" की परिधि में नहीं आती हैं;

(ङ) क्या यह "गुप्त रूप से तस्करी" का प्रयास था; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हाँ। एक रूसी जलपोत अप्रैल, 1995 में आलंग शिप-ब्रेकिंग यार्ड पर आया था जिसमें 13 आयातित कारें थीं। दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करने पर यह पता चला था कि सामान आयात माल सूची के साथ-साथ इन कारों की कर्मी दल सदस्यों की व्यक्तिगत सम्पत्ति सूची में घोषणा की गयी थी।

(घ) जी, हाँ। मोटर कारें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(3) में यथा परिभाषित "असबाब" की परिधि में नहीं आती हैं।

(ङ) और (च) यह कारों का गैर-कानूनी तौर पर आयात करने का एक प्रयास था। जलपोत के साथ-साथ कारों का अभिग्रहण करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

रोज़गार के अवसर

7361. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोज़गार के अवसर पैदा करने के संबंध में नए आर्थिक सुधारों के प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो चालू और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इन सुधारों के फलस्वरूप कितने नए रोज़गार पैदा किए गए?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) सरकार ने कार्य अवसरों के सृजन पर नए आर्थिक सुधारों के प्रभाव का पता लगाने के लिए विशेष रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। योजना

आयोग ने अर्थव्यवस्था में सृजित अतिरिक्त रोज़गार अवसरों का समग्र आकलन किया है। आकलन के अनुसार 1992-95 की अवधि के दौरान 18.78 मिलियन के अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित किए गए हैं। इसमें 6.26 मिलियन की औसत वार्षिक वृद्धि अथवा 2.03% वार्षिक वृद्धि दर समाविष्ट है। ये आंकड़े दर वर्ष 1985-90 की अवधि के दौरान (1.89% प्रति वर्ष के हिसाब से रोज़गार वृद्धि दर अथवा रोज़गार में 5.2 मिलियन की औसत वार्षिक वृद्धि) और वर्ष 1990-92 की अवधि के दौरान (1.5% प्रति वर्ष के हिसाब से रोज़गार वृद्धि दर औसत वार्षिक वृद्धि 4.4 मिलियन) में हुई वृद्धि से अधिक हैं। इन आंकड़ों के राज्य-वार कोई आकलन नहीं किए गए हैं।

'नाबार्ड' द्वारा परियोजनाओं का सीधा वित्त-पोषण

7362. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नाबार्ड' ने जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, उनका सीधा वित्त-पोषण करने की अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा परियोजनाओं के प्रत्यक्ष वित्त पोषण की भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जाँच की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की टिप्पणी

7363. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या श्रम मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में यह टिप्पणी की है कि जब बहुत से श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना पसन्द कर रहे हैं, तो उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह टिप्पणी की है कि अब तक राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता से 75,000 से अधिक कर्मकारों ने भारत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि औद्योगिक इकाईयों की पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मचारियों के पुन: प्रशिक्षण और पुन: नियोजन या श्रम बल के यौक्तिकीकरण के लिए भी है।

आई.एफ.सी.आई. की विकास दर

7364. **श्री उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एफ.सी.आई. की 1994-95 में कुल स्वीकृत धनराशि में 57% विकास दर रही है;

(ख) क्या आई.एफ.सी.आई. की 1994-95 के लिये स्वीकृत धनराशि के वितरण में इसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई;

(ग) 1994-95 में आई.एफ.सी.आई. की स्वीकृत धनराशि तथा धनराशि के वितरण के मध्य वृद्धि दर में असमानता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) असमानता को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आई.एफ.सी.आई.) ने सूचित किया है कि उसने पिछले लेखा वर्ष 1993-94 की तुलना में 1994-95 (अप्रैल-मार्च) के दौरान मंजूरियों में वार्षिक आधार पर 54.3% की वृद्धि दर्ज की और इसी अवधि के दौरान संवितरणों में 48.7% की वृद्धि दर्ज की है।

(ग) और (घ) आई.एफ.सी.आई. ने सूचित किया है कि मंजूर ऋणों का संवितरण, अलग-अलग परियोजनाओं की कार्यान्वयन अनुसूची विशेषतया संवितरण-पूर्व शर्तों के संबंध में मंजूरी की शर्तों के अनुसार तथा साथ ही प्रर्वतकों द्वारा किए जाने वाले समतुल्य अंशदान के आधार पर चरणबद्ध रूप में किए जाते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि संवितरणों में वृद्धि दर मंजूरियों से मेल खाए।

[हिन्दी]

तम्बाकू और बीड़ी मज़दूर

7365. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने तम्बाकू और बीड़ी मज़दूर हैं;

(ख) इन मज़दूरों के लिये निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी दर क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यूनतम मज़दूरी को सही ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार राज्य में अनुमानत: 3,91,500 बीड़ी कर्मकार हैं और 1,800 कर्मकार तम्बाकू से संबंधित उत्पादों (बीड़ी बनाने को छोड़कर) में नियोजित हैं।

(ख) न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, बिहार सरकार तम्बाकू और बीड़ी बनाने के रोज़गार हेतु मज़दूरों को न्यूनतम दर के निर्धारण/संधोधन के लिए समुचित सरकार है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार सरकार ने तम्बाकू (बीड़ी विनिर्माण सहित) में नियोजित कर्मकारों के लिए प्रति 1000 बीड़ियों पर न्यूनतम उजरती मज़दूरी दर 21.50 रु. से 26.00 रु. तक निर्धारित की है।

(ग) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर राज्य सरकारों पर जोर देती रही है। परिणामस्वरूप, अधिनियम की कारगरता को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों ने अनेक उपाय किये हैं। इनमें प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया जाना, कर्मकारों की जागरूकता में वृद्धि किया जाना, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रचार किया जाना, अधिनियम के प्रवर्तन में राजस्व, सहकारिता आदि जैसे अन्य विभागों का सहयोग लेना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा धनराशि का उपयोग

7366. श्री अमर पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनियों द्वारा धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने हेतु कोई तरीका तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तरीका तैयार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रत्येक बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी उधारकर्ता को बैंक द्वारा दिया गया ऋण, उस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसके लिए ऋण सुविधा मंजूर की गई है या नहीं। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें जारी किए गए ऋण संबंध नियमों और उधार मार्गनिर्देशों का पालन करते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी ऋण निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृति के बाद के स्तर पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की संवीक्षा करता रहा है।

अमरीकी बैंक के साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट का संयुक्त उद्यम

7367. श्री महेश कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अमरीकी बैंक के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के बारे में बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) यू.टी.आई. ने बताया है कि वह निधि लेखाकरण के लिए यू.टी.आई. फंड सर्विसेज़ लि. (यू.टी.आई.एफ.एस.एल.) नामक संयुक्त उद्यम को लगाने के लिए अमरीका में स्थित 'स्टेट स्ट्रीट बैंक' (एस. एस.बी.) से बातचीत कर रहा है। यू.टी.आई.एफ.एस.एल. की प्रारम्भिक पूंजी 25 करोड़ रुपए होगी। आरम्भ में यू.टी.आई.एफ.एस.एल. में यू. टी.आई. का 80 प्रतिशत और एस.एस.बी. का 20 प्रतिशत साझा होगा। यू.टी.आई.एफ.एस.एल. आरम्भ में पोर्टफोलियो-रखरखाव, कारपोरेट कार्रवाइयां आय-अर्जन, व्यय-लेखाकरण, पोर्टफोलियो मूल्यांकन और नकदी पूर्वानुमान जैसी सूचना संबंधी कार्य करेगा।

निगमित कर

7368. श्री पी.पी. कालियापेरुमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उन विशाल निगमित कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी कर देयता वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान शून्य थी;

(ख) इस अवधि के दौरान उन पर कर देयता न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सरकार का निगमित विशाल कम्पनियों को शून्य कर देयता दिखाने का कोई विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों में निगमित कर की माँग, वसूली तथा बकाया का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) यद्यपि विशाल निगमित कम्पनियों का कोई मानक वर्गीकरण नहीं है, तथापि निम्नलिखित शीर्षस्थ 10 कम्पनियां ऐसी हैं, जिन्होंने लाभ दर्शाया था और लाभांशों की भी घोषणा की थी परन्तु जिन्होंने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कटौतियों और छूटों के कारण किसी निगम कर का भुगतान नहीं किया था :-

1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.
2. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि.
3. एस्सार गुजरात
4. टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि.
5. नागार्जुन फर्टीलाइजर्स लि.
6. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
7. इंडो गल्फ फर्टीलाइजर्स
8. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि.
9. इंडियन पैट्रो कैमिकल्स लि.
10. टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिवज़ लि.

इन कम्पनियों ने मुख्यतया मूल्यह्रास के कारण कटौतियां, असमाविष्ट निवेश छूट, नौवहन कारोबार के लिए विशेष रिज़र्व, पिछड़े इलाकों में उद्योगों के लिए कटौती, निर्यात, कारोबार के लिए कटौती, अन्तर्निगम लाभांश के लिए कटौती, विदेशी उद्यमों से प्राप्त रायल्टियों के लिए कटौती, भारत से बाहर स्थित परियोजनाओं के संबंध में कटौती आदि की वजह से निगम कर का भुगतान नहीं किया।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) वांछित सूचना नीचे दी गई है :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	माँग	वसूली/कमी	वर्ष के अन्त में बकाया माँग
1991-92	9199	4214	4985
1992-93	10343	4653	5690
1993-94	20734	14108	6626

भारत-स्विट्ज़रलैंड व्यापार समझौता

7369. **श्री तारा सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "7 फरवरी, 1995" के "स्टेट्समैन" में "हाई टैरिफ्स हैम्परिंग स्विस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या प्रेज़ीडेन्ट ऑफ स्विस फ़ैडरेशन ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने भारत-स्विस व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन में आने वाली कई कमियों और अड़चनों की ओर संकेत किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारत-स्विस समझौतों के पूर्णरूपेण क्रियान्वयन हेतु कुछ गम्भीर प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी हाँ। समाचार में यह बताया गया है कि स्विस फैडरेशन फार कामर्स एण्डे इण्डस्ट्री के अध्यक्ष ने भारत की आयात नीति और ऊँची टैरिफ दरों की वजह से स्विट्ज़रलैंड से वस्त्रों, घड़ियों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कुछ मदों के निर्यात में कुछ खास कठिनाइयों का उल्लेख किया।

(घ) और (ङ) सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहता है कि वह स्विट्ज़रलैंड सहित अपने सभी साझीदारों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों का विस्तार करे। सरकार टैरिफ-दरों में धीरे-धीरे कटौती करती रही है। व्यापार नीति में संशोधन करते रहना निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बैंकों का ऋण जमा अनुपात

7370. **डा. साक्षी जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 31 मार्च, 1994 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना-कितना है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से काफी कम है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) दिनांक 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सी.डी.आर.) 37.2% है, जबकि अखिल भारतीय औसत 56.6% है।

(ग) कम ऋण जमा अनुपात के लिए उत्तरदायी कारण हैं : ऋण खपत की कम क्षमता, बुनियादी संरचना संबंधी अपर्याप्त सुविधाएं, चीनी जैसे प्रमुख उद्योगों में बैंकों की अपेक्षा वैकल्पिक ऋण स्रोतों का चयन करने की प्रवृत्ति।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने उत्तर प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों का पता लगाने और उसमें सुधार करने के लिए उपाए सुझाने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य में बैठकें की गई थीं और पता लगाए गये क्षेत्रों में ऋण वितरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए गए थे। आर.बी.आई. ने बैंकों को इस संबंध में सुधार करने की सलाह भी दी थी तथा बैंकों ने ऋण-कार्यों में सुधार के लिए निश्चित कार्य योजनाएं बनाकर उपयुक्त प्रतिक्रिया दिखाई है जिससे राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ेगा।

[अनुवाद]

बकाया ब्रिज लोन

7371. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को तीन महीने से ज्यादा समय से बकाया पड़े सभी ब्रिज-लोनों का ब्यौरा भेजने को कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ बैंकों ने इस कार्य-योजना पर विरोध प्रकट किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उसने बैंकों से उनके द्वारा मंजूर किये गये और छः महीने से अधिक से उनकी बहियों में बकाया पड़े तात्कालिक ऋणों की प्रमात्रा बताने के लिए कहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राकृतिक आपदाएँ

7372. **श्री जे. चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है और वर्ष

1991-92 से 1994-95 तक धनराशि के पूँजी निवेश की पद्धति के बारे में भी निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यों को अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने निर्धारित मानदण्डों के अनुसार धनराशि का पूँजी निवेश किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने मानदंडों के विरूद्ध धनराशि का पूंजी निवेश किय है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) नौवें वित्त आयोग (एन.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ओर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद "आपदा राहत कोष के गठन एवं प्रशासन तथा इसमें से निवेश हेतु एक योजना" बनाई गई थी, जिसे 1990-91 से 1994-95 की अवधि के लिए लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, नौंवे वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार प्राकृतिक आपदा राहत सहायता के वित्त पोषण के प्रयोजन से प्रत्येक राज्य हेतु वार्षिक धनराशि प्रदान की जाती थी। इसमें 75% अंशदान गैर-योजना अनुदान के रूप में वार्षिक आबंटन के तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता था तथा शेष 25% धनराशि संबंधित राज्य सरकार को अंशदान करना पड़ता था। इस योजना के अनुसार, इस कोष में संचित् राशि को, इस धनराशि के निवेश से अर्जित आय सहित निम्नलिखित निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेश किया जाता था :-

(एक) 15 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में;

(दो) 25 प्रतिशत धनराशि 182 दिनों वाले ट्रेजरी बिलों में;

(तीन) 10 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में;

(चार) 10 प्रतिशत धनराशि सरकारी क्षेत्र के बांडों/यूनिटों में;

(पाँच) 25 प्रतिशत धनराशि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमाराशियों के रूप में अनुरक्षित की जानी थीं; तथा

(छह) 15 प्रतिशत धनराशि राज्य सहकारी बैंकों में जमाराशियों के रूप में अनुरक्षित की जानी थो।

(ख) 1990-91 से 1994-95 की अवधि के दौरान, राज्य आपदा राहत कोष हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी अंशदान को दर्शाने वाला एक **विवरण संलग्न है।**

(ग) से (ङ) इस योजना में आपदा राहत कोष के प्रशासन हेतु प्रत्येक राज्य सरकार को एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने का भी प्रावधान है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इस राज्य स्तरीय समिति को इस कोष का प्रशासन करना था तथा इस कोष में संचित धनराशि को इस योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेश करना था। केन्द्र सरकार के पास विभिन्न राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर किये गये निवेश के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा यदि किसी विशिष्ट समिति ने निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेश नहीं किया है, तो केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। तथापि, केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से आपदा राहत कोष का उपयोग किये जाने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

विवरण

वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान राज्य आपदा राहत कोष के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी अंशदान की राशि

	राज्य	केन्द्र सरकार द्वारा जारी अंशदान की राशि				
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	125.6564	49.21	49.21	49.21	49.2136
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
3.	असम	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
4.	बिहार	26.25	26.25	39.3750	26.25	13.1250
5.	गोवा	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
6.	गुजरात	63.75	63.75	63.75	63.75	63.75
7.	हरियाणा	12.75	12.75	12.75	19.1250	6.3750
8.	हिमाचल प्रदेश	13.50	13.50	13.50	16.8750	10.1250
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9.00	9.00	13.50	4.50	9.00
10.	कर्नाटक	20.25	20.25	30.3750	20.25	10.1250
11.	केरल	23.25	23.25	34.8750	11.6250	23.25

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	27.75	27.75	27.75	27.75	27.75
13.	महाराष्ट्र	33.00	33.00	33.00	66.00	
14.	मणिपुर	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
15.	मेघालय	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
16.	मिज़ोरम	0.75	0.75	0.75	1.1250	0.3750
17.	नागालैण्ड	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
18.	उड़ीसा	57.13	29.78	29.78	29.78	29.78
19.	पंजाब	21.00	21.00	21.00	31.50	10.50
20.	राजस्थान	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00
21.	सिक्किम	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
22.	तमिलनाडु	29.25	29.25	43.8750	29.25	14.6250
23.	त्रिपुरा	2.25	2.25	2.25	2.8125	1.6875
24.	उत्तर प्रदेश	67.50	67.50	122.58	39.96	39.96
25.	पश्चिम बंगाल	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	योग :	686.0364	582.24	691.32	592.7625	462.6411

महिला श्रमिक

7373. डा. **कृपासिंधु भोई** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिला श्रमिकों, विशेषकर फार्म क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) सरकार ने देश में विशेषकर कृषि क्षेत्र में लगी महिला कर्मकारों की दशाओं के संबंध में अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रम मंत्रालय में महिला श्रमिकों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है जो उनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देता है। यह प्रकोष्ठ उन नीतियों के प्रारूपण के लिए उत्तरदायी है जिनका उद्देश्य कार्य के दौरान महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करना, उनकी सौदेकारिता की स्थिति को मजबूत बनाना, उनकी मज़दूरी और कामकाजी दशाओं में सुधार करना, उनके कौशल को बढ़ाना और उनके लिए बेहतर रोज़गार अवसर पैदा करना है।

महिला कर्मकारों के लाभार्थ बाल-देखरेख केन्द्र स्थापित करने हेतु कतिपय श्रम कानूनों में सांविधिक प्रावधान किए गए हैं। महिला औद्योगिक कर्मकारों हेतु शिशु-सदन सुविधाएं स्थापित करने के लिए नियोजकों को प्रोत्साहित करने हेतु श्रम मंत्रालय ने स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान करने की योजना आरम्भ की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिशु सदन स्थापित करने में अन्तर्ग्रस्त लागत को देखते हुए नियोजक महिलाओं का नियोजन कम न करें। यह योजना उन नियोजकों/प्रतिष्ठानों को, जिन्हें सांविधिक रूप से शिशु सदन मुहैय्या करना आवश्यक नहीं है, भी योजना के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु सक्षम बनाती है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं की कामकाजी दशाओं में सुधार लाने और रोज़गार क्षमता में वृद्धि करने हेतु कार्रवाई उन्मुख परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

बैंकिंग प्रणाली के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के सुझाव

7374. **श्रीमती शीला गौतम**

श्री राजवीर सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की बैंकिंग प्रणाली में कुछ मूल आधारभूत परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन परिवर्तनों के करने पर पूरी तरह से सहमत है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) से (घ) जी, नहीं। बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तनों सहित वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के विषयों का, अगस्त, 1991 में गठित की गयी वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में, विश्लेषण किया गया है। इस समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध पद्धति से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सूखा राहत कार्यक्रम के लिए सहायता

7375. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सूखा राहत कार्यक्रम के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार की सहायता की गई; और

(ग) यह सहायता किन-किन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने दी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 25.11.1987 को विश्व बैंक के साथ आई.डी.ए. के 200 मिलियन अमरीकी डॉलर ऋण और आई.बी.आर.डी. के 150 मिलियन अमरीकी डॉलर उधार के लिए एक सूखा राहत परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 31.3.1989 को बन्द की गई। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखा राहत कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

अप्रयुक्त विदेशी ऋण

7376. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ऋण का एक बड़ा भाग अप्रयुक्त पड़ा है, लेकिन फिर भी देश को इस अप्रयुक्त राशि पर करार शुल्क की अदायगी करनी है;

(ख) क्या विदेशी ऋण, जो 1993-94 में 3,723 करोड़ रुपये था, 1995-96 में बढ़कर 4,300 करोड़ रुपये हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो विदेशी ऋण लेने के क्या कारण हैं, जबकि इसका उपयोग नहीं हो रहा है; और

(घ) इस समय विदेशी ऋण की ऐसी कुल कितनी धनराशि है जिसका अभी प्रयोग नहीं हो रहा है तथा पिछले तीन वर्षों में इसकी स्थिति क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (घ) अनुवन्धित विदेशी ऋण तभी देश के विदेशी ऋण भंडार का भाग बनते हैं जब वे प्रयोग में लाये जाते हैं। इस प्रकार विदेशी ऋण का अप्रयुक्त पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हालांकि देश को प्रतिबन्धित परन्तु अप्रयुक्त ऋणों पर कुछ दाताओं को वचनबद्धता प्रभार अदा करना पड़ता है।

(ख) मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार अनिवासी भारतीय जमा राशियों और रक्षा ऋण सहित कुल विदेशी ऋण 90,723 मिलियन अमरीकी डालर था। यह सितम्बर, 1994 के अन्त में घटकर 90452 मिलियन अमरीकी डालर रह गया था। वर्ष 1995-96 के आंकड़े केवल वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही उपलब्ध हो पायेंगे।

(ग) सरकार विदेशी उधारों को देशीय संसाधन जुटाने के लिए एक प्रतिस्थापन्न के रूप में नहीं मानती है। फिर भी विकास परियोजनाओं के लिए निवेश की आवश्यकताओं में वित्तीय अन्तर को पूरा करने हेतु विदेशी उधारों का गैर-स्फीतिकारी संसाधन जुटाने के लिए सहारा लिया गया है। विदेशी ऋण देश के विदेशी ऋण का हिस्सा तभी बनता है जब यह प्रयोग में लाया जाता है। चूंकि अधिकांश विदेशी ऋण परियोजनाबद्ध हैं इसलिए ऋण उपयोग कई वर्षों में किया जाता है, जो परियोजना अवधि पर निर्भर करता है। सरकार अपने विदेशी ऋण-भार के बारे में जागरूक है और उसने यह सुनिश्चित किया है कि ऋण-शोधन देयताएं इस ऋण को चुकाने की देश की क्षमता से अधिक न हों।

हैदराबाद तिरुपति के बीच पुनः उड़ानें शुरू करना

7377. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का हैदराबाद और तिरूपति के बीच अपनी उड़ाने फिर से शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं। प्रचालन कर्मीदल की कमी के कारण, इंडियन एयरलाइन्स हैदराबाद और तिरुपति के बीच सेवा पुनः आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में हवाई पट्टियों का निर्माण

7378. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इरादा निकट भविष्य में गुजरात में नई हवाई पट्टियों के निर्माण का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में मौजूदा हवाई पत्तनों का दर्जा बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और इनका उन्नयन प्रयोजित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, भुज, पोरबन्दर, जामनगर, राजकोट और बड़ोदरा पर विमानपत्तनों के उन्नयन की योजनाएं हैं।

सोना, ब्राउन शुगर और नशीली दवायें

7379. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन्दिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर ज़ब्त माल के ब्यौरे सहित ज़ब्त किए गए सोने, ब्राउन शुगर और नशीली दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सोने और नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए सोने, ब्राउन शुगर और अन्य नशीले औषध द्रव्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	मामलों की संख्या	मात्रा (कि.ग्रा. में)
(एक) सोना		
1993-94	51	64.459
1994-95	21	54.619
(दो) नशीले औषध द्रव्य		
1993-94		
ब्राउन शुगर	शून्य	शून्य
हशीश	03	3.770
हेरोइन	01	27.000
1994-95		
ब्राउन शुगर	शून्य	शून्य
हशीश	14	164.421
हेरोइन	08	28.094
अफीम	01	0.040

(ख) चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, अत: निश्चित तौर पर यह कहना संभव नहीं है कि ऐसी घटनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है या कमी हुई है। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि 1992 में सोने के आयात को उदार बनाए जाने के बाद देश में सोने की तस्करी किए जाने में कमी आई है।

(ग) सोने तथा नशीले औषध द्रव्यों की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्कारी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का कपड़ा

7380. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिले-सिलाए कपड़ों के स्व-रोज़गाररत निर्माताओं की सुविधा हेतु राष्ट्रीय वस्त्र निगम के वस्त्रालयों में, विशेष रूप से बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा स्थित वस्त्रालयों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कपड़े के कटपीसों का भंडारण करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्तरिक ऋण

7381. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 और 31 मार्च, 1995 को देश पर कुल कितना आन्तरिक ऋण था;

(ख) इन तिथियों को इसमें सकल घरेलू उत्पाद का कितना अनुपात था;

(ग) लघु बचत, भविष्य निधि, बाज़ार ऋण और अन्य प्रमुख स्रोतों के द्वारा पूरी की जाने वाली आन्तरिक देनदारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आन्तरिक ऋण में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव पड़ा है; और

(ङ) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान वर्ष-वार ब्याज और मूल धनराशि के रूप में कुल कितना भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपये)

	1993-94	1994-95 (संशोधित अनुमान)
बाज़ार ऋणों आदि सहित आंतरिक ऋण	245712	274568
अन्य देयताएं		
लघु बचतें	67285	79055
भविष्य निधियां	20592	24698
गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमाराशियां	53306	61306
आरक्षित निधियां और जमाराशियां	24556	26285

अन्य	18872	24788
कुल आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं	430323	90700
सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	55%	54%

(घ) मुद्रास्फीति मौद्रिक विस्तार, राजकोषीय घाटा और वैयक्तिक मदों के लिए आपूर्ति दबावों जैसे आपूर्ति और माँग संबंधी अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

(ङ) आन्तरिक ऋण और अन्य देयताओं की वापसी-अदायगी (91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों, ब्याज रहित आरक्षित निधियों और जमा राशियों तथा उचंत लेन-देन की अदायगी छोड़कर) वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) में उन पर ब्याज क्रमशः 32,971 करोड़ रुपये और 39,890 करोड़ रुपये था।

गुजरात और खाड़ी देशों के बीच विमान संपर्क

[हिन्दी]

7382. **श्री एन. जे. राठवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात से खाड़ी देशों एवं अन्य देशों में अलग-अलग कितनी उड़ानें भरी गईं;

(ख) क्या गुजरात से और भी उड़ानों की माँग की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस बम्बई अहमदाबाद-शारजाह मार्ग पर सप्ताह में दो बार और दिल्ली अहमदाबार-मस्कट मार्ग पर सप्ताह में तीन बार की सेवाओं का प्रचालन कर रही है। एयर इंडिया दिल्ली और बम्बई होकर अहमदाबाद से न्यूयार्क और लंदन के लिए दो संयोजी फीडर उड़ानों का प्रचालन कर रही है।

(ख) और (ग) अहमदाबाद से नैरोबी तथा जोहन्सबर्ग को सीधी उड़ानें आरंभ करने के लिए गुजरात सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अपर्याप्त यातयात संभावनाओं के कारण प्रस्तावित सेवाओं को फिलहाल आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं समझा गया।

[अनुवाद]

आयकर विवरण

7383. **श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर विवरण की जाँच की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नई व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) संवीक्षा के लिए मामलों का चयन करने के लिए प्रत्येक वर्ष मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जो कर अपवंचन से संबंधित सूचना की उपलब्धता, विवरणीगत आय के स्तर आदि जैसे कुछेक मापदंडों पर आधारित होते हैं। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और किसी मूलभूत अथवा बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्रम न्यायालय

7384. **श्री शिव शरण वर्मा : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक जिले में ऐसे न्यायालय खोलने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन न्यायालयों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 312 श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण स्थापित किये गये हैं। इनके अतिरिक्त, आज तक की स्थिति के अनुसार 11 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय हैं।

(ख) एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक-सह-श्रम न्यायालय सहित उत्तर प्रदेश में 26 श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया का प्रबंधन

7385. **श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के 1992-93 की अवधि के लेखे में कोई अनियमितताएं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इंडिया में दोष रहित लेखा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एयर इंडिया लिमिटेड के लेखाओं की मैसर्स एस. बी. बिल्लिमोरिया एंड कंपनी तथा मैसर्स एन. एम. रायजी एंड कंपनी द्वारा जांचकर्त्ताओं के रूप में तथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान

निदेशक और लेखा परीक्षा बोर्ड-II बम्बई के पदेन सदस्य द्वारा भी जिसने इन लेखाओं को प्रमाणित किया है, सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में जाँच की गई है।

एयर इंडिया द्वारा अर्जित लाभ

7386. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान एयर इंडिया ने रिकार्ड मुनाफा कमाया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1993-94 के दौरान उसी दर पर मुनाफा नहीं कमा पाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी हाँ। एयर इंडिया ने वर्ष 1992-93 के दौरान 333.14 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था।

(ग) वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 और 1994-95 में लाभ में गिरावट के कारण हैं :-

(1) मूल्यह्रास का प्रभाव और वर्ष 1993-94 में खरीदे गए बी 747-400 विमानों का ब्याज

(2) प्राप्तियों में लगभग 10% की गिरावट; और

(3) प्लेग फैलने के कारण कुछ उड़ानों को रद्द किए जाने का प्रभाव।

गैर सरकारी/विदेशी निवेशकों द्वारा पूँजी निवेश

7387. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागर विमानन क्षेत्र में गैर सरकारी/विदेशी निवेशकों द्वारा पूँजी निवेश के संबंध में नई नीति की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विदेशी निवेश/संयुक्त उद्यमों, घरेलू गैर सरकारी पूँजी निवेश आदि के लिये किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) सरकार को इस संबंध में मिले प्रमुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसकी अच्छी बातें क्या हैं; और

(घ) इस पर तथा विशेष रूप से गोवा में विमानपत्तन के विकास तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों पर प्रस्ताव वार क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नागर विमानन क्षेत्र में मुख्यत: आधार संरचना विकास हेतु बढ़ती हुई वित्तीय माँग को पूरा करने के लिए सरकार ने बंगलौर और कोचीन में निजी क्षेत्र के निवेशकों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तनों के निर्माण के प्रस्तावों को अपनी 'अनापत्ति' दे दी है।

गोवा विमानपत्तन रक्षा मंत्रालय का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण कर रहा है। 9.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधुनिक सुविधाओं युक्त एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है। 'इकाओ' मानकों को पूरा करने हेतु धावनपथ की प्रकाश व्यवस्था को उन्नत करने के लिए 81 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

खेल सामान का निर्यात

7388. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम-प्रधान खेल सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात किये जा रहे प्रमुख खेल सामान का ब्यौरा क्या है, भारत से ऐसी प्रत्येक वस्तु का फिलहाल आयात कर रहे पाँच प्रमुख देशों के नाम क्या हैं और इन देशों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने रुपये मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा 1995-96 के दौरान कितना निर्यात किये जाने की संभावना बतायी गयी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अलग-अलग प्रकार के चमड़े से बने विभिन्न प्रकार के फुटबालों के लिए हवाई और समुद्री मार्ग से किये गये निर्यात से पोतपर्यन्त नि:शुल्क तथा लागत बीमा, भाड़े के रूप में प्रति यूनिट कितनी अधिकतम और न्यूनतम राशि की रुपयों में वसूली हुई; और

(ङ) खेल सामग्री के निर्यात पर दिये जाने वाली ड्यूटी ड्राबैक तथा निर्यात संबंधी अन्य प्रोत्साहनों की दरों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हाँ। खेल-कूद सामान के निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं :- मेलों में भागीदारी के लिए खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद को अनुदान; व्यापार शिष्टमंडलों का आयोजन; निर्यात के उद्देश्य से खेल-कूद सामान के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल का रियायती शुल्क दरों पर आयात करों की अनुमति देना इत्यादि।

(ग) भारत से निर्यात की जाने वाली खेल-कूद सामान की मुख्य मदें हैं :- हवायुक्त गेंद, क्रिकेट के लिए सुरक्षा सामान, क्रिकेट के बल्ले, इन-डोर खेल और बॉक्सिंग का सामान। ये मदें मुख्य रूप से यू.के., आस्ट्रेलिया, जर्मनी, यू.एस.ए. और फ्रांस को निर्यात की जाती

हैं। पिछले तीन वर्षों, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान इन देशों को निर्यात किए गए खेल-कूद सामान का मूल्य निम्नलिखित है :-

(करोड़ रु. में)

देश	1991-92	1992-93	1993-94
यू.के.	22.95	29.22	41.73
आस्ट्रेलिया	11.69	16.45	19.60
जर्मनी	6.19	9.47	14.44
यू.एस.ए.	5.36	7.29	11.19
फ्रांस	4.45	5.74	5.75

(स्रोत : खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्)

परिषद् के अनुमान के अनुसार वर्ष 1995-96 के दौरान सभी देशों की कुल मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के खेल-कूद सामान का निर्यात होने की आशा है।

(घ) खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा की गयी मॉनीटरिंग के अनुसार विभिन्न प्रकार के फुटबालों की हवाई और समुद्री मार्ग से किए गए निर्यात का रुपया प्रति फुटबाल के रूप में प्रति इकाई उच्चतम और निम्नतम एफ.ओ.बी. और सी.आई.एफ. मूल्य निम्नलिखित हैं :-

समुद्री जहाज द्वारा

	निम्नतम		उच्चतम	
	एफ.ओ.बी.	सी.आई.एफ.	एफ.ओ.बी.	सी.आई.एफ.
चमड़ा	35	38	70	75
पी.बी.सी.	45	48	55	59
पी.यू. चमड़ा	125	135	140	150
हवाई जहाज द्वारा				
चमड़ा	38	42	77	83
पी.बी.सी.	50	53	61	65
पी.यू. चमड़ा	138	148	154	165

(ङ) खेल-कूद सामान के लिए शुल्क वापसी की दरों की समग्र उद्योग दरें 4% से 13% हैं।

बंगलादेश के साथ सीमा व्यापार

7389. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने बंगलादेश के साथ सीमा व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में त्रिपुरा का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार को इस बात की सूचना दी गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलरशिप

7390. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार प्रतिभूतियों में डीलरशिप देने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मार्गनिर्देशों के अनुकरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से इस संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन व्यावसायिक बैंकों ने डीलरशिप के लिए आवेदन किए हैं;

(घ) क्या बैंकों को डीलरशिप दिए जाने तथा उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ सहायक एजेंसियां स्थापित करने हेतु कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आवेदकों को डीलरशिप कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) (घ) और (ङ) सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर्स पद्धति (पी.डी.एस.) के मुख्य उद्देश्य हैं :-

(एक) बृहद् निवेशक आधार के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारणा को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करना;

(दो) भारतीय रिज़र्व बैंक के बाहर सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन हेतु हामीदारी और बाज़ार बनाने की क्षमताओं का विकास करना ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक धीरे-धीरे इन कार्यों के दायित्व से मुक्त हो सके; और

(तीन) मुक्त बाज़ार अभियानों को संचालित करने के लिए प्राथमिक डीलर्स पद्धति को प्रभावशाली माध्यम बनाना।

बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की सहायक कंपनियों और मुख्यतया सरकारी प्रतिभूति बाज़ार का कारोबार करने वाली तथा न्यूनतम 50 करोड़ रुपये की निवल मालिकाना निधियों वाली कंपनियां प्राथमिक डीलरशिप के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

(ख) और (ग) मार्गनिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं प्राथमिक डीलरशिप के लिए आवेदन करने की पात्र नहीं हैं।

(च) प्राप्त आवेदनों की जाँच-पड़ताल के आधार पर और संतुष्ट होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान करेगा।

आशा है कि इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर लिया जाएगा।

तमिलनाडु को सहायता

7391. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता की कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार का अनुरोध मान लिया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस मंत्रालय द्वारा 1994-95 के दौरान तमिलनाडु सरकार को विभिन्न शीर्षों के अधीन स्वीकृत/आबंटित और जारी की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से है :-

(करोड़ रु. में)

	मदें	स्वीकृत/आबंटित की गई	जारी की गई
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	654.14 (सकल)	644.97
2.	बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए सहायता	764.87	671.69
3.	रेल यात्री किराया पर कर के बदले में अनुदान सहित केन्द्रीय करों में हिस्सा	1745.74 (संशोधित प्राक्कलन)	1745.74
4.	लघु बचत ऋण.	375.00	569.91
5.	राजस्व घाटा अनुदान	12.26	12.26
6.	सी.आर.आई. के लिए केन्द्र का अंशदान	14.625	14.625
7.	पहाड़ी क्षेत्र/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	25.01	25.01
8.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (स्थानान्तरित) के लिए केन्द्रीय सहायता	9.83	--

(ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय में तमिलनाडु सरकार से वर्ष 1994-95 के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

7392. श्री बलराज पासी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में विकलांग व्यक्तियों को वृत्तिका देने के लिए 1990-91 के दौरान और इसके बाद हर वर्ष कई लाख रुपये की धनराशि मंजूर की जाती है;

(ख) क्या नियमानुसार यह धनराशि तीन महीने के भीतर अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जो भी पहले हो, खर्च करनी पड़ती है अन्यथा यह राशि सरकारी खजाने में जमा करानी आवश्यक है;

(ग) क्या यह राशि कई केन्द्रों में और विशेष रूप से गुवाहाटी में खर्च नहीं की जा सकी है; और

(घ) यदि हाँ, तो 1990-91 के पश्चात् गुवाहाटी में कितनी वृत्तिका राशि खर्च नहीं की जा सकी है और यह राशि किन-किन तिथियों को खर्च की गई ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इन प्लांट प्रशिक्षुओं को वृत्तिका का भुगतान करने हेतु इन वर्षों में क्रमशः 32.00 लाख रु., 31.23 लाख रु. तथा 31.23 लाख रु. रिलीज़ किए थे। 1993-94 के पश्चात्, कल्याण मंत्रालय के बजट में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है।

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा इस प्रकार जारी की गई निधियों का संगत वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाना था तथा शेष धनराशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सम्बद्ध वेतन तथा लेखा अधिकारी को वापस लौटा दिया जाना चाहिए था।

(ग) और (घ) व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र गुवाहाटी छोड़कर अधिकांश व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र सामान्यतः निधियों के उपयोग तथा अप्रयुक्त निधियों को वापस करने संबंधी मामलों में कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र गुवाहाटी को जारी की गई निधियां, प्रयुक्त निधियां तथा बाद के वर्षों में उपयोग हेतु आगे ले जाई जाने वाली अप्रयुक्त निधियों संबंधी सूचना निम्न प्रकार है :-

वर्ष	स्वीकृत धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	आगे ले जाई गई धनराशि
1990-91	1,35,340 रु.	1,13,618 रु.	21,722 रु.*
1991-92	1,10,000 रु.	1,31,722 रु.**	शून्य
1992-93	2,23,000 रु.	2,14,648 रु.	08,352 रु.

* इसमें 1989-90 की 340 रु. की अप्रयुक्त धनराशि शामिल है।

** इसमें 1990-91 की 21,722 रु. की अप्रयुक्त धनराशि शामिल है।

[अनुवाद]

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सहायता

7393. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आतंकवाद का मुकाबला करने में हुए खर्च को पूरा करने हेतु राज्यों को सहायता देती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितना ऋण/सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिए गये ऋणों को बट्टे-खाते डालने तथा भविष्य में इस प्रयोजनार्थ होने वाले खर्चों को वहन करने का निर्णय लिया है।

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस शीर्ष के अंतर्गत तथा राज्यों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बदले प्रत्येक राज्य की ओर कितनी धनराशि बकाया है; और

(च) इन मामलों में राज्य सरकारों द्वारा ऋण की अदायगी के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विश्व बैंक द्वारा सहायता

7394. श्री प्रमथेश मुखर्जी :

श्री तारा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1995 के 'स्टेट्समैन' में "वर्ल्ड बैंक टु फन्ड वैलफेयर प्रोग्राम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो शुरू किए गये/किए जाने वाले उन कल्याण कार्यक्रमों, जिनके लिए विश्व बैंक सहायता देने पर सहमत हुआ है, का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक कुल कितनी सहायता देने पर सहमत हुआ है और क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन कल्याण कार्यक्रमों में सहभागी होने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) जी, हाँ। प्रस्तावित आर्थिक विकास परियोजना को भारत की 6 बाघ संरक्षण परियोजनओं सहित 7 वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन परियोजना क्षेत्रों के प्रबंधन को सुधारना, स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें आर्थिक विकास में शामिल करना और अनुसंधान तथा निर्माण संस्थाओं का विकास करना है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित परियोजना को विश्व पर्यावरण सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सह वित्तपोषित किए जाने की संभावना है जिसकी शेष लागत भारत सरकार वहन करेगी। परियोजना अभी निर्माणावस्था में है और इसका मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात् ही विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

[हिन्दी]

आयकर के छापे

7395. श्रीमती भावना चिखालिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1993 से 31 अक्तूबर, 1993 तक की अवधि में गुजरात में मारे गए आयकर के छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों से बिना हिसाब-किताब के कितने काले धन और सम्पत्ति का पता लगा;

(ग) इन धन सम्पत्तियों का नगर-वार मूल्य कितना है तथा इस संबंध में मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जनवरी, 1993 से 31 अक्तूबर, 1993 तक की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने गुजरात में 403 तलाशी संबंधी वारंटों पर कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 3011.25 लाख रु. की लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गईं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है।

विवरण

उप आयकर निदेशक (जाँच)	वारंटों की संख्या	अभिग्रहण (लाख रु. में) नकदी	जेवरात	अन्य	कुल
अहमदाबाद	143	237.17	411.19	721.51	1369.87
बड़ौदा	42	60.52	64.05	263.30	387.87
सूरत	104	92.77	156.15	354.91	603.83
राजकोट	114	227.28	225.48	196.92	649.68

[अनुवाद]

मूल्य वृद्धि

7396. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडिया हाउस वाइव्स फेडरेशन' ने सरकार से कम से

कम रसोई गैस सिलिंडर, शिशु आहार, दलहनों सहित अनाज, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक दवाओं के मूल्य को नियंत्रित/कम करने की अपील की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय गृहिणी परिसंघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में सरकार का ध्यान कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण गृहणियों को हुई कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया गया है। इसमें विशेष रूप से लिंगनाइट पैट्रोलियम गैस सिलिंडरों, शिशु खाद्यानों, अनाज और दालों, खाद्य तेलों, गर्भवती माताओं और शिशुओं के लिए औषधियां, विद्यालय तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रलेखन सामग्री, विद्यालय वर्दियों, दूध तथा कम कीमतों की शौचालय संबंधी सामग्री में किसी आगामी कीमत वृद्धि को रोके जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें दूरभाष संबंधी सेवाओं पर लगाए गए कर को हटाए जाने की आवश्यकता भी समझी गई है।

(ग) सरकार को विशेष रूप से उन मदों की उद्धर्वमुखी कीमतों के बारे में गम्भीर चिन्ता है जिनका न्यून आय से संबंधित परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार का यह देखना दृढ़ निश्चय है कि चालू वर्ष के दौरान गेहूँ, चावल, चीनी और खाद्य तेलों की कीमतें स्थिर रहती हैं। सुविधाजनक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की स्थिति के विचार को ध्यान में रखते हुए सरकार आयात के माध्यम से घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने से नहीं हिचकिचाएगी। वर्ष 1995-96 के बजट में उपभोक्ताओं के लिए घोषित उत्पाद और सीमा शुल्क में कमी के कुछ हितों का उद्योगों द्वारा पता लगाए जाने के लिए कुछ उपाए पहले ही शुरू किए गए हैं।

गैर सरकारी एयरलाइंस द्वारा करों का भुगतान

7397. श्री हरिन पाठक :

श्री लाल बहादुर रावल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी एयरलाइंस द्वारा भारत सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कितने प्रभारों/करों का भुगतान किया जाना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक गैर-सरकारी एयरलाइंस द्वारा कर और प्रभारों के रूप में भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है और 31 मार्च, 1994 तक प्रत्येक एयरलाइंस की ओर तत्संबंधी कितनी राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राइवेट एयरलाइनों द्वारा देय प्रभारों/करों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

- मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार;
- टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार;
- अवतरण, पार्किंग, हाउसिंग प्रभाग;
- हवाई अड्डों पर स्थान और भूमि के लिए लाइसेंस शुल्क;
- एक्स-रे सामान प्रभार
- अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर (आई.ए.टी.टी.)

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है।

(ग) जहां कहीं उपलब्ध है, सामान्यतया देयताओं को प्रतिभूति जमा के तहत समायोजित किया जाता है। जब देयताएं प्रतिभूति जमा से अधिक हो तो इन्हें कानूनी कार्यवाही करके वसूला जाता है। इसके अतिरिक्त चूककर्ता एयरलाइनों को उड़ानों के प्रचालन की अनुमति केवल प्रभारों की अग्रिम भुगतान पर ही दी जाती है।

विवरण - एक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग) द्वारा निजी एयरलाइनों से एकत्रित प्रभार

(लाख रुपयों में)

एयरलाइनों के नाम	मार्ग दिक्वालन सुविधा प्रभार			टर्मिनल दिक्वालन अवतरण प्रभार			अन्य			कुल		
	91-92	93-93	93-94	91-92	92-93	93-94	91-92	92-93	93-94	91-92	92-93	93-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिल्ली गल्फ एयरवेज़	0.001	0.15	0.16	0.003	0.30	-	-	0.060	0.210	0.004	0.510	0.370
इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज़	0.24	0.32	0.05	0.28	0.33	0.03	-	0.07	0.01	0.520	0.720	0.090
यू.बी. एयर	0.20	--	--	0.13	--	--	-	-	-	0.330	-	-
ट्रांस भारत एविएशन	0.05	0.31	0.07	0.10	0.69	0.14	-	0.10	0.08	0.150	1.100	0.290
एयर एशियाटिक एयरवेज़	0.46	--	--	0.40	--	--	-	-	-	0.860	-	-
कांटिनेंटल एविएशन	3.47	16.76	1.16	8.88	14.63	1.52	--	4.45	1.48	12.350	35.840	4.460
जगसन एयरलाइंस	0.40	2.52	1.13	0.29	1.87	0.75	--	0.57	0.67	0.690	4.960	2.550
ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस	--	159.73	412.69	--	133.26	413.08	--	38.70	91.62	--	331.690	917.390
सिटी लिंक एयरवेज़	--	15.87	9.48	--	11.79	8.10	--	1.29	0.43	--	28.950	18.010
दमानिया एयरवेज़	--	1.96	126.28	--	1.20	89.69	--	0.50	20.23	--	3.660	236.200
अर्चना एयरवेज़	--	--	5.05	--	--	3.55	--	--	1.68	--	--	10.280
एरियल एयरलाइंस	--	--	0.53	--	--	0.40	--	--	0.01	--	--	0.940
जेट एयरवेज़	--	--	407.15	--	--	229.04	--	--	48.12	--	--	684.310
मेगापोडे एयरलाइंस	--	--	0.10	--	--	0.29	--	--	--	--	--	0.390
एम एक्सप्रेस	--	--	105.31	--	--	81.13	--	--	27.84	--	--	214.280
राज एयर	--	--	7.91	--	--	8.39	--	--	2.27	--	--	18.570
सहारा एयरलाइंस	--	--	23.43	--	--	17.50	--	--	0.92	--	--	41.850
कुल :	4.821	197.62	1100.80	10.083	164.07	853.61	--	45.74	195.57	14.904	407.430	2149.980

टिप्पणी :

1. अन्यों में हाउसिंग और पार्किंग निगरानी एक्स-रे सामान काउंटर शुल्क-इत्यादि में वसूली शामिल है।

विवरण - दो

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

(अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग)

आरंभ से मार्च 1994 तक हवाई टैक्सी प्रचालकों से अर्जित राजस्व को दिखाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

एयरलाइनें		अवतरण और पार्किंग			किराया और स्थान			अन्य			कुल		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	कांटिनेंटल एविएशन	0.63	12.83	4.30	0.44	0.28	0.44	0.08	0.35	0.91	1.15	13.46	5.65
2.	इंडिया इंटरनेशनल	1.29	1.98	4.54	0.25	0.99	1.08	0.08	0.09	0.02	1.62	3.06	5.64
3.	ट्रांस भारत	0.25	0.53	0.41	0.29	1.19	1.30	0.09	0.09	0.11	0.63	1.81	1.82
4.	जगसन एयरलाइंस	0.24	1.44	1.09	0.02	1.59	1.39	0.00	0.08	0.09	0.26	3.11	2.57
5.	सिटी लिंक	0.00	16.59	10.47	0.00	1.17	2.02	0.00	3.78	3.36	0.00	21.54	15.85
6.	ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस	2.48	264.37	497.04	0.20	3.34	11.39	0.22	6.81	101.35	2.90	274.52	609.74
7.	सराया एविएशन	0.00	0.14	0.15	0.00	1.25	0.22	0.00	0.00	0.01	0.00	1.39	0.38
8.	जेट एयरवेज़	0.00	0.00	312.19	0.00	0.05	5.95	0.00	0.00	61.38	0.00	0.05	379.52
9.	मोदी लुफ्त	0.00	0.00	139.76	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	16.69	0.00	0.00	160.99
10.	अर्चना एयरवेज़	0.00	0.00	2.21	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	4.67
11.	कोसमोस एयरवेज़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.35
12.	दमानिया एयरवेज़	0.00	9.16	191.79	0.00	1.97	4.46	0.00	0.05	40.09	0.00	11.18	236.33
13.	बारोन एयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.31
14.	दिल्ली गल्फ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
15.	ओरियन्टल एयरलाइंस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.41
16.	सहारा इंडिया	0.00	0.00	39.06	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	49.62
17.	राज एयर	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	7.95
18.	एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
19.	एरियल सर्विसिज़	0.00	0.12	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.82
	योग :	4.89	307.16	1207.33	1.20	11.83	45.96	0.47	11.25	231.02	6.56	330.24	1484.31

विवरण - तीन

1991-92 से निजी एयरलाइनों द्वारा अदा की गयी आई.ए.टी.टी. की राशि

(लाख रुपये में)

	निजी एयरलाइनों के नाम	1991-92	1992-93	1993-94
	1	2	3	4
1.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज़	21.55	12.85	5.50
2.	यू.बी. एयर (प्रा.) लि.	8.68	--	--
3.	दिल्ली गल्फ एयरवेज़	--	2.97	1.59
4.	एयर एशियाटिक	--	--	--
5.	ट्रांस भारत एविएशन	2.40	8.01	2.62
6.	जंगसन एयरलाइंस	2.78	12.14	--
7.	कांटीनेंटल एविएशन	--	--	--
8.	ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस	प्रचालन में नहीं	--	163.20
9.	सिटी लिंक एयरवेज़	- वही -	--	--
10.	दमानिया एयरवेज़	- वही -	--	386.67
11.	उड़ान रिसर्च एंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट	- वही -	--	0.35
12.	गोवावेज एविएशन	- वही -	--	--
13.	पवन हंस	- वही -	प्रचालन में नहीं	2.11
14.	एरियल सिर्विसेज़ (प्रा.) लि.	- वही -	- वही -	2.44
15.	सहारा इंडिया	- वही -	- वही -	46.69
16.	मोदी लुफ्त लिमिटेड	- वही -	- वही -	209.96
17.	जेट एयरवेज़	- वही -	- वही -	985.82
18.	अर्चना एयरवेज़	- वही -	- वही -	22.38
19.	एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	- वही -	- वही -	--
20.	सराभा एविएशन	- वही -	- वही -	0.52
21.	राज एविएशन	- वही -	- वही -	--
22.	मैगापोड एयरलाइंस	- वही -	- वही -	2.03

ये आँकड़े एयरलाइनों द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर तैयार किए गए हैं।

विवरण - चार

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग

31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार निजी एयरलाइनों की ओर बकाया राशि

	एयरलांस के नाम	बकाया राशि (लाख रु. में)
1.	ईस्ट-वेस्ट एयरलांइस	140.21
2.	दमानिया एयरलाइंस	29.11
3.	जेट एयरवेज़	48.48
4.	सहारा एयरलाइंस	5.31
5.	मेगापोड	0.02
6.	राज एयर	0.94
7.	मोदी लुफ्त	0.19
8.	कंटीनेंटल एविएशन	14.13
	कुल :	238.39

विवरण - पाँच

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग

31.3.94 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि का विवरण

(लाख रु. में)

	विमान कंपनी	लैंडिग और पार्किंग	भाड़ा और स्थान	अन्य	योग
1.	कांटिनेंटल एविएशन	5.63	2.86	0.64	9.13
2.	इंडिया इंटरनेशनल	0.75	0.11	0.01	0.87
3.	ट्रांस भारत	0.22	0.15	0.02	0.39
4.	जगसन एयरलाइंस	0.57	1.70	0.05	2.32
5.	सिटी लिंक	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	28.95	4.02	10.27	43.24
7.	सराया एविएशन	0.17	0.06	0.01	0.24
8.	जेट एयरवेज़	12.93	5.20	0.56	18.69
9.	मोदी लुफ्त	0.57	0.53	2.68	3.78
10.	अर्चना एयरवेज़	0.00	0.28	0.68	0.96
11.	कॉसमोस एयरवेज़	0.00	0.21	0.00	0.21
12.	दमानिया एयरलाइंस	8.92	5.99	1.56	16.47
13.	बारोन एयर	0.00	0.02	0.03	0.05
14.	दिल्ली गल्फ	0.00	0.27	0.00	0.27
15.	ओरियन्टल एयरलाइंस	0.00	0.10	0.00	0.10
16.	सहारा इंडिया	9.96	1.28	1.69	12.93
17.	राज एयर	0.00	0.00	0.15	0.15
18.	एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	0.00	0.01	0.00	0.01
19.	एरियल सर्विसिज़	0.06	0.00	0.00	0.06
	योग :	68.73	22.79	18.35	109.87

विवरण - छः

31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार, प्रत्येक निजी एयरलाइनों पर बकाया आई.ए.टी.टी. की राशि

निजी एयरलान का नाम	आई.ए.टी.टी. की बकाया राशि (लाख रु. में)
1. मैसर्स एयर एशियाटिक	57.58
2. मैसर्स जेगसन एयरलाइंस	13.68
3. मैसर्स कांटीनेंटल एविएशन	74.85
4. मैसर्स ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस	600.74
5. मैसर्स सिटी लिंक एयरवेज़	60.15
6. मैसर्स दमानिया एयरवेज़	632.76
7. मैसर्स गोवावेज एविएशन	15.85
8. मैसर्स राज एविएशन	37.34

ये आँकड़े मुख्यत: एयरलाइनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश के निर्यातकों की मूलभूत आवश्यकता

7398. डा. वसंत पवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को कोई प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के सूरजपुर में एक निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है। वाणिज्य मंत्रालय में एक निर्यातोन्मुख उप-योजना स्कीम तैयार की जा रही है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को अनन्तिम तौर पर

एक ऐसे केन्द्र के रूप में चुना गया है जहाँ अवस्थापना संबंधी विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पटना में शयनशाला का निर्माण

7399. श्री लाल बाबू राय :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पटना में शयनशाला का निर्माण करने हेतु बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के आधार पर पटना साहिब में एक यात्रिका के निर्माण के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 21.93 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। यात्रिका के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए स्वीकृत की गई राशि के प्रति 10.00 लाख रुपये अग्रिम राशि जारी कर दी गई है।

[अनुवाद]

गैर सरकारी विमान कंपनियों के विमान बेड़े

7400. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में गैर सरकारी वाहक विमानों के लिए कार्यक्रम बनाए हैं;

(ख) क्या गैर सरकारी विमान कंपनियों ने अपने विमान बेड़ों में और विमानों को शामिल किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 29 सितम्बर, 1994 से निजी विमान कंपनियों को विमान/हेलिकॉप्टर आयात के लिए दी गयी अनुमति के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	संचालक का नाम	विमान/हेलिकॉप्टरों की संख्या
	1	2
1.	मैसर्स अर्चना एयरवेज़	4 विमान
2.	मैसर्स दमानिया एयरवेज़	1 विमान
3.	मैसर्स ईस्टर्न एयरवेज़	1 विमान
4.	मैसर्स ईस्ट इंडिया होटल	1 विमान
5.	मैसर्स गुजरात एयरवेज़	2 विमान
6.	मैसर्स इंडिया इंटरनेशनल	3 विमान और 3 हेलिकॉप्टर
7.	मैसर्स जगसन एयरलाइंस	1 विमान
8.	मैसर्स जैट एयरवेज़	3 विमान
9.	मैसर्स के.सी.वी. एयरलाइंस	4 विमान
10.	मैसर्स मेस्को एयरलाइंस	6 हेलिकॉप्टर
11.	मैसर्स मोदीलुफ्त	2 विमान
12.	मैसर्स एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	3 विमान
13.	मैसर्स राज एयर	3 विमान
14.	मैसर्स रेमंड वुलेंस	1 विमान
15.	मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइंस	2 विमान
16.	मैसर्स सराया एविएशन	1 विमान
17.	मैसर्स यू.पी. एयरवेज़	3 विमान

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाएं

7401. श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में महिलाओं हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए विश्व बैंक सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विश्व बैंक ने इस योजना के लिए कितनी राशि दी; और

(ग) ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है जहाँ इन संस्थानों को स्थापित किया जाना है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक सहायतित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें गुजरात सहित केन्द्र सरकार तथा 28 राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश प्रशासन हिस्सा ले रहे हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों हेतु परियोजना स्कीमों को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के ढांचे पर कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं होती है। केन्द्र सरकार को ही विश्व बैंक से ऋण की राशि प्राप्त होती है। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा बजट की व्यवस्था की जाती है। व्यय का पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

परियोजना के तहत भावनगर, विसनगर, उत्तरसंदा तथा बिल्लीमोरा स्थित चार नए महिला प्रशिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं। गुजरात सरकार द्वारा 1993-94 के दौरान 36.62 लाख रुपये के तथा 1994-95 के दौरान 45.43 लाख रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

भुगतान संतुलन संबंधी समिति

7402. श्री अंकुशराव टोपे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1993 में भुगतान संतुलन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह सिफारिश मुख्यतः मध्यमावधिक भुगतान संतुलन की नीति बनाने के उपायों से संबंधित है। इनमें विनिमय दर नीति, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार प्रबंध, विदेशी सहायता का उपयोग, वाणिज्यिक उधारों के प्रति दृष्टिकोण, अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों से संबंधित नीति-अन्तरण, अल्पावधिक ऋण का प्रबंध, विदेशी ऋण की संरचना के लिए नीतिगत और कार्यविधि संबंधी परिवर्तन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का संवर्धन और निर्यात संवर्धन संबंधी उपाय शामिल हैं।

(ग) से (ङ) समिति की कई सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं। इनमें से मुख्य, रुपये की विनिमय दर का एकीकरण, विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर रोक लगाने का अधिरोपण, अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों के खर्चीले और अस्थिर संघटकों में कमी करना, अल्पावधिक ऋण का अनुवीक्षण करना और निर्यात-आयात नीति का सरलीकरण करने से संबंधित है। रक्षा ऋण को वाणिज्यिक ऋण के रूप में दर्ज करने और भुगतान संतुलन आंकड़ों में संबंधित ऋण शोधन को मानने के सांख्यिकीय मुद्दों से संबंधित सिफारिशों को भी कार्यान्वित कर दिया गया है। कुछ सिफारिशों का स्वरूप सुझाव जैसा है जिन्हें संगत नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना होगा।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की विदेशों में तैनाती

7403. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की विदेश में तैनाती के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) वर्ष 1990 से इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कितने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की विदेशों में तैनाती की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) एयर इंडिया के अधिकारियों की विदेशों में तैनातियों हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :-

(1) रिक्ति का होना।

(2) वरिष्ठता

(3) अच्छे सेवा रिकार्ड, प्रभावशाली सम्प्रेषण कौशल तथा तैनाती के देश की जीवन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन क्षमता के लिहाज से उपयुक्तता।

(4) जो लोग विदेशों में तैनात नहीं किए गए हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है तथा उनके बाद उन व्यक्तियों को भेजा जाता है जो अपनी अंतिम तैनाती के बाद सबसे अधिक समय तक भारत में रहे हों।

(5) विदेशों में तैनातियों के लिए पदों का कोई आरक्षण नहीं है।

इंडियन एयरलाइंस में विदेश स्थित स्टेशनों पर स्टाफ की तैनाती के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं :-

(1) अपने वर्तमान अथवा पिछले ग्रेड में अधिकारी की इससे पूर्व विदेश में तैनाती न हुई हो।

(2) वरिष्ठता/योग्यता को यथोचित महत्व।

(3) अधिकारी के विरूद्ध कोई सतर्कता संबंधी मामला लम्बित/प्रस्तावित न पड़ा हो।

(4) अधिकारी की भारत में कम-से-कम एक तैनाती हो चुकी हो।

(5) अधिकारी की तैनाती के समय उसकी न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा शेष हो।

(6) विदेशों में तैनाती अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए।

(ख) इंडियन एयरलांइस और एयर इंडिया द्वारा 1990 से विदेशों में तैनात किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :-

इंडियन एयरलाइंस	- 16
एयर इंडिया	- 71

(अधिकारियों एवं अन्य स्टाफ सहित)

धागों के मूल्य

7404. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाइलॉन फिलामेंट धागों और पॉलिएस्टर फिलामेंट धागों के उत्पादकों द्वारा की गई हाल की मूल्य वृद्धि की जाँच आरम्भ की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जाँच पूरी हो गई है;

(ग) यदि हाँ, तो जाँच के परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मूल्य में वृद्धि करने के लिए धागा उत्पादकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) नाइलॉन फिलामेंट यार्न तथा पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न दोनों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के लिए कोई जाँच शुरू नहीं की गई है। तथापि, सरकार ने औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा उद्योग के वर्तमान ढांचे का अध्ययन कराने का निर्णय लिया है। इस अध्ययन में लागत एवं मूल्य संबंधी घटक भी शामिल होंगे।

मल्होत्रा समिति

7405. श्रीमती सरोज दुबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीमा क्षेत्र में सुधारों के संबंध में मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर अमरीका ने हाल ही में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। 17 अप्रैल से 20 अप्रैल, 1995 तक भारत में अमरीका के वित्त मंत्री की यात्रा के दौरान विचार-विमर्श का केन्द्र बिन्दु भारत और अमरीका के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध को सुदृढ़ बनाने से सम्बद्ध था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कपास का आयात/निर्यात

7406. श्री गुमान मल लोढा :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान कपास का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया;

(ग) इस अवधि के दौरान कपास का कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसका मूल्य कितना है; और

(घ) इस अवधि के दौरान कपास के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के कपास मौसम के दौरान अभी तक जर्मनी, बेल्जियम तथा जापान को लगभग 50.10 करोड़ रुपये मूल्य की कपास की 68,700 गांठों का निर्यात किया गया।

(ग) वर्ष 1994-95 के कपास मौसम के दौरान लगभग 176 करोड़ रुपये मूल्य की अपरिष्कृत कपास की 1,59,800 गांठों का आयात किया गया।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान कपास के निर्यात से लगभग 16.21 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया।

बेरोज़गार लोगों को बैंकों से ऋण

7407. डा. परशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने बेरोज़गार लोगों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने उद्योग विभाग के पास ऋण हेतु अपने फार्म जमा कराए हैं तथा इनमें से कितने लोगों को ऋण स्वीकृत किए गए; और

(ग) सभी आवेदकों को ऋण स्वीकृत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन बेरोज़गार व्यक्तियों की संख्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है जिन्हें वर्ष 1994-95 के दौरान प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पी. एम.आर.वाई.) के अंतर्गत बैंकों ने ऋण मंजूर किये हैं।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में पी. एम.आर. वाई. योजना के अंतर्गत स्पष्ट लक्ष्य 27,400 निर्धारित किया गया था। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1994-95 के दौरान पी. एम.आर.वाई. योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त आवेदनों को जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए बैंकों को संस्तुत किए गए आवेदनों और मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है :-

• आवेदनों की संख्या

जिला उद्योग केन्द्रों को प्राप्त	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत	बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋण
82318	53752	22826

(ग) जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रायोजित आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं : परियोजनाओं की अनर्थक्षमता और आवेदनों का पी. एम.आर.वाई. योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा न करना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	19484
2.	असम	6404
3.	बिहार	10532

1	2	3
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	702
5.	गोवा	192
6.	गुजरात	5715
7.	हरियाणा	4588
8.	हिमाचल प्रदेश	2202
9.	जम्मू व कश्मीर	1880
10.	कर्नाटक	13727
11.	केरल	10240
12.	मध्य प्रदेश	21840
13.	महाराष्ट्र	23230
14.	मणिपुर	2004
15.	मिज़ोरम	80
16.	उड़ीसा	5474
17.	पंजाब	5357
18.	राजस्थान	7646
19.	तमिलनाडु	14537
20.	त्रिपुरा	733
21.	उत्तर प्रदेश	22826
22.	पश्चिम बंगाल	6624
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	59
24.	अरुणाचल प्रदेश	166
25.	चंडीगढ़	165
26.	दादर व नगर हवेली	100
27.	दमन व दीव	52
28.	नागालैंड	191
29.	लक्षद्वीप	12
30.	मेघालय	312
31.	पांडिचेरी	476
32.	सिक्किम	75
	कुल :	187625

वस्त्रों की उत्पादन लागत

7408. डा. चिन्ता मोहन :

श्री नितीश कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के दूसरे वस्त्र-निर्यातक देशों की तुलना में देश में वस्त्र का उत्पादन-मूल्य अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में वस्त्र उद्योग में सूत कताई से लेकर कपड़े की बुनाई तक विभिन्न स्तरों पर इसकी उत्पादन-लागत के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो धागे के उत्पादन, वस्त्र बुनाई तथा रूई की धुनाई के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन की औसत दर कितनी-कितनी है; और

(ङ) यह उत्पादन लागत चीन, पाकिस्तान और अमरीका जैसे अन्य देशों की तुलना में कितनी अधिक है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) कपड़े की उत्पादन लागत विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि कच्चे माल की लागत, वेतन, विद्युत, मजदूरी, विनिर्माण मशीनों की लागत, प्रौद्योगिकी का स्तर, ब्याज दर, वित्तीय प्रभार आदि। कपड़े का निर्माण करने के लिए अपेक्षित विभिन्न मदों की लागत पर अन्य देशों से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, सरकार वस्त्र उद्योग में हो रहे विकास पर कड़ी निगरानी रखती है ताकि कपड़े की कीमतें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाई जा सकें। जब कभी-भी वस्त्र उद्योग के किसी भी क्षेत्र में कोई संकट उत्पन्न होता है तो नीति संबंधी हस्तक्षेप करके उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

[अनुवाद]

रोज़गार

7409. श्री रवि राय :

श्री एस. एम. लालजान बाशा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2002 तक पूर्ण रोज़गार का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्व-रोज़गार अवसरों में वृद्धि करने और कुशल श्रमिकों को श्रमिक बाजार की माँग के अनुरूप तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना की रोज़गार नीति में रोज़गार गहन क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों तथा गतिविधियों की तीव्र वृद्धि की परिकल्पना की गई है। योजना में अर्थव्यवस्था की 5.6% वृद्धि दर के समनुरूप औसतन 2.6% से 2.8% प्रति वर्ष के लगभग रोज़गार वृद्धि या औसतन प्रतिवर्ष 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार अवसरों की परिकल्पना की गई है।

9वीं योजना में इस वृद्धि दर के जारी रहते औसतन प्रतिवर्ष 9.5 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार अवसरों से 2002 ई. तक लगभग पूर्ण रोज़गार की स्थिति लाई जानी संभावित है।

2. स्व रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने तथा श्रम बाजार की माँग के अनुरूप कुशल कामगारों की पुनः संरचना हेतु निम्नलिखित विशेष कदम उठाये गये हैं :-

(i) पाँच महत्वपूर्ण योजनायें यथा; (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) (ख) स्व रोज़गार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम), (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा

बच्चों का विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), (घ) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औज़ारों की आपूर्ति तथा (ङ) प्रधान मंत्री रोज़गार योजना (पी. एम.आर.वाई.) क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ii) आधुनिक उपकरणों को प्राप्त कर, नये रोज़गारोन्मुख व्याव्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को शुरू करके, शिक्षण सामग्री का नवीनीकरण इत्यादि करके देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसंरचना का विस्तार तथा आधुनिकीकरण, जिससे कि रोज़गार चाहने वालों की रोज़गार क्षमता में सुधार हो सके।

(iii) राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर.एफ.) के अंतर्गत नया कौशल प्रदान करने के लिए कामगारों को प्रशिक्षण एवं पुन: प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे कि नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उद्योगों के आधुनिकीकरण द्वारा उन्हें पुन: समायोजित किया जा सके।

भारतीय जीवन बीमा निगम की खराब ग्राहक सेवा

7410. डा. आर. मल्लू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी धारकों के बजाये अपने साम्य पूँजी निवेश की ओर अधिक ध्यान दे रहा है; और

(ख) पॉलिसी धारकों की बेहतर सेवा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए निवेशों का लक्ष्य प्रीमियम द्वारा अर्जित आय पर पॉलिसी धारकों के रिटर्न को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना है। यह पॉलिसी धारकों को दी जाने वाली सेवाओं का एक आवश्यक अंग है। निवेश कार्य और पॉलिसी धारकों के हितों के बीच कोई विरोध नहीं है। जबकि जीवन बीमा निगम का सम्पूर्ण संगठन शाखा, मंडल और क्षेत्रीय स्तरों पर पॉलिसी धारकों को दी जाने वाली ग्राहक सेवा में सुधार करने हेतु प्रयास कर रहा है, फिर भी निवेश प्रक्रिया जो उच्चतर रूप से तकनीकी से संबंधित है, का संचालन केन्द्रीय स्तर पर जीवन बीमा निगम के निगमित कार्यालय पर किया जा रहा है।

(ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि पॉलिसी धारकों की सभी सेवाएं पॉलिसी धारकों को उनके निकटतम स्थान पर तीव्र और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए शाखाओं को विकेन्द्रीकृत कर दी गई हैं। जीवन बीमा निगम ने अस्वीकृत दावों का समय-समय पर पुनरीक्षण करने के लिए शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर दावा पुनरीक्षण समितियां स्थापित की हैं। जीवन बीमा निगम की भूमिका के बारे में पॉलिसी धारकों की अपेक्षाओं को जानने के लिए ग्राहकों की बैठक और उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दमानिया एयरलाइंस

7411. डा. लाल बहादुर रावल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमानिया एयरवेज़ ने दूर-दराज के क्षेत्रों और अलाभकारी क्षेत्रों में अपनी उड़ानें संचालित करने के लिए राजसहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) अलाभकारी सैक्टरों पर प्रचालन हेतु राज सहायता देने का प्रश्न कुछ गैर-सरकारी प्रचालकों ने मंत्रालय में दिनांक 12.2.1994 को हुई बैठक में उठाया था।

(ख) 1 मार्च, 1994 के बाद की अवधि के लिए राज सहायता प्रदान करने के मामले में सभी अनुसूचित वाहकों को इंडियन एयरलाइंस के समान ही माना जाएगा और कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा।

चाय का आयात-निर्यात

7412. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का घरेलू बाजार में चाय की कमी को पूरा करने के लिए चाय की सस्ती किस्मों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1995-96 के दौरान चाय की कुल कितनी मात्रा का आयात किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या चाय की बढ़िया किस्मों का निर्यात और घटिया किस्मों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेष रूप से चाय की घटिया किस्म के आयात पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) चाय की घरेलू बाजार में कोई कमी नहीं है इसलिए देश में बिक्री के लिए चाय के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन चाय के आयात की अनुमति केवल निर्यातोन्मुख इकाइयों, निर्यात संसाधन क्षेत्र की इकाइयों द्वारा और आयात एवं निर्यात नीति की शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत उस मामले में की जाती है जब उसे भारतीय चाय के साथ मिश्रित कर उसका पुन:निर्यात किया जाना हो।

भारतीय कम्पनियों द्वारा पुन: निर्यात के लिए चाय का आयात, ऐसे चाय का आयात करने वाली अलग-अलग इकाइयों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करेगा। इसलिए 1995-96 के दौरान ऐसी इकाइयों द्वारा आयात की जाने वाली चाय की मात्रा और क्वालिटी का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

सरकार का प्रयास यह है कि चाय के निर्यात से अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाए। निर्यातोन्मुख इकाइयों और निर्यात संवर्धन

क्षेत्र की इकाइयों को जिन्हें पुनर्निर्यात के लिए चाय के आयात की अनुमति दी गई है उन्हें न्यूनतम 40% का मूल्यवर्द्धन प्राप्त करना होता है।

[हिन्दी]

कतार के लिए एयर इंडिया की उड़ान

7413. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इंडिया द्वारा कतार की उड़ान पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) कतार एयरवेज़ भारत के लिए अपनी सेवाओं का प्रचालन एक तदर्थ हकदारी के अंतर्गत कर रही थी जिसे द्विपक्षीय आधार पर सीमित अवधि के लिए स्वीकार किया गया था। जब इस तदर्थ हकदारी की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, तब कतार के नागर विमानन प्राधिकारियों ने 20 अप्रैल, 1995 से एयर इंडिया को दोहा के लिए अपनी सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी। मामले को राजनैतिक स्तर पर उठाया गया और दोहा के लिए एयर इंडिया की उड़ानों के प्रचालन की 23.4.1995 को अनुमति दी गई। 20 से 23 अप्रैल, 1995 के बीच की अवधि के दौरान, एयर इंडिया की केवल एक अनुसूचित उड़ान में व्यवधान आया था।

[अनुवाद]

शेयर बाजार में भारतीय यूनिट ट्रस्ट

7414. श्री विजय एन. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1995 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने शेयर बाजार में पिछले कई माह से निरंतर विक्रय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वाले अधिसंख्य निवेशकों का विश्वास बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हाँ। तथापि, यू.टी.आई. ने बताया है कि वह बाजार में निरन्तर विशुद्ध विक्रेता नहीं रहा है। स्टॉक मूल्यों में सितम्बर, 1994 से निरन्तर गिरावट के चालू फेज के दौरान यू.टी.आई. ने कुल 1100 करोड़ रुपये से अधिक के निवल क्रय किये हैं।

(ग) यू.टी.आई. निवेशकों को अधिकतम प्रतिफल देने के विवेकपूर्ण मानदण्डों को अपनाता है। यू.टी.आई. के अधिकांश इक्विटी फंडों का निष्पादन बाजार सूचकांकों से अधिक रहा है। इसके अतिरिक्त, यू.टी. आई. ने निवेशक सेवाओं के स्तर को भी बढ़ाया है। परिणामस्वरूप 1994-95 के प्रथम दस महीनों के दौरान यह विभिन्न स्कीमों के तहत लगभग 15,000 करोड़ रुपये जुटा सका।

विमान यातायात में वृद्धि

7415. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 के दौरान भारत के घरेलू परिवहन के क्षेत्र में विमान यातायात में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान इंडियन एयरलाइंस और गैर-सरकारी एयरलाइनों द्वारा अलग-अलग कुल कितना विमान यातायात किया गया;

(ग) विमान यातायात में भारी वृद्धि के क्या कारण हैं और गत वर्ष की तुलना में विमान यातायात में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान विमान यातायात की वृद्धि से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान वाहित अन्तर्देशीय यात्रियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	इंडियन एयरलाइंस	प्राइवेट ऑपरेटर	कुल (लाख में)
1993	67.4	20.9	88.3
1994	68.9	36.1	105.0

एयरलाइनों और विमान यात्रियों को बढ़े हुए अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना और उदारीकृत आर्थिक नीति के कारण अर्थव्यवस्था का सामान्य विकास होना आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे अन्तर्देशीय हवाई यातायात में वृद्धि हुई है।

(घ) अन्तर्देशीय एयरलाइनों की यातायात संबंधी माँग को पूरा करने के लिए यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर सेवाएं शुरू करने/बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाती है। बढ़ते हुए यातायात से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की भी योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय निवेश

7416. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय निवेश हेतु नए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके क्रियान्वयन हेतु मानदंडों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विदेशों में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रायल के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशी उद्यमों में सीधे भारतीय निवेश संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में 2 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के निवेश के लिए जिसमें नगद भुगतान 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होना चाहिए त्वरित स्वीकृति क्रियाविधि की पहले से ही व्यवस्था है। इस सीमा से अधिक की राशि से संबंधित मामलों पर एक अन्तर-मंत्रालयी समिति द्वारा विचार किया जाता है और सामान्यतया 90 दिन के अंदर निर्णय सूचित कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में बैंकों का नकद जमा अनुपात

7417. **श्री बीर सिंह महतो : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में वार्षिक आधार पर कुल कितनी धनराशि औसत रूप से जमा की गई;

(ख) वार्षिक आधार पर कुल कितनी राशि औसत रूप से ऋण के रूप में प्रदान की गई; और

(ग) राज्य में ऋण देने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का क्या विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) मार्च 1992, 1993 और 1994 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमा राशियां और सकल बैंक ऋण नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपये में)

	1992	1993	1994
जमाराशियां	11826,01	13640,99	15552,50
ऋण	5953,04	7012,39	7169,81

भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) की आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऊपर बताये गये अनुसार बकाया जमाराशियों और ऋण के बारे में सूचना प्राप्त होती है और न कि औसतों के बारे में।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में निम्न ऋण जमा अनुपात के कारणों का पता लगाने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल के निष्कर्षों/सिफारिशों पर विचार करने के लिए बाद में आयोजित बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में ऋण जमा अनुपात और बैंक की देय राशियों की वसूली में सुधार लाने के लिये राज्य सरकार और बैंकरों द्वारा संयुक्त प्रयास किये जाने पर सहमति हुई थी।

सरकारी प्रतिभूतियाँ

7418. **श्री अनन्तराव देशमुख : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1995 के दौरान अब तक कितनी बार नीलामी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 से केन्द्रीय सरकार का बाजार उधार ब्याज की बाजार से संबंधित दरों पर है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामियों में निर्धारित किया जाता है। बाजार से संबंधित ब्याज दरों की ओर परिवर्तन आवश्यक था क्योंकि पहले की पद्धति जिसमें सरकार ने रिज़र्व बैंक या वाणिज्यिक बैंकों से कृत्रिम दरों पर भारी मात्रा में उधार लिया, के कारण मुद्रास्फीति दबाव बढ़ा और बैंकिंग पद्धति की सुदृढ़ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा था।

(ग) वर्ष 1995-96 में अब तक 1000 करोड़ रुपये का बाजार ऋण जुटाने के लिए दिनांक 4.5.1995 को एक नीलामी आयोजित की गई थी।

गुजरात में गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाएं

7419. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में किन-किन स्थानों पर गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितनी कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को गुजरात में कार्य करने की अनुमति दी है;

(ग) क्या सरकार को इनमें से कुछ संस्थाओं द्वारा जमाकर्ताओं को ठगने और फंसाने की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) इन संस्थाओं को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पूंजी निवेश

7420. **श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने प्रतिभूतियों, शेयरों, ऋण पत्रों (डिबेंचरों) तथा अन्य कार्यों में कुल कितना पूँजी निवेश किया;

(ख) 31 मार्च, 1995 तक यू.टी.आई. ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनता से कुल कितनी धनराशि जुटाई; और

(ग) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट को इसकी विभिन्न योजनाओं से यूनिट-वार कितनी आय हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31 मार्च, 1995 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के 61546 करोड़ रुपये के विशिष्ट निवेश है।

(ख) 31 मार्च, 1995 तक विभिन्न योजनाओं के तहत भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जुटाई गई वर्ष-वार राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 1992-93 के दौरान 51 योजनाओं से हुई सकल आय 5533 करोड़ रुपये थी और 1993-94 के दौरान 54 योजनाओं से हुई सकल आय 7909 करोड़ रुपये थी। चालू वर्ष की स्थिति के अन्त अर्थात् 30 जून, 1995 के बाद ज्ञात होगी।

विवरण

सभी योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार बिक्री

(बिक्री करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि (अंकित मूल्य)
1	2
1964-65	19.14
1965-66	2.15
1966-67	9.24
1967-68	15.34
1968-69	17.16
1969-70	22.83
1970-71	18.00
1971-72	15.11
1972-73	23.17
1973-74	30.64
1974-75	17.24
1975-76	28.97
1976-77	34.59
1977-78	73.27
1978-79	101.53
1979-80	57.85
1980-81	52.10
1981-82	157.37
1982-83	166.90
1983-84	330.16
1984-85	756.19
1985-86	891.75
1986-87	1,261.06
1987-88	2,059.42
1988-89	3,855.01
1989-90	5,583.59
1990-91	4,552.95
1991-92	12,182.35
1992-93	6,492.00
1993-94	10,711.55
1994-95(*)	9,960.99

(*) 31 मार्च, 1995 तक

आयकर और उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

7421. श्री अमर रायप्रधान :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक आयकर और उत्पाद शुल्क की कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) उन शीर्षस्थ बकायादारों के नाम क्या हैं जिन पर आयकर और उत्पाद शुल्क की अधिकतम धनराशि बकाया है और प्रत्येक मामले में कितनी बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ग) सरकार कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युतकरघा क्षेत्र

7422. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत की यात्रा पर आए फिलीपींस शिष्टमंडल ने देश के विद्युतकरघा क्षेत्र में गहरी रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) जी, हाँ। हालांकि न तो कोई करार किया गया है अथवा उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, फिर भी, प्रतिनिधि मंडल ने विद्युतकरघा क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के प्रति रूचि दिखाई है।

बंगलौर विमानपत्तन पर कार्गो काम्प्लेक्स का दर्जा बढ़ाना

7423. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर विमानपत्तन पर कार्गो काम्प्लेक्स का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग) बंगलौर में हवाई कार्गो काम्प्लेक्स का संचालन मैसर सेल्स (इंटरनेशनल) लिमिटेड, द्वारा किया जाता है जो कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस कार्गो काम्प्लेक्स के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

वस्त्रों का निर्यात

7424. श्री मंजय लाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में भारतीय वस्त्रों के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी दूर करने के लिए ब्लाक स्तर पर वस्त्र उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने विश्व बाजार में भारतीय परिधानों के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, विदेशों में हमारे मिशन तथा हमारी निर्यात संवर्धन परिषदें विभिन्न देशों को परिधानों के निर्यात की संभावना के बारे में समय-समय पर अपना मूल्यांकन देती रहती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घाटा/लाभ

7425. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1993-94 के दौरान सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितनी धनराशि का लाभ हुआ और कितना घाटा हुआ;

(ख) इनमें घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इस घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अर्जित लाभ और उठायी गई हानियों की राशि का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(रुपये लाख में)

बैंक सहकारी	संख्या	लाभ	हानि
एस.सी.बी.	1	703.88	--
	25	171.68	--
डी.सी.सी.बी.	15	--	683.29
एम.पी.एल.डी.बी.	1	118.35.	--
डी.एल.डी.बी.	45	--	5699.69 (संचित)
आर.आर.बी.	24	--	5455.20

मध्य प्रदेश में 5 डी.सी.सी.बी. के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) विभिन्न बैंकों द्वारा उठायी गई हानियों के मुख्य कारण हैं : निधियों के अभिनियोजन की बहुत कम संभावना, निम्न मार्जिन वाले अतिदेय राशियों की अधिकता; कारोबार का निम्न स्तर, अशोध्य ऋण इत्यादि। सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने बैंकों की क्षमता में सुधार लाने और भविष्य में उनकी हानियों को नियंत्रित करने के लिये महत्वपूर्ण उपाय किये हैं। इनमें से कुछेक हैं - उधारकर्ताओं के गैर लक्ष्यगत समूह को ऋण देना, कारोबार के दायरे और सेवाओं की संभावनाओं को बढ़ाना, घाटे में चलने वाली शाखाओं का पुनर्आबंटन, अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नये मार्ग खोलना इत्यादि। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे 5 वर्ष के भीतर स्थायी अर्थक्षमता की प्राप्ति के लिये बैंक विशेष विकास कार्य योजना तैयार करें। राज्य की कार्य योजनाओं और विकास कार्य योजनाओं के आधार पर देश में सभी राज्य सहकारी बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बेंक सम्बद्ध राज्य सरकार, नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही हैं।

[अनुवाद]

उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा रिकार्डों में हेरा-फेरी

7426. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा बैंकों के पास बंधक रखे गए स्टॉक के साथ हेरा-फेरी के कतिपय मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की हेरा-फेरी की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की धोखाधड़ी के विभिन्न प्रकार के मामलों की भारतीय रिज़र्व बैंक मानीटरिंग करता है। बैंकों से प्राप्त सूचना के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उधार लेने वाली कंपनियों द्वारा बैंकों के पास बंधक रखे गए स्टॉक के साथ हेराफेरी करने के संबंध में 1992-94 के दौरान एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की धोखाधड़ी के चार मामले थे। धोखाधड़ी के इन चार मामलों में 7.23 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी।

बंधक रखे गए स्टॉक के साथ हेराफेरी करने की संभावना को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई सलाह में ये शामिल हैं : गिरवी/बंधक रखे गए सामान के प्रति उधार लेने वाले के हक का अत्यंत सावधानी के साथ सत्यापन करना, ऋण लेने वालों द्वारा बैंकों को आवधिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना, बैंकों द्वारा स्टॉक विवरणों की संवीक्षा करना, समय-समय पर स्टॉकों का प्रत्यक्ष सत्यापन करना, जिस गोदाम में गिरवी रखा गया सामान रखा गया है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेष दल द्वारा सामान का अचानक निरीक्षण करना आदि।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

7427. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों में कार्यरत हथकरघा बुनकरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दोनों अर्थात् केन्द्र तथा राज्य सरकारें अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण/संशोधन हेतु समुचित सरकारें हैं। राज्य सरकारें हथकरघा बुनाई नियोजन में लगे कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण/संशोधन हेतु समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध तब किसी भी हथकरघा बुनाई प्रतिष्ठान पर लागू होते हैं यदि इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित नियोजन के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है।

कुछ दूसरे देशों द्वारा अवैध व्यापार

7428. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ दूसरे देश घरेलू बाजार में अप्राकृतिक नकली जवाहरात को असली जवाहरात के रूप में बेच रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) ऐसे अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार को इस अवैध व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं। सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि घरेलू बाजार में कृत्रिम/नकली रत्न-पत्थरों को असली रत्नों के रूप में बेचा जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि ऋण

7429. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों की वसूली में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वसूली प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वित्तपोषण करने वाली विभिन्न एजेंसियों की पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूली की औसत प्रतिशतता नीचे दी गई है :-

एजेंसी	माँग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता		
	1991-92	1992-93	1993-94
(एक) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	66	68	68
(दो) राज्य सहकारी बैंक (एस.सी.बी.)	76	88	89
(तीन) भूमि विकास बैंक (एल.डी.बी.)	50	52	57
(चार) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.)	42	41	उ.न.
(पांच) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	54	56	उ.न.

(ग) बैंकों के वसूली कार्य में सुधार करने के लिए सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(एक) वसूली प्रबंधन को विकास कार्य योजना (डी.ए.पी.) का

महत्वपूर्ण घटक बनाया गया है। अर्थक्षमता प्राप्त करने के लिए इसे सभी बैंकों द्वारा तैयार करना अपेक्षित है।

(दो) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि अपनी देय राशियों की वसूली के लिए अपने प्रायोजक बैंकों प्रक्रियात्मक मामलों के संबंध में आवश्यक मार्गनिर्देशों के साथ वे लोक अदालत/लोक न्यायालय का उपयोग करें। साथ वे लोक अदालत/लोक न्यायालय का उपयोग करें।

(तीन) बैंकों के वसूली कार्य को ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति/जिला समन्वय समिति/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मंचों पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है।

(चार) आई.आर.डी.पी. के तहत देय राशियों की वसूली के लिए निरंतर और सतत् प्रयास करने हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) को मजबूत बनाया गया है।

(पाँच) नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को मजबूत करने की पहल की है जिन्हें यह कहा गया है कि वे नाबार्ड द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार अपने डी.ए.पी. तैयार करें। इन डी.ए.पी. में कार्य बिन्दुओं के आधार पर नाबार्ड के साथ संबंधित राज्य सरकारों और राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में बैंक शाखाएं

7430. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1994-95 के दौरान कुछ बैंक शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बैंकों की कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कारोबार बढ़ाने में पर्याप्त रूचि लें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : क) से (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वर्तमान नीति के अंतर्गत शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को वर्ष-वार लक्ष्य आबंटित नहीं किए जाते हैं। तथापि, वर्ष 1994-95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 9 शाखाएं खोलीं गई थीं। बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र योजना के भीतर पहचान किये गये और विधिवत् संस्तुत सम्बद्ध राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त ग्रामीण केन्द्रों में शाखायें खोलने के प्रस्ताव पर भारतीय रिज़र्व बैंक गुण-दोषों के आधार पर विचार करता है।

[हिन्दी]

देश में सोने का लाया जाना

7431. **श्री अमर पाल सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में लाये गये सोने की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है और इसका एक बड़ा भाग तस्करी के द्वारा लाया जाता है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने सोने का आयात किया गया; और

(ग) सरकार ने सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए सोने की मात्रा का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष	यात्री असबाब के रूप में आयातित सोने की मात्रा	विशेष अग्रिम लाइसेंसों के अन्तर्गत आयातित सोने की मात्रा
		(मीट्रिक टन में)
1992 (मार्च-दिस.)	92.3	--
1993	116.3	--
1994	159.7	18.7

इस प्रकार देश में वैध रूप से आयातित सोने की आवक में वृद्धि हुई है। चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तस्करी द्वारा लाए गए सोने की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि वर्ष 1992 से सोने के आयात को उदार बनाने के पश्चात् सोने की तस्करी में कमी आई है।

(ग) देश में खपत के लिए वैध रूप से आयातित सोने को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यात्री असबाब स्कीम के अंतर्गत आयात सहित सोने के आयात को उदार बनाया है। सोने की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने के लिए तस्करी-रोधी एजेंसियां सतर्क रहती हैं। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने के कार्य में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय निवेश केन्द्र

7432. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निवेश केन्द्र के कार्यकरण की पुनरीक्षा हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है और इस समिति को क्या कार्य सौंपा गया है; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सहायता से विकसित पर्यटन स्थल

7433. डा. साक्षीजी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से विकसित किए गए पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं तथा ये कहाँ-कहाँ स्थित हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त पूर्ण और अपयुक्त प्रस्तावों के आधार पर उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1993-94 में 151.04 लाख रुपये और 1994-95 में 168.06 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की थी। संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता

1993-94		(लाख रु. में)
1		2
1.	मुरादनगर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.35
2.	फरेंदा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.27
3.	शाहगंज में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	8.28
4.	सरधना (जिला मेरठ) में पर्यटक लॉज	13.48
5.	कांडला में पर्यटक-लॉज	10.07
6.	बटेश्वर में पर्यटक-लॉज	13.59
7.	बटेश्वर में घाटों का सुधार	20.00
8.	ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट	23.97
9.	जश्ने-अवध	4.70
10.	अकबर उत्सव	2.88
11.	नोएडा में गोल्फ कोर्स	37.45
	कुल	151.04

1		2
1994-95		
1.	सारनाथ में पर्यटक स्वागत-केन्द्र	28.24
2.	सारनाथ में मनन केन्द्र	64.71
3.	चौखण्डी स्तूप के इर्द-गिर्द विकास	3.40
4.	वाराणासी घाटों पर स्मारों की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	16.50
5.	श्रावस्ती में रेस्तरां और प्रतीक्षा हाल	12.26
6.	कुशीनगर में रेस्तरां और प्रतीक्षा हाल	12.25
7.	पलिया में रेस्तरां और प्रतीक्षा हाल	12.26
8.	प्रचार, मेले और उत्सव	
	(1) ताज महोत्सव	5.00
	(2) अवध उत्सव, लखनऊ	2.34
	(3) प्रचार साहित्य का मुद्रण	11.10
	कुल	168.06

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में बैंकों का ऋण जमा अनुपात

7434. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रति वर्ष औसतन कुल कितनी धनराशि जमा की गई;

(ख) प्रति वर्ष औसतन कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ग) राज्य में ऋण प्रक्रिया से संबंधित कार्य के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) मार्च 1993, मार्च 1994 और दिसम्बर 1994 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल जमाराशियां और सकल बैंक ऋण नीचे दिया गया है :

(राशि लाख रुपए में)

		मार्च 1993	मार्च 1994	दिसम्बर 1994
1.	जमा	33048,82	37015,66	39862,51
2.	ऋण	22541,70	25262,21	28108,44

भारतीय रिज़र्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऊपर बताए गए अनुसार बकाया जमाराशियों और ऋणों के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, न कि वार्षिक औसत के संबंध में।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(एक) राज्य सरकार के प्राधिकारियों से प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए आवश्यक आधारभूत सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(दो) राज्य के अग्रणी बैंकों से अनुरोध किया गया है कि जिन

जिलों में ऋण जमा अनुपात 60 प्रतिशत से कम हे, वे उन जिलों में ऋण जमा अनुपात का अपेक्षित स्तर प्राप्त करें।

(तीन) ऋण संवितरण की राज्य स्तरीय बैंकर समिति की तिमाही बैठकों और जिला स्तर की जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों में समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक निगरानी

7435. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मैक्सिको संकट को ध्यान में रखते हुए देश की आर्थिक निगरानी करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोष द्वारा ऐसी निगरानी स्वीकार कर ली है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस निगरानी में निहित शर्तों का ब्यौस क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार अन्तर्नियम सभी सदस्य देशों, जिसमें देशों की विनिमय व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा निगरानी शामिल है, पर लागू होते हैं। यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निरीक्षण करने और सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली बनाये रखने की अपनी आधारिक भूमिका उचित रूप से निष्पादित करे। यह एक नया प्रस्ताव नहीं है, इसलिए, सभी देश जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, करार अन्तर्नियमों से बंधे हुए हैं। मैक्सिको संकट के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी करने की भूमिका बड़े रूप में केन्द्रित होकर सामने आई। इस संदर्भ में 26 अप्रैल, 1995 को वाशिंगटन डी.सी. में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अंतरिम कमेटी की बैठक में, बढ़े हुए भौगोलिकरण और बाजारों के एकीकरण को देखते हुए सब एकमत थे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निगरानी को संतुलित रूप से सुदृढ़ बनाया जाए।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

7436. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948' को समुचित ढंग से लागू किया गया है तथा किन-किन राज्यों में इसे समुचित ढंग से लागू नहीं किया गया है; और

(ख) खेतिहर मजदूरों की मजदूरी से संबंधित वर्षों से लम्बित विवादों की संख्या कितनी है तथा इन लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सिक्किम राज्य को छोड़कर जिसमें इस अधिनियम को अभी लागू किया जाना है, में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य सरकारें, समुचित सरकारों के रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रवर्त्तन के लिए उत्तरदायी हैं। अधिनियम के उपबंधों का पालन किए जाने के उद्देश्य से समुचित सरकारों ने प्रवर्त्तन तंत्र गठित किए हैं। प्रवर्त्तन तंत्र नियमित निरीक्षण आयोजित करते हैं और जब कभी भी अधिनियम में किसी उल्लंघन की बात उनकी जानकारी में आती है, आवश्यक कार्रवाई की जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उल्लंघन के राज्य-वार मामलों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्त्तन संबंधी ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले वर्षों (1992-94) में पता लगाए गए उल्लंघनों की संख्या	चलाए गए अभियोग	वसूल की गई राशि (रु. में)	लगाए गए अर्थ दंड (रु. में)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	717	--	--	--
2.	आंध्र प्रदेश	11,462	शून्य	2,94,49,057	--
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	202	13	--	--
5.	बिहार	51,922	92	3,100	15

1	2	3	4	5	6
8.	दादरा और नगर हवेल	1	1	--	--
9.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	गुजरात	--	11,372	15,55,927	2,61,645
11.	गोवा	3,601	371	--	1,26,375
12.	हरियाणा	9,089	6,139	--	1,18,335
13.	हिमाचल प्रदेश	232	232	--	48,870
14.	जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
15.	कर्नाटक	21,388	1,888	12,48,934	1,22,990
16.	केरल	5,800	224	--	--
17.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	महाराष्ट्र	8,56,641	1,116	1,79,48,000 --	
19.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मणिपुर	1,850	13	--	--
21.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	मध्य प्रदेश	1,358	1,358	--	--
23.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उड़ीसा	3,963	1,582	12,72,103	28,225
25.	पंजाब	3,004	2,425	--	--
26.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	राजस्थान	3,985	1,994	59,68,552	2,81,781
28.	सिक्किम		न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अभी लागू किया जाना है		
29.	तमिलनाडु	4,723	5,127	--	7,78,210
30.	त्रिपुरा	3	3	--	--
31.	उत्तर प्रदेश	उ.न.	23,107	उ.न.	उ.न.
32.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

उ.न. - उपलब्ध नहीं

टिप्पणी - बिहार के संबंध में सूचना 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों से ली गई है और अप्रैल, 93 से सितम्बर, 1995 की अवधि से संबंधित है।

[अनुवाद]

आमों का निर्यात

7437. श्री जे. चोक्का राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश से कुल कितनी मात्रा में आमों का निर्यात किया जायेगा और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है;

(ख) क्या आमों के निर्यातकों को कोई विशेष प्रोत्साहन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) आम सहित कृषिजन्य वस्तुओं के लिए कोई राज्यवार निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) तथा (ग) आम तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात के लिए दिए जाने वाले कुछ प्रोत्साहन इस प्रकार हैं :-

(एक) अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना जैसे विशेषीकृत परिवहन एककों की खरीद, प्रीकूलिंग/कोल्डस्टोरेज सुविधाओं की स्थापना;

(दो) ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग केन्द्रों नीलामी केन्द्रों, पकाई/क्यूरिंग हेतु खत्तों की स्थापना और गुणवत्ता परीक्षण उपस्करों की खरीद के लिए आसान ऋण देना;

(तीन) उन्नत पैकेजिंग और क्वालिटी नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

बोइंग 777 विमान का कार्य-निष्पादन

7438. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी बोईंग विमान 777 हाल ही में प्रदर्शन उड़ान और इसके साथ-साथ उड़ान परीक्षण की श्रृंखला के एक भाग के रूप में हाल ही में भारत पहुंचा था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कार्य निष्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोइंग कम्पनी से एयर इंडिया को 777 विमान लम्बे मार्गों पर चलाए जाने की पेशकश की है;

(घ) क्या बोइंग कम्पनी ने एयर इंडिया को 10 नए 777 विमानों के लिए प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) अमेरिका की मैसर्स बोइंग कंपनी अपनी ही पहल पर दिनांक 24-25 अप्रैल, 1995 को प्रदर्शन दौरे के अंग के रूप में एक बोइंग 777 विमान भारत लाई थी। किसी भी विमान के कार्यनिष्पादन का पूर्ण मूल्यांकन प्रदर्शन उड़ानों में नहीं किया जा सकता। विमान बेड़े में शामिल करने हेतु मध्यम क्षमता लंबी दूरी के विमान का चयन करने के लिए एयर इंडिया ने एक तकनीकी आर्थिक अध्ययन शुरू किया है। बी 777 के अलावा फ्रांस की एयरबस इण्डस्ट्री के एयर बस ए 340 विभाग तथा अमेरिका की मैकेडोनेल डगलस एयर क्राफ्ट कंपनी के एम डी 11 विमान का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

पक्षियों के टकराने से हुई दुर्घटनाएं

7439. श्री एम. जी. रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान पक्षियों के टकराने की कितनी घटनाओं से इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित हुई;

(ख) इस कारण कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों को प्रभावित करने वाले विमानों की पक्षी से टकराने की घटनाओं की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

वर्ष	घटनाओं की संख्या
1992-93	71
1993-94	105
1994-95	102

(ख) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइंस को हुई कुल अनुमानित हानियां 231.48 लाख रुपये थी।

(ग) पक्षी टकराने को रोकने के लिए उठाए गये कदमों में, प्रत्येक हवाई अड्डे पर हवाई क्षेत्र वातावरण प्रबंध समिति गठित की गई है। पक्षी संत्रास की रोकथाम के लिए बड़े हवाई अड्डों पर कार्रवाई योजना तैयार की गई है। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने प्रचालनात्मक क्षेत्रों को समतल करने, जल ठहराव रोकने के लिए प्रभावी निकासी प्रणाली का निर्माण, दूब घास लगाने, भवनों से कबूतरों को हटाने, हवाई अड्डा भस्मकों की स्थापना करने और पक्षियों को डराने जैसे उपाय किये हैं जिससे हवाई अड्डा क्षेत्रों पर से पक्षी आकर्षण स्रोत को दूर किया जा सके।

नाबार्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश के लिए धन का आबंटन

7440. श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और इससे कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ख) अब तक कितनी ऋण की वसूली की जा चुकी है; और

(ग) इस राज्य हेतु नाबार्ड द्वारा तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु 1995-96 के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को पुनर्वित की सुविधा प्रदान करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश को योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा प्रयोजनवार वितरणों का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि इन योजनओं से लाभान्वित हुए किसानों की संख्या से संबंधित जानकारी और उधारकर्ता-वार वसूली की जानकारी उसके पास नहीं है क्योंकि इसकी जानकारी उन वित्तीय संस्थाओं द्वारा रखी जाती है जो नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करते हैं।

(ग) नाबार्ड योजनाएं तैयार नहीं करता है। तथापि वर्ष, 1995-96 के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न योजनाओं (योजनाबद्ध ऋणों) के अंतर्गत बैंकों का वित्तपोषण करने के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए पुनर्वित्त का आबंटन नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपये में)

उद्देश्य	आबंटन
1	2
लघु सिंचाई	15700
भूमि विकास	105
फार्म यंत्रीकरण	3061
वृक्षारोपण/बागवानी	1463
डेयरी विकास	290

1	2
वानिकी	45
मुर्गीपालन/भेड़ पालन/ सुअर पालन	4962
आई.आर.डी.पी.	2662
गैर कृषि क्षेत्र	2268
कुल	33850

विवरण

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश में योजनाबद्ध ऋण के तहत नाबार्ड द्वारा प्रयोजनवार संवितरण

प्रयोजन	संवितरित पुनर्णित	(लाख रू.)
	1993-94	1994-95
लघु सिंचाई	13705	12758
भूमि विकास	327	91
फार्म यंत्रिकरण	4429	3852
वृक्षारोपण/बागवानी	1449	1236
मुर्गी/भेड़/सूअर पालन	2267	4324
मत्स्यन	3475	6854
डेयरी विकास	1081	671
भण्डारण और मार्केट यार्ड	7	76
वानिकी	354	88
बायो गैस	-	-
गैर कृषिक्षेत्र	988	2791
आई आर डी पी	4939	2949
अन्य	524	449
योग :	33545	36139

बालिका बंधुआ मजदूरी

7441 श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बालिका बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बंधित श्रम प्रथा समाप्त कर दी गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिका बंधुआ श्रम भी शामिल है।

भारत सरकार बंधित श्रम प्रथा को पूर्णत: समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। अभिज्ञात बंधुआ श्रमिकों के तेजी से पुनर्वासे के लिए 1978 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रचलन में है जिसके अंतर्गत मुक्त करवाए गए बंधित श्रमिकों को 6250/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यय को केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 आधार पर समान रूप से वहन किया जाता है। राज्य सरकारों को भी सलाह दी गयी है कि इस योजना को चलाई जा रही अन्य गरीबी अन्मूलन योजनाओं के साथ जोड़ें जिससे बंधुआ श्रमिकों के प्रभावी पुनर्वास के लिए उपलब्ध संसाधनों को एकत्र किया जा सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण को समृद्ध क्षेत्रों में दिया जाना

7442. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और निर्धन क्षेत्रों के ऋण को समृद्ध क्षेत्रों में दिए जाने की प्रवृति निरंतर बढ़ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए बैंकिंग पद्धति में किए गये सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने हेतु इन क्षेत्रों में बैंक सेवाओं के विस्तार के लिए कदम उठा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) अखिल भारत स्तर पर ऋण जमा अनुपात (सी.डी.आर.) मार्च 1992 के अंत के 61.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 1994 के अंत तक 56.6 प्रतिशत रह गया है। उपर्युक्त प्रवृति के अनुरूप कुछ पिछड़े राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भी इस अवधि के दौरान अपने ऋण जमा अनुपात में गिरावट दर्शायी है। ऋण के संवितरण से संबंधित अंतरक्षेत्रीय और अंत: क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं :

(1) बैंकों से अपने ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के लिए कम से कम 60 प्रतिशत ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने के लिए कहा गया था;

(2) कुछ राज्यों में निम्न ऋण जमा अनुपात के कारणों का पता लगानेके उद्देश्य से कृतिक बलों का गठन किया गया था। उन अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, जहाँ ऋण जमा अनुपात निम्न है और जहाँ विशेष कृतिक बलों का गठन नहीं किया गयां है, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंकों से स्थिति में सुधार लाने के तौर-तरीके और साधन पर विचार विमर्श करने और उसका पता लगाने हेतु विशेष बैठकें आयोजित करने के लिए कहा था।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों को 'रिवार्ड पैकेज'

7443. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को 'रिवार्ड पैकेज' दिये जाने संबंधी प्रस्ताव का कोई विरोध हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें यह 'पैकेज' कब से दिया जायेगा;

(घ) क्या इस पृथक 'पैकेज' से बैंकिंग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अन्य बैंकों के लिए भी इसी तरह के 'पैकेज' देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस प्रकार के किसी रिवार्ड पैकेज का प्रस्ताव नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर) के लिए दिनांक 29.10.1993 को उद्योग स्तर पर हस्ताक्षरित पेंशन समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए एक पैकेज लागू किया गया था, जिसमें विशेष प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान पात्र कर्मचारियों को एक स्टेज ऊपर फिटमेंट, नियत व्यक्तिगत भत्ता और वर्तमान पेंशन योजना में मामूली सुधार शामिल है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पेंशन समझौते में लगभग 400 करोड़ रुपये वार्षिक का परिव्यय अंतर्ग्रस्त था। चूंकि उद्योग स्तर पर किए गए समझौते के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने कतिपय अतिरिक्त लाभों की माँग की ताकि उन्हें किए गए समझौते के अनुसार अन्य बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रदान किए लाभों की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस माँग के अनुसरण में, सरकार ने सादृश्यता बनाए रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु अलग मौद्रिक पैकेज के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ दोनों ने इस पैकेज का विरोध किया है। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 29.10.1993 के समझौते के प्रावधानों के अनुसार, सादृश्यता बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान किया है, इसलिए अन्य बैंक कर्मचारियों को समान पैकेज प्रदान करने का कोई मामला नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि विशेष प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान पहले ही आरम्भ हो गया है और अन्य लाभ शीघ्र प्रदान किए जाएंगे।

व्यापार घाटा

7444. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 में व्यापार घाटा कितना रहा;

(ख) आयात-निर्यात और व्यापार घाटे की वार्षिक दर क्या रही;

(ग) किन-किन प्रमुख वस्तुओं की आयात वृद्धि दर अधिक रही;

(घ) किन-किन प्रमुख वस्तुओं की निर्यात वृद्धि दर कम थी; और

(ङ) क्या सरकार 1995-96 के दौरान नीतिगत मामले के रूप में आयात को कम करके और निर्यात को बढ़ाकर इस प्रवृति को नियंत्रित करने और व्यापार घाटा कम करके और निर्यात को बढ़ाकर इस प्रवृति को नियंत्रित करने और व्यापार घाटा कम करने के लिए प्रयास करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत का व्यापार घाटा अनन्तिम रूप से 2028 मिलियन अमरीकन डॉलर (6367 करोड़ रु0) होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान निर्यात-आयात तथा व्यापार घाटे में प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है :-

	अमरीकन डॉलर में	रुपये में
निर्यात	18.3	18.4
आयात	21.7	21.8
व्यापार घाटा	95.2	95.4

नोट : वर्ष 1994-95 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) नवीनतम उपलब्ध व्यापार आंकड़ा, जो अप्रैल-फरवरी, 1994-95 से संबंधित हैं, के अनुसार जिन वस्तुओं की वृद्धि दरें आयातों की औसत वृद्धि दर से ज्यादा हैं, उनमें प्रमुख हैं - खाद्य तेल, चीनी, अलौह धातुएं, धात्विक अयस्क तथा धातु छीलन, लुगदी तथा अवशिष्ट कागज, बिजली संबंधी मशीनरी के अतिरिक्त मशीनरी, परिवहन उपकरण, परियोजना वस्तुएं, लोहा और इस्पात, काजूगिरी, सिन्थीटिक और रिजेनेरेटिड रेशे, कोयला कोक तथा ब्रिकेट, गैर-धात्विक खनिज उत्पाद।

(घ) वे मुख्य उत्पाद जिनकी अप्रैल-फरवरी, 1994-95 के दौरान निर्यात वृद्धि दर अप्रैल-फरवरी, 1993-94 की तुलना में कम रही वे हैं : चाय, चावल, तम्बाकू, मूंगफली, खाद्य तेल, शैलाक, चीनी और शीरा, स्पिरीट एवं पेय, लौह अयस्क, अभ्रक, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरी सामान, प्राकृतिक रेशम के वस्त्र, कालीनें तथा अवशिष्ट सहित कच्ची रूई।

(ङ) सरकार की नीति आयातों को दबाने की नहीं है। तथापि, सरकार का ध्यान निर्यात संवर्धन पर केन्द्रित है क्योंकि यह बाहरी क्षेत्र के प्रबंधन की कुंजी है। विदेशी मुद्रा भंडार के वर्तमान स्तर को देखते हुए 2028 मिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा (1994-95) नियन्त्रणीय सीमा के अंदर है। सरकार का उद्देश्य मध्यम अवधि में इस व्यापार घाटे को पूरा करने का है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

7445. श्री एन.जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में गुजरात में बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ कोई परियोजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इस योजना के अंतर्गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने बच्चों का पुनर्वास किया गया; और

(घ) खतरनाक उद्योगों से कितने बच्चों को मुक्त कराया गया ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम (आई.पी.ई.सी./आई.एल.ओ.) जिनमें भारत एक भागीदार है, के अंतर्गत इस समय गुजरात में दो कार्रवाई कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन हैं - जामनगर में एक जिसका लक्ष्य 100 बाल श्रमिक हैं तथा दूसरा अहमदाबाद में जिसका लक्ष्य 250 बालक हैं इन दोनों कार्यक्रमों के लिए कुल बजट 5,95,202 रु. है।

(घ) जोखिम वाले उद्योगों से मुक्त कराये गए बालकों की संख्या नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के लाभ में कमी

7446. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान एयर इंडिया के लाभ में तेजी से आ रही कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने 1992-93 से एयर इंडिया के कार्य-निष्पादन में आई कमी की समीक्षा करने का आदेश दिया है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एयर इंडिया के तत्कालीन प्रबंधकों द्वारा विकसित हिसाब-किताब की इस नई रचनात्मक प्रणाली पर अपना मत व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) वर्ष 1993-94 में एयर इंडिया ने 201.90 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया, जबकि वर्ष 1992-93 में यह लाभ 333.14 करोड़ रुपये था। यह कमी निम्नलिखित कारणों से आई थी :-

(1) यात्री भार गुणक का वर्ष 1992-93 के 64.6% से गिरकर 1993-94 में 59.6% रह जाना।

(2) भंडार और कल-पुर्जों को पुन: श्रेणीबद्ध करने के कारण कलपुर्जों और औज़ारों के अप्रयुक्तप्राय: होने के कारण एकमुश्त 40 करोड़ रुपये का प्रावधान करना।

(3) तीन बोइंग 747-400 विमान शामिल करने पर मूल्यह्रास और वित्त पोषण प्रभारों में वृद्धि होना।

(4) विमानों के अनुरक्षण/मरम्मत के लिए 43.80 करोड़ रुपये मूल्य का बढ़ा हुआ सामान उपभोग तथा बाहरी मरम्मत।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में कम्प्यूटर जनित अपराध

7447. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल, 1995 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" नई दिल्ली "केसिस ऑफ कम्प्यूटर क्राइम्स इन बैंक्स आन द राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) कम्प्यूटरीकरण की क्या-क्या खामियां हैं जिनके कारण एक आपरेटर किसी विशिष्ट एकाउंट में शेष राशि में वृद्धि कर सकता हैं;

(घ) क्या मानवीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने से चोरी के मामलों की तुलना में इलैक्ट्रोनिक मशीन द्वारा निधि अंतरण से अनेक गुणा धोखाधड़ी होती है; और

(ङ) कम्प्यूटीकरण तंत्र के अंतर्गत समुचित लांगत इत्यादि को सुनिश्चित करने और कमियों को दूर करने तथा इस प्रकार इलैक्ट्रानिक धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। सरकार ने प्रश्न में संदर्भित समाचार मद को देखा है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिने कर्मियों के लिये सामूहिक बीमा

7448. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सभी सिने कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ सिने-निर्माताओं ने हाल ही के वर्षों में इस निधि में अपना अंशदान जमा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में सामूहिक बीमा योजना को पूरे देश में सिने-कर्मियों पर लागू करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसे किस रूप में कार्यान्वित किया जाएगा; और

(छ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में लघु उद्योगों को बैंक ऋण

7449. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यंह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान लघु उद्योग स्थापित करने के लिए तमिलनाडु में बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई;

(ख) कुल लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है और इनमें महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान ऐसे ऋण की राशि बढ़ाने के लिए सरकार/बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय 2 अक्तूबर, 1993 को शुरू किये गये प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये मंजूर किये गये ऋणों से है। पीएमआरवाई योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग, सेवा और कारोबार के माध्यम से स्वरोजगार का कार्य शुरू करने के लिए सब्सिडी और मार्जिन राशि सहित 1 लाख रुपए तक बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। पीएमआरवाई योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु राज्य के लिये वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मंजूर किये गये मामलों की संख्या और मंजूर की गई राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	मंजूर किये गये मामलों की संख्या	मंजूर की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1993-94	2469	15.13
1994-95	13283	71.99

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

पीएमआरवाई योजना के अंतर्गत आंकड़ा सूचना प्रणाली से न तो लघु उद्योग के लिये और न ही महिला हिताधिकारियों के लिये अलग-अलग सूचना प्राप्त होती है।

(ग) पीएमआरइवाई योजना के अधीन राज्यों को भौतिक लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान पीएमआरवाई योजना के अंन्तर्गत तलिनाडु राज्य के लिये क्रमश: 3560 और 17400 थे। तमिलनाडु राज्य के लिये वर्ष 1995-96 के वास्ते भौतिक लक्ष्य 21,800 निर्धारित किया गया है।

मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों द्वारा विदेशों की यात्रा

7450. श्री शिव शरण वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों की यात्रा पर जाने के इच्छुक राज्य सरकार के मुख्य मंत्रियों तथा मंत्रियों को कतिपय निर्धारित दिशानिदेशों/मानदंडों का पालन करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों के उन मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशों की यात्रा की, यात्रा का प्रयोजन क्या था तथा उन पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रियों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य से विदेशी दौरों के प्रस्ताव पर दौरे के विषय से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ परामर्श करके आर्थिक कार्य विभाग में कार्यवाही की जाती है। उसी समय विदेश मंत्रालय से राजनीतिक अनुमति प्राप्त की जाती है। उन मामलों में जहां विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया जाना होता है, गृह मंत्रालय से भी एफ.सी.आर.ए. के अन्तर्गत अनुमति दिए जाने के लिए परामर्श किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में विकास परियोजनाएं

7451. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई और अहमदाबाद सहित अपने अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर लगभग 731 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी अन्य परियोजनाओं और प्रत्येक ऐसी परियोजना में प्रस्तावित पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(घ) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण तथा विकास पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, विमानपत्तन-वार, कितनी धनराशि अब तक खर्च की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) बम्बई हवाई अड्डा तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है परन्तु अहमदाबाद हवाई अड्डा अंतर्देशीय हवाई अड्डा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले किये गये 731 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 555.18 करोड़ रुपए के संशोधित परिव्यय का प्रस्ताव किया है। हवाई अड्डों

और अन्य आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है जिसे प्रक्षेपित आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय और अंतर्देशीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विकास के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक खर्च की गयी राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	**अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे**	**अंतर्देशीय हवाई अड्डे**
		(करोड़ रुपए में)
1992-93	58.23	75.38
1993-94	79.31	253.54
1994-95	71.56	308.66

प्राधिकारण की बड़ी परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(1) बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण

(2) हवाई अड्डा निगरानी रडार और मोनोपल्स गौण निगरानी रडारों की प्राप्ति

(3) उपस्कर अवतरण प्रणालियों की प्राप्ति

(4) आदर्श हवाई अड्डों का विकास

(5) बम्बई हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्री टर्मिनल कॉप्लेक्स (चरण-3) का निर्माण

(6) बम्बई हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय टर्मिनल कॉम्पलेक्स (चरण-2) का निर्माण।

निर्यात में वृद्धि

7452. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

श्री लाईता उम्ब्रे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे निर्यात और आयात में वार्षिक आधार पर वृद्धि दर में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक निर्यात और आयात की अलग-अलग वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निर्यात और आयात की वृद्धि पर निर्धारित लक्ष्य की दरों के अनुरूप रही हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) व्यापार घाटे में कमी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आयात एवं निर्यात में डालर मूल्य की दृष्टि से वृद्धि-दर निम्नानुसार रही -

	निर्यात (प्रतिशत वृद्धि)	आयात (प्रतिशत वृद्धि)
1992-93	3.8	12.7
1993-94	20.0	6.5
1994-95	18.3	21.7

अ: आंकड़े अनन्तिम

आयात तथा निर्यात विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। इनकी वृद्धि दर भी अलग-2 होती है। इन दोनों के बीच सही सन्तुलन तो केवल संयोगवश ही हो सकता है।

(घ) तथा (ङ) आयात्त तो जरूरत के अनुसार किया जाता है। अत: आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। वर्ष 1992-93 के लिए निर्यात की लक्ष्यित तथा वास्तविक वृद्धि दरें निम्नानुसार हैं :-

	लक्षित वृद्धि दर	वास्तविक वृद्धि दर
1992-93	12.8 प्रतिशत	3.8 प्रतिशत
1993-94	20.0 प्रतिशत	20.0 प्रतिशत

वर्ष 1994-95 के लिए कोई औपचारिक निर्यात-लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था किन्तु, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया था कि वे वर्ष 1994-95 के दौरान 25 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करें। वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात में धीमी वृद्धि का मूल कारण यह रहा कि सी आई ए और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में गिरावट रही, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में मन्दी का रूख रहा और विश्व व्यापार में धीमी वृद्धि रही।

(च) निर्यात वृद्धि एक ऐसा प्रमुख कारक होता है जो व्यापार घाटे में कमी करने में सहायक होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, सरकार ने एक सशक्त निर्यात वृद्धि को प्रेरित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं। घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अवसरों तथा चुनौतियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से जुलाई, 1991 में भारतीय व्यापार नीति को उदार बनाया गया था और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें तब से निरन्तर संशोधन किया जाता रहा है। दिनांक 31.3.1995 को उदारीकृत व्यापार नीति के लक्ष्य ये हैं - व्यापार के लिए एक खुला माहौल बनाना, निर्यात उत्पादन को सुदृढ़ करना, क्रियाविधियों के सरलीकरण तथा सुव्यवथीकरण द्वारा क्रियाविधियों की बाधाएं समाप्त करना, निर्यात उत्पादन बढ़ाना, कार्यकुशलता में सुधार करना तथा प्रतिस्पर्धा में तेजी लाना, निविष्टियों की उपलब्धता को सुगम बनाना, क्वालिटी तथा तकनालाजी उन्नयन पर विशेष ध्यान देना और निर्यात संवर्धन के लिए योजनाएं लागु करना तथा उन्हें सुदृढ़ करना। कम ब्याज दर के निर्यात ऋण उपलब्ध कराने और निर्यात और निर्यात उत्पादन पर कर से छूट प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य

से व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रों और संबंधित संस्थाओं के परामर्श से कदम उठाए जाते हैं।

उड़ान समय

7453. **श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार अधिकतर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तथा पर्यटकों की अधिक भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने के लिए अपनी उड़ान समय-सारणी को संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटल मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) फिलहाल इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान अनुसूची को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रमिक कल्याण कोष

7454. **श्री लाल बाबू राय : क्या श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को उनके लिए बनाए गए कल्याण कोष से धनराशि निकालने में अनेक कठिनाईयां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कल्याण उपायों के लिए धनराशि के आवेदन हेतु सरल प्रक्रिया बनाने के संबंध में क्या व्यवस्था की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याण संगठनों के श्रमिकों को कल्याण कोष का लाभ उठाने में हुई कठिनाईयों के बारे में राज्यवार कितनी शियकतें मिली हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) विभिन्न कल्याण योजनाओं, जिनका ध्येय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आमोद-प्रमोद सुविधाएं प्रदान करना है, को वित्त पोषित करने के लिए बीड़ी, खान (चूना पत्थर और डोलोमाईट, लौह/मैंगनीज/क्रोम और अभ्रक) और सिने कर्मकारों के लिए कल्याण निधियां स्थापित की गई हैं। इन निधियों में से अंशदाताओं द्वारा धन निकालने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक धोखाधड़ी

7455. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मार्च, 1995 के ''पायनियर में सीबीआई अनअर्थस रूपीज 90 लाख बैंक फ्रॉड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा की गई जांच से पता चला है कि मैसर्स छाबड़ा टैक्सटाइल मिल्स और मैसर्स अंचल सिल्क एण्ड साड़ीज के उधार खातों की मंजूरी और संचालन में तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा कतिपय चूकें/अनियमितताएं की गईं थीं। पता चला है कि इन अधिकारियों ने तदर्थ/उच्चतम सीमा की सिफारिश करके और खातों के संचालन में बहुत से विपरीत लक्षणों के बावजूद कतिपय अन्य सुविधाओं की अनुमति देकर इन फर्मों को अनुचित लाभ दिया है। बैंक ने अपनी देयराशियों की वसूली के लिए पहले ही मुकदमा दायर कर दिया है। बैंक का संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामल में बैंक के 5 कर्मचारियों और कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध दो मामले भी दर्ज किए हैं।

हुबली विमानपत्तन

7456. **श्री के. एच. मुंनियप्पा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों से हुबली विमानपत्तन के लिए टैक्सी विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार हुबली विमानपत्तन की स्थिति को बेहतर बनाने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटल मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हुबली के लिए उड़ानों की संख्या, प्रचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, विमान कम्पनियों द्वारा तय की जाती हैं।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 11.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से हुबली विमानपत्तन पर सुविधाओं में सुधार करने हेतु योजनाएं हैं। प्रस्तावित सुधार कार्यों में टर्मिनल भवन और धावनपथ का अनुरक्षण, पहुंच मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था तथा जलापूर्ति का संवर्धन करना शामिल है।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ

7457. **श्री लाईता उम्ब्रे :**

श्रीमंती सरोज दुबे :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) ने 1995-96 के दौरान 250.70 करोड़ रुपए का कारोबार करके 30.51 करोड़ रुपये निवल लाभ अर्जित किया;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 की तुलना में लाभ की वृद्धि दर क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर अरूणाचल प्रदेश में आई.टी.डी.सी. के कारोबार में सुधार लाने तथा इसके नेटवर्क एवं आपरेशन का विस्तार करने हेतु कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1995-96 के दौरान कारोबार एवं लाभ बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटल मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम ने 227.82 करोड़ रुपये के कुल कारोबार पर 42.25 करोड़ रुपये का निवल लाभ (कर से पहले) दर्ज किया है जो वर्ष 1993-94 के लाभ के मुकाबले 75.9% की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) से (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1995-96 में अरूणाचल प्रदेश सहित देश में किसी भी नए होटल के निर्माण के लिए किसी विशिष्ट योजनागत स्कीम/प्रावधान करने पर कोई विचार नहीं किया गया है। तथापित वर्ष 1995-96 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के व्यवसायिक कारोबार/लाभ में सुधार लाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में, प्रगतिशील विपणन प्रयास, विशेष टैरिफ/पैकेजिस आरम्भ करना, प्रचालन लागतों का उन्नयन/सुधार/पुनर्संरचना और नियंत्रण करना, उचित प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन का विकास करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

7458. डा. परशुराम गंगवार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात से वर्ष 1994-95 के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) किन-किन देशों द्वारा हमारे सिले-सिलाए वस्त्रों का आयात किया जा रहा है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : वर्ष 1994-95 के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा लगभग 4,433.83 मिलियन अमरीकी डालर थी।

(ख) भारतीय सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात अनेक देशों को किया जाता है। यूरोपीय यूनियन देश, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, स्विटजरलैंड, कनाडा, जापान तथा आस्ट्रेलिया, भारतीय सिले-सिलाए परिधानों के कुछ प्रमुख आयातक हैं।

[अनुवाद]

आकाश में टकराने की घटनाएं

7459. श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मई, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि विमान चालकों ने आकाश में टकराने की घटनाओं के लिए भीड़ भरे कारीडोरों को उत्तरदायी माना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में इंडियन कमर्शियल पाइलटस एसोसिएशन की ओर से भी कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है?

नागर विमानन और पर्यटल मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। प्रतापगढ़, त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के ऊपर विमानों के टकराते-टकराते बचने की तीन तथाकथित घटनाओं की रिपोर्ट मिली थी।

(ग) जी, हां

(घ) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) अहमदाबाद में अतिरिक्त क्षेत्र नियंत्रण केन्द्र की स्थापना;

(2) दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों का आधुनिकीकरण;

(3) प्रमुख हवाई अड्डों पर अत्याधुनिक रडारों का संस्थापन और हवाई यातायात प्रबंध का स्वचालन;

(4) देश में चरणबद्ध रूप से प्रमुख अंतर्देशीय हवाई मार्गों पर हवाई भू-अति उच्च आवृत्ति संचार सुविधा के विस्तारित परास की व्यवस्था करना।

एयर टैक्सियों के लिए नई सुरक्षा संहिता

7460. डा. लाल बहादुर रावल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर टैक्सियों के लिए नई सुरक्षा संहिता तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो नए दिशा-निर्देशों और पुराने दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दिशा-निर्देश इंडियन एयरलाइन्स पर भी लागू होते हैं और यदि हां, तो वे निजी विमान कम्पनियों से किस प्रकार भिन्न हैं; और

(घ) क्या कुछ निजी विमान कम्पनियों को विमानों में शराब और बियर परोसने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो अधिक यात्री आकर्षित करने और शराब न पीने वाली महिलाओं और बच्चों सहित

अन्य सहयात्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और इस संबंध में किस प्रकार की एवं कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स और गैर-सरकारी विमान कम्पनियों पर एक समान मार्गदर्शी-सिद्धान्त लागू होते हैं

(घ) जी, नहीं। अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं पर विमानों में शराब/बीयर परोसने पर 27 जून, 1994 से प्रतिबंध लगा हुआ है।

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का विभाजन

7461. श्री एस. एम. लालजान वाशा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश के विभाजन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) एससीआईसीआई लि. कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कम्पनी है और इसका संचालन निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों के द्वारा किया जाता है। एससीआईसीआई लि. के विभाजन का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

निर्यातकों को मूलभूत ढांचागत सुविधाएं

7462. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के समीप निर्यातकों को मूलभूत ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक होल्डिंग कम्पनी स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना में पूंजी निवेश के लिए कोई निश्चित राशि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ये सुविधाएं कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने निर्यातकों के लिए मूलभूत ढांचागत सुविधाओं में सुधार करने बाद निर्यात के लक्ष्यों में काफी वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (छ) निर्यातकों को इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली के निकट अवस्थापना संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक सेटेलाइट फ्रेट सिटी योजना विचाराधीन है। किन्तु, इस योजना पर कोई अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय

7463. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक के नए भवन का इस बीच निर्माण हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब हुआ और इसमें कार्य शुरू कर रहे विभागों/कार्यालयों का ब्यौरा क्या है और वहां कौन-कौन से कार्यालय अभी खोले जाने हैं तथा इस प्रक्रिया में कितना समय लगने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि भोपाल में उसके भवन निर्माण का कार्य मई, 1994 में पूरा हो गया था। बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग, पर्यवेक्षण विभाग, शहरी बैंक विभाग, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग तथा आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग नए भवन में अन्तरित कर दिए गए हैं। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि उसका प्रस्ताव है कि निर्गम और बैंकिंग विभाग के कार्य को भी भोपाल कार्यालय में अन्तरित किया जाए। आर बी आई ने बताया है कि इस संबंध में निश्चित समय-सीमा बताना कठिन होगा।

[अनुवाद]

लेखा मानक

7464. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय विवरण बनाने के लिए एक-समान लेखा मानक तैयार करने हेतु कोई केन्द्रीय सांविधिक प्राधिकरण है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों और पेयों का निर्यात और आयात

7465. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 के दौरान कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और पेयों का कुल कितनी-कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल, 94 से फरवरी, 95 तक) के दौरान कृषि उत्पादों के आयात और निर्यात का मूल्य निम्नलिखित है :-

	निर्यात*	आयात**
1993-94	9727.40	1743.56
1994-95	8220.75	4786.18
(अप्रैल, 94 से फरवरी, 95 तक)		

*चाय, कॉफी और रूई (कच्ची और अवशिष्ट) सहित कृषि उत्पाद

**चाय, कॉफी और रूई (कच्ची और अवशिष्ट) सहित कृषि उत्पाद किन्तु लकड़ी और लकड़ी-उत्पाद, तथा सब्जी और पशुओं की चर्बी को छोड़कर।

विकलांग कर्मचारियों के लिये स्थानान्तरण नीति

7466. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सभी संवर्गों में कार्यरत शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को नियमित सावधि स्थानान्तरण के मामले में सामान्य तौर पर छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्देश का पालन सभी सरकारी बैंकों, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा समान रूप से किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को सावधिक, स्थानान्तरण की कठिनाइयों से बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किये गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में परिचालित अनुदेशों के अनुसरण में यथासम्भव और प्रशासनिक बाध्यताओं के अध्यधीन, उन अवार्ड स्टाफ कर्मचारियों को उनके मूल निवास के निकट तैनाती दी जाती है जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इसी तरह ऐसे कर्मचारियों से मूल निवास स्थान या उसके निकट स्थानों पर स्थानांतरण के लिए प्राप्त अनुरोध पर उचित विचार किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के नेमी आवधिक स्थानांतरण से अलग रखें लेकिन यदि पदोन्नति होने पर उन्हें किसी खास अंचल/क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किया जाना है, तो जहां तक व्यवहार्य हो और रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन उन्हें उनके वास्तविक तैनाती स्थल के निकट ही तैनात किया जाए। तथापि, ये रियायतें बैंकों के शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे कर्मचारियों के लिए नहीं हैं जिनका स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर किया गया है या जो धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों में लिप्त रहे हैं।

नरसिंहम समिति

7467. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरसिंहम समिति की सिफारिशें मार्च, 1995 के अन्त तक कार्यान्वित की जानी थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कार्यान्वित की गयी सिफारिशें तथा अभी कार्यान्वित की जाने वाली सिफारिशों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सांविधक चल निधि अनुपात (एसएलआर) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी, ब्याज-दर ढांचे का सरलीकरण, पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण और प्रावधान करने संबंध मानदंडों की स्थापना, शाखा लाइसेंसिंग/शाखा बंदी संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पुनरीक्षण, कम्प्यूटरीकण के माध्यम से प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गैर-सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देशों का जारी किया जाना, पूंजी-बाजार के उदारीकरण के लिए उपायों, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेवी) को सांविधक शक्तियां प्रदान करने, कर-रियायत के क्षेत्र में विभिन्न म्युचुअल फण्डों के साथ समान व्यवहार इत्यादि सहित नरसिंहम समिति की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में जनता के लिये नई पूंजी जारी करने, विशेष वसूली अधिकरण स्थापित करने और भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में वित्तीय पुनरीक्षण संबंधी बोर्ड की स्थापना से संबंधित सिफारिशें भी लागू की गई हैं।

तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र को कम करके 10 प्रतिशत करने और देशव्यापी परिसंपत्ति पुनर्गठन निधि (एआरएफ) की स्थापना से संबंधित समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

समिति की मुख्य सिफारिशें, जो अभी भी जांच के अधीन हैं, में आयकर अधिनियम के अधीन बैंकों और संस्थाओं द्वारा किये गये विशेष प्रावधान की कटौती, बैंक अधिकारियों की भर्ती में विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण ऋण की संरचना शामिल है।

बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में समिति ने एक विस्तृत प्रणाली का सुझाव दिया था और यह सिफारिश की थी कि संशोधित प्रणाली से संबंधित गतिविधि बाजार उन्मुख होनी चाहिए। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित समिति की सिफारिशों का संबंध है, कई वैकल्पिक मॉडलों पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तुलन-पत्र का आत्मनिर्भरता (स्टेंड - एलोन-बेसिस) के आधार पर निपटान करके उन्हें फिर से समर्थ बनाने का

निर्णय लिया गया है। व्यापक पुनर्संरचना के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चुना गया है और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से होने वाला अनुभव अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये दृष्टिकोण को आने वाले वर्षों में निर्देशित करेगा। समिति द्वारा सुझाए गए अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक कम्पनी में बदल दिया गया है। इसके अलावा आईडीबीआई को पूंजी बाजार से अतिरिक्त इक्विटी जुटाने की अनुमति देकर और इसे और अधिक कार्यात्मक स्वायत्ता और परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करके इसका पुनर्गठन करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 को संशोधित किया गया है। तथापि, आईडीबीआई के प्रत्यक्ष उधार देने के कार्य को हाथ में लेने के लिए एक कम्पनी के रूप में अलग से एक वित्तीय संस्था को शामिल करके आईडीबीआई के पुनर्गठन से संबंधित समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

नरसिंहम समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समग्र वृद्धि को गति प्रदान करने और देश को अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इसे जारी रखा जायेगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शक्तियां

7468. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को कौन-कौन सी शक्तियां दी गई हैं;

(ख) "सेबी" ने मर्चेंट बैंकरों को प्राधिकृत करने और उन्हें श्रेणियां आवंटित करने के लिए क्या मानदंड/दिशानिर्देश अपनाए है; और

(ग) पूंजी निर्गम और इससे संबंधित गतिविधियों के प्रबन्ध हेतु "सेबी" द्वारा अब तक श्रेणी सहित प्राधिकृत मर्चेंट बैंकरों का बयौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 और प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के तहत अनेक अधिकार दिए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ ये अधिकार हैं, स्टाक एक्सचेंजों को मान्यता देना और उनकी मान्यता रद्द करना, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के उप-नियम बनाना अथवा उनमें संशोधन करना, पब्लिक कंपनियों की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा की गई मनाही के विरूद्ध सुनवाई करना, मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों को अतिरिक्त ट्रेडिंग फ्लोर स्थापित करने की अनुमति देना, मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के शासी बोर्डों के लिए मनोनीत व्यक्तियों को नियुक्त करना, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को आवधिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए निद्रेश देना और स्टॉक एक्सचेंजों का निरीक्षण करना।

(ख) किसी मर्चेन्ट बैंकर को पंजीकरण-प्रमाणपत्र दिए जाने से पूर्व सेबी द्वारा विचारे गए मापदंड और अपेक्षाएं सेबी (मर्चेन्ट बैंकर) विनियम, 1992 में निर्धारित हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:-

(एक) पर्याप्त आधार-ढांचा उपलब्ध हो।

(दो) आवेदक के पास कम से कम दो व्यक्ति नौकरी करते हों जिन्हें मचेन्ट बैंकिंग का पर्याप्त अनुभव हो।

(तीन) आवेदक प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी मुकदमे में उलझा न हो।

(चार) आवेदक को किसी नैतिक या आर्थिक अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया हो।

(पाँच) आवेदक की अपेक्षित व्यावसायिक अर्हता हो।

(छह) श्रेणीवार पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं; यथा :

श्रेणी	**न्यूनतम राशि**
श्रेणी-एक	1 करोड़ रुपए
श्रेणी-दो	50 लाख रुपए
श्रेणी-तीन	20 लाख रुपए
श्रेणी-चार -	शून्य-

(ग) 30.4.1995 तक की स्थिति के अनुसार, सेबी के पास 802 मर्चेन्ट बैंकर पंजीकृत हैं। श्रेणीवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

श्रेणी-एक	- 343
श्रेणी-दो	- 36
श्रेणी-तीन	- 126
श्रेणी-चार	- 297
जोड़ :	802

चंदन की लकड़ी के निर्यात पर अध्ययन

7469. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंदन की लकड़ी के सभी रूपों में निर्यात की कुल संभावनाओं पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चंदन की लकड़ी के निर्यातकों के साथ अध्ययन रिपोर्ट पर चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता

7470. डा. साक्षीजी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटल मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में पर्यटन के विकास के लिए दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि
1993-94		
1.	लाल किले में सुधार/नवीकरण का कार्य	98.37
2.	10 सैर कराने वाली-नावें	7.50
3.	विभिन्न झीलों के लिए 25 (चार सीटों वाली) नावों की खरीद	7.97
4.	ट्रेकिंग उपकरण की खरीद	5.84
1994-95		
1.	फूड और क्राफ्ट बाजार का विकास, आई.एन.ए., दिल्ली	31.61
2.	पुरान किले में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	25.00
3.	डोगियों की खरीद	2.03
4.	बलेश्वा झील के लिए 5 वाटर स्कूटर	4.82
5.	2 ओवर क्राफ्टस की खरीद	12.44
6.	कुतुब उत्सव	2.95
7.	दिल्ली उत्सव	1.05
8.	आभ्र उत्सव	2.69

औरंगाबाद में व्यापार मेला परिसर

7471. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु औरंगाबाद में व्यापार मेला परिसर की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परिसर की स्थापना कब तक की जाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी उपक्रमों पर आयकर बकाया

7472. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन सरकारी उपक्रमों के विरूद्ध अधिकतम आयकर का बकाया तथा उनकी ओर कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) इन उपक्रमों से आयकर की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन 10 शीर्षस्थ उपक्रमों के नाम, जिनकी ओर 31-12-1994 की स्थिति के अनुसार निगम कर की अधिकतम धनराशि बकाया थी, नीचे दिए गए हैं :-

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.
3. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
4. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.
5. बैंक आफ इंडिया
6. बैंक आफ बड़ौदा
7. सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.
8. मार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लि.
9. न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लि.
10. तमिलनाडु स्टेट मार्केटिग कारपोरेशन।

इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त कुल धनराशि 1339.27 करोड़ रु. थी।

(ख) अधिकांश मामलों में मांगें या तो भुगतान के लिए देय नहीं हुई थीं या अपीलों में लंबित पड़ी हुई थीं। तथापि, बकाया मांग की वसूली करने/उसमें कमी लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे वसूल करने के लिए उचित प्रशासनिक, विधिक और अन्य उपाय किए जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली की कार्रवाईयों परस्थगन आदेश दिए जाते हैं, वहां स्थगन को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उचित मामलों में बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और वसूली की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

तांबे का आयात

7473. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार का विचार तांबे का आयात बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में तांबें का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा तांबे की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तांबे की घरेलू मांग की पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए केन्द्र सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लि. तांबे के प्रगलन तथा शोधन की अपनी क्षमता को 31,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1,00,000 टन प्रति वर्ष करने की योजना बना रहा है।

थाईलैण्ड के साथ व्यापार समझौता

7474. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाईलैण्ड के बीच भारत-चीनी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को पूल करने, काउंटर व्यापार करने की संभावनाओं का पता लगाने और दोनों देशों के एक्जिम बैंक द्वारा निर्यात के वित्त पोषण हेतु ऋण प्रदान करने पर सहमति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई सहमति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत और थाइलैण्ड के बीच संयुक्त व्यापार समिति की 26-27 अगस्त, 1994 को हुई 7वीं बैठक में दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ भारत चीन बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने और द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन के एक विकल्प के रूप में प्रति व्यापार करने की संभावनाओं का पता लगाने में एक दूसरे को सहयोग देने के लिए सहमत हो गए थे। दोनों पक्षों ने दोनों देशों में एक्जिम बैंकों द्वारा ऋण सीमा बढ़ाए जाने की संभावना पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। किसी करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि व्यापार संवर्द्धन के प्रयास जारी हैं।

पटसन उद्योग के लिए यू.एन.डी.पी. सहायता

7475. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री राम विलास पासवान :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त पटसन कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़िया किस्म के पटसन धागे का निर्माण करने के लिए लघु पटसन कताई एकक लगाने हेतु कुछ उद्यमियों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन उद्यमियों के नाम क्या हैं और अब तक स्थापित किए गए/किए जाने वाले पटसन कताई एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों की स्थापना से पटसन उत्पादकों को कितनी सहायता मिलेगी?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) यू.एन.डी.पी. सहायित पटसन कार्यक्रम के अंतर्गत पटसन के बढ़िया किस्म के यार्न का निर्माण करने के लिए छोटे पटसन कताई एककों की स्थापना करने की परियोजना के चरण-1 में निम्नलिखित उद्यमियों को चुना गया है :-

1. मै. इस्टर्न जूट वूल टेक्स प्रा.लि., कलकत्ता।
2. मै. पाइनीर इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. मे. अरीहंत बिजीनेस प्रा.लि., कलकत्ता।
4. मै. सिद्धा टेक्नोजीकल प्रा.लि., कलकत्ता।
5. मै. बीसीओ फ्रैब्रिक्स प्रा.लि., कलकत्ता।
6. कन्हाई लान भट्टाचार्य मिनि जूट मिल को-आपरेटिव सोसायटी लि., जिला उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल।

उपर्युक्त एककों के लिए बढ़िया किस्म के पटसन फाईबर की जरूरत होगी। पटसन उपजकर्ताओं को बेहतर किस्म के कच्चे पटसन को उपजाने पर बेहतर लाभ प्राप्त होंगे।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा पोर्टफोलियो निवेश

7476. डा. आर. मल्लू :

डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र की दस बड़ी कंपनियों में किये गये पोर्टफोलियो निवेश का कुल अंकित मूल्य कितना है;

(ख) इन शेयरों का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है;

(ग) क्या इन विवादित कंपनियों में ऐसे पोर्टफोलियो निवेश को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 31.3.1995 तक की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र की पहली दस कंपनियों में परिसम्पत्तियों के आधार पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के इक्विटी निवेश का अंकित मूल्य और बाजार मूल्य निम्नानुसार हैं :-

कम्पनी	अंकित मूल्य (करोड़ रु.)	इक्विटी धारिता का बाजार मूल्य (करोड़ रु.)
1. रिलाएंस इन्डस्ट्री लि.	58.333	1,523.97
2. टिस्को	63.298	1,353.00
3. एस्सर गुजरात लि.	24.572	175.08
4. टेलको लि.	25.204	1,058.59
5. सी.ई.एस.सी.	0.462	9.26
6. एल. एंड टी.	25.631	666.42
7. ग्रासिम इन्डस्ट्रीज	14.618	847.84
8. टाटा कैमिकल्ज लि.	15.945	554.10
9. जी.एस.एफ.सी.	14.704	242.62
10. हिन्डालको इन्ड. लि.	12.242	1,089.58

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट निवेशक की प्रत्याशाओं और निवेशक के हितों पर समुचित ध्यान देते हुए वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर कम्पनियों के शेयरों में लेन-देन करता है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

निर्यातकों को बैंकों से ऋण

7477. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बैंकों द्वारा निर्यातकों को भी ऋण मंजूर करने में काफी लम्बा समय लगता है जो कि सरकार द्वारा घोषित नीति के विरूद्ध है; और

(ख) इस समय निर्यातकों के कितने आवेदन पत्र बैंकों में लंबित पड़े हैं तथा इनके पास कितनी अतिरिक्त ऋण राशि पड़ी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने निर्यात-ऋण क्षेत्र में बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात ऋण के लिए बैंकों द्वारा नई/बढ़ाई गई सीमाओं की 45 दिनों के अन्दर स्वीकृति देना, 30 दिनों में सीमाओं का नवीनीकरण, निर्यातकों के लिए ऋण सीमाओं की स्वीकृति की स्थिति पर बैंकों के संबंधित निदेशक बोर्ड को तिमाही अन्तराल पर समीक्षा, टिप्पणी प्रस्तुत करना, ऋण सीमाओं को स्वीकृति के लिए विशेषकर विदेश स्थिति शाखाओं में विभिन्न कार्यकर्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियों का प्रतयायोजन और ऋण सुविधाओं की समय पर और पर्याप्त स्वीकृति के मामले में ऋणकर्ताओं विशेषकर निर्यातकों की शिकायतों का तत्काल, समाधान करने के लिए बैंकों द्वारा प्रणाली का मूल्यांकन करना शामिल है।

(ख) आरबीआई की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए तरीके से सूचना एकत्र नहीं की जाती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निर्यात-ऋण बकाया राशि निम्नलिखित रही :-

(करोड़ रुपए)

अवधि	निर्यात-ऋण बकाया
मार्च 1993	17018
मार्च 1994	19693
मार्च 1995	25656

(अनन्तिम)

उपर्युक्त आंकड़े बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली द्वारा निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। आरबीआई निर्यातकों से प्राप्त अलग-अलग शिकायतों पर भी ध्यान देता है और ऐसी शिकायतों के समाधान के लिये उपर्युक्त उपाय भी करता है।

आंध्र प्रदेश के विमानपत्तनों की आय और व्यय

7478. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के प्रत्येक विमानपत्तन को हुई आय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक विमानपत्तन पर वर्ष-वार कितनी राशि खर्च हुई?

नागर विमानन और पर्यटल मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश में प्रत्येक विमानपत्तन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किए व्यय और हुई आय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रणवाले विमानपत्तनों पर हुई आय और व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

विमानपत्तन	कुल राजस्व			कुल व्यय		
	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95

1	2	3	4	5	6	7
डोनोकोंडा	-	-	-	0.88	1.38	1.19
हैदराबाद	394.60	867.18	949.16	309.05	372.66	455.42
राजमुंदरी	4.71	2.30	7.74	4.47	7.11	10.88
तिरूपति	6.08	4.43	2.78	32.60	40.21	47.35
विजयवाड़ा	9.16	2.20	5.46	48.93	54.06	59.19
वारंगल	-	-	-	2.05	1.43	1.42
विशाखापत्तनम	10.10	44.67	31.24	37.49	53.29	70.94

शेयर बाजार

7479. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेयर बाजार के दलालों और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और इस व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शेयर बाजार में भारी गिरावट को देखते हुए पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्या भूमिका निभा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए अनेक नियम और विनियम तैयार किए हैं। सेबी ने इन मध्यवर्तियों के लिए कतिपय आचार संहिता भी निर्धारित की है। इन उपायों से उनकी गतिविधियां नियमित और सुप्रवाही होंगी तथा उनसे उनके बीच बेहतर समन्वय करने में मदद मिलेगी। प्रतिभूति बाजार में अधिक स्पष्टता लाने के लिए सेबी ने सभी स्टॉक-ब्रोकरों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे करार नोट जारी करें, ब्रोकरेज को अलग से दिखाएं तथा ग्राहकों के नाम से तथा अपने नाम से प्राप्त किए गए धन के लिए अलग-अलग लेखा विवरण रखें।

(ग) सेबी निवेशक के हित के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है और प्रतिभूति बाजार में बेहतर स्पष्टता लाने के अपने प्रयासों के अलावा, यह निवेशक की शिकायतों के निवारण के लिए निरन्तर कार्य करता रहा है। लेकिन स्टाक बाजार में प्रतिभूतियों की कीमतों और उनके सूचकांकों में विभिन्न कारकों के पारस्परिक प्रभाव के कारण घट-बढ़ हो सकती है। ये कारक हैं : समग्र आर्थिक माहौल के संबंध में निवेशकों की प्रत्याशाएं, कार्पोरेट क्षेत्र का कार्य-निष्पादन, विशाल संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए लेन/देन, विदेशों में पूंजी बाजार की प्रवृत्तियां जिनमें भारतीय कंपनियों द्वारा जारी सार्वभौम निक्षेप प्राप्तियों के द्वितीयक बाजार मूल्य शामिल हैं और नीति में परिवर्तन की संभावनाएं। बाजार की प्रवृत्ति विभिन्न चक्रों में से गुजरने की होती है और सेबी शेयर की कीमतों में गिरावट की स्थिति में निवेशकों का संरक्षण सुनिश्चित नहीं कर सकता।

महाराष्ट्र में पर्यटन को प्रोत्साहन

7480. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी कार्य योजनाएं शामिल की गई हैं;

(ख) केन्द्रीय मरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी है; और

(ग) उक्त धनराशि के साथ-साथ दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और वे सुविधाएं किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएंगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्र सरकार ने पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई थी जिसे मई, 1992 में संसद में पेश किया गया था। महाराष्ट्र राज्य सहित पूरा देश केन्द्रीय पर्यटन विभाग की कार्य योजना और आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए 747.55 लाख रु. की लागत की 41 परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की हैं। स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की राशि और स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I से III में दिया गया है।

विवरण-एक

वर्ष 1992-93 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	गांधी स्मारक आश्रम, पूणे में पर्यटक परिसर	25.50

1	2	3
2.	महुर, जिला नांदेड में पर्यटक परिसर	26.26
3.	मार्गस्थ सुविधाए :	
	(क) दाजीपुर (जिला कोल्हापुर)	5.44
	(ख) बालापुर (जिला अकोला)	5.44
4.	नागपुर में आगन्तुक स्वागत केन्द्र	20.40
5.	नरसी, जिला पर्भनी में पर्यटक परिसर	25.40
6.	लोनार, जिला बुल्डाना में पर्यटक परिसर	26.47
7.	शिखार शिंगानापुर, जिला सतारा में पर्यटक परिसर	8.40
8.	रायगढ़ के तम्बुओं की खरीद	2.00
9.	राज्य के लिए तम्बुओं की खरीद	19.23
10.	हॉवर क्राफ्ट की खरीद	16.97
11.	जल स्कूटरों की खरीद	11.29
12.	गणेश उत्सव	3.41
13.	एलिफेंटा उत्सव	5.00
	जोड़ :	201.30

विवरण-दो

वर्ष 1993-94 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	गणपतिपुले, जिला रत्नगिरि (कोंकण परिपथ) में पर्यटक परिसर (समुद्रतट कुटीरें) का निर्माण	26.57
2.	माथेरान (पर्वतीय स्थल, जिला रायगढ़) में पर्यटक परिसर का निर्माण	16.39
3.	महाबलेश्वर (पर्वतीय स्थल, जिला सतारा) में पर्यटक परिसर का निर्माण	23.46
4.	फर्दापुर (जिला औरंगाबाद) में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.25
5.	हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन, जिला रायगढ़, कोंकण परिपथ में समुद्रतट कुटीरों का निर्माण	24.88
6.	कंकेश्वर, तालुक देवगढ़, जिला सिंधुदुर्ग में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.80
7.	भंदरदारा, अकोला तालुक, जिला अहमदनगर में लेक व्यू रिजार्ट का निर्माण	27.00
8.	माहेद, जिला रायगढ़, कोंकण परिपथ में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	7.33
9.	गोल्फ कोर्स, बम्बई का उन्नयन	35.61
10.	गोल्फ कोर्स, पुणे का उन्नयन	48.00
11.	10 एच पी ओबीएमएस (20+35) के साथ 6 जल स्कूटरों की खरीद	4.67
12.	शिरोदा और माथपुर के लिए 100 सेल्फ-कन्टेंड टैंटों की खरीद	12.80
13.	जल-क्रीड़ा उपकरण की खरीद	20.54
14.	गणेश उत्सव	7.33
15.	अजंता, एलोरा, संदर्शिका के लिए प्रचार सहायता	5.48
	जोड़ :	309.11

विवरण-तीन

वर्ष 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
	महाराष्ट्र	
1.	गगनबावदा में पर्यटक परिसर	25.02
2.	कुडाल में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.85
3.	पनहाला में पर्यटक परिसर	25.02
4.	तारकारली में पर्यटक परिसर	23.21
5.	विजयदुर्ग में पर्यटक परिसर	23.21
6.	वाशिम में पर्यटक परिसर	23.65
7.	नावों की खरीद	27.13
8.	कारवां की खरीद	32.40
9.	दो सीटों वाले हॉवर क्राफ्ट की खरीद	27.00
10.	पांच सीटों वाले हॉवर क्राफ्ट की खरीद	10.80
11.	गणेश उत्सव के लिए सहायता	5.00
12.	एलिफेंटा उत्सव	2.37
13.	प्रचार सहायता	5.48
	जोड़ :	237.14

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का वित्त-पोषण

7481. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के गेर-सरकारी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्त-पोष हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्त मंत्रालय में ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं पैदा नहीं होता।

लघु उद्योगों के लिए बैंक शाखाएं

7482. **श्री अंकुशराव टोपे :**

श्री राम निहोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैंकों की कुछ विशिष्ट शाखाएं अलग से खोलने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे लघु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं खोलें अथवा अपनी विद्यमान शाखाओं को लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तित करें। उदारीकृत शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, लघु उद्योग शाखाओं सहित कतिपय प्रकार की विशेषज्ञ शाखाओं को खोलने का कार्य वाणियिक बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

[हिन्दी]

चांदी जब्त किया जाना

7483. **श्री एन. जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी चांदी जब्त की गई और कहां-कहां जब्त की गई;

(ख) क्या इन अवैध गतिविधियों में तस्करों के कुछ गिरोह संलिप्त पाए गए;

(ग) प्रत्येक मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ग) अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पकड़ी गई चांदी की मात्रा, उन स्थानों के नाम जहाँ से इसे पकड़ा गया है और प्रत्येक मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	स्थान	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं.
1	2	3	4
1992.93	8125.900	कांडला	04
	76.03.565	मापर और भम्बदई गांव बीच	11
	76.405	धोतराना गांव	01
	10473.250	रामदेवपीर पुलिस चौकी पर	12
	4966.484	कुट्टियाना	07
	443.700	बेदी पत्तन जामनगर	30
	431.177	अहमदाबाद	-
	99.960	दीसा	-
	6.200	अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद	-
	3445.941	ग्रास देलसार	07
1993.94	8.631	ग्राम थराड	-
	1.000	सिद्धपुर	-
	498.250	स्थानीय कुरियर सेवा अहमदाबाद से	-
1994.95	3.000	अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा	-

(ख) जी, हां।

(ग) गुजरात राज्य में चांदी की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम में लगी सभी एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष

7484. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष में आरम्भ से अब तक कुल कितनी राशि जमा की गई है;

(ख) इस कोष से 31 मार्च, 1995 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) विभिन्न कल्याण योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बीड़ी मजदूरों की अनुमानित संख्या और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में किन-किन प्रमुख जिलों में इनकी संख्या अधिक है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल प्राप्ति और व्यय संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

कुल प्राप्तियां	120.82 करोड़ रुपये
कुल व्यय	100.64 करोड़ रुपये

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जायेगी।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्र	राज्य	बीड़ी कर्मकारों की संख्या	बीड़ी कर्मकारों के संक्रेद्रण वाले मुख्य जिले		
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	4,500,000	मुरादाबाद	फर्रूखाबाद	जौनपुर
बंगलौर	कर्नाटक	3,55,000	मंगलौर	धारवाड़	मैसूर
	केरल	1,36,000	कन्नानौर	कसरगौड	तेल्लीचेरी
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	6,25,000	निजामाबाद	करीमनगर	मेडक
	तमिलनाडु	6,21,000	तिरूनेलवल्ली	नॉर्थ अरकॉट	मद्रास
भीलवाड़ा	राजस्थान	1,00,000	टोंक	अजमेर	कोटा
	गुजरात	50,000	खेड़ा	मेहसाना	अहमदाबाद
भुवनेश्वर	उड़ीसा	1,52,000	सम्भलपुर	कटक	घेंकनाल
जबलपुल	मध्य यप्रदेश	6,60,000	सागर	दमोह	जबलपुर
करमा	बिहार	3,92,000	नालंदा	सिंहभूम	डुमका
नागपुर	महाराष्ट्र	2,56,000	शोलापुर	भंडारा	अहमदनगर
कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	4,50,000	मुर्शिदाबाद	मालदा	24 परगना (द.)
	असम	8,000	दुबरी		
	त्रिपुरा	5,000	त्रिपुरा (प.)		
	कुल :	42,60,000			

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की ऋण लेने की सीमा

7485. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां इनके लिए निर्धारित उचित मानदण्डों का कड़ाई से अनुपालन नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दो करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का कारोबार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने 31 मार्च, 1995 तक की निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना पंजीकरण नहीं कराया है अथवा उस तिथि तक क्रेडिट रेटिंग पाने में असफल रही है;

(घ) ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक पर्याप्त पूंजी के मानदंडों को प्राप्त किया था;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों की ऋण लेने की सीमा में कटौती करने का है जो समय-समय पर इनके लिए निर्धारित उचित मानदण्डों का अनुपालन करने में असफल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने 1994 में उसने उन गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के नाम विवेकपूर्ण मानदंड जारी किए थे जिनकी निवल धारित निधियां 50 लाख रुपए और इससे अधिक हैं और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास दर्ज हैं। पंजीकृत एनबीएफसी से अपेक्षा की जाती है कि वे मार्च और सितम्बर की अंत की स्थिति के अनुसार अपने लेखा परीक्षकों से विधिवृत प्रमाणित छःमाही विवरण आर.बी.आई. को प्रस्तुत करें। विवरण की जांच करने और जहां आवश्यक हो, एनबीएफसी के निरीक्षण से पता चलेगा कि संबंधि एनबीएफसी विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा कर रहे हैं। अथवा नहीं। दिनांक 31 मार्च, 1995 से संबंधित पहला विवरण 31.5.1995 तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) आरबीआई ने सूचित किया है कि 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक की निवल निधियां रखने वाली कम्पनियों से कहा गया है कि वे मार्च 1995 के समाप्त होने से पहले अपनी कोटि निर्धारित करवा लें। यह कोटि निर्धारण प्रमाणपत्र विवेकपूर्ण मानदण्डों संबंधी पहली छःमाही विवरण सहित दिनांक 31 मई, 1995 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उन एनबीएफसी की स्थिति का पता जिन्होंने पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त कर लिए हैं, पहली छःमाही विवरण और उसकी जांच-पड़ताल के बाद चलेगी।

(ङ) और (च) आरबीआई ने सूचित किया है कि विवेकपूर्ण मानदंड पूरा करने में असफल रहने वाली एनबीएफसी के लिए ऋण सीमा घटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। तथापि, ऋण एवं निवेश कंपनियों की कोटि में आने वाली ऐसी कंपनियों से जो संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने में असफल रही हो, अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी जमा राशियों (अपरिवर्तनीय बाण्डों/डिबेंचरों के जरिए प्राप्त किए गये धन सहित) का स्तर कम करके अपने निवल धारित निधियों के 40 प्रतिशत तक ले जाएं।

भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा तमिलनाडु को वित्तीय सहायता

7486. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में उन जलपूर्ति और जल निकासी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार इनमें से प्रत्येक निगम द्वारा ऐसे वित्तीय सहायता के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई और दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित अपेक्षित सूचना विवरण-एक और दो में दी गई है। साधारण बीमा निगम ऐसी योजनाओं को वित्तपोषित नहीं करता।

विवरण-एक

(लाख रुपये में)

क्र.स.	योजनाओं के नाम	अनुमानित लागत	1993-94 के दौरान जारी किये गये ऋण
1	2	3	4
(क)	**शहरी जलापूर्ति की जारी योजनाएं**		
1.	श्री विलिपुत्तर	214.00	4.81
2.	शिवाकाली	514.52	26.34
3.	तिरूचेंगौडा	500.71	6.18
4.	15 वेलमपालयम	104.61	12.05
5.	कट्टुरमन्नारकोयल	99.30	1.80
6.	करूर	471.57	39.76
7.	एलनगुडी	63.40	15.10
8.	अरियममंगलम	100.40	5.07
9.	थिरूमुरूगनपुन्डी	53.32	0.35
10.	अम्मापेट	39.70	6.94
11.	नेरिन्जिपेट	44.68	1.49
12.	उडनकुडि	62.65	0.85
13.	मनीगुथार	63.17	0.63
14.	मथागिरि	47.06	12.78
15.	पलयम	51.06	12.43
16.	विक्रमसिंगपुरम	44.23	18.55
17.	एडापुड्डी	275.21	58.63
18.	मल्लूर	116.81	35.75
19.	पिल्लानल्लूर	101.19	30.90
20.	एलमपिल्लई	81.26	29.15
21.	तंजाबुर	415.00	144.07
22.	कुट्टलम	55.75	8.86
	जोड़ (क)	3519.60	472.49
(ख)	**शहरी जलापूर्ति की नई योजनाएं**		
1.	कुन्नाथुर	89.05	59.97
2.	केट्टईयुर	44.28	29.52
3.	थिरूकट्टुपल्लई	42.94	23.41
4.	वलनगईमन	33.87	22.58
5.	गंगईकोंडम	21.75	14.50

1	2	3	4
6.	पेरईबुर	24.90	16.60
7.	एरल	24.04	10.00
8.	वीरपंचतरम	268.20	92.76
9.	कुजीकुरई	51.00	25.33
10.	सत्यमंगलम	215.10	57.75
11.	थिरूपथ्थुर	253.75	101.83
12.	एलमपयलम	68.70	26.67
13.	सवाईपुरम	94.00	26.67
14.	पलानी	584.00	90.78
	जोड़ (ख)	1816.48	598.37

क्र.सं.	जिले का नाम	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	1993-94 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के ऋण
1	2	3	4	5
(ग)	ग्रामीण जलापूर्ति की जारी योजनाएं			
1.	त्रिची	3	297.90	76.44
2.	चेंगलपेट एम जी आर	1	336.00	104.40
3.	पेरियर	2	433.45	84.97
	जोड़ (ग)		1067.35	265.81
(घ)	ग्रामीण जलापूर्ति की नई योजनाएं			
1.	चेंगलपट्टु एम जी आर	70	515.52	207.62
2.	तिरूचिरापल्ली	81	470.14	234.95
3.	पुडकोट्टई	13	57.18	28.55
4.	उत्तरी अरकोट अम्बेडकर	36	161.23	80.53
5.	धर्मपुरी	58	417.84	208.74
6.	तिरूवन्नमलाई सम्बुरवायावर	44	274.51	137.18
7.	तिरूनेलवेल्ली कोटोबोमन	24	419.21	123.58
8.	कन्याकुमारी	5	95.08	47.54
9.	वी.ओरे चिदम्बरनर	22	1081.67	197.28
10.	सेलम	57	769.90	200.65
11.	पेरियार	31	802.74	232.76
12.	कोयम्बटूर	14	96.27	48.10
13.	नीलगिरि	10	57.92	28.94
14.	उत्तरी अर्कोट	74	339.99	169.86
15.	तंजावुर	26	430.06	214.99
16.	नागापट्टी नम-कायदे-मिलाद	27	153.40	76.63
17.	मदुरई	22	232.86	81.34
18.	डिन्डीगुल-अन्ना	9	44.08	22.03
19.	रामनाथपुरम	2	5.96	2.98
20.	कमराजर	12	47.82	23.88
21.	पसुमपोम मुथुरामलिंगम थेवर	19	90.40	45.20
	जोड़ (घ)	656	6563.78	2463.33
(ङ)	जलापूर्ति की जारी परियोजनाएं			
1.	होसुर	1	521.00	50.00
2.	तिरूपुर	1	1354.34	25.00
	जोड़ (ङ)			75.00
	कुल जोड़ (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)			3875.00

विवरण-दो

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अनुमानित लागत	वर्ष 1994-95 के दौरान जारी किया गया ऋण
1	2	3	4
(क) शहरी जलापूर्ति की जारी योजनाएं			
1.	अरियामंगलम	100.40	8.70
2.	15 वेलमपलयम	108.92	2.76
			11.46
3.	धरापुरम	109.42	45.47
4.	कंगेयम	343.76	28.93
5.	पिराट्टियुर	170.58	9.51
			84.01
6.	सत्यमंगलम	215.10	39.32
7.	एरल	24.04	5.89
8.	कुक्षीथुरई	70.85	8.67
	जोड़ (क)	1224.07	149.35
(ख) शहरी जलापूर्ति की नई योजनाएं			
1.	बरगुर	70.00	46.67
2.	नागपट्टिनम	880.00	95.16
3.	उदयेन्द्रम	147.82	90.58
4.	पनपक्कम	124.00	78.00
5.	थिरूनीरमलाई	67.60	45.07
6.	कोलाछेल	171.65	102.50
7.	अम्मायानईकानुर	72.25	48.17
8.	पल्लापलयम	69.84	11.80
9.	उलन्डरपेट	149.25	91.30
10.	अप्पाकुडाल	62.72	41.81
11.	जलकांडपुरम	159.64	52.96
12.	थरामंगलम	140.54	52.92
13.	इनामकरूर	572.09	98.14
14.	जोलारपेट्टी	130.25	81.80
15.	नं0 4 वीरापांडी	81.51	37.73
	जोड़ (ख)	2899.16	974.61

क्र.सं.	जिले का नाम	योजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	वर्ष 1994-95 के दौरान जारी किया गया ऋण
1	2	3	4	5
(ग) ग्रामीण जलापूर्ति की चल रही योजनाएं				
1.	सेलम	2	162.37	34.60
2.	तिरूनालवेली	1	91.76	21.26
				55.86
3.	परियार	7	988.75	235.38
	जोड़ (ग)		1242.88	291.24
(घ) ग्रामीण जलापूर्ति की नई योजनाएं				
1.	छेंगई एम जी आर	33	227.83	113.88
2.	तिरूचिरापल्ली	66	614.08	306.88
3.	फुडुकोट्टई	20	78.04	39.06
4.	उत्तरी अर्कोट अम्बेडकर	34	185.74	92.88
5.	धर्मपुरी	47	267.46	133.64
6.	तिरूवन्नयेमलाई सम्भुवेरयार	43	204.95	102.46
7.	तिरूनालवेली कट्टाबोम्मन	22	169.22	84.57
8.	कन्याकुमारी	14	375.73	187.85
9.	वी.ओ. चिदम्बरनर	15	108.66	54.31
10.	सेलम	48	1758.65	348.68
11.	परियार	3	180.18	90.09
12.	कोयम्बटूर	55	1509.33	754.81
13.	नीलगिरि	36	280.30	140.14
14.	दक्षिणी अर्कोट बल्लालर	18	161.67	80.86
15.	विल्लुपुरम रामासामी पडयाचियार	26	254.58	127.26
16.	तंजावुर	2	56.83	28.41
17.	नागपट्टिनम कायदे मिलाथ	10	40.01	19.98
18.	मुदरई	16	125.90	62.93
19.	डिंडिगुल अन्ना	16	105.39	52.68
20.	रामनाथपुरम	3	11.77	5.89
21.	कमराजर	13	67.58	33.77
	जोड़ (घ)	540	6783.90	2861.03
(ङ) जलापूर्ति की जारी परियोजना				
	रासीपुरम		548.45	82.77
	जोड़: (ङ)		548.45	82.77
	कुल जोड क+ख+ग+घ+ङ			4359.00

निर्यात हेतु नये बाजार

7487. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यात हेतु अनेक नये बाजारों का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट निर्यात हेतु नये बाजारों का पता लगाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है तथा व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्यिक संस्थानों के परामर्श से निर्यात बढ़ाने के उपाय किए जाते है। सरकार की यह नीति है कि निर्यात के कवरेज का बाजार तथा वस्तु दोनों रूपों में विस्तार किया जाए।

(ग) और (घ) निर्यात संवर्धन के लिए अभिजात नये बाजारों में मयांमार के साथ सीमा व्यापार खोलने के अलावा दक्षिण अफ्रीका और इजरायल जैसे देशों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

(ङ) सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं सुदृढ़ निर्यात वृद्धि बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विकास द्वारा रखी गई चुनौतियों और अवसरों के प्रत्युत्तर में भारत की व्यापार नीति को जुलाई 91 में उदार बनाया गया था और तदुपरान्त निर्यात बढ़ाने के लिऐ उसे निरन्तर संशोधित किया जाता रहा है। दिनांक 31.3.95 को उदारीकृत व्यापार नीति का उद्देश्य है व्यापार के लिए मुक्त पर्यावरण का सृजन करना, निर्यात संवर्धन ढांचे को सुदृढ़ करना, क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाकर क्रियाविधि संबंधी व्यवधानों को दूर करना, निर्यात उत्पादन बढ़ाना, कार्यकुशलता में सुधार कना एवं प्रतिस्पर्धा की धार को तीव्र करना, इनपुट की उपलब्धता को सुलभ बनाना तथा निर्यात संवर्धन योजनाओं को शुरू करके एवं सुदृढ़ करके गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर बल देना। सस्ते निर्यात ऋण उपलब्ध कराने तथा निर्यात लाभों पर कर में छूट देने के प्रयास किए गए हैं। निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है तथा व्यापार उद्योग एवं संबद्ध संस्थाओं से परामर्श करके निर्यात बढ़ने के उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बैंकिंग सेवा चयन बोर्ड

7488. श्री लाल बाबू राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में नियुक्ति के लिए बैंकिंग सेवा चयन बोर्ड ने कोई परीक्षा आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की अब तक नियुक्ति नहीं की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पिछड़े जिले

7489. श्री रवि राय :

श्री एन. डेनिस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े जिलों की पहचान के लिए कुछ नए मार्ग निर्देश तैयार किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मार्ग निर्देशों की घोषणा कब तक कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए पिछले वर्ष एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। उक्त दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

रूग्ण केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण

7490. श्री फूल चंद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के सोलह रूग्ण केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समय बद्ध ऋण की अदायगी के लिए लम्बी अवधि के ऋण देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुआ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास

7491. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "राइटस" ने विजयवाड़ा हवाई अड्डे के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर बोइंग विमान को उतारने की व्यवस्था करने हेतु हवाई अड्डे के विकास के लिए कुछ करोड़ रुपयों का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना स्वीकार किया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के विकास की योजना का कार्य आरंभ कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

नागर विमानन और पर्यटल मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) योजना में नए टर्मिनल भवन का निर्माण, धावनपथ को मजबूत बनाना और उसका विस्तार, दिक्चालन संबंधी और संचार उपकरणों आदि की व्यवस्था करना परिकाल्पित था।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) अपर्याप्त यातायात तथा विमान कम्पनियों की बी-737 ए-320 विमानों से प्रचालन करने हेतु प्रतिबद्धता के अभाव में विमानपत्तन के श्रेणी उन्नयन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा की राशि जमा न कराने वाले चूककर्ता

7492. श्री राम नाईक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा की राशि जमा न कराने वाले चूककर्ताओं की संख्या कितनी थी;

(ख) इन चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है;

(ग) चूककर्ताओं से बकाया राशि वसूल करने के लिए उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रति व्यक्ति ऋण

7493. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 की समाप्ति तथा आज की तारीख तक केन्द्र सरकार का प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिकों के सम्बन्ध में अध्ययन

7494. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में श्रमिकों के सम्बन्ध में अध्ययन के मार्ग में अद्यतन आंकड़ों की अनुपलब्धता एक प्रमुख समस्या है;

(ख) श्रमिक-मुद्दों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के काम में बेहतरी करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या यह उत्तरदायित्व किसी संस्थान को सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत श्रम सांख्यिकी के संकलन और प्रकाशन को बेहतर बनाए जाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं शुरू की गयी हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं :- ग्रामीण श्रम जांच; उद्योगों के असंगठित क्षेत्र के संबंध में रोजगार और मजदूरी संबंधी आंकड़ों का संकलन; शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबंधित श्रमिकों की रहन-सहन और कामकाजी परिस्थितियों का सर्वेक्षण; उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण; उद्योगों में महिला कर्मकारों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां; मशीन सारणीकरण यूनिट; का आधुनिकीकरण; श्रमजीवी परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मूल्यांकन अध्ययन; व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण; मकान किराया और आफ-टेक रिपीट सर्वेक्षण आदि।

(ग) और (घ) श्रम ब्यूरो, जो श्रम मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है श्रम सांख्यिकी और श्रम से संबंधित भिन्न-भिन्न तथ्यों से संबंधित सूचना के संकलन, समाकलन और प्रकाशन के कार्य में लगा हुआ है। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत निर्धारित सर्वेक्षणों, अध्ययनों और वार्षिक विवरणियों के माध्यम से सूचना एकत्र की जा रही है।

एयरलाइन्स के कार्य-निष्पादन पैरामीटर

7495. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मई, 1995 के बिजनेस स्टैंडर्ड में "ए.आई. बोर्ड सस्पेक्टस प्राफिट्स वर फ्जड इन देवेश्वर्स रेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो समाचार में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया लिमिटेड की 25.4.1995 को हुई निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त से ऐसी किसी चर्चा का संकेत नहीं मिलता है।

मैसूर में टकसाल

7496. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मैसूर में टकसाल के कब तक चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इस परियोजना पर 31 मार्च, 1995 तक कितना खर्च हुआ; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब तथा लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : *(क) कर्नाटक के मैसूर में कोई टकसाल स्थापित नहीं की जा रही है।*

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का बंद किया जाना

7497. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होनें अपनी कोई शाखा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान बंद कर दी है और उन्हें इसके कारण हुई हानि का बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक बैंक में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और इन्हें अन्य बैंकों में किस प्रकार से खपाए जाने का प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान बंद कर दी गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं और इन में से प्रत्येक बैंक को हुई हानि की राशि का बैंक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

बैंक का नाम	बंद कर दी गई शाखाओं की संख्या	बैंकों को हुई हानि (करोड़ रु.)
1	2	3
1993-94		
1. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	9	618.06
2. देना बैंक	17	69.84
3. सिंडिकेट बैंक	8	299.40
4. बैंक आफ इंडिया	10	1089.15
5. यूनियन बैंक आफ इंडिया	5	-
6. आंध्रा बैंक	1	162.25
7. बैंक आफ महाराष्ट्र	9	296.93
8. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2	711.93
9. केनरा बैंक	5	-
1994-95		
1. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	तुलना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
2. केनरा बैंक	3	
3. यूको बैंक	15	

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि शाखायें बंद होने के कारण अधिशेष हुए कर्मचारियों को आस-पास की शाखाओं/कार्यालयों में लाभकारी ढंग से पुनर्नियोजित किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश में किसानों को बैंक ऋण

7498. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य में किसानों को बैंकों से समय पर ऋण मिलने में कठिनाइयां होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है कि आंध्र प्रदेश में किसानों को बैंकों से बिना किसी परेशानी के ऋण मिले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्राथमिकता क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा दिए गए ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95
(एक) कृषि			
अल्पावधिक ऋण (फसल ऋणों सहित)	500.27	740.32	861.89
मध्यावधिक/दीर्घावधिक ऋण	178.36	311.17	316.34
	678.63	1051.49	1178.23
(दो) गैर-कृषि			
अल्पावधिक ऋण	-	-	-
मध्यावधिक/दीर्घावधिक ऋण	396.33	459.90	473.09
कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	1074.96	1511.39	1651.32

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समय पर ऋण न मिलने के संबध में आंध्र प्रदेश के किसानों से उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड उनके संबंधित राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं। और समय पर ऋण प्राप्त करने में किसानों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं।

चीन और म्यान्मार के साथ सीमा व्यापार

7499. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यान्मार के साथ सीमा व्यापार करने की होड़ में भारत के साथ चीन भी शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो भारत-म्यान्मार व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि चीन में म्यांमार के साथ सीमा व्यापार के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिए हैं।

(ख) चूंकि भारत-म्यांमार सीमा व्यापार हाल ही में शुरू हुआ है, उसके प्रभाव के विषय में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा।

इजरायल के साथ व्यापार

7500. डा. डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इजराइल ने दोनों देशों की सहायतार्थ एक संयुक्त अनुसंधान कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई व्यापार समझौता हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इजरायल ने अपने प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निवेश की पेशकश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उक्त व्यापार समझौता कब तक लागू हो जायेगा; और

(ज) भारत को इस व्यापार समझौते से कितना लाभ प्राप्त होगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत और इजराइल के बीच 21 दिसम्बर, 1994 को हुए व्यापार एवं आर्थिक सहयोग करार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(1) पारस्परिक परम-मित्र राष्ट्र का व्यवहार करना;

(2) दौरों के आदान-प्रदान, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, सूचना के आदान-प्रदान के जरिए एवं शाखा कार्यालय खोलकर व्यापार-स्तर के संपर्क बढ़ाना;

(3) संयुक्त उद्यमों सहित आर्थिक, निवेश, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग; और

(4) करार को लागू करने के लिए एक संयुक्त व्यापार एवं आर्थिक समिति का गठन करना।

(ङ) और (च) इजराइल में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए इजराइल ने भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है ताकि यू.एस.ए. और यूरोपीय समुदाय जैसे देशों को निर्यात किया जा सके, जिनके साथ इजराइल के मुक्त व्यापार संबंधी करार हुए हैं।

(छ) और (ज) यह करार एक ढांचे के स्वरूप में है जिसका उद्देश्य सतत् आधार पर द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग का संवर्धन करना है।

बीमा क्षेत्र का गैर-सरकारीकरण

7501. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों ने बीमा उद्योग का गैर-सरकारीकरण किए जाने संबंधी प्रस्ताव के स्थान पर एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार को बीमा उद्योग के निजीकरण के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न संगठनों/संघों से आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस विषय में कोई निर्णय लेने से पहले इनको ध्यान में रखा जाएगा।

पट्टे पर विदेशी वायुयान देने वाली फर्मों के विरुद्ध शिकायतें

7502. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर-सरकारी भारतीय विमान कम्पनियों से पट्टे पर वायुयान देने वाली विदेशी फर्मों के विरुद्ध परेशान करने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स के पट्टाकर्त्ता ने इस पट्टे पर दिए गए विमान का नियंत्रण और दखल वापस लेने की मांग की गई थी। इस पत्र की अनुक्रिया स्वरूप ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स ने अपने पट्टाकर्त्ता के विरूद्ध शिकायत की थी।

(ग) गैर-सरकारी विमान कम्पनियों और पट्टाकर्त्ताओं के बीच हुए विमानों के पट्टा करारों में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। विमान का प्रचालन और नियंत्रण पट्टा करार में निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होता है।

एयर इंडिया में सीट आरक्षण सुनिश्चित किया जाना

7503. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हांगकांग बाउण्ड पैसेंजर्स स्ट्रैंडिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) विमान क्षमता से अधिक सीटें आरक्षित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया के विमानों में यात्रियों हेतु टिकटों के आरक्षण के संबंध में कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एयर इंडिया, उड़ानों के ओवर बुकिंग संबंधी पहलु की आवधिक मानिटरिंग करता है, किन्तु कभी-कभी यात्रियों को विमान में स्थान नहीं मिल पाता है। एयर इंडिया को ओवर बुकिंग संबंधी समस्याओं की जांच करने और इससे यथासंभव बचने के लिए कहा गया है।

सरकारी क्षेत्र के एककों को बंद किया जाना

7504. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों को विशेषरूप से गठित त्रिपक्षीय समिति के रिपोर्टों की प्रतीक्षा किए बिना उन्हें बंद करने का एक तरफा निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के एककों के बंद होने तथा उनके निजीकरण से कितने श्रमिक प्रभावित होंगे; और

(घ) श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय द्वारा गठित विशेष त्रिपक्षीय समिति और छ: क्षेत्रीय त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनरुज्जीवन/पुनर्संरचना प्रस्तावों के संबंध में विचार-विमर्श/निरीक्षण प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त हैं। त्रिपक्षीय समितियों के विचार और सिफारिशें, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्रवाई में सरकार द्वारा लिये जाने वाले पक्ष के संबंध में निर्णय लेने हेतु मंत्रिमंडल/मंत्रियों के समूह के लिए टिप्पणी का अभिन्न अंग होते हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, सरकार द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विकल्पों के आधार पर पुनरूज्जीवन या अन्यथा के संबंध में निर्णय लेता है।

(ग) 31.1.1995 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड के पास 56 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पंजीकृत किये गये हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बंदी या निजीकरण से प्रभावित होने वाले कर्मकारों की संख्या के संबंध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उसके पास पंजीकृत मामलों के संबंध में अभी निर्णय लेना है।

(घ) नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा नेट के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित की है। अन्य बातों के साथ-साथ निधि, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्संरचना की लागत पूरा करने हेतु सहायता प्रदान करती है।

कर सुधार समिति

7505. डा. आर. मल्लू :
श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर सुधार समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन सिफारिशों का अब तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है; और

(घ) सभी सिफारिशों का कार्यान्वयन कब तक हो जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) कर सुधार समिति की सिफारिशें, जिनको स्वीकार करने के योग्य पाया गया था, उन्हें 1992, 1993 और 1994 के वित्त अधिनियम और 1995 के वित्त बिल द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है। शेष सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बाल मजदूर

7506. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्रीय सरकार से बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर उनका पुनर्वास करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम समाप्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रशासनिक संस्थागत और अन्य व्यवस्थाओं और उनको पुनर्वासित करने पर आयोग सतत ध्यान दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आदेश पर, श्रम मंत्रालय को फिरोजाबाद में कांच उद्योग में बाल श्रम उन्मूलन की एक योजना प्रस्तुत की है। श्रम मंत्रालय ने योजना

की पहले ही जांच कर ली है और वर्ष 1995-96 के दौरान 10 नए विशेष स्कूल शुरू करने के लिए 9.73 लाख रुपये की राशि भी जारी की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति का प्रबोधन कर रहा है।

एयर इंडिया के विमानचालकों के वेतन में वृद्धि

7507. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया के विमानचालकों के साथ उनके वेतन में वृद्धि के संबंध में कोई समझौता कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वेतन में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एयर इंडिया के विमानचालकों के वेतन में प्रस्तावित वृद्धि से इंडियन एयरलाइन्स के समक्ष नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं: और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) कमांडरों/सह-विमानचालकों की प्रति घंटा भुगतान की संशोधित दरों के संबंध में 26.9.94 को एयर इंडिया प्रबन्धकवर्ग द्वारा भारतीय विमानचालक गिल्ड के साथ एक समझौता किया गया था। प्रति घंटा भुगतान की दरें कमोबेश कमांडर के मामले में प्रति घंटा 87 डालर से 107 डालर तक प्रति घंटा और सह-विमानचालकों के मामले में 53 डालर से 75 डालर तक प्रति घंटा है। इंडियन एयरलाइन्स ने भी 15.10.94 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करने वाले विमानचालकों को प्रति घंटा भुगतान की यही दरें लागू की हैं।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क की चोरी

7508. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 से आज तक उत्पाद शुल्क की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जनवरी, 1994 से मार्च, 1995 तक की अवधि के दौरान विभाग द्वारा लगभग 1696.62 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क के कथित अपवंचन के 9376 मामलों का पता लगाया गया है।

(ग) ऐसे सभी मामलों में, कथित शुल्क अपवंचम के मामले में शामिल पाई गई कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय न्यायनिर्णयन के जरिए कार्यवाही की जाती है। इन कार्यवाहियों में, शुल्क की राशि की मांग करने के अलावा, संबंधित व्यक्तियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संगीन अपराध के मामलों में, संबंधित व्यक्तियों पर न्यायालयों में मुकदमें भी चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण झोपड़ियों के विनाश की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा योजना

7509. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आग के कारण ग्रामीण झोपंड़ियों की बर्बादी की क्षतिपूर्ति के लिए एक बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो प्रति दावे के अनुसार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है और इसकी अर्हता की शर्तें क्या हैं;

(ग) इस योजना के आरम्भ होने के बाद से लाभार्थियों की वर्षवार एवं राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) इस अवधि के दौरान लाभार्थियों को वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ङ) 1 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने दावे लंबित हैं;

(च) क्या इस योजना में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ से ग्रामीण झोपंड़ियों में होने वाली क्षति को शामिल किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए झोपड़ी बीमा योजना पहली मई, 1988 से शुरू की गई थी। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को उनकी झोपड़ियों और झोपड़ियों में रखे सामान की आग से बर्बादी हो जाने पर राहत प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वे गरीब परिवार पात्र है जिनकी वार्षिक आय 4,800 रुपए से अधिक नहीं है। आग के कारण हानि होने पर बीमा कम्पनी झोपड़ी के लिए 1,000/- रुपये की राशि और झोपड़ी में रखे सामान के लिए 500/- रुपए की राशि का भुगतान करती है।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ज) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89 (मई-अप्रैल)		1989-90 (मई-अप्रैल)		1990-91 (मई-अप्रैल)	
	लाभार्थियों की संख्या	अदा की गई राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	अदा की गयी राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	अदा की गयी राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	8992	98.62	21756	219.34	14468	142.02
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
असम	-	-	01	0.01	155	2.11
बिहार	-	-	22533	276.34	7448	90.17
गोवा	271	0.41	43	0.62	38	0.30
गुजरात	-	-	146	1.67	71	0.71
हरियाणा	7	0.10	95	1.37	47	0.71
हिमाचल प्रदेश	-	-	08	0.12	13	0.19
जम्मू व कश्मीर	-	-	04	0.06	03	0.05
कर्नाटक	-	-	1086	13.18	3723	46.38
केरल	119	1.76	1117	16.05	1118	16.04
मध्य प्रदेश	-	-	144	1.20	127	1.70
महाराष्ट्र	967	12.70	752	8.29	625	6.88
मणिपुर	2	0.03	-	-	-	-
मेघालय	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	01	0.01
मिजोरम	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	-	-	3732	51.09	5199	64.57
पंजाब	7	0.10	77	1.14	76	1.06
राजस्थान	138	1.95	1866	25.55	635	8.61
सिक्किम	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडू	3577	39.32	9240	100.89	6528	70.94
त्रिपुरा	-	-	154	2.25	133	1.95
उत्तर प्रदेश	1594	18.48	22387	205.14	5770	56.10
पश्चिम बंगाल	644	9.69	6255	87.73	8732	127.59
अंडमान एण्ड निकोबार	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	-	-	-	-	25	0.29
दादर और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
दमन और द्वीव	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	92	1.07	195	2.97	27	0.40
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
पांडिचेरी	257	3.52	158	2.16	98	0.85

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92 (मई-अप्रैल)		1992-93 (मई-अप्रैल)		1993-94 (मई-मार्च)		
	लाभार्थियों की संख्या	अदा की गई राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	अदा की गयी राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	अदा की गई गयी राशि (लाख रु. में)	1.4.1994 की स्थिति के अनुसार बकाया दावों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	12893	278.00	21395	199.82	18213	176.27	3390
अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
असम	65	0.95	9	0.01	21	0.25	850
बिहार	8294	110.28	30431	386.18	229.34	291.90	6997
गोवा	26	0.21	42	0.46	15	0.22	16
गुजरात	42	0.52	30	0.37	96	1.28	16
हरियाणा	20	0.30	48	0.71	37	0.55	114
हिमाचल प्रदेश	20	0.30	1	0.01	47	0.70	28
जम्मू व कश्मीर	01	0.01	1	0.01	-	-	54
कर्नाटक	3094	40.16	2598	34.23	2362	30.77	155
केरल	1138	16.29	1464	21.34	1141	16.68	245
मध्य प्रदेश	128	0.92	35	0.52	14	0.21	87
महाराष्ट्र	902	9.28	627	6.22	645	6.94	599
मणिपुर	05	0.08	7	0.10	1	0.01	369
मेघालय	-	-	11	0.16	47	0.70	22
नागालैंड	670	10.05	47	0.70	47	0.70	22
मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	4813	72.03	5200	77.74	4669	69.20	608
पंजाब	45	0.68	1	0.01	-	-	8
राजस्थान	882	12.67	174	2.51	161	2.33	326
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडू	7276	76.52	6853	65.06	5071	43.07	1258
त्रिपुरा	76	0.99	12	0.18	-	-	225
उत्तर प्रदेश	3640	34.76	4163	41.27	3889	37.93	2644
पश्चिम बंगाल	7044	105.45	5707	100.19	5495	92.21	817
अंडमान और निकोबार	-	-	-	-	-	-	-
चंडीगढ़	-	-	18	0.01	33	0.15	42
दादर एंड नागर हवेली	-	-	-	-	-	-	-
दमन और द्वीव	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	08	0.12	641	9.57	42	0.63	-
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
पांडिचेरी	138	1.26	149	1.62	104	1.25	5

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत पर्यटन विकास निगम का कार्य क्षेत्र बढ़ाना

7510. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारत पर्यटन विकास निगम के कार्य-क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन द्वीपों पर पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस समय भारत पर्यटन विकास निगम अण्डमान और निकोबार में अपना कोई यूनिट प्रचालित नहीं कर रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 1995-96 में भी इन द्वीपों में कोई नई स्कीम शुरू करने पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन सुविधाओं का विकास करने के लिए, प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत 3 वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन को तम्बुओं में आवास, जल-क्रीड़ा उपकरणों और दिगलीपुर एवं रंगत में पर्यटक परिसरों जैसी परियोजनाओं के लिए 106.97 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

रेशम का उत्पादन

7511. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से कमी आई है और परिणामस्वरूप मूगा और ऐंरी जैसे कच्चे रेशम के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य में रेशम का उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण रेशम उत्पादकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) गुजरात में मलबरी के क्षेत्रफल में एक सीमान्त कमी हुई है। तथापि, यह राज्य रेशम की मूगा तथा ऐंरी किस्मों का उत्पादन नहीं करता है तथा इन किस्मों के उत्पादन तथा मलबरी के क्षेत्रफल के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुजरात में एक विश्व बैंक सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना कार्यान्वित कर रहा है तथा इसने सलबरी रेशम उत्पादन के विकास के लिए राज्य में निम्नलिखित इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है :-

(1)	मूल बीज फार्म-सह-ग्रेनेज	1
(2)	तकनीकी सेवा केन्द्र	5
(3)	प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र	1
(4)	कोसा रंगाई घर	1
(5)	रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय	1

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय रेशम बोर्ड गुजरात सहित, विभिन्न राज्यों में मलबरी रेशम उत्पादन के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों में निम्न योजनाएं शामिल हैं :-

(1) बहु-उद्देश्य रेशम रीलिंग एककों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान।

(2) छोटे तथा सीमान्त कृषकों को कीटपालन किटों की आपूर्ति।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रेशम उत्पादकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को कीटपालन उपस्करों का मुफ्त आवंटन।

(4) मलबरी बीज की उन्नत कलमों की आपूर्ति।

(5) कृषकों के लिए प्रशिक्षण अध्ययन दौरे।

[हिन्दी]

पंजीकृत भर्ती एजेंट

7512. **श्री लाल बाबू राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा किये गये कदाचारों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इन शिकायतों की सही ढंग से जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति दंडित किए गए;

(घ) क्या ऐसे कदाचारों के लिए दण्ड केवल पंजीकरण का रद्द करना ही है;

(ङ) यदि हां, क्या सरकार का विचार उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उपबंधों की पुनरीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान, अनियमितताओं के संबंध में पंजीकृत भर्ती एजेंटों के विरूद्ध क्रमशः 107 और 62 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्राप्त शिकायतों के आधार पर, वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान 9 भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित किये गये थे और निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें भर्ती कार्य नहीं करने दिया गया।

(घ) पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करने के अतिरिक्त उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में प्रमाणपत्र के प्रयोग को 30 दिन की अवधि हेतु निलंबित करने और दांडिक कार्रवाई जो कारावास के रूप में हो सकती है जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जिसके साथ जुर्माना, जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, का भी प्रावधान है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिक्युरिटी प्रेस की कार्य प्रणाली

7513. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नासिक तथा हैदराबाद के सरकारी सिक्यूरिटी प्रेस में कितने श्रमिक कार्यरत है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रेसवार उपरोक्त दोनों प्रेसों की कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है, इनका कितना कारोबार रहा तथा उन्हें कितनी लाभ अथवा हानि हुई;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्षवार तथा प्रेसवार डाक द्वारा पोस्टल स्टेशनरी, इत्यादि छापने के लिए दिए गए क्रयादेश का क्या ब्यौरा है;

(घ) क्या उपरोक्त सिक्युरिटी प्रेस डाक विभाग की पूरी जरूरत पूरा करने में असमर्थ रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप डाक विभाग ने गैर सरकारी प्रेस से पोस्टल स्टेशनरी छपाने का निर्णय लिया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उचित प्रबन्धन, वैज्ञानिक आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियों में प्रयोग से उक्त दोनों सिक्यूरिटी प्रेसों का उत्पादन काफी बढ़ाया जा सकता है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विदेशी मुद्रा का लेन-देन

7514. प्रो. उम्मारेड्डि वैंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की योजना विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए एक समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समाशोधन गृह का स्वरूप क्या है; और

(ग) इसके बम जाने से क्या लाभ होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बांग्ला देश को कागज का निर्यात

7515. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बांग्ला देश को निर्यात की जा रही जिंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उस देश को कागज का निर्यात करती रही है; और

(ग) यदि हां तो आठवीं योजना के दौरान कागज के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बांग्लादेश को निर्यातित मुख्य मदों में शामिल है : वस्त्र और अनुषंगी सामान, परिवहन उपस्कर, इंजीनियरी सामान, औषधियां, रसायन, सीमेन्ट, खनिज और धातु, फल और सब्जियाँ और कागज एवं लकड़ी उत्पाद। इसके ब्यौरे और सांख्यिकी डी जी सी आई एण्ड एस के प्रकाशन, "भारत के विदेश व्यापार सांख्यिकी" में दिए गए है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी, हां।

(ग) कागज के निर्यात के देश-वार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये है। वर्ष 1995-96 के दौरान कैपेक्सिल ने कागज और कागज उत्पाद के निर्यात का लक्ष्य 200 करोड़ रुपये का रखा है।

आर्थिक सुधार

7516. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व की सफल अर्थ व्यवस्थाओं की कुछ सुधारात्मक नीतियों को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नीतियों के अपनाने से क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित देश में नीतिगत सुधार अपनाए हैं। विभिन्न देशों के समक्ष अपनी प्रायोज्यता में सुधारों का स्तर और क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है।

(ग) आर्थिक सुधारों का मूलभूत उद्देश्य भारत के लोगों के जीवन स्तर में तेजी से और निरंतर सुधार लाना है। इस उद्देश्य के मूल केंद्र में आयों और उत्पादनशील रोजगार में तीव्र अभिवृद्धि करना है।

गुजरात में वायुदूत सेवा को फिर से शुरू करना

7517. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात की विमान पट्टियों पर वायुदूत सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन सेवाओं को फिर से चालू करने के लिए विमान पट्टियों के विकास एवं विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा इस पर होने वाले खर्च को वहन करने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में इन विमान पट्टियों पर वायुदूत सेवाओं को फिर से शुरू करने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। बम्बई बेस से गुजरात के लिए वायुदूत द्वारा प्रचालित सेवाओं को वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कठिनाइयों, एबरो विमान बेड़े के ग्राउंड हो जाने और विमान क्षमता की कमी के कारण बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वायुदूत की इस समय बम्बई बेस से प्रचालन पुनः आरंभ करने की कोई योजना नहीं है।

रूग्ण कम्पनियों का पुनरुद्धार करना

7518. **सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रूग्ण कम्पनियों के पुनरूद्धार हेतु धन प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को निदेश देने संबंधी शक्ति अपने पास रखने के लिए सरकार से मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी. नहीं।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

12.00 मध्याह्

नियम 193 के अधीन चर्चा

महिलाओं पर अत्याचार और उनके सामने आ रहीं समस्याएं-जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं माननीय सदस्य कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को उनके मामले उठाने की अनुमति दूंगा। श्री राम विलास पासवान जी तथा आंध्र के कुछ अन्य माननीय सदस्य भी अपने मामले उठाना चाहते हैं।

लेकिन कल हम काफी देर तक, यानि रात 8 बजे तक यहां बैठे रहे। यहां यह निर्णय लिया गया था कि महिलाओं पर अत्याचार और उनके सामने आ रही समस्याओं के विषय में उत्तर प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात दिया जायेगा। इसके पश्चात मैं इन मामलों को भी उठाने की अनुमति दूंगा और आपको उन मामलों पर चर्चा करने का पूरा समय दिया जायेगा। हम यकबयक नहीं उठेंगे।

अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : अध्यक्ष महोदय, कल हमने इस विषय पर चार घंटे तक चर्चा की थी। मेरे सम्मानीय सहयोगियों तथा मेरे वरिष्ठ और आदरणीय सदस्यों ने यह मामला उपयुक्त ढंग से उठाया था।

इसलिए आरम्भ में मैं उन माननीय संसद सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार तथा उससे मुकाबला करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यका का मामला उठाया।

महोदय, इस विषय के दो उप-शीर्षक हैं - पहला है, महिलाओं पर अत्याचार, और दूसरा है उनकी समस्याएं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का मामला मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और मैं उसी उप-शीर्षक तक सीमित रहूंगा। उनकी समस्याओं से संबंधित मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मेरे सम्मानीय सहयोगी के क्षेत्राधिकार में आता है। वह भी बोलेंगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी तथा अन्य माननीय सदस्य समय-समय पर इस विषय को संसद में उठाते रहे हैं। श्री चार्ल्स ने कल मुझे याद दिलाया कि श्रीमती गीता मुखर्जी इस मुद्दे को संकल्प के रूप में पिछले 5-6 वर्ष से उठाती आ रही है। मैं उनके इस निरंतर प्रयास की प्रशंसा करतां हूं। इस बुराई का मुकाबला करने में हम सब इन के साथ है।

दिए गए सुझावों के अतिरिक्त मैं इस मामले में की गई कार्यवाहियों का उल्लेख करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : ये अत्याचार बढ़ रहे हैं, या कम हो रहे हैं?

श्री पी. एम. सईद : अपने भाषण के दौरान मैं यह सब बता दूंगा कल के वादविवाद में सदस्यों ने जो सुझाव दिए वे वर्तमान संस्थानों को सशक्त बनाने तथा उन्हें उत्तरदायी बनाने, जिला स्तरीय महिला

आयोग गठित करने, महिलाओं को शक्ति प्रदान करने, वर्तमान संविधियों एवं कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने तथा उन पर समुचित अमल करने और महिलाओं को शिक्षा देने आदि के बारे में थी।

हमने राजस्थान तथा अन्य स्थानों पर विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण के अनुभव पर भी विचार किया है। कल की चर्चा बहुत ही लाभदायक और मार्गदर्शक रही है।

इस प्रकार व्यक्त की गई चिंता पर चर्चा करने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि महिलाओं से सम्बन्धित मामले बहुसंख्य और अह्म हैं, जबकि महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या की आधी है। समाज में उनकी स्थिति और उनके समग्र विकास से संबंधित मामले भी व्यक्त किए गए हैं। इन सभी मामलों में मानव अधिकारों के क्षेत्राधिकार में जो मामले आते हैं, वे हैं महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की गम्भीरता। आज कोई ऐसा देश नहीं है जहां महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते हों। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामलों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, जिसका माननीय सदस्यों ने भी कल उल्लेख किया था। इसके कारणों का पता लगाने और उनका निवारण करने के लिए बहुत गम्भीर कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।

दुर्भाग्यवश भारत की महिलाओं में अशिक्षा तथा उत्पीड़क परम्पराओं के कारण वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं जिसके कारण महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। उनमें सामाजिक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है। श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ठीक ही कहा है कि यह चेतना सर्वप्रथम हमें अपने में ही जागृत करनी है। यदि ऐसा होता तो कल सदन में उपस्थिति इतनी क्षीण नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी भी यही बात कह रहे थे।

श्री पी. एम. सईद : आप सबका सम्मान करते हुए मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि यह चेतना सभी सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, में आनी चाहिए। जब इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही थी, तब सदन में कितने सदस्य उपस्थित थे?

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कांति चटर्जी सहित अन्य कई सदस्यों ने इस मुद्दे का उल्लेख किया है।

श्री पी. एम. सईद : श्रीमती महाजन ने इस पहलू पर विस्तार से बोला है। इसके लिए वर्तमान व्यवस्थ को मजबूत बनाने, अपराधियों को दण्डित करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता है। न कि केवल महिलाओं, बल्कि समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मामलों से निपटने के लिए प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। सरकार महिलाओं में ऐसी जागरूकता लाने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगी ताकि वे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाएं।

सदस्यों को यह जानकारी है कि निगरानी और व्यवस्था बनाए रखना, संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार राज्य का विषय है। अत: महिलाओं पर होने वाले अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, उनका पता लगाना तथा उनका निवारण करना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम, कल्याण मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के सहयोग से इस संबंध में निरंतर कदम उठाते हैं और महिलाओं पर होने वाले अपराधों के बढ़ते रूख को रोकने की दिशा में निरंतर कार्यवाही करते हैं। फिर भी भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ तालमेल बैठाये हुए है। भारत सरकार ने विद्यमान कानूनों के अंतर्गत ठोस कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर पत्र लिखे हैं। ये सभी पत्र गृह मंत्री तथा गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर 1984 से ही लिखे जाते रहे है। हमारा सदैव यही प्रयास रहा है कि उत्पीड़ितों के शिकार व्यक्तियों को न्याय मिले और समय पर राहत मिले। सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि सरकार अपराध के अलग-2 मामलों में अपनी ओर से सदन में वक्तव्य देती है। इससे इस ओर हमारी चिंता परिलक्षित होती है। संविधान के उपबन्धों के वर्तमान संघीय ढाचें में रहकर ही अपराध को रोकने की भूमिका राज्य सरकारों को सौंपी गई है। यद्यपि संघीय व्यवस्था की सक्रियता के बारे में जो मत प्रकट किए गए हैं, वे परिचर्चा के विषय है। यद्यपि भारतीय दण्ड सहिंता, दंड प्रक्रिया संहिता, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैं पर्याप्त कानूनी उपबन्ध है। फिर भी सरकार इस बारे में समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के प्रति सजग है तथा कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने उनमें दण्डात्मक प्रावधान करने के लिए विधानों में निरंतर संशोधन करती आई है। माननीय सदस्यों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है।

हम पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ कथित छेड़-छाड़, बलात्कार, आम जनता तथा महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में अकसर सुनते रहते हैं। कुछ घटनाओं का माननीय सदस्यों ने उल्लेख भी किया है। इससे समाज में आम जनता को ठेस पहुंचती है और यह सोचने लगती है कि इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों और अपराधों के आंकड़ों का सरकार गहराई से विश्लेषण करती है, ताकि अपराधों को रोका जा सके और राज्यों को अधिकाधिक सार्थक सलाह दी जाए। वर्ष 1990 से 1994 के बीच अपराधों के बारे में हाल में किए गए विश्लेषण से यह पता चला है कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। भारत में हुए कुल अपराधों का यह लगभग 4.5 प्रतिशत हैं। 47 प्रतिशत अपराध महिलाओं पर हुए हैं जो केवल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज-मृत्यु के हैं। मध्य प्रदेश में बलात्कार और उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले हैं जबकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक

मामले दहेज के कारण हुई मौतों के हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश अपराध मेरठ, बुलन्दशहर, लखनऊ, हरदोई, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, इलाहाबाद, और अलीगढ़ जिलों में हुए हैं। मध्य प्रदेश में रायपुर, दुर्ग, सागर, बिलासपुर, गुना, विदिशा, सरगुजा, अबुआ, धार, और इन्दौर जिलों में सबसे अधिक अपराध हुए हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं पर सबसे अधिक अपराध बम्बई, नागपुर, अमरावती, भण्डारा, और पुणे जिलों में हुए हैं।

इसके अतिरिक्त यह समस्या और भी जटिल इसलिये हो गई क्योंकि महिलाओं पर अपराध के केवल 36 प्रतिशत मामलों में ही दोष सिद्ध हुआ है। जबकि कुल सभी ऐसे अपराधों की प्रतिशतता 48 है। ऐसा इसलिए है कि सामाजिक तथा अन्य दबावों में आकर गवाह अपने अपने बयान बदल देते हैं या वे न्यायालयों में उपस्थित नहीं होते हैं। बलात्कार के मामलों में दण्ड कठोर होने पर अधिकांश न्यायालय अपराधियों/दोषियों को शक का लाभ देकर उन्हें छोड़ देते हैं। इससे भी दोष सिद्ध मामलों की प्रतिशतता में गिरावट आती है। यह समस्या हमारे इस रूढ़ीवादी समाज के कारण और भी जब्लि हो जाती है क्योंकि बलात्कार जैसे अपराध का सामाजिक धब्बे और बहस के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के डर से अधिकांश पीड़ित महिलाएं न्यायालयों में आने से कतराती हैं

जिन राज्यों में ऐसे गम्भीर अपराध होते हैं मैं संबंधित मंत्रालयों के साथ उन राज्यों का दौरा करना चाहता हूं ताकि महिलाओं पर होने वाले इतने अधिक अपराधों के कारणों की समीक्षा की जा सके और यह पता लगाया जाए कि उनकी केन्द्र सरकार किस तरह सहायता कर सकती है। मैं माननीय सदस्यों से विशेषकर जो इन मामलें में अधिक प्रभावित क्षेत्रों के है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरे साथ वहां चलें ताकि हम उनकी समझदारी का लाभ उठा सकें।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुलिस द्वारा उत्पीड़न और मानव अधिकारों के उल्लंघन किए जाने के आरोपों के बारे में अपराध प्रक्रिया संहिता के संबंधित उपबन्धों का कड़ाई से पालन करने के बारे में भारत सरकार राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर अनुदेश जारी करती है।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर पुलिस महानिदेशकों के प्रथम सम्मेलन में पहली बार चर्चा पिछले वर्ष जुलाई में की गई थी। इस सम्मेलन में स्पष्ट अनुदेश दिए गए थे कि देश के कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। यह भी निर्णय किया गया था कि पुलिस महानिदेशकों के सभी भावी वार्षिक सम्मेलनों में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा सम्मेलन के एजेंडे का स्थायी विषय होगा।

विवाह तथा पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा करके तथा समझौता कराने के लिए भारत सरकार ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 बनाया और अब तक विभिन्न राज्यों में 49 परिवार न्यायालय स्थापित कर दिए गए हैं। इन न्यायालयों को दिवानी अदालतों का दर्जा दिया गया है। इन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वैवाहिक राहत, वैद्यता, संरक्षण तथा पोषण भत्ते के मामलों को निपटाना है। परिवार न्यायालयों के लिए सबसे पहले यह प्रयास करना अनिवार्य है कि पारिवारिक विवाद के मामले में वे दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास करें।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस बारे में कार्यकारी अनुदेशों के अलावा महत्वपूर्ण कानूनी/वैद्यानिक सुधार भी किए गए हैं जैसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में संशोधन किया गया है और एक नया अपराध ''हिरासत में बलात्कार'' जोड़ा गया है जिसके लिए पुलिस अधिकारी को दस वर्ष से अनधिक अवधि का कठोर कारावास दिया जा सकेगा।

दहेज निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1986 के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में नई धारा 304 (ख) जोड़ी गयी है जिसके तहत नया अपराध ''दहेज के कारण मौत'' जोड़ा गया है। यदि कोई महिला विवाह के 7 वर्ष के भीतर जल कर मर जाती है और यह पता चले कि उसका उत्पीड़न किया गया था। तो उसके पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को मारा गया समझा जायेगा। महिला को आत्म हत्या के लिए मजबूर करने अथवा उसका भारतीय दंड संहिता में एक नयी धारा 498 क जोड़ी गई जिसके अनुसार महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने तथा उसका शारीरिक उत्पीड़न करने के कार्य को अत्याचार माना गया है।

इसी तरह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में भी संशोधन किया गया है ताकि यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर कोई महिला आत्महत्या कर लेती है तो ऐसे मामले में सिविल सर्जन उसके मृत शरीर की जांच करेगा।

इसी तरह महिलाओं पर अत्याचारों के मामले में बाद को और सशक्त बनाने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धाराएं 113(क), 113(ख), 114(क) जोड़ी गई है।

गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थाई समिति के समक्ष कुछ और भी संशोधन विचारार्थ पड़े हैं। जेसे (1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 में नई उपधारा 4 का अन्तर्वेशन - कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले महिलाओं को गिरफ्तार करने पर रोक, (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता में नई धारा 53(क) का अन्तर्वेशन, जिसमें बलात्कार करने अथवा बलात्कार करने का प्रयास करने के अपराध के अभियुक्त की गहन डाक्टरी जांच का प्रावधान है, और (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में नई धारा 164(क) का अन्तर्वेशन, जिसमें महिला की सहमति से उसके साथ किए गए बलात्कार की शिकार महिला की डाक्टरी जांच का प्रावधान है।

माननीय सदस्यों ने हाल ही में घटित तथाकथित दुराचार, और

ज्यादतियों की घटनाओं के मामलों का उल्लेख किया है जिसमें गृह मंत्रालय के एक अवर-सचिव का मामला विशेष रूप से उठाया गया है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि इस मामले में तथा अन्य मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। फिर भी यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया गया है और संबंधित अधिकारी को पहले ही निलम्बित कर दिया गया है।

गृह मंत्री ने इस महीने के आरम्भ में राज्यों के मंत्रियों को पत्र लिखा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखे एक अन्य पत्र में मुख्यमंत्रियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार अत्याधिक चिंता का विषय है और उनसे अनुरोध किया है कि उनके संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाएं और उनकी समीक्षा करें। कई राज्यों से उत्तर आए है जिनमें गृह मंत्री को आश्वासन दिया है। गृह मंत्री ने महिलाओं पर अत्याचारों संबंधित 24 मार्च, 1995 को राज्य सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्य के एक संकल्प की ओर मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने सभी राज्यों से इस संबंध में व्यापक समीक्षा करने और समुचित कदम उठाने के लिए कहा है।

उक्त संकल्प में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है : (1) हमारे कानून स्थानीय परिस्थितियों की विचित्रताओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, (2) जहां तक सम्भव हो ऐसे मामले स्थानीय आधार पर ही निपटा दिए जाएं जिससे कि लोग, विशेषकर महिलाओं को राहत प्राप्त करने में बहुत अधिक धन व्यय न करना पड़े और (3) जहां तक संभव हो ऐसे मामलों पर 6 महीने की अवधि के भीतर निर्णय दे दिया जाए।

माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि न्यायलयों में हजारों मामले लम्बित पड़े हैं। कठिनाई समय की है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग जाता है। राज्य सभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव (संकल्प) में कहा गया है कि इस विलम्ब की अवधि को घटाकर 6 महीने कर दिया जाए। सरकार इस मामले में विचार करेगी।

केन्द्रीय सरकार के समग्र प्रयासों के फलस्वरूप 12 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों में महिलाओं पर होने वाले अपराधों का निपटारा करने के लिए विशेष सेल बनाए गए है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दहेज के मामलों और महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए महिला पुलिस स्टेशन भी स्थापित किए हैं जिससे महिलाओं में विश्वास की भावना उत्पन्न हो और वे बिना किसी भय के पुलिस थाने जा सकें। दिल्ली पुलिस ने भी महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामलों से निपटने के लिए 9 कक्ष खोले हैं। महाराष्ट्र जैसे कतिपय राज्यों में महिलाओं की पुलिस भर्ती के लिए कुछ प्रतिशतता निर्धारित की है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशें तथा कुछ विशिष्ट मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग से प्राप्त सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके मार्गदर्शन के लिए भेजी जाती हैं।

सन्देहात्मक व्यक्तियों, अभियुक्तों और हिरासत में बन्द व्यक्तियों के प्रति पुलिस के व्यवहार तथा रवैये में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को निदेश जारी किए गए हैं। लिंग-अभिविन्यासित प्रशिक्षण देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पुलिस के नजरिये में परिवर्तन लाया जा सकें।

हाल ही की कुछ घटनाओं, जैसे उत्तराखण्ड आन्दोलन और मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर पुलिस की भूमिका की बहुत कटु आलोचना की गई है। और सरकार इस घटना में महिलाओं की शिकायतों के प्रति बहुत संवेदनशील रही है। मामले की जांच के लिए इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। अभी तक 64 मामले नामित न्यायालयों में दर्ज किए गए हैं। जिनमें 17 मामले महिला उत्पीड़न के हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अभी तक 8 मामले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत देहरादून के न्यायालय में दर्ज कराए हैं।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने भी कुछ मामले, जैसे गाजियाबाद में ईसाई परिव्राजिकाओं के साथ हाल ही में घटे मामलें, राष्ट्रीय महिल आयोग में भेजे हैं ताकि प्रभावी उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें और राज्यों को तदनरूप सलाह दी जा सके। माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे कि महिलाओं पर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और उनसे केवल कानून बनाकर ही नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए महिलाओं को प्रभावित कर सकने वाले और जागरूक बनाने वाले विभिन्न स्वैच्छिक तथा गैर-सरकारी संगठन समाचार पत्र, प्रैस मीडिया तथा समाज के अन्य ऐसे जिम्मेदार लोग आगे आएं और इस मामले में सहयोग दें। लगभग 12,000 स्वैच्छिक संगठन देश के विभिन्न भागों में समाज के निचले स्तर से ही जागरूकता एवं चेतना पैदा कर रही है। सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में हाल ही में एक वैधानिक साक्षरता नियमावली प्रकाशित की है। जिसमें ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं में देश के कानून तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रचार मीडिया के अतिरिक्त अन्य प्रचार माध्यमों से महिलाओं तथा बालिकाओं के विकास की आवश्यकताओं पर बल दिया है।

सरकार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के अपराधों के सिलसिले को समाज के प्रति अत्याचार मानती है। जो सामाजिक शांति में बाधा है सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास तथा महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए

अनिवार्य हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस मामले के प्रति सजग रहेगी और इसे अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनाएगी।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। रात के 8.00 बजे के बाद महिलाएं गिरफ्तार की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : हम एक अलग ही स्तर पर हैं। कृप्या बैठ जाइए।

. . . . **(व्यवधान)**. . . . **

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : मैं माननीया सदस्या श्रीमती गीत मुखर्जी की आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस चर्चा में लगभग 14 सदस्यों ने भाग लिया। मैं उन सभी की आभारी हूं कि उन्होंने ऐसे सुझाव प्रस्तुत किए। महोदय, मैं आपकी भी आभारी हूं क्योंकि यह ऐसा उपयुक्त समय है जब मुझे सदन में और बहुत से सुझाव मिले। हम बीजिंग में हो रहे विश्व सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं और यहां सदन में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों से हमें अन्तिम प्रारूप तैयार करने में बहुत सहायता मिलेगी। अत: मैं इन सुझावों पर विचार करूंगी और फिर जहां कहीं आवश्यक हुआ, जुलाई के अंत तक मैं अन्तिम प्रारूप में इन सुझावों को प्रस्तुत करूंगी।

इन सुझावों के अलावा कुछ नीति निर्णय भी माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किए हैं जिनमें श्रीमती शीला गोपालन तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव हैं जो समान नागरिक संहिता, संसद तथा राज्य विधान मण्डलों में सीटों के आरक्षण तथा समान रोजगार आरक्षण के बारे में हैं। इन पर उपयुक्त समय पर चर्चा की जायेगी।

अब मैं अपने विषय पर आती हूं। सदन के समक्ष प्रस्ताव है, ''महिलाओं पर अत्याचार और उनकी समस्याएं''। मैं समझती हूं महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में मेरे सहयोगी ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों तथा साधारण व सामान्य अपराधों की महिलाओं के प्रति कहीं अधिक अपराध और अत्याचार हुए हैं।

सवप्रथम मैं यही कहूँगी कि सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति सदन के समान ही चिंतित है तथा वह इसे न केवल राष्ट्र के नाते बल्कि सभा मानव के रूप में हमारी सामूहिक अंतर्रात्मा पर एक बदनुमा दाग मानती है। इस बुराई का मुकाबला करने के लिए स्त्री पुरूष सभी सदस्यों ने दलगत नीतियों से उठकर जो सुझाव दिए हैं उनके लिए मैं उनकी आभारी हूं। मैं सभी सुझावों का व्यक्तिगत उत्तर न देकर सामूहिक उत्तर दूंगी।

महिलाओं और पुरूषों में जागरूकता लाने के लिए उनके रवैये एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता के बारे में कहा गया है। हम अत्याचारों को रोकने और इसके लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से अभियान चला रहे हैं जिसमें गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग ले रहे हैं। सामाजिक चिन्तशैली में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से महिला समाख्या, लोक जुम्बिश तथा महिला विकास कार्यक्रम जैसे नए-नए कार्यक्रम चला रहे हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम जागृति शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2000 से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं।

महोदय, सदस्यों ने पुलिस के रवैये तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने के बारे में कहा है। सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा राज्य पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों में विधि-प्रवर्तन तंत्र के लिये ऐसे कार्यक्रम जिनमें कार्मिकों को स्त्रियों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाता है। हम इसे एक सांस्थानिक रूप देने का भी भरसक प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का संबंध है हम ठोस कानूनी साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा यह प्रयास कर रहे हैं। हमने 10 कानूनी साक्षरता नियमावलियां जारी की हैं और गैर सरकारी संगठनों और सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से इनका प्रचार कर रहे हैं। रवैये और व्यवहार में परिवर्तन लाना ही लिंगभेद आधारित अत्याचारों का समाधान है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, दोनों का ही यह उत्तरदायित्व है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर बैठ जाए। मंत्री महोदया उत्तर दे रही हैं। आप उनसे बाद में मिल सकते हैं।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : एक ओर तो यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर यह समाज के व्यापक वर्गों और समाज की राय बनाने वालों की भी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूं कि महिलाओं पर अत्याचारों में वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि महिलाओं और उनके परिवारों में जागरूकता आ रही है। और वे अत्याचारों की रिपोर्ट करते हैं। इस मामले को समुदाय परिवार या अपने तक ही छुपाना नहीं चाहिए बल्कि इसे चिंता अवश्य ही कार्यवाही की दृष्टि से प्राथमिकता वाला मुद्दा बनाना चाहिए।महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से व्यापार में सहभागिता सुनिश्चित कर, समान सम्पत्ति अधिकार देकर, श्रम कानूनों को लागू कर, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कर उन्हें शक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कल सदन में एकमत होकर विचार व्यक्त किये गये थे। देश में बड़े पैमाने पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिये 40 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए., एस.टी.ई.पी., एन.ओ.आर.ए.डी., एस.ई.पी., विभिन्न शहरी विकास कार्यक्रमों तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया जा

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रहा है। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा का भी बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इन क्षेत्रों में 1981 में महिलाओं की भागीदारी 16 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1991 में 23 प्रतिशत हो गई। एस.टी.ई.पी, आर.एम.के., एस.ई.पी., कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 88 लाख 15 हजार खाते खोले गए हैं जिनमें 88.54 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। इसमें तमिलनाड् प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है। इसके लिए हमने इन्हें पुरस्कार भी दिए हैं

आरक्षण के मामले में बहुत से ठोस सुझाव आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमन् जैसा कि आप जानते है और संविधान में महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है और इनमें से कइ सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

तथापि इन्हें अंतिम रूप देने से पहले कुछ सुझावों पर व्यापक वाद-विवाद करने की आवश्यकता है। मैं सदन की सामान्य संवेदनाओं का स्वागत करता हूं।

समान सम्पत्ति अधिकार के मामले से भी सरकार अवगत है और उस पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस पर विचार कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का शीघ्र ही पुनर्गठन किया जायेगा। कुछ राज्य सरकारों ने सांझा सम्पत्ति में समान सम्पत्ति अधिकार का उपबन्ध करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से संशोधन किया है जैसा कि सदस्य जानते ही हैं, सम्पत्ति अधिकार का मामला बहुत जटिल है। और इस संबंध में देश में अनेक तरह की पारम्परिक सम्पत्ति के उत्तराधिकार की प्रथाएं विद्यमान हैं। देश में राज्य स्तर पर महिला आयोगों का गठन करने से और महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय नीतियों की घोषणा करने से मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं में अधिक जागरूकता आयोगी और वैद्यानिक सुधार होंगे। हम अनेक प्रकार की समर्थन सहायता सेवाएं चला रहे हैं। हमने कामकाजी महिलाओं के लिए 740 होस्टलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है और आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत एक नेशल क्रैश फंड भी बनाया है।

विशेषकर अत्याचारों के मामले पर मैं संक्षेप में गृह मंत्रालय के अपने साथी के उत्तर को पूरा करना चाहूंगी। मेरा यह विचार है कि महिला अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं की छ: मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी की है जिसका ऊपर उल्लेख कर दिया गया है। बाल-विवाह के विरूद्ध भी विशेष अभियान चलाया गया है। राजस्थान में 1994 में 714 बाल विवाह रोके गये थे।

दूसरी समस्या है पुलिसं की असंवेदनशीलता को जिसे महिला सुग्राही कार्यक्रम से सुधारों के प्रयास किये जा रहे हैं। तीसरी समस्या महिलाओं पर परिवारों में हो रहे अत्याचार भी हैं। इस के लिए सरकार ने परिवार न्यायालय गठित किए हैं और इनके साथ ही 380 परिवार सलाहकार केन्द्र भी खोले गए हैं जो पारिवारिक वैमनस्य झेलती महिलाओं को उचित परामर्श देने की कारगर भूमिका निभाते हैं।

महोदय, ऐसे मामलों में जहां पीड़ित महिला को पति का घर छोड़ने पर अपने पैतृक घर से सहायता नहीं मिल पाती है, उनके निवास संबंधी समस्या को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लगभग 300 अल्पावधि निवास घरों की स्थापना करके हल करने का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं का देश भर में विस्तार किया जायेगा।

अन्ततः, महोदय सरकार ने महिलाओं के लिए कानूनी तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की है जिसमें महिलाओं के मानव अधिकार भी सम्मिलित हैं। इस आयोग को पर्याप्त सफलता मिली है। इसमें कानूनी सुधारों के बारे में सुझाव दिए है और अत्याचारों के मामले में भी हस्तक्षेप किया है। राज्यों में 9 महिला आयोग बनाए गए हैं। महोदय इन उपायों से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखी जायेगी।

महोदय, कल महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का भी सुझाव दिया गया है। 15 से भी अधिक राज्यों में ऐसे कक्षों की स्थापना की गई है। इस क्षेत्र में राज्य सरकारें काफी आगे हैं। इससे उत्पीड़ित महिलाओं में विश्वास की भावना बढ़ेगी और शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं। राजस्थान में विधवा तथा तलाकशुदा औरतों के विकास कार्यक्रमों को बन्द किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है। सरकार ने राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाया है। विधवाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आयु सीमा हटाने का सुझाव दिया गया है। सरकार ने इसे नोट कर लिया है। सुझाव दिया गया है कि साक्षरता अभियान में तथा अन्य कार्यक्रमों में आगंनवाड़ी कार्यक्रमों को और अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि उन्हें अधिक पारिश्रमिक मिलने लगे। सरकार विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कटिबद्ध और इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बाल वेश्यावृति की गम्भीर सामाजिक बुराइ की ओर ध्यान दिलाया है। सरकार इस बुराइ के प्रति जागरूक है। इस संबंध में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की गई थी जिसने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। शीघ्र ही इसे माननीय सदस्यों को भेजा जायेगा। इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है और शीघ्र ही उचित कार्यवाही कर इस बुराई को समाप्त किया जायेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए हैं और उन्हें राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

महोदय, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से ठोस और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकारें तथा पुलिस बल निरंतर प्रयत्नशील हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन का यह नियमित एजेंडा बन गया है। मेरी सदन में उपस्थित सभी सहयोगियों से अपील है कि इस बुराई को समाप्त करने में सरकार की सहायता करें और इसके लिए समाज, परिवार और व्यक्ति में जागृति उत्पन्न करें। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मंत्री महोदय ने महिलाओं पर हुए अपराधों और अत्याचारों की एक सूची दी है। इस सूची में महिलाओं के अपहरण के मामले शामिल नहीं किए गए है। यह भी तो महिलाओं पर मुख्य अत्याचार व अपराध है। इन मामलों को भी इस सूची में शामिल किया जाए।

बालिकाओं की भ्रूण हत्या के मामलों का क्या हुआ? यह हमारे ही देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में हो रहा है। इसके सामाजिक कारण हैं। उसे भी महिलाओं पर अत्याचार व अपराध मानना चाहिए।

श्री पी. एम. सईद : महोदय, अपहरण पिछले वर्ष दिल्ली में एक बुराई बन गई थी। हमने दिल्ली में सभी नौ पुलिस जिलों में कक्ष स्थापित किए हैं। अब स्थिति नियंत्रण में है और इसमें सुधार हो रहा है। सरकार ने अपनी कार्यसूची में अपहरण, अत्याचार, शोषण और ऐसे सभी पहलुओं को राष्ट्र की प्राथमिकता सूची में समान महत्व दिया है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, हम में से कुछ लोग कल विशेष उल्लेख के मामले नहीं उठा पाए। लेकिन मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में उदारता पूर्वक कहा था कि कल उठाए गए मामले थे, पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अत: यदि ऐसी बात है तो जिन्होंने कल अपने मामले उठाए थे, उनको आज भी अवसर दिया जाए। मैं उन्हें लिख कर देना चाहती हूं और अनुरोध करती हूं कि उन्हें संसद में उठाया गया माना जाए।

मेरा दूसरा अनुरोध महिलाओं के लिए नौकरियों में अवसर प्रदान करने के बारे में है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला उनके विचाराधीन है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : 50 प्रतिशत आरक्षण के बारे में क्या स्थिति हैं?

अध्यक्ष महोदय : वास्तविक स्थिति नहीं बताई गई है, लेकिन यह मुद्दा नोट कर लिया गया है और वे इस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मैंने यही कहा है। मैं सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर ध्यान दें समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें क्योंकि इन पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, एक और अनुरोध हैं। विधानमण्डलों में एक तिहाई आरक्षण देने के लिए सरकार का क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इन सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वे इस पर विचार कर रहे हैं। मंत्रिमण्डल तथा उन्यत्र इस पर सलाह किए बिना इस समय कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : बहुत धन्यवाद।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। महोदय, आपके हस्तक्षेप के बिना इस चर्चा होनी असम्भव थी। मैं उन सदस्यों की भी आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और अपने सुझाव दिए। मैं अपने साथियों से अपील करती हूं कि वे कल की कार्यवाही को पढ़े क्योंकि उसमें न केवल सरकार के लिए सुझाव हैं बल्कि सांसदों के लिए भी सुझाव दिए गए है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं प्रचार-माध्यमों से भी अपील करती हूं कि वे इसमें हमें अपना सहयोग दें ताकि हम इस बुराई से कारगर ढंग से निपट सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहीं कहना चाहूंगा कि वाद विवाद बहुत ही अच्छा रहा और सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए। उत्तर भी उतना ही सटीक और अच्छा था। लेकिन समस्या इस पर गम्भीरता से विचार करने की है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर खींचना चाहता हूं, जिसका संबधं जनतंत्र से है और जिसका संबंध लोकतंत्र से है। प्रजातंत्र की आत्म चुनाव होती है। इलैक्शन जहां खत्म हो जाता है, प्रजातंत्र की आत्मा वहां मरने लगती है और एक्सट्रीमिज्म का प्रसार-प्रचार होने लगता है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, चुनाव आयोग की प्रक्रिया अभी चल रही है और पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि चुनाव की जो महत्ता है, उस चुनाव की महत्ता को कम किया जा रहा है। चुनाव एक तरीके से एक रूटिन वर्क बन कर रह गया है और उसका माखौल बनता जा रहा है। चुनाव जब होता है, तो चुनाव कितने दिन में हो, इसका सारा का सारा विवरण दिया हुआ है। मैं आपके आशीर्वाद से 1977 से लोकसभा में हूं और इसके पहले 1969 से एसेम्बली में रहा हूं। पहले जो चुनाव होता था, उसमें नोमिनेशन के सात दिनों के बाद स्कूटनी और विद-ड्रॉल से 22 से 25 दिन के अन्दर चुनाव खत्म हो जाता था, लेकिन आज चुनाव चल रहा है और तीन-तीन महीने तक चल रहा है। बिहार में चुनाव दिसम्बर-जनवरी में हुए और अभी तक वे खत्म नहीं हो पा रहे है और यह भी मालूम नहीं है कि अभी 27 तारीख को खत्म होंगे या नहीं। एक बात यह भी है कि लोकसभा और एसेम्बली के चुनाव के लिए कैंडिडेट का खर्च भी उतना ही रहता है। चुनाव का जब अंतिम क्षण आता है, तो कैंडिडेट अपनी सारी की सारी एनर्जी लगा देते हैं। जो भी पैसा होता है, उसको खर्च कर देता है और यह सोचात है कि अब हमारे माथे पर से यह भार उतरा है। लेकिन

तभी उसी क्षण उसको मालूम होता है कि जो चुनाव कल-परसों होने वाला था, उसकी तारीख अब और आगे बढ़ा दी गई है, तो कष्ट होता है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको अपनी स्थिति का पता होता है और इसवजह से फिर चुनाव में मैल-प्रैक्टिस भी बढ़ती है। चुनाव के बीस दिनों के लिए एक लाख 35 हजार रुपया एसेम्बली और पांच लाख रुपया पार्लियामेंट के लिए खर्च होता है और जब तीन गुना समय बढ़ा दिया जाता है, तो फिर उतने पैसे में कैसे काम हो सकत है। इसलिए आज के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और हम सब लोग कुछ दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव फेस करने वाले हैं और हम सब लोग वहां जायेंगे। इसी सदन में मैंने कल पंजाब का मामला उठाया था, जबकि कुछ साथी आंध्र प्रदेश की समस्या को उठा रहे थें। मैंने उस समय कहा था कि मैं पंजाब से होकर आया हूं। हमने पंजाब की हालत देखी है वहां अकाली दल का कैंडीडेट कांग्रेस के खिलाफ था और वह काफी मतों से जीतने वाला कैंडीडेट था। मैं आज से 3 दिन पहले वहां पर गया था तो मैंने प्रेस कांफ्रेस में कहा था हमें वहा लोगों ने बताया कि इस चुनाव को यहां रोका जाए क्योंकि यहां साजिश हो रही है। इसमें दो पक्ष है। एक तो सरकारी तंत्र के दुरूपयोग का मामला है, जो इलैक्शन कमीशन ने चार्ज लगाया है। इसमें दो पहलू है। पहला, तिथि को बढ़ाने का है और दूसरा तिथि के बढ़ने का कारण इलैक्शन कमीशन ने यह दिया हे कि पंजाब में खुलकर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया गया। इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि को बढ़ाने का काम किया। मेरा इन दोनों में यह सजेशन है और सरकार से यह प्रश्न है कि पंजाब में गीदड़बाहा का चुनाव बॉय इलैक्शन हो रहा है। पूरे देश में, सब जगह मिला करके 27-28 जगह इलैक्शन हो रहे हैं। उड़ीसा में एक जगह पर चुनाव हो रहा है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में एक जगह पर चुनाव हो रहा है। बिहार में चार जगह पर चुनाव हो रहा है। मेरा कहना यह है कि जब एक उपचुनाव को चुनाव आयोग निश्चित तिथि के अंदर, निष्पक्ष रूप से सम्पन्न नहीं करा सकता है तो यह समस्या कल भी रहेगी। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, 542 लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव की बारी आएगी तो क्या गारंटी है कि वह निश्चित तिथि पर ही होंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इस चुनाव को चुनाव आयोग अगले डेढ़, दो या पांच साल तक भी ले जाए तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

महोदय, मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को सदन बहुत गंभीरता से लें। आप जब मौका देंगे तो हम इस पर डिसकशन करेंगे कि चुनाव आयोग का क्या अधिकार है, पार्लियामेंट का और राष्ट्रपति का क्या अधिकार है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि एक संस्था, एक व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी पावर चली गई है। वहीं संस्था, वहीं व्यक्ति निर्णय करता है कि चुनाव होगा या नहीं, और अगर होगा तो कब होगा। चुनाव चलेगा तो उसकी प्रक्रिया कितने दिनों तक चलेगी। यहां पूरे का पूरा पार्लियामेंट मूकदर्शक बन कर असहाय की अवस्था में देख रहा है और सरकार भी असहाय की अवस्था में देख रही है। उसी असहाय की अवस्था में देश का जो राष्ट्रपति है, जो कांस्टीट्यूशनल हैड है वह लाचारीवश देख रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए।

हमारी सरकार से पहली मांग यह है कि आप चुनाव आयोग से रिपोर्ट लेकर यह बताने का कष्ट करें कि पंजाब में जो 27 मई को चुनाव होने वाला था वह क्यों नहीं हो रहा है? इसकी कांग्रेस के लोगों ने भी निन्दा की है और वहां जो अकाली दल है उन्होंने भी इसकी निंदा की है। दोनों दलों ने तिथि को आगे बढ़ाने की निन्दा की है। मैं जानना चहाता हूं कि चुनाव की अवधि को आगे बढ़ाने का क्या कारण था? उन्हीं ने किन-किन सरकारी तंत्रों के किस-किस चीज का सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है, क्योंकि हमारा तो चार्ज ही सरकार के ऊपर है कि सरकार सरकारी तंत्र का दुरूपयोग करती है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। दूसरा मेरा कहना यह है कि भविष्य में इस तरह से न किया जाए। चुनाव की तिथि को मनमाने ढंग से आगे न बढ़ाया जाए। आगामी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसके लिए सरकार गारंटी दे, सब पक्ष के लोगों से मिल कर बातचीत करें। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव का जो भी समय निश्चित किया जाए उस समय पर चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हों। ऐसा न हो कि चुनाव की जो मेहत्ता है, जो जनतंत्र की आत्मा है उसको मारने की कोई साजिश हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-2 धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने गंभीर मुद्दे को उठाने का अवसर दिया।**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री एम. जी. रेड्डी (चित्तूर) : महोदय, मैंने लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 222 के अधीन नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन अपने नोटिस में आपने कुछ विवरण दिए हैं जो तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं।

श्री एम. जी. रेड्डी : मैं स्पष्ट करूंगा। सभी संसद सदस्य यजो कल वहां गए थे . . . **(व्यवधान)** . . . हम स्पष्ट करेंगे

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा करेंगे। लेकिन तब आपने यह कहा कि उस पीठासीन अधिकारी ने आप को अन्यत्र जाने के लिए निर्देश दिया था।

श्री एम. जी. रेड्डी : कल हमने यह मामला यहां उठाया था। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया कि हमें मुख्य चुनाव आयुक्त को अभ्यावेदन देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अपने नोटिस में आपने यह कहा है।

श्री एम. जी. रेड्डी : लेकिन यह निर्देशन के बारे में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम आप उसे वापस लो।

श्री एम. जी. रेड्डी : मैं उसे वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा वक्तव्य कैसे दे सकते हैं?

श्री एम. जी. रेड्डी : कल आपने हमें सुझाव दिया कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जायें। महोदय, आपके निदेश के अनुसार हम मुख्य चुनाव आयुक्त के, कार्यालय गए थे।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर यह कह रहे है कि यह मेरा सुझाव था।

श्री एम. जी. रेड्डी : महोदय, मैं यह शब्द वापस लेता हूं। कृपया मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास रिकार्ड हैं जिसमें आपने लिखित में मुझे दिया है कि मैंने आपको अन्यत्र जाने के लिए निदेश दिया है। मैं समझता हूं कि ऐसा वक्तव्य आपको नहीं देना चाहिए था।

श्री एम. जी. रेड्डी : मुझे खेद है, महोदय।

महोदय, आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में गोरंतला में 27.5.95 को होने वाले उप-चुनाव के संबंध में कुछ तथ्य प्रस्तुत करने के लिए 25.5.95 को लगभग दोपहर के 1.00 बजे 10 संसद सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त के भूतल स्थित कार्यालय में गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के स्वागत कक्ष में संबंधित अधिकारी से मिले। सुरक्षा जांच के पश्चात हमें प्रथम तल स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त के चैम्बर के बराबर वाले कमरे में ले जाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सहायक ने हमें सूचित किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त केवल 3 संसद सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल से मिलेंगे और शेष सदस्यों के साथ वाले कमरे में बैठने के लिए कहा। तदनुसार, श्री चोक्काराव, संसद सदस्य, डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी, संसद सदस्य और श्री सुरेन्द्र रेड्डी, संसद सदस्य अधिकारी के चैम्बर में गए। श्री शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त तुरन्त उस कमरे में दौड़े आए जहां हम शेष 7 सदस्य बैठे थे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की बातें रिकार्ड में नहीं जायेंगी मुझे खेद है, मामला बहुत जटिल होता जा रहा है। एक ओर तो समाचार पत्रों में कुछ प्रकाशित होता है और दूसरी ओर हम उस पर यहां सदन में चर्चा नहीं कर सकते।

. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री एम. जी. रेड्डी : हम सभी संसद सदस्य थे। महोदय, हम लोकतंत्र चाहते हैं...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, उन्होंने वहां गम्भीर सुरक्षा अव्यवस्था पैदा की...**(व्यवधान)**

श्री एम. जी. रेड्डी : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए...**(व्यवधान)***

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, ये गलत ब्यानी कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे व्यवस्था बनाए रखने दीजिए . . .

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मुझे भी अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आवश्यक नहीं है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे मामले को सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एम. जी. रेड्डी : महोदय, यह मामला उठाना मेरा विशेषाधिकर है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कुछ भी आवश्यक नहीं है।

श्री राम कृष्ण कोंताला (अनकपल्ली) : उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। महोदय।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जी नहीं, मैं शत प्रतिशत ठीक कह रहा हूं, महोदय...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री एम. जी. रेड्डी : महोदय, श्री शेषन दौड़े हुए उस कमरे में आए जहां हम 7 सदस्य बैठे हुए थे...* और हमें बाहर कर दरवाजा दिखाया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी बातों को देखूंगा। केवल यही रिकार्ड में जायेगा, कोई दूसरी बात नहीं।

श्री एम. जी. रेड्डी : हमने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और बताया कि हम यहां अभ्यावेदन करने आये हैं। तब मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री शेषन ने कहा कि यह उनका कार्यालय है और *मुख्य चुनाव आयुक्त के शब्द जो उन्होंने कहे...*

अत: मुख्य चुनाव ने निम्नलिखित कारणों से विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है

(1) हमें देश में प्रत्येक अधिकारी से अपनी बात कहने और, सुनने का पूरा अधिकार है और मुख्य चुनाव अधिकारी को हमारी बात सुनने से इन्कार करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

(2) यह सरकारी कार्यालय है और प्रत्येक नागरिक को चुनावों से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकारी कार्यालय में प्रवेश करने का अधिकार है। यह श्री शेषन का निजी निवास नहीं है। हमने स्वागत कार्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली थी और हमारी वाहन सुरक्षा जांच भी की गई थी। और मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हमसे कार्यालय में बैठने के लिए कहा था। हमारा प्रवेश अनधिकृत नहीं था...**(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

1.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें नियमों को समझना चाहिए।

श्री एम. जी. रेड्डी : महोदय, हम संसद सदस्य अनुमति प्राप्त करके ही मुख्य, चुनाव आयुक्त के कार्यालय में गए थे। वहां हमें अपमानित किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कक्ष में आए और मुझे आश्वस्त करें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे बनता है, फिर मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण कोंताला : महोदय, केवल एक मिनट मेरी बात सुनिए।

श्री एम. जी. रेड्डी : महोदय, केवल एक मिनट दीजिए। यह हम सभी की इच्छा है। प्रोटोकोल के अनुसार एक संसद सदस्य की बात प्रत्येक अधिकारी को सुननी चाहिए। हम जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : महोदय, मैं पंजाब के बारे में बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कहा, वह आपने सुना नहीं?

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कृपया, महोदय, मेरी बात तो सुनिए।

श्री राम कृष्ण कोंताला : जो कुछ वह कह रहे हैं सही नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप आपस में ही लड़ना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मुझे अपनी बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया, आप सोचें, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री एम. जी. रेड्डी : मुख्य चुनाव आयुक्त का उपरोक्त संसद सदस्यों के प्रति व्यवहार इस सम्मानीय सदन में जन प्रतिनिधियों की गरिमा और सम्मान का निरादर करना है और हमारे विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।

श्री शेषन, मुख्य चुनाव आयुक्त ने विशेषाधिकारों का हनन किया है और उन्हें नियमों के अनुसार दण्डित किया जाना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या है श्री राव आप क्या कहना चाहता हैं?

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : महोदय, उन्हें अनुमति नहीं दें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मेरी बात सुने बिना ही आप मुझे बोलने से मना कर रहे हैं। कृपया मुझे अनुमति दें। मैं आपके सम्मुख तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कृपया, मेरी बात तो सुनिए।

श्री राम कृष्ण कोंताला : महोदय, वह नहीं....*

यहां तथ्य प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें रिकार्ड में नहीं जाने देना चाहिए। वास्तव में आंध्र प्रदेश मंत्री परिषद का एक सदस्य उस खान धमाके में अंतर्गस्त है जिसमें कांग्रेस के आठ कार्यकर्ता, जो सभी एक ही परिवार के सदस्य थे, मर गए हैं। राज्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह हालत है..**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मुझे स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति तो हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों चाहते हैं?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मेरी बात सुनने से पहले ही आप यह कह रहे हैं। मुझे एक मिनट की अनुमति तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मामले को जटिल बना रहे हैं और इसे अपने ही विरूद्ध कर रहे हैं। अगर आप में कुछ समझ है तो कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : कृपया सुनिए तो सही।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें गलती क्या है?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मुझे ये रोक देते हैं, वे तथ्यों को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए यह सदन आपका ही है, आप अपनी मर्जी से सदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हां, तो आगे बोलिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा ही ऐसा करते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जी नहीं, महोदय मैं अध्यक्षपीठ का बहुत सम्मान करता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : महोदय, यह मामला किसी एक दल का नहीं है। यह मामला श्री शेषन और उन 10 संसद सदस्यों के बीच का है जो कल उनके कार्यालय में गए थे। श्री यू. एस. राव यह कहना चाहते हैं...*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप ऐसा नहीं कहें...* आप उस व्यक्ति का नाम कैसे ले सकते हैं जो इस सदन का सदस्य नहीं है?. ..(व्यवधान) आप तेलुगु देशम पार्टी के टिकट से इस सदन के लिए चुने गए थे और अब आप कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। यदि आपको कोई ऐसी...* आप इस तरह नहीं बोले...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां इन सब बातों की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आप सभी ने इस तरह का व्यवहार करने का निश्चय किया है। श्री राव, अब आप बोलिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष पीठ का बहुत सम्मान करता हूं। वह एक कांग्रेस (ई) का प्रत्याशी और भूतपूर्व विधायक था, जिसने तेलुगुदेशम पार्टी के समर्थक की हत्या कर दी और अब ये सदन में यह आक्षेप लगा रहे हैं कि तेलुगुदेशम पार्टी निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहती है।

श्री राम कृष्ण कोंताला : यह सब एक दम झूठ है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : लेकिन. वास्तविकता यह नहीं है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने कार्यालय में जबरन घुसे और मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से कहा कि ऐसे प्रबन्ध किए जाएं ताकि ऐसी घटना पुनः न होने पाए। वह वास्तव में अध्यक्ष का प्राधिकार मांग रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूं। जो ये कर रहे है वह सही नहीं है। इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। मैं यहीं कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री एम. जी. रेड्डी : महोदय, यह सही नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है। आपको इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उस भाषा को समझिए जो उन्होंने बोली है। आप जिम्मेदार सदस्य हैं। आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : श्री राम विलास पासवान जी ने पंजाब के चुनाव को आगे टालने की बात कही है। मैं सिर्फ उस बाबत कुछ कहना चाहता हूं। गीदड़बाह चुनाव क्षेत्र मेरे पार्लियामेंट चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से तीन तारीख को चुनाव और पांच तारीख को मतगणना की बात कही गयी है लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में लोगों में, वोटरों में और आवाम में यह चर्चा है कि इन चुनावों को कभी भी नहीं करवांया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी गई है।

कि पार्टी को डि-रिकोग्नाइज क्यों न कर दिया जाये, क्योंकि इन-इन मॉडल कोड आफ कंडक्ट का हनन हुआ है। यहां पर तमाम दलों के नेता लोग बैठे हुए है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हुकुमत, जिसकी सदारत में चुनाव हो रहा हो, अगर वह खुद चाहे कि चुनाव आगे बढ़ाया जाये तो फिर क्या किया जा सकता है। इतना ही नहीं 7 तारीख से 15 तारीख के अन्दर वहां रेस्ट हाउस में चीफ मिनिस्टर और मंत्री आकर ठहरें। वहां के सरपंचों को बदल दिया गया, 60 लाख से ज्यादा पेंशन का वितरण कर दिया गया और इसके अलावा नौकरियां दी गई, अध्यापकों की तमाम मांगों को मान लिया गया इससे लोगों में गलतफहमी पैदा हुई है कि खुद प्रदेश की हुकूमत मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर इस चुनाव को स्थगित करना चाहती है। मैं यह इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन पंजाब में और गिदड़बाहा में लोगों में यह आम चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना पीक सीजन था, पंजाब के लोग में यह आम चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना पीक सीजन था, पंजाब के लोग अपनी बीजाई और कटाई में लगे हुए थे। तमाम राजनैतिक दलों के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के लोगों ने वहां के लोगों का वक्त जाया किया। अब जब सोइंग का पीक सीजन है, लोगों का वक्त जाया करने के लिए सात दिनों के लिए और चुनाव टाल दिये गये। ऐसे हालात में जब एक जगह पावर कंस्ट्रेट हो गई है, उससे देश की, इलेक्शन प्रोसेस की, प्रजातंत्र की और अवाम की बिल सामने नहीं आ रही है। यह बेहद अफसोस की बात है। मैं चाहूंगा कि यह चुनाव हो और कम से कम 3 तारीख को वोट पड़ें ताकि अवाम ने जो फतवा देना है, वह सामने आ जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह के मामले बार-बार उठाए जाते है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हम यहां भारत के संविधान के अनुसार कार्य करें और भारत के संविधान में ही चुनाव आयोग बना है, इतना ही नहीं, भारत के संविधान से ही केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विधानमण्डल और राज्य सरकारें तथा राज्य विधान मण्डल बने हैं।

भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि केन्द्रीय सरकार का किन विषयों के प्रति उत्तरदायित्व है और राज्य सरकारों का किन विषयों के प्रति उत्तरदायित्व है। भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य विधान मण्डल के सभी चुनाव, जब तक कि संसद द्वारा प्रावधान न बनाए जाएं..., राज्य सूची में है। यह मामला राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल में निपटाया जाना है। केन्द्रीय सरकार का इस मामले में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। केवल चुनाव आयोग का ही इसमें क्षेत्राधिकार है। लेकिन संविधान के प्रावधानों का पालन और बिना हम आये दिन यहां ऐसे मामले उठाते है जो राज्य विधानमण्डलों में उठाये जाने चाहिए, और यहां तक कि हम जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों से संबंधित मामले भी उठाते है। मैं नहीं समझता कि इस सर्वोच्च निकाय से ऐसी अपेक्षा कैसे की जाती है कि वह समस्त देश के उन सभी कानूनों को देखेगी जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

है। हम उन पर यहां कैसे चर्चा कर सकते है, हम उसमें क्या कर सकते है और क्या निर्णय ले सकते है।

मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर विचार करें और भविष्य यह देखें कि जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, वे उसका कैसे उपयोग कर सकते है। आपको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो हम किसी निर्णय पर नहीं पहुचेंगे और हमें कोई राहत नहीं मिलेगी। केवल इतना ही है कि हम इस सदन में अपने विचार प्रकट करने से ही संतोष कर लेते है। मेरा सदस्यों से नम्र निवेदन है कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं हों।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, मेरे मामले का क्या हुआ? मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते है तो सदन में उचित प्रकार से नियमानुसार नोटिस दें। फिर हम देखेंगे कि यदि वह नियमों के अनुरूप है तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप हम से यह अपेक्षा करें कि यहां राज्य विधानमण्डलों, ग्राम पंचायतों अथवा जिला परिषदों के प्रत्येक चुनाव पर चर्चा हो, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा सम्भव हो पायेगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों और राज्य विधानमण्डलों को स्पष्ट अधिकार दिए गए है। इसके बारे में संविधान में भी संदिग्धता नहीं है। और फिर भी हम यहां समस्त देश के लिए कानून बनाने वाले उनका पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए वास्तव में यह अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन सभी बातों को देखते हुए भविष्य में ऐसा नहीं हो।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, यह सही है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब आचार संहिता का ही हनन होता है और चुनाव आयोग एक दम चुप है और जब वह पक्षपात करने लगता है तो तब संसद क्या....

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री जेना जैसे विज्ञ व्यक्ति को यह सब स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि जब किसी कानून या किसी आचार संहिता का हनन होता है, तो आपके समक्ष न्यायालय है जहां आप को न्याय मिलेगा आप को राहत मिलेगी? संसद को न्यायाधीश नहीं है जो दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय दें। हमने आपकी बात सुन ली उनकी बात सुन ली लेकिन हमें उस पर निर्णय देने का कोई प्राधिकार नहीं है। इसीलिए कानून ने निर्णय किया है, संविधान ने निर्णय दिया है कि वहां कानून है और यदि किसी संहिता का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में निर्णय देने के लिए मंच है। अत: संसद में आने की बजाए, जाहं आप नीति निर्धारित करते हैं, जहां यह देखते है कि क्या उन नीतियों का कार्यान्वयन हो रहा है अथवा नहीं, और जहां आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, और यदि आप ही सही और गलत ठहराने का अधिकार क्षेत्र अपने आप में ही ले लें और यह स्थिति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए श्रीजेना जी मेरी बात समझिए। आप मेरे कक्ष में आए। मैं वहां आप से चर्चा करूंगा, यहां नहीं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं इस पर आपसे बात कर सकता हूं...

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहता।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, तीन दिन पहले केन्द्रीय सरकार ने नारियल के लिए समर्थन मूल्यों की घोषणा की थी। नारियल उत्पादक बहुत कठिनाई में पड़ गए हैं क्योंकि सरकार बहुत कम मूल्य पर नारियल खरीद रही है। यद्यपि घोषणा कर दी गई है लेकिन यह मामला किसान को संरक्षण देने का है। समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है और इससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

केवल 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

1.12 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब एक मामला और उठ गया है। अब सरकार को नारियल और कोपरा अपने द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए। लेकिन नैफेड और सरकार के बीच एक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। नैफेड जो नारियल खरीदती है, उसने अभी अपनी खरीद शुरू ही नहीं की है जबकि समर्थन मूल्य घोषित हो चुक है। नैफेड का दावा है कि उसे पिछली खरीद में घाटा हुआ है और एक करार के अनुसार भारत सरकार को 25 करोड़ रुपये का भुगतान नैफेड को करना है। अब यह मामला आड़े आ रहा है और बेचारा गरीब किसान पिस रहा है। उसे घोषित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है और इसमें विलम्ब किए जाने से बिचौलिए मुनाफा कमा रहे हैं।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि घोषित समर्थन मूल्य पर नारियल की तुरन्त खरीद शुरू की जाए।

[हिन्दी]

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और सकी बहुसंख्यक जनता खेती के काम में लगी हुई है। 65 करोड़ से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर है और कार्य करते हैं लेकिन आज किसानों की पीड़ा और उसका दर्द बढ़ा है। आजादी के इतने लम्बे समय के बाद उनके लिये रियायतों का ढंढोरा पीटने के बावजूद किसान आज भी दुखी है। कृषि में समस्यायें आज भी लगातार बनी हुई हैं जिस पर पिछले कुछ समय से ध्यान नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत को कृषि प्रधान देश जरूर कहते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि रियायतों और सुविधाओं के आधार पर उसको औद्योगिक प्रधान देश कहे तो ज्यादा उचित होगा। किसान अपनी फसल या उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकता है। किसान को स्टोरेज की सुविधा नहीं है, बिली उसको मिलती नहीं। यदि मिलती है तो कुछ घंटों के लिये और वह भी ऊंचे रेट्स पर। किसान को फर्टिलाईजर या दूसरी जरूरत की चीजें महंगी मिलती हैं। इस प्रकार

से आज कृषि पूरी तरह से अलाभकारी है। किसान के साथ-2 सारा दिन उसके बच्चे और महिलायें काम करते हैं लेकिन किसान फिर भी लगातार घाटे में है।

भारत की कृषि, भारत की खेती घाटे में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रियायतें और सुविधाएं उद्योग को है, वही कृषि को भी दी जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि आई.डी.बी.आई. और आई.सी.आई.सी.आई. जैसी संस्थाएं उद्योगों को जो ऋण देती है, उसी प्रकार भारतीय कृषि को भी हम वही सुविधा प्रदान करें, लेकिन ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। आप सरकार को निर्देश दें कि बहुत दिन से इस बारे में बात की जा रही है इसलिए कृषि का हम उद्योग का दर्जा दें। किसान दुखी है, उसकी पीड़ा बढ़ रही है। इसलिए किसान को वह सुविधाएं दी जानी चाहिए। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार असम में केवल 494 गांवों में बिजली नहीं है। लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि गांवों में बिजली के खम्भे खडे कर देने और गांवों में या गांवों के ऊपर से तार बिछाने से ही गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो जाता। रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन ने ऐसा ही किया है, वहां अभी भी हजारों गांवो में बिजली नहीं है।

असम में आज की तिथि के अनुसार 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बहुत अधिक गांवों में अभी तक बिजली नहीं है। इस पर भी दक्षिण असम में दिन में लगभग 15 से 17 घंटे तक बिजली की कटौती की जाती है।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि असम में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति में सुधार किया जाए और दक्षिण असम में इस समय की जा रही बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती बन्द की जाए।

***श्री ओस्कर फर्नान्डीज** (उदुपी) : उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक सरकार ने किसनों की ओर बकाया पड़े ऋणों पर ब्याज की राशि की वसूली की माफी कर दी है। यह क्रान्तिकारी कदम मेरे राज्य के किसानों के लिए वरदान के समान है।

एक माननीय सदस्य : आप किस भाषा में बोल रहे हैं।

***श्री ओस्कर फर्नान्डीज : यह कन्नड़ भाषा है। महोदय, इसके फलस्वरूप नाबार्ड ने किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया है। नाबार्ड राज्य के सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किसानो की सहायता करता था और उसने अचानक ऋण की सुविधा बंद कर दी है। इससे किसनों को बहुत बड़ा धक्का लगा है। वर्षा ऋतु आ गई है और किसानों को नई फसल उगाने की तैयारी करनी है। उन्हें उर्वरक, बीज तथा अन्य उपादान खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।**

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपातंर।

किसानों को लगभग 90 प्रतिशत ऋण की अदायगी करनी है। अत: राज्य में अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई हैं। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के किसानों को सहकारी क्षेत्र के माध्यम से ऋण की सुविधा जारी रखी जाए। केन्द्र को किसानों की कड़िनायां समझनी चाहिए। यदि यह सुविधा बन्द कर दी गई तो किसान कठिनाई में पड़ जायेगा। उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह सुविधा कब तक बन्द रखी जायेगी।

मैं केन्द्र सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के किसानों को ऋण की सुविधा जारी रखी जाएं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आज भारत एक स्वाधीन और स्वाभिमानी राष्ट्र है। इस नाते ऐसे देश के लिए सामरिक तैयारी एक ऐसी चीज है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज जबकि पाकिस्तान हमारे विरूद्ध अघोषित युद्ध कर रह है और आई.एस.आई. तथा भाड़े के सैनिकों के माध्यम से कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में भारत विरोधी तत्वों एवं उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा है तो यह अत्यन्त आवयक है कि हम अपनी परमाणु प्रतिरक्षा नीति को ठोस बनाने का प्रयास करें।

आज चीन हमारा दूसरा पड़ौसी देश है और वह भी निरन्तर परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा है तथा उसके पास परमाणु शक्ति आ गयी हैं। पाकिस्तान का तो दावा है कि उसके पास परमाणु बम है। अमरीका और रूस जैसी बड़ी-बड़ी ताकतों ने भी अपने पास जखीरे इकट्ठे कर रखे हैं और निरन्तर परीक्षण कर रहे हैं। चीन अमरीका व रूस के प्रतिबंधो के बावजूद निरंतर परीक्षण करता रहा हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में मेरी भारत सरकार से मांग है कि वह ठोस परमाणु प्रतिरक्षा नीति का निर्माण करें और देश में आत्म विश्वास पैदा करने के लिए शीघ्र ही परमणु प्रतिरक्षा नीति का निर्माण करें ताकि देश के आसपास के शत्रु राष्ट्रों के मनोवल को गिराया जा सके और देश के आत्म विश्वास को बढ़ाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : मैं सरकार का ध्यान अंडमान और निकोबार के निवासियों की गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। वे मुख्य भूमि से अलग थलग रह रहे हैं और उन्हें, संचार, परिवहन और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की निरन्तर कमी, या उनकी सप्लाई के अभाव, तथा ऐसी ही अन्य अनेक समस्याओं व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

कल मुझे पोर्ट ब्लेअर से पता चला कि एक काफी समस्या अंडमान और निकोबार के लोगों के सामने उत्पन्न हो गई है। वहां गरीब जनता को लाने ले जाने के कुछ हीं जहाज या जलपोत हैं जिनकी संख्या बहुत ही सीमित है। इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ाने भी बहुत सीमित है। गरीब लोग विमान यात्रा का भार वहन नहीं कर सकते।

एक बड़ा जलपोत एम. वी. अक़बर है जो खराब हो गया है और नवीकरण के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी के पास भेज दिया गया है। उस पर 33 करोड़ रुपये खर्च हुए है। यह जहाज पिछले महीने से ही काम कर रहा है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर से चलने के बाद वह बीच समुद्र में खराब हो गया और उसमें सवार गरीब यात्रियों का जीवन खतरे में पड़ गया। किसी तरह से इसे वापस पोर्ट ब्लेयर लाया गया और अभी तक वही पड़ा हुआ है। लोग इधर उधर आ जा नहीं सकते। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। लोगों के आन्दोलन करने का निर्णय किया तो वहां के सर्वोच्च अधिकारी उपराज्यपाल के दमनकारी कदम उठाए। वह लोगों को धमका रहे हैं कि कोई अपनी जुबान नहीं खेलेगा और न ही कोई प्रदर्शन करेगा। ऐसे दमनकारी आदेश जारी करने के बाद उपराज्यपाल अंडमान छोड़ कर चले आए हैं और वहां के निवासी कष्ट उठा रहे हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि उन लोगों की कठिनाई को देखे जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं और यह सुनिश्चित करें कि उनके परिवहन की समस्या प्राथमिकता के आधार पर हल की जाए और अपनी कठिनाइयों का प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दमनकारी कदम बन्द किए जाए।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के सहरसा, दरभंगा, तिरहुत, सारण प्रमण्डल और उत्तर प्रदेश के देवरिया एवं गोरखपुर क्षेत्रों से प्रतिदिन हजारों मजदूर पंजाब, हरियाणा और जम्मू तवी रोजगार करने हेतु जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पढ़ना मना है, ऐसे ही बोलिए।

श्री मंजय लाल : वे मजदूर आरक्षित डिब्बों के कारण टिकट लेकर भी रेलगाड़ी की छतों पर चढ़कर सफल करते हैं। उनमें से कई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यह भी शिकायत है कि जी.आर.पी. एवं आर.पी.एफ. द्वारा उनको परेशान किया जाता है और उनकी कमाई लूट ली जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि समस्तीपुर मण्डल मुख्यालय से प्रतिदिन अनारक्षित गाड़ी जम्मू तवी तक चलायी जाए। इससे हमारे यहां के मजदूर हरियाणा और पंजाब में रोजगार के लिए जा सकेंगे।

श्री रामनिहोर राय (रोबट्र्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल के उन सूखे जिलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे पहाड़ी जिले शामिल है। वहां कुल 24 विकास खंड है, जिनमें से 16 विकास खंड सोनभद्र जिले में आते हैं और 8 विकास खंड मिर्जापुर जिले में आते हैं जिनमें 18 विकास खंड ऐसे हैं जो कैमूर पहाड़ी पर बसे हुये हैं और इन दिनों भयंकर सूखा एवं पेयजल के संकट से गुजर रहे हैं, पीने के पानी का भारी अकाल है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पशु, पक्षी पानी के अभाव में मर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि विश्व बैंक की पेयजल योजना वहां बिल्कुल अपर्याप्त हैं, अव्यवस्थित है। असंतोषजनक है। जल निगम द्वारा वहां जो ट्यूबवैल लगाये गये हैं, वे प्राय: बिगड़े रहते हैं। उदाहरण के लिये रॉबट्र्सगंज, घोरावल, राजगढ़ म्योरपुर और मंझवा नगवां आदि विकास खंडों में विगत कई वर्षों से जल निगम द्वारा जितने ट्यूबवैल लगाये गये थे वे पिछले चार-पांच वर्षों से खराब है। रॉबट्र्सगंज संसदीय क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। वहां प्राइवेट संस्थाओं और सरकारी तंत्र द्वारा जो हैंडपम्प लगाये जा रहे हैं, उन्हें काफी ऊपर गाढ़ा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यूनीसेफ द्वारा जो रिंग मशीनें मिर्जापुर और सोनभद्र के पहाड़ी इलाकों के लिये भेजी गयी थी और जिन्हें वहां से हटाकर दिल्ली या अन्य जगहों पर ले जाया गया है, उन्हें वापस जिला सोनभद्र और मिर्जापुर में भेजा जाये। वहां जिन 18 विकास खंडों में जल निगम द्वारा जलपूर्ति हेतु ट्यूबवैल लगाये जाते हैं, भारत सरकार तत्काल उन्हें पैसा देकर, उन्हें चालू कराने की व्यवस्था करें, यही मेरा आग्रह है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 1.30 म.प. शून्य काल समाप्त हो जायेगा। एक सदस्य और अपनी बात कह सकते हैं बशर्ते कि आप कम बोलें।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : मान्यवर, बिहार राज्य में बक्सर और भोजपुर जिले 'नो इंडस्टी' जिले हैं, जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेकार नौजवानों की जनसंख्या लगभग 36 हजार बक्सर में और 65 हजार भोजपुर में है। वहां सिंचाई का भी समुचित इंतजाम नहीं है। वहां के बेकार नौजवानों में मजदूर और पढ़े-लिखे लोग भी शामिल हैं जो काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। इन जिलों में अभी तक समेकित ग्रामीण विकास योजना केवल 4 प्रखंडों में ही शुरू की गयी है। यदि सभी प्रखंडों में समेकित ग्रामीण विकास योजना लागू हो जाये तो उससे बहुत से बेकार नौजवानों को काम मिल जायेगा और साथ गरीब मजदूरों को भी काम मिल जायेगा। अभी तक इस योजना को सभी प्रखंडों में लागू नहीं किया गया है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिहार के बक्सर और भोजपुर जिलों के तमाम प्रखंडों में समेकित ग्रामीण विकास योजना लागू की जाये। पहले शाहाबाद देहरी में एक कारखाना था लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया है। मेरा आग्रह है कि बक्सर जिले में एक बड़ा कारखाना खोला जाये जिसमें करीब एक लाख लोगों को काम मिल सके। इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की रोजी-रोटी की समस्या भी हल होगी।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक काशीनाथ सेठ बैंक है, जिसकी

स्थापना 1948 में हुई थी,जिसकी तीस शाखाएं हैं उसमें 582 कर्मचारी हैं। उसमें लगभग ढाई लाख डिफाल्टर्स हैं। वह प्राईवेट बैंक है, जिसे रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से लाईसेंस दिया गया है। पिछले 20 महीनों से बैंकिग रैगुलेशन एक्ट के तहत उस बैंक पर रैस्ट्रिक्शन्स लगा दी गयी हैं जिसके कारण बैंक से कोई डिफाल्टर पैसा विदड्रा नहीं कर सकता। उसका परिणाम यह सामने आ रहा है कि अनेक लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं और शादियां नहीं करा पा रहे है। इस कारण बैंक के सारे डिफाल्टर्स और कर्मचारी दुखी हैं। जब मैं इस सिलसिले में माननीय वित्त मंत्री जी से मिला तो मुझे मालूम हुआ कि सरकार इस बैंक को लिक्विडेंट करने जा रही है, बंद करने जा रही है और लोगों का पैसा बर्बाद करने जा रही है। कर्मचारियों को उनके भाग्य के सहारे छोड़ा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि काशीनाथ सेठ बैंक को लिक्विडेंट करने की बजाये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अमल्गमेंट कर दिया जाये अथवा कोई दूसरा बैंक इसके असैट्स आदि को टेक-ओवर कर लें, ऐसे आदेश सरकार की तरफ से जारी होने चाहिये ताकि डिफाल्टर्स का पैसा भी सुरक्षित रहे और कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित हो सके। यही मेरा खास तौर से आग्रह है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप श्री ओस्कर फर्नान्डीज के प्रश्न का उत्तर देंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : यदि आप अनुमति दें तो मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ओस्कर फर्नान्डीज ने कर्नाटक की सहकारी समितियों का नाबार्ड द्वारा पुन: वित्तीय सहायता देने का मुद्दा उठाया हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि नाबार्ड के अधिकारियों ने हाल में कर्नाटक राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने एक समझौते (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभापटल पर पत्रों को रखेंगे।

1.31 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों दर्शाने वाला विवरण

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7693/95)

भारतीय पटसन निगम, लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री जी. वेंकट स्वामी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7694/95)

काफी बोर्ड का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों का सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) काफी बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) काफी बोर्ड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) काफी बोर्ड के वर्ष 1993-94 के सामान्य निधि लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7695/95)

(5) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7696/95)

(6) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) निर्यात परीक्षण परिषद (निदेशक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1994, जो 16 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) काजू गिरि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1994 जो 16 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 898 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7697/95)

(7) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खंड 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7698/95)

सेवा निवृति के बाद ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस के अधिकारियों, कर्मचारियों, द्वारा निजी क्षेत्र की समुत्थानों में नौकरी की स्वीकृति (संशोधन) विनियम, 1995 तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान), मालवा ग्रामीण बैंक संगरूर (पंजाब) आदि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा निवृत्ति के बाद ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा निजी क्षेत्र की समुत्थानों में नौकरी की स्वीकृति (संशोधन) विनियम, 1995 जो 11 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3917 में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7699/95)

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1993-94 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :-

(एक) जयपुर नागौर आंचलित ग्रामीण बैंक, जयपुर (राजस्थान)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7700/95)

(दो) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर (पंजाब)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7701/95)

(तीन) दमोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7702/95)

(चार) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (शिवपुरी) (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7703/95)

(पांच) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला (महाराष्ट्र)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7704/95)

(छह) पुरी ग्राम्या बैंक, पुरी (उड़ीसा)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7705/95)

(सात) सुहानसिरी गांवलिया बैंक, लखीमपुर (असम)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7706/95)

(आठ) कालाहान्डी आंचलिक ग्राम्या बैंक, भवानी पटना (उड़ीसा)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7707/95)

(नौ) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7708/95)

(दस) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पुर्णिया (बिहार)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7709/95)

(ग्यारह) इल्लाकुअई देहाती बैंक, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7710/95)

(बारह) मांडला पालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7711/95)

(तेरह) कामराज ग्रामीण बैंक, सोपोर (जम्मू-कश्मीर)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7712/95)

(चौदह) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई (जालौन) (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7713/95)

(पन्द्रह) श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7714/95)

(सोलह) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाल (कर्नाटक)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7715/95)

(सत्रह) छिन्दवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7716/95)

(अट्ठारह) वल्लालार ग्रामा बैंक, कुड्डालोर (तमिलनाडु)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7717/95)

(उन्नीस) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7718/95)

(बीस) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7719/95)

(इक्कीस) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंद गांव (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7720/95)

(बाईस) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होश्यारपुर (पंजाब)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7721/95)

(तेईस) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7722/95)

(चौबीस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7723/95)

(पच्चीस) चैतन्या ग्रामीण बैंक, तेनाली (आंध्र प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7724/95)

(छब्बीस) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7725/95)

(सत्ताईस) औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7726/95)

(अट्ठाईस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7727/95)

(उन्नंतीस) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7728/95)

(तीस) रत्नागिरि सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि (महाराष्ट्र)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7729/95)

(इकतीस) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर (कर्नाटक)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7730/95)

(बत्तीस) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हौशंगाबाद (आंध्र प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7731/95)

(तेंतीस) गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7732/95)

(चौंतीस) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी (बिहार)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7733/95)

(पैंतीस) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7734/95)

(छत्तीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा (हिमाचल प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7735/95)

(सैंतीस) अध्यमान ग्रामा बैंक, धर्मपुरी (तमिलनाडु)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7736/95)

(अड़तीस) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्मम (आंध्र प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7737/95)

(उनतालीस) ऋषिकुल्य ग्राम्या बैंक, बेरहामपुर (उड़ीसा)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7738/95)

(चालीस) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला (पंजाब)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7739/95)

(इकतालीस) मंजीरा ग्रामीण बैंक, सांगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7740/95)

(बयालीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर (आंध्र प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7741/95)

(तैंतालीस) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लहरिया सराय (बिहार)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7742/95)

(चवालीस) सागर ग्रामीण बैंक, अमतल्ला (पश्चिम बंगाल)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7743/95)

(पैंतालीस) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, कोरापुट (उड़ीसा)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7744/95)

(छियालीस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7745/95)

(सैंतालीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (कर्नाटक)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7746/95)

(अड़तालीस) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर (गुजरात)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7747/95)

(उनचास) गृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा (कर्नाटक)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7748/95)

(पचास) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम (केरल)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7749/95)

(इक्यावन) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7750/95)

(बावन) भीलवाड़ा अजमेरर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा (राजस्थान)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7751/95)

(तिरपन) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान (बिहार)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7752/95)

(चौवन) बुलदाना ग्रामीण बैंक, बुलदाना (महाराष्ट्र)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7753/95)

(पचपन) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय (बिहार)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7754/95)

(छप्पन) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7755/95)

(सतावन) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांडया (कर्नाटक)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7756/95)

(अठावन) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7757/95)

(उनसठ) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7758/95)

(साठ) फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखाबाद (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7759/95)

(इकसठ) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7760/95)

(बासठ) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर (बिहार)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7761/95)

(तिरसठ) अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7762/95)

(चौंसठ) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7763/95)

(पैंसठ) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी बीरभूम (पश्चिम बंगाल)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7764/95)

(छियासठ) बैतरणी ग्राम्य बैंक, बारीपाड़ा, मयूरभंज (उड़ीसा)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7765/95)

(सड़सठ) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर (राजस्थान)

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7766/95)

(अड़सठ) नादिया ग्रामीण बैंक, कृष्णनगर (पश्चिम बंगाल)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7767/95)

(4) सागर ग्रामीण बैंक, उल्टाडांगा (कलकत्ता) के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7768/95)

1.32 म.प.

राज्यसभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे वित्त-विधेयक, 1995 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 23 मई, 1995 की बैठक में पारित किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

1.32½ म.प.

परिवहन और पर्यटन सम्बन्धी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.33 म.प.

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति साक्ष्य

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

01.33½ म.प.

सभा का कार्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 29 मई, 1995 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :-

1. विचार तथा पारित किया जाना :-

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995

(ख) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1995

2. आज की कार्य-सूची में से ली गई सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार किया जाना।

3. राज्यसभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित किया जाना :-

(क) दिल्ली किराया विधेयक, 1994

(ख) वक्फ विधेयक, 1993

(ग) असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1994

(घ) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1995

(ङ) कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1995

(च) दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1995

4. ड्राफ्ट कृषि नीति के बारे में संकल्प पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :-

1. घोसी से मेहरावत खलीलाबाद होते हुए धनघटा को कपिल वस्तु योजना में स्वीकृति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।
2. डिप्टीगंज से छावनी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण तथा उस पर यातायात के भारी दबाव को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करें :'

1. मध्यप्रदेश से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधार कर अच्छा किया जाए तथा इन्दौर-उज्जैन-आगर-सुसनेर सोयड झालावाड़-कोटा-जयपुर से दिल्ली को जोड़ने के लिए साथ ही इन्दौर रतलाम-मन्दसौर-नीमच-चित्तौड़गढ़ अजमेर-जयपुर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर तदनुरूप निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।
2. इन्दौर-उज्जैन-नागदा-कोटा-सवाईमाधोपुर-जयपुर जोधपुर ब्राडगेज रेल लाइन पर इन्दौर-उज्जैन-जयपुर-जोधपुर नयी यात्री रेल

सेवा तथा रतलाम-बड़नगर-इन्दौर मीटर गेज तथा इन्दौर-उज्जैन के बीच निरंतर चलने वाली रेल यात्री गाड़ी जनता की सुविधा के लिए शीघ्र प्रारंभ की जाए।

मेजर जनरल (रिटयर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये :-

(1) उत्तरांचल के पिछड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। वहां पर अस्पताल, बैंक, पोस्ट ऑफिस इत्यादि खोलने के लिए योजना आयोग के नियमों को पुनर्विचार व उनमें छूट देने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाये।

(2) गढ़वाल मण्डल के पौड़ी गढ़वाल व चमोली जनपदों में पेयजल संकट।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को शामिल किया जाये :-

(1) आरा, सासाराम, डिहरी-रोहतास, भावनाथपुर तक रेल लाइन बनाने की स्वीकृति दी जाये।

(2) सासाराम कोचस चोसा बक्सर से उजियार वलिया, आजमगंज तक जाने वाली राज्यं स्तरीय मार्ग को राष्ट्रीय उच्च पथ में घोषित किया जाये।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये :-

बिहार राज्य को गेहूं, चावल, लेवी चीनी, किरासन तेल एवं जलावन कोयला का मासिक आवंटन वर्तमान जनसंख्या एवं आवश्यकतानुसार किये जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाये।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि कृपया आगामी सप्ताह की सूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाये :-

(1) बिहार राज्य के आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के लिये कोयले के वजन की जगह इसके मूल्य के आधार पर रायल्टी दिये जाने की आवश्यकता पर विचार किया जाये।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :-

(1) केन्द्र के सामने बिहार की 6110 मेगावाट की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित पर विचार करने की आवश्यकता।

(2) बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बीमार एवं बंद बड़े और मध्यम औद्योगिक इकाइयों पर लगभग 50 हजार बंद औद्योगिक इकाईयों को भरपूर मदद कर जीवन प्रदान करने एवं चालू करवाने की आवश्यकता।

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं :-

(1) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की आवश्यकता।

(2) उत्तर प्रदेश में गन्ने की अधिक मात्रा को देखते हुए प्रदेश में अधिक चीनी मिलों की आवश्यकता।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जावे :-

(1) देश में बढ़ती हुई जनसंख्या दर की बढ़ोत्तरी पर अंकुश लगाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी जाये जिससे देश आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में प्रखर रूप से विकासोन्मुख बन सके।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषयों को संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य के बाद अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ जाये :-

(1) रेल मंत्रालय और नागरिक उडयन विभाग में वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की मानी जावे और दोनों विभागों के टिकटों में 50 प्रतिशत की रियायत बिना यात्रा दूरी सीमा बांध दी जावे।

(2) जयपुर शहर जिसकी जनसंख्या 18.50 लाख है, उसे "ए" श्रेणी का नगर जनसंख्या नियम जो 15 लाख का है, मान्यता दी जावे।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट। उल्लेखों के लिए केवल 10 विषय विचार के लिए लिए जाते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानता हूं। लेकिन अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने हेतु आज अन्तिम दिन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने के लिए आज अन्तिम दिन है। अगला शुक्रवार तो सत्र का अन्तिम दिन है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया कुछ कीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। नियम परमिट नहीं करते।

[अनुवाद]

जब नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो यह उचित नहीं होगा। और जबकि ऐसा कोई पूर्वोदाहरण भी नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : पूर्वोदाहरण हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे नियम 377 में उठा सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह विषय उसका नहीं है। हमने 377 में दिया हुआ है।

[अनुवाद]

इसीलिए मैं आपकी तथा सभा की अनुमति लेना चाहता था।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : रूल्स परमिट नहीं करते, इसलिए वॉयलेट करना अच्छा नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा : जैसा मुझे पता चला है कि आज के लिए केवल 12 पत्र आए हैं। बैलट में 2 नहीं आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हर बार केवल 10 विषय उल्लेख के लिए चुने जाते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह मुझे पता चल गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सम्भवत आपका ग्यारहवां या बारहवां है। इसे आप किसी और रूप में उठा सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। यदि यह ठीक है, तो आप इसकी अनुमति दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां उचित या अनुचित का प्रश्न नहीं है। हम ऐसे निर्णय नहीं करते है। प्रश्न यह है कि क्या 11 उल्लेख किए जा सकते हैं? जब ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है और जब नियम भी अनुमति नहीं देते है तो ऐसा उचित नहीं होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : यह अन्तिम दिन है और अगले सप्ताह कोई कार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोद्रय : यह सच है। आप इसे किसी और रूप में उठा सकते है। आपका उद्देश्य इसे सरकार के ध्यान में लाने का है।

श्री भोगेन्द्र झा : अब तक तो मैं इसे पढ़ चुका होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न समय की बचत का नहीं है। प्रश्न यह है कि अभी तक ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। केवल 10 उल्लेख लिए जा सकते हैं और वही रिकार्ड में आते है।

श्री भोगेन्द्र झा : इस बात का तो अभी हाल ही में निर्णय हुआ है। यह तो ठीक है कि कुछ सीमा निर्धारित की गई है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे किसी भी रूप में उठा सकते है। मुझे अपनी भावनाओं को कष्ट देना पड़ रहा है।

श्री भोगेन्द्र झा : केवल मैं आपका सहयोग चाहता था। क्या मुझे अनुमति है, महोदय?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप इस सदन में किसी और रूप में उठा सकते है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 2.45 म.प. पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.44 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह् भोजन के लिए 2.45 म.प तक के लिए स्थगित हुई।

2.57 म.प.

मध्याह् भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.57 म.प. पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। हम लोगों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास फंड के लिए जो मंजूरी मिली है उसका पैसा अविलम्ब भेजा जाए, क्योंकि बर्सात होने वाली है और फिर चुनाव आने वाला है। अगर इसको जल्दी नहीं भेजा गया तो इस स्कीम का कार्यान्वयन नहीं हो सकेगा।

2.57½ म.प.

व्यापार चिन्ह विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या-11 व्यापार चिन्ह विधेयक पर आगे विचार करेगें। इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित हैं। 1 घंटा 32 मिनट पहले ही लग गए है। अब हमारे पास 1 घंटा और 28 मिनट हैं।

मै प्रो. राम कापसे से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर बोलें।

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दों को छोड़कर मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। नया विधेयक लाने के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। पिछले 30 वर्षों से भी ऐसा कानून था और उसके अनुसार निर्णय दिया जाता रहा है। व्यापार का स्वरूप बदल गया है और नए व्यापार चिन्ह वाला नया विधेयक लाया जाना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इस पर भी इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने और इसे पारित करने में इतना समय लगाना उचित नहीं है।

यह विधेयक 19.4.93 को पुन:स्थापित हुआ था। 31 मार्च 1994 को स्थाई समिति ने अपनी सिफारिशें दी और आज 26 मई'95 को इस

पर चर्चा आरम्भ हो रही है। इसका अर्थ है कि सरकार इस के प्रति गम्भीर नहीं है। पिछले दो वर्षों में इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। स्थायी समिति द्वारा इसे लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद भी इसकी उपेक्षा ही की गई और एक वर्ष से भी अधिक समय लगा दिया। व्यापार चिन्ह विधेयक पर यदि सरकार गंभीर नहीं है तो हमें यह जानने का पूरा अधिकार है कि क्या सरकार ने "गैट" के बारे में कुछ किया है अथवा नहीं।

3.00 म.प.

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह विधेयक 1993 में पुरःस्थापित किया गया था, 1994 में ही इस पर त्वरित कार्रवाई हुई और आज ही हम इसे पारित करने के मूड में है।

"गैट" के बारे में संसद में उठाए गए प्रश्नों की पूरी सूची मेरे पास है। पहला प्रश्न 1 मार्च 1993 में किया गया था और उसी के बाद ही यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। अब "गैट" पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सरकार इस विधेयक के प्रति गम्भीर हुई है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या सरकार लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रही है। स्थायी समिति के प्रतिवेदन में कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव भी शामिल है जिनकी सरकार ने पूर्ण उपेक्षा की है। ऐसा क्यों? मंत्री महोदय से मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं जिनमें एक इस प्रकार है :-

"समिति के कुछ सदस्यों का यह मत है कि व्यापार चिन्ह कानून को उदार बनाने से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को और अधिक लाभ होगा। अतः इसी आधार पर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विदेशी व्यापार चिन्हों को स्वीकृति प्रदान करने में धीमी गति की नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने स्वदेशी व्यापार चिन्हों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल दिया।"

लेकिन खेद है कि मंत्री महोदय के भाषण में इस सुझाव के बारे में एक शब्द भी नहीं है। हम यह जानना चाहते है कि वह स्वदेशी उद्योग विशेषकर लद्यु क्षेत्र के उद्योगों और बहुराष्ट्रीय उद्योगों के बारे में वह क्या कर रहे है और हमारे इन स्वदेशी उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नागपाश से कैसे बचायेंगे।

स्थायी समिति ने सेवाओं को विधेयक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने के संबंध में दूसरी सिफारिश यह की है :-

"उन्होंने मत प्रकट किया कि सरकार को "गैट" समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने और पश्चिमी देशों के साथ करार होने के बाद उठे वर्तमान विवाद का समाधान होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जिससे आदान-प्रदान के आधार पर सन्तोषजनक व्यापार छूट मिल सके।" श्री सैयद शाहबुद्दीन ने भी कल यह मुद्दा उठाया था। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपने व्यापार चिन्ह पंजीकृत करवा लिए है क्या उनकी ओर से किसी प्रकार की आदान-प्रदान की प्रक्रिया की चर्चा हुई है या नहीं।

अतः "गैट" समझौते के फलस्वरूप भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि पेटेंट कानून में संशोधन किए जाने की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

अब मंत्री महोदय यह जानते है कि पेटेंट कानून राज्यसभा में भी पारित किया जाना है इसलिए सरकार इसके प्रति गम्भीर नहीं है। हम नहीं जानते कि वे प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, यदि यह राज्य सभा में पारित नहीं होता है और सरकार अधिनियम बनाना चाहे तो इस सुझाव का क्या होगा। सरकारी समिति के इस विशेष सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिकिया है।

महोदय, इस संबंध में कई सुझव दिये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सदन में दिये गये भाषणों के आलोक में स्थायी समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करें, जहां तक इन मुद्दों का संबंध है, उन्हें हमें सरकार के विचारों से अवगत कराना चाहिए।

मैं उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या जानना चाहता हूं जो भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और अपने व्यापार चिन्ह पंजीकृत करा रहे हैं। यह जानकारी देश के लिए लाभप्रद रहेगी।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 1985 से पहले और उसके बाद कितने संयुक्त उद्यम लगे हैं। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां संयुक्त उद्यम लगाने के बहाने भारत में आकर अब भारतीय कंपनियों से अलग हो रही हैं और ऐसे करार तोड़ रही हैं। जैसे लेहर-पैप्सी है; वह अब पैप्सी के नाम से चलेगी। जहां तक मारूति-सूजूकी का संबंध है, मारूति शब्द समाप्त हो जायेगा और नए मॉडल की "जेन" नाम की गाड़ी बाजार में आयेगी। इस नए तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय उद्योग को हानि पहुंचा रही है और उसे समाप्त करने पर तुल गई है। लघु उद्योग क्षेत्र संकट में पड़ गया है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हर क्षेत्र में अपने पैर जमा रही है। यदि मंत्री महोदय वित्त संबंधी पत्रों को देखे तो वह पायेगी कि उनमें ऐसे बहुत से विज्ञापन है जिनसे यह पता लगता है कि अनेक उद्योग बिकाऊ है। सरकार को लद्यु उद्योग के बारे में सोचना चाहिए तथा यह बताना चाहिए वह सिंगापुर का अनुसरण करना चाहती है अथवा जापान और कोरिया का। मंत्री महोदय को संसद में चर्चा का उत्तर देते समय यह स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तुलना में लद्यु क्षेत्र की कंपनियों तथा अन्य उद्योगों के बारे में क्या सोचा है।

श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार (चेंगलपट्टू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं ए.आई.डी.एम.के. पार्टी की ओर से व्यापार चिन्ह विधेयक 1993 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह विधेयक सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है और देश के वास्तविक उद्योगपतियों ने इसका स्वागत किया है इससे वास्तविक निर्माताओं को ही लाभ नहीं होगा। बल्कि उपभोक्ता भी

लाभान्वित होगा और उसके हितों का संरक्षण होगा जहां "गैट" का प्रयास बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, वहां यह विधेयक देश के वास्तविक निर्माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों संबंधी विवरण में यह उल्लेख है।

"संगठनों आदि के व्यापार चिन्हों को कलैक्टिव मार्क्स के रूप में पंजीकरण करने हेतु यदि कोई मालिक अलग-अलग तरह के उत्पादों का निर्माण करता है अथवा सेवाएं उपलब्ध कराता है और कलैक्टिव रूप में व्यापार-चिन्हों का प्रभावीकरण कराता है तो किसी प्रकार के कदाचार अथवा पंजीकृत व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत घटिया माल बेचने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत कंपनी पर होगी।"

लेकिन औषधियों और खाद्य पदार्थों के मामले जो एक स्वामित्व के अन्तर्गत विभिन्न सहयोगी कंपनियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं, तो ऐसे मामलों में "कलैक्टिव मार्क्स" प्रभावीकरण से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जायेगी जिनके फलस्वरूप उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को भयंकर खतरा पैदा हो जायेगा। इसलिए सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए। और इस संबंध में आवश्यक खंड विधेयक में शामिल करना चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि विधेयक में अपीलों का शीघ्र निपटारा करने और राहत पहुंचाने के लिए एक अपीलीय बोर्ड के गठन की बात कहीं गई है। मेरा सुझाव है कि ये बोर्ड उन स्थानों पर बनाए जाएं जहां उद्योग बहुत भारी संख्या में एक ही स्थान पर स्थित हों। ये बोर्ड तमिलनाडु में मद्रास और कोयम्बटूर में गठित किए जाने चाहिए जिसे जाली व्यापार चिन्हों तथा व्यापार चिन्हों की नकल के मामलों का शीघ्रता से निपटान हो सकें।

विधेयक के प्रभावीकरण का अन्तिम अधिकार जो केन्द्र सरकार में निहित है, पंजीयक को अन्तरित करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सारी शक्ति एक ही अधिकारी को नहीं सौंपी जानी चाहिए क्योंकि इससे शक्ति के दुरूपयोग की संभावना बलवती होती है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक क्षेत्र के पंजीयक या प्रत्येक राज्य पंजीयक को कम्पनियों को प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व राज्य सरकार के प्राधिकरियों से सलाह मशविरा करना चाहिए। जिस तरह मोटर वाहनों और वाहन-मालिकों को लाइसेंस जारी करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकार को हैं। उसी तरह व्यापार चिन्हों का प्रमाणीकरण जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए। इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री डा. पुराचित थलैवी ने बार-बार सुझाव दिया था।

महोदय, विधेयक में किसी एक के व्यापार चिन्ह को अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये जाने पर प्रतिबन्ध है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या व्यापार चिन्ह का अधिकार किसी अन्य निर्माता को पंजीयक की अनुमति से दिया जा सकता है अथवा नहीं। किसी एक व्यक्ति या कंपनी का व्यापार चिन्ह कुछ राशि रायल्टी के रूप में भुगतान करके उसके पूरे नाम के आगे 'इण्डिया लिमिटेड' शुद्ध जोड़कर अन्य व्यक्ति या कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसा कि "फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड" के मामले में हो रहा है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या 'व्यापार चिन्ह' का अन्तरण या प्रयोग अनुमत्य है अथवा नहीं।

महोदय, सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। पंजीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण और स्वीकृत प्रयोग के क्षेत्र का विस्तार के नाम पर कहीं नकली सामान बनाने वाले निर्माता व्यापार चिन्हों का प्रमाण-पत्र प्राप्त न करा लें। विभिन्न क्षेत्रों के पंजीयकों को अपेक्षित कर्मचारियों, प्रयोगशालाओं परीक्षण सुविधाओं आदि की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि व्यापार चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वे पूरी सावधानी बरत सकें। पंजीकरण के प्रमाण पत्र जारी करते समय सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम लोग व्यापार चिन्ह 1993 के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह विधेयक 19 अप्रैल, 1993 को लोकसभा में लाया गया था। परन्तु उस समय सदन ने इस विधेयक को स्थाई समिति में रेफर किया था। वह इसलिए किया था कि इसमें जो खामियां हैं उनको चुस्त और दुरूस्त करके रिपोर्ट के साथ विधेयक को लाया जाये। मगर 1993 के बाद आज 1996 में इस पर चर्चा हो रही है। एक लंबी अवधि के बाद इस विधेयक को सदन में चर्चा के लिए लाया गया है। 1993 के विधेयक के पहले इस तरह का विधेयक था जिसके माध्यम से कानून का प्रावधान हमारे देश के पैमाने पर था। 1958 में इस तरह का विधेयक बना था, उसी विधेयक को संशोधित करके 1995 में लाया जा रहा है।

इसमें बहुत कुछ संशोधन भी किया गया है जिससे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को मदद मिले। इस विधेयक में जहां कुछ संशोधन किये गए हैं वहां पुराने विधेयक की कुछ अच्छी बातों को इसमें छोड़ दिया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन अच्छी बातों को इसमें रखना चाहिए। पहले इस विधेयक को ट्रेड ऐंड मर्केण्टाइल मार्क्स ऐल्ट 1958 के नाम से जाना जाता था जिसके अंतर्गत सामानों का रजिस्ट्रेशन होता था और नये विधेयक में "सामानों" के स्थान पर "सर्विसेज" कर दिया गया है। हम कहना चाहेंगे कि सर्विसेज बहुत बड़ा शब्द है। इसमें आज कौन-कौन सी चीजें रखेंगे, उसको आपने कहीं विस्तार से बताने का काम नहीं किया है। यह अच्छा होता कि आप उसको विस्तार से बताते कि "सर्विसेज" में आप इन बातों का समावेश करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सरकार को एक और बात का ध्यान रखना

चाहिए जिसका जिक्र कल माननीय सांसद शहाबुद्दीन जी ने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, किसी जाति या धर्म के नाम पर किसी ट्रेड मार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि लोग देवी-देवता या तीर्थ स्थान के नाम पर ट्रेड मार्क रख लेते हैं। इसको रोकने के लिए सख्त प्रावधान होना चाहिए कि कोई धर्म या तीर्थ स्थान के नाम पर ऐसा रजिस्ट्रेशन न हो जिससे दूसरे संप्रदाय के लोगों को तकलीफ पहुंचे। अगर फिर भी कोई इस प्रकार का ट्रेड मार्क रखता है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए कि अगर वह इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा मिलेगी।

मेरा तीसरा सुझाव है कि आम तौर पर देखा जाता है कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर नकली ट्रेड मार्क के माध्यम से लोग व्यवसाय करते हैं। विदेशी ट्रेड मार्क के नाम पर माल यहां मैनुफैक्चर हो रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है। आपने देखा होगा कि पॉण्ड्ज और लक्स का इस्तेमाल हमारे देश में लोग धड़ल्ले से करते हैं। ऐसे नकल करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती की जाए और इस प्रकार का प्रावधान आपने कानून में नहीं रखा है। मैं समझता हूं कि इसका समावेश कानून में होना चाहिए।

एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे 1958 का कानून था, जिसमें हम संशोधन करने जा रहे थे, उसके अंतर्गत अगर कोई रजिस्ट्रेशन अमान्य होता था तो कारण बताया जाता था कि किस कारण से आपके ट्रेड का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, मगर आपने नये कानून में ऐसा प्रावधान नहीं रखा है। आपको चाहिए कि जो प्रस्ताव आप लाए हैं, उसमें ऐसा प्रावधान रखें कि आप किसी ट्रेड मार्क के रजिस्ट्रेशन को अमान्य करते हैं तो उसका कारण भी बताएंगे कि किन कारणों से हम आपके ट्रेड मार्क को अमान्य कर रहे हैं।

हम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस विधेयक में दो साल की सजा का प्रावधान रखा हैं जो स्वागत योग्य है। यह सजा नॉन-कोग्जीजेबल होगी। मेरा अनुरोध है कि आप दो साल की बजाय तीन साल की सजा कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि जबसे हमारे यहां उदारीकण की पॉलिसी अडोप्ट की है तबसे मल्टीनेशनल कम्पनियां आ रही है और ये कम्पनियां भारतीय ट्रेड मार्क और उद्योगपतियों के माध्यम से आती हैं। ये कम्पनियां पहले भारतीय कंपनियों से ज्वाइंट वैंचर करके आ जाती हैं और फिर जब अपना व्यापार जमा लेती हैं तो भारतीय उद्योगपतियों को लात मारने का काम करती हैं। जैसे-पैप्सी, मारूति-सुजुकी का उदाहरण दिया। इसलिए आपको इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि हमारे भारतीय उद्योग और उद्योगपतियों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपको इस तरह के कानून का ध्यान रखना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय उद्योगपति व व्यवसायी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ऐसी बंदिशें हमारे उद्योगपतियों पर न लगें ताकि बाहर की कम्पनियां आकर हमारे उद्योगपतियों व व्यवसाइयों का एक्सप्लोइटेशन न कर सकें।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन हैं कि आप इस कानून में कई अच्छी बातें लाये हैं लेकिन संसद की स्थायी समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में एक बात यह है कि इस कानून को तब तक लागू न करें जब तक पेटेंट कानून लागू नहीं हो जाता। पेटेंट कानून अभी राज्य सभा में लंबित है। इसलिए आपको स्थायी समिति की बात को ध्यान में रखते हुए इस कानून को तब तक लागू नहीं करना चाहिए जब तक पेटेंट विधेयक पास नहीं हो जाता। इससे भारतीय उद्योगों पर अच्छा असर पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस कानून को आप जिस भावना से लाए हैं, मैं उस भावना की कद्र करता हूं लेकिन इस कानून में जो कमियां-खामियां रही हैं उनको आप पूरा करें और इनका संशोधन करके इस विधेयक को पास कराने का काम करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस भावना से बिल लाए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि यह 30 वर्ष पुराना कानून था। इसमें कई न्यायालयों के निर्णय हुए और उन निर्णयों के कारण इस बिल में जो कई संशोधन करने पड़ते उनको समझना भी सबके लिए कठिन काम होता। इसलिए मंत्रीजी ने इस बिल को कंसोलिडेटेड करके यहां लाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे प्रयास यह किया है कि व्यापारियों के लिए जो कानून है वह सिम्पलीफाई हो जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी और जो मुकदमे वर्षों न्यायालय में पड़े रहा करते थे, उनको निपटाने के लिए अपीलैट कोर्ट बनाई हैं। रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने का अधिकार भी जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था वह भी अब आपने इसमें एक रजिस्ट्रार को को दे दिया है। यह बात तो आपने ठीक की है, लेकिन यह कानून बहुत पुराना कानून था। यह 1958 का कानून था जो 1993 में आया और फिर स्थाई समिति को गया और स्थाई समिति ने अपने कई सुझाव दिये। इसमें मेरा मंत्री महोदया कहना यह है कि इस सारे कानून को ले आईए, लेकिन जो वास्तव में इसमें कहा गया है वह यह है कि जब तक पेटेंट कानून राज्य सभा द्वारा पास नहीं हो जाता है, तब तक इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। यह बात यहां पर कही गई है। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि जाति के नाम पर, देवता के नाम पर, धर्म के नाम पर, ट्रेडमार्क नहीं रखे जाएंगे। जैसी यहां पर चर्चा हो रही थी, मैं भी चाहूंगा कि महिलाओं के नाम पर भी न रखें और जैसे साड़ी की दुकान है, तो साड़ी पहना कर

महिला का प्रदर्शन न किया जाए, क्योंकि यदि कोट-पेंट बेचना हे, तो किसी पुरूष को कोट-पेंट पहनाकर प्रदर्शित नहीं किया जाता है जबकि यदि साड़ियां बेचनी होती हैं, तो महिलाओं को साड़ी पहना कर प्रदर्शित किया जाता है। वह भी ठीक नहीं है। यदि मंत्री महोदया मैं आपके नाम पर कृष्णा साही के नाम पर मार्का रखना चाहता हूं, तो वह भी ठीक नहीं होगा क्योंकि आपका नाम तो भगवान का नाम है। इसी प्रकार मनमोहन के नाम पर यदि मार्का रखना चाहूं, तो वह भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। मनमोहन भी नाम बहुत बढ़िया है। जहां तक मेरे नाम का सवाल है,, तो मेरे मां-बाप ने मेरा नाम बहुत सोचसमझकर रखा है। मेरे नाम का तो कार्तिक के दिनों में महिलाएं खूब प्रचार-प्रसार करती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी ने इसके संबंध में जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट का आपने अक्षरशः पालन नहीं किया है। वह करना देशहित में जरूरी था। देशहित में उसका पालन करना इसलिए जरूरी था कि विदेशी उद्योग यहां पर आएंगे और वह यहां के उद्योगों को नुकसान पहुंचाएंगे और जब भारत के उद्योगों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वे बड़े उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आप इसको लाने में जल्दी न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, बाकी बहुत सी बातें इसमें कही गई हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन कई नाम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि इस प्रकार के होते हैं कि उनकी स्पैलिंग में जरा सा भेद कर दिया जाता है और उसका रैपर समान रखा जाता है, तो ग्राहक को धोखा हो जाता है। जैसे सनलाइट साबुन है। यह बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी स्पैलिंग में अन्तर कर दिया, हालांकि वह भी साबुन की ही टिकिया होती है। इस प्रकार से लोगों के साथ धोखा हो सकता है। इसी प्रकार कई चीजों पर विपरीत विज्ञापन दिया होता है। जैसे सिगरेट की डिबिया पर लिखा है कि वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। सिगरेट की पेटी पर भी इंस्ट्रक्शन्स है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा यहां पर कहना यह है कि आपने इन सब बातों में जल्दी की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना यह है कि उद्योग विभाग ने आपको कुछ टिप्पणियां दी हैं, आपने उनको कानून विभाग को भेजा और फिर कम्पनी विभाग को भेजा गया। उन विभागों ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन उन टिप्पणियों को भी आपने इसमें विचार के लिए शामिल नहीं किया है। आपको उन सारी बातों पर यहां विचार करना चाहिए था। आपकी यह बात सही है कि यह 30 वर्ष पुराना कानून था और यहां पर आपने इसके माध्यम से सेवाओं के रजिस्ट्रेशन करने का काम भी शामिल किया है, लेकिन आपका सेवा से क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? आप तो मंत्री हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी, आपको अभी और कितना समय चाहिए?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है, इसलिए मुझे बोलने के लिए समय चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब 3.30 बजे हैं। अब हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य भी लेना है। इसलिए आप अपना भाषण कल जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट मेम्बर बिल में दखल नहीं देना चाहता क्योंकि यह बिल केवल शुक्रवार को ही प्रस्तुत होता है। मैं तो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। अतः मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं कि आप मुझे सोमवार को फिर से बोलने का समय देंगे।

3.31 म.प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लाल बहादुर रावल (हाथरस) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि,

"कि यह सभा 24 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किए गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.32 म.प.

नियम 29 के परन्तुक को निलंबित रखने के संबंध में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि 28 अप्रैल 1995 को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य (सकल्पों) पर विचार नहीं हो सका था और सदन इस बात पर सहमत हो गया था कि इस दिन के लिए निर्धारित कार्य पर किसी अन्य दिन चर्चा की जाए। जैसा कि पहले ही अधिसूचित किया जा चुका हैं, 28 अप्रैल, 1995 के लिए

निर्धारित गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अब 30 मई, 1995 को लिया जायेगा। यदि सदन सहमत है तो नियम 29 के परन्तुक को निलंबित रखा दिया जाये जिससे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के निवारण के लिए उठाये गए कदम के बारे में श्री सत्य देव सिंह के आंशिक रूप से विचार किए गए संकल्प पर 30 मई 1995 को उस दिन के लिए निर्धारित कार्य सूची सर्वप्रथम चर्चा के आरम्भ की जाए।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

3.33 म.प.

सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के बारे में संकल्प

श्री सुदर्शन रामचौधरी (सीरमपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों की बढ़ती संख्या तथा उन एककों के कर्मियों को उनके बकाया का भुगतान न किए जाने पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि देश के हित में इन एककों को पुनर्जीवित करने तथा उनके कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु कदम उठाये।"

महोदय, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा कुछ कम्पनियों को बन्द किए जाने के संबंध में श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद और श्री इंद्रजीत गुप्त द्वारा पूछे गये एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में आज ही मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इस बोर्ड ने 30.4.95 तक सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश कर दी थी। महोदय, हम सभी जानते हैं कि पिछले 4-5 वर्षों से सरकार जो आर्थिक और औद्योगिक नीति अपना रही है उससे आम जनता तथा श्रमिक वर्ग की आवश्यकता पूरी होने के बजाए देश के सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग का जीवन कठिन हो गया है और इन उपक्रमों में काम करने वाले लाखें कर्मियों का भाग्य अन्धकारमय हो गया है।

मेरे अपने राज्य पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के 54 उपक्रमों में से 20 उपक्रम औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेज दिए गये है। जिनमें से 5 उपक्रमों को पुनर्जीवित करने की स्वीकृति मिल पाई है। इनमें से भी भारत ब्रेक्स एण्ड बाल्वस ब्रैथवेट और स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट, तीन उपक्रमों के मामले अभी अधर में ही हैं क्योंकि सरकार इनके पुनर्जीवित पैकेज की योजना के प्रावधान को लागू नहीं कर रही है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भारत ऑप्थैल्पिक, बी. पी. एम.ई.एल., साईकिल कॉरपोरेशन, एम.एल.एम.सी. नेशनल इंस्ट्रमेंटस एण्ड बेबर्ड जैसे उपक्रमों को बन्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यद्यपि भारत रसरकार इनकी प्रोमोटर रही है परन्तु अब उसने भी प्रोमोटर बने रहने से मना कर दिया है और सरकार ने इन्हें बन्द करने संबंधी नोटिस का विरोध नहीं किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण इन उपक्रमों को बन्द करने की प्रक्रिया लागू नहीं हो पाई है। इन उपक्रमों में व्याप्त वास्तविक गतिविधियों के बारे में सरकार को पता लगाने के बाद से ही इनके प्रति सरकार की नीति का पता चल पायेगा। मैं माइनिंग एण्ड अलाईड मशीनरी कारपोरेशन का हवाला देना चाहूंगा इस कम्पनी के पास आज तक 140 करोड़ रुपये के क्रयादेश हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए इसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। साथ ही साथ बाजार में इस कम्पनी को अपनी साख भी कायम रखनी है। लेकिन भारत सरकार ने इस कम्पनी को धन देने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया को पुनर्जीवित करने की बोर्ड की योजना को भारत सरकार ने मंजूर नहीं किया, और सरकार ने पुनर्वास पैकेज का जवाब देने में चार महीनें का समय लगाया। इसके बाद भी भारत सरकार आज आंख बंद किए हुए हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में मिलों की स्थिति भी बहुत संकट पूर्ण है। इन मिलों में मशीने बहुत पुरानी हो गई है। इनके आधुनिकीकरण का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। 80 के दशक के अंत में एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। इस त्रिपक्षीय बैठक के निर्णय के अनुसार, कार्य में मापदण्ड में परिवर्तन किया गया था। कामगारों के भारी विरोध के बावजूद अधिक कार्य का भार उन पर लाद दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार तथा सभी मजदूर संघों के हस्तक्षेप के कारण 'सीट्रा' मानदण्डों को स्वीकार किया गया था परन्तु विगत चार-पांच वर्षों में हमने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की स्थिति देखी ली है। मैं पश्चिम बंगाल की मिलों के बारे में कहना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में 12 मिलें हैं। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार इनमें से दो या तीन मिलों को मिलाकर इन्हें एक मिल में परिवर्तित कर दिया गया। फिर भी इन्हें कच्चा माल जैसे रूई आदि नहीं मिल रही है। कॉटन कारपोरेशन आफ इण्डिया ने एन.टी.सी. मिलों को रूई देनी बन्द कर दी है। उसका कहना कि जब तक पिछली बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा उन्हें रूई सप्लाई नहीं की जायेगा। लेकिन एन.टी. सी. मिलों को कार्य पूंजी भी नहीं मिल रही हैं जिसके कारण इन मिलों को व्यक्तिगत ग्राहकों की दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कुछ मिलें एक दूसरे के कार्य को निपटाकर काम चला रही हैं परन्तु समस्या यह है कि ये ग्राहक सट्टेबाज हैं। घटिया रूई देते हैं जिससे बढ़िया किस्म का धागा नहीं बन पाता है। परंतु तथ्य यह है कि यह व्यवस्था भी समाप्त होने के कगार पर है।

एन..टी.सी. की मिलों के कामगारों को उनका वेतन तक नहीं मिल रहा है। मई का महीना चल रहा है, और कामगारों को अप्रैल के महीनें की मजूरी की दो किश्तें अभी तक नहीं मिली है। मजदूर यूनियनें और कामगार कल से कलकत्ता में एन.टी.सी. के मुख्यालय पर भूख

हड़ताल पर बैठे हैं। उन्हें भविष्य निधि, उपदान तथा कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भी भुगतान नहीं किय गया है। यहां तक कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति कामगारों को उनकी देय राशि का भी पूरा भुगतान नहीं मिला है। यह बहुत ही निराशाजनक बात है।

पश्चिम बंगाल में एन.टी.सी. की रामपुरिया मिल, अथवा सेन्ट्रल मिल या ज्योति मिल में पिछले एक वर्ष से कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले सरकार ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा है कि

"एन.टी.सी. की 79 मिलों को आधुनिक बनाने की पुनरीक्षित योजना को अनुमोदित कर दिया गया है जिस पर 2005.70 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। साथ ही 36 अलाभकारी मिलों की 17 मिलें बनाकर उन्हें लाभप्रद बनाया जायेगा। यह योजना टैक्सटाईल रिसर्च ऐसोसिऐशन द्वारा तैयार की गई योजना तथा श्रम मंत्रालय एवं एन.टी.सी. की त्रिपक्षीय कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप है। इस योजना को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा जाना है जिसकी स्वीकृति के बाद इसको कार्यान्वित किया जायेगा इस योजना का विवरण सदन के पटल पर शीघ्र ही रखा जायेगा।"

इससे पहले लगभग एक सप्ताह पहले कपड़ा मंत्री श्री जी. वेंकटस्वमी ने स्वत: ही एक वक्तव्य दिया था जो लगभग उपरोक्त के अनुसार ही था। लेकिन अभी तक इस दिशा में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

जहां तक कामगारों को उनके वेतन के भुगतान का संबंध है, एन.टी.सी. की ही मिलों में नहीं बल्कि अन्य कई मिलों के कामगारों को वेतन और अन्य बकाया राशियों का नियमित भुगतान नहीं हो रहा हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि एक समाचार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि बी.आई.एफ.आर. को रूग्ण मिलों के पुनर्वास के जो पैकेज भेजे गए हैं उन्हें वित्तीय राहत और छूट देने में कमी कर दी जाये। अधिनियम में नये संशोधन के अनुसार, इन रूग्ण एककों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं। यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता और समर्थन नहीं दिया गया तो ये कैसे लाभ कमायेंगे और कैसे अर्थक्षम बनेंगे? इनसे यह कैसे अपेक्षा की जायेगा कि ये गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ स्पर्धा में सफल हो पायेगी?

महोदय, सामान्यत: यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुशल प्रबन्धन, कार्य-क्षमता और प्रशासन का अभाव हैं क्योंकि इन्होंने बहुत लम्बी अवधि तक सरकारी संरक्षण का लाभ उठाया है। अत: इनको अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्पर्धा में आना है और उत्पादन बढ़ाने और कार्यकुशलता को संवर्द्धित करने के लिए कठिन प्रयत्न करना है।

जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है और हम बाजार अर्थव्यवस्था और इससे जुड़ी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये एकक गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद टिक पायेंगे।

आज हम सभी जानते हैं कि गैर-सरकारी उपक्रम भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते है। लेकिन सरकारी क्षेत्र के एककों को बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण नहीं मिल रहा है। यह अन्याय है। सरकार द्वारा विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर अपनायी जा रही नीति के कारण इन उपक्रमों को भारत सरकार के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये उपक्रम कुशल और नवीन उत्पादन शैली को बढ़ावा देने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में, मैं मिस्टर राल्फ मिलिलैंड, प्रसिद्ध समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री के पुस्तक के कुछ वाक्यों का हवाला देना चाहूंगा, जिनमें कहा गया है कि :-

"सरकारी स्वामित्व में कुशल और नई व्यवस्था विकसित करने के प्रश्न का दूसरा उत्तर उन देशों के अनुभवों के आधार पर विरोधाभासी रूप में दिया गया है जो खुले पूंजीवाद के जीते-जागते उदाहरण हैं और इनमें एशियाई प्रशांत क्षेत्र के देना भी शामिल है"

इसी विषय पर जेफरी हैनरसन और रिचार्ड एयलबॉग सहित अन्य लेखकों ने कहा है :-

'राज्य नीति और प्रभाव को अब पूर्व-एशियाई आर्थिक चमत्कार के एकमात्र अति महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।'

इस देश में शासन का हस्तक्षेत्र अनेक रूप में रहा है। ऐसी स्थिति दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी रही है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शासन के सफल हस्तक्षेप का सर्वाधिक् उल्लेखनीय उदाहरण जापान है। हम सभी जानते हैं कि अमरीका आज जापान से डरता है, जापान के आर्थिक चमत्कार का यही कारण है। वहां शासन द्वारा निर्देशित बाजार अर्थव्यवस्था है। वहां ऐसा निर्देशन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जिसका सीधा संबंध सामरिक महत्व के उद्योग के भविष्य से है। हम भी इन देशों की अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दक्षिण कोरियाई टाइगर अथव ताइवानी टाइगर अथवा जापानी टाइगर के अनुभवों से बहुत कुछ उद्धृत करते हैं? लेकिन हम एक अलग प्रक्रिया अपना रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कभी हमारी अर्थव्यवस्था के शिखर पर थे। ब्रिटिश शासन ने भारत को उद्योगरहित बनाने की नीति अपनाई थी। उपनिवेश वादी शक्तियां तीसरे विश्व के देशों में ऐसी ही नीति अपनाती हैं।

"स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सब से बड़ा कार्य देश का औद्योगिक और कृषि विकास करना था। लेकिन वास्तविकता यह है कि निजी पूंजीपति आधारभूत ढांचे के लिए अपेक्षित धन राशि का निवेश करने से इंकार करते हैं। इनकी यह शंका है कि इन सरकारी एककों में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए इन निजी पूंजीपतियों ने इस के बजाए उपभोक्ता उद्योग को

अपनाया और राज्य को आधारभूत ढांचे के क्षेत्र पूंजीगत सामान मशीन उत्पादन क्षेत्रों में निवेश करना पड़ा। इसके फलस्वरूप दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला उपक्रम बनाए गए। इसके बाद हम फिर इसी स्थिति में आ गए हैं और कह रहे हैं कि कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हमारी अर्थव्यवस्था को कायम नहीं रख सकें हैं। ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं।

महोदय, दूर संचार उद्योग जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछ अन्य उद्योगों का भारत सरकार निजीकरण करने जा रही हैं, दूरसंचार उद्योगों के बारे में सदन में एक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी और इस पर अभी तक पूरी चर्चा भी नहीं हुई है। राष्ट्रीय दूर संचार नीति में व्यवस्था है कि देश के सभी दूर संचार केन्द्रों में आधार भूत टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इसके साथ-साथ, यह प्रावधान भी था कि इन्ट्रा-सर्कल ट्रंक रूटों का भी निजीकरण किया जाएगा। इन ट्रंक रूटों से दूर संचार विभाग को 3000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है जिससे इसे हाथ धोना पड़ेगा। इसके कारण दूर संचार विभाग, ग्रामीण दूर-संचार व्यवस्था का विस्तार नहीं कर पायेगा। हम स्पर्धा की तो बात करते हैं लेकिन हम सरकारी क्षेत्र के एककों को अपने पैरों पर खड़े होने से रोक रहे हैं। संचार मंत्री श्री सुखराम ने सम्भवत: दिसंबर को एक नीति संबंधी वक्तव्य दिया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र के साथ निविदा में स्पर्धा नहीं करने दिया जायेगा। जबकि हम सभी यह जानते है कि इस क्षेत्र में सरकार क्षेत्र की कम्पनियां स्पर्धा में आना चाहती और इनमें प्रबंधन के साथ-साथ, इन्हें काफी अनुभव प्राप्त है, फिर भी उन्हें इसलिए आगे नहीं आने दिया जा रहा कि वे सरकारी उपक्रम है।

अत: सरकार को अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए कि क्या सरकारी उपक्रमों को अर्थसक्षम बनाया जा सकता है? इस क्षेत्र की कुछ और समस्याग्रें भी हैं, मेरी समझ में यह नहीं आया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के संबंध में सरकार की वास्तविक नीति क्या है।

4.00 म.प.

सरकार ने यह आश्वासन देते हुए एक त्रिपक्षीय समिति बनाई थी कि अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले प्रत्येक एकक का विश्लेषण किया जायेगा और उसे अर्थसक्षम बनाने के बारे में हर पहलू की जांच की जायेगी। प्रधानमंत्री ने जून 1992 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत गठित एक विशेष त्रिपक्षीय समिति, रूग्ण सरकारी उपक्रमों की समस्याओं को देख रही है और समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यदि त्रिपक्षीय समिति सहमत हो जाती है, तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को केवल उनके पुनर्स्थापन योजना का ही अनुमोदन करना पड़ेगा। श्रम मंत्री, श्री पी. ए. संगमा ने अपने एक पत्र में एक बार फिर यह मत व्यक्त किया था कि सरकार औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति द्वारा पहले ही लिये गये निर्णय का अवश्य पालन करेगी, इसलिए रूग्ण एककों के प्रबंधन और यूनियनों के बीच हुए समझौते से उत्पन्न पुनर्वास संबंधी प्रस्ताव को त्रिपक्षीय समिति के समक्ष रखा जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन ये विशेष त्रिपक्षीय समितियां वास्तव में समाप्त प्राय: हो गई हैं। क्योंकि इनकी बैठक एक या दो वर्ष के बाद ही हो पाती है। लेकिन फिर भी हमें यह जानकारी है कि कतिपय रूग्ण सरकारी एककों के कार्मिक संघों और प्रबन्धकों के बीच उनके पुनर्स्थापन के कुछ प्रस्तावों के बारे में समझौता हो गया है और ये प्रस्ताव त्रिपक्षीय समिति के समक्ष लाये गये ताकि इन पर औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इन्हें बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा जाए। लेकिन अब एक नया हथकंडा अपनाया गया है कि त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों पर कुछ मंत्रियों की स्वीकृति आवश्यक है, जैसा कि साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया के मामले में हुआ है, तत्पश्चात यह सचिवों की समिति या मंत्रिमण्डल में भेजा जायेगा और उसके बाद ही बी.आई.एफ.आर. की राय ली जायेगी।

अब उद्योग मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच विवाद पैदा हो गया है कि उपक्रमों को पुनर्जीवित करने संबंधी योजनाओं की बी.आई.एफ.आर. केवल अपना अनुमोदन देगा जबकि उद्योग मंत्री कहते है कि उसे पूरी जांच करनी है। लेकिन इस पर भी भारत सरकार पुनर्जीवन प्रदान करने संबंधी पैकेटों को स्वीकृत करने से इन्कार कर रही है। टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया का मामला ऐसा ही है। अब ''कैच-22'' की स्थिति पैदा हो गई है। भारत सरकार इसका प्रोमोटर बने रहने से इंकार कर रही है। एम.ए.एम.सी. ब्रेथवेट जैसी कंपनियों को अर्थक्षम बनाया जा सकता है।, ब्रेथवेट को क्रयादेश प्राप्त हो गए है। यह हमारे देश का प्रमुख क्रेन निर्माण एकक है। लेकिन सरकार ने इसे पर्याप्त बजटीय सहायता देने से इंकार कर दिया है। सरकार एक वर्ष में केवल एक या दो क्रेन के क्रयादेश देती है। जबकि इसकी निर्माण क्षमता 15 से 18 क्रेन बनाने को हैं। प्रश्न यह है कि सरकार कहां से बाकी क्रेन प्राप्त कर रही हैं? सरकार मुकुन्द और खण्डेलवाल जैसी निजी कम्पनियों को तो क्रेनों के क्रयादेश देती है लेकिन इसे नहीं। ऐसी स्थिति में यह कैसे आशा की जा सकती है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें अर्थसक्षम हो जायेंगी जबकि आप ऐसा कोई नीति निर्णय न लें कि सरकारी क्षेत्र से ही माल खरीदा जायेगा? सरकार के सभी विभाग प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कपड़ा खरीदते हैं और एन.टी.सी. की मिलें ऐसा कपड़ा बनाती हैं जो अपेक्षाकृत सस्ता और गुणवत्तपूर्ण होता है। लेकिन सरकारी विभाग इन मिलों से कपड़ा नहीं खरीदते।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि निजीक्षेत्र भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाता है और रिश्वत देता है। सरकारी क्षेत्र के एककों से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। सरकार ने इस संबंध में मूल्य अधिमान व्यवस्था, जो 1984 तक लागू थी और सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के

पक्ष में थी, को 1984 के बाद कुछ उपवादों के साथ समाप्त कर दिया था, ऐसी परिस्थितियों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्रयादेश कैसे प्राप्त हो सकते हैं?

सरकार की नीति पहले ही अस्पष्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बिल्कुल समाप्त करना चाहती है। लेकिन सरकार इनके पक्ष में बोल रही हैं क्योंकि चुनावों में इसकी पराजय हुई है। दूसरे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जिस प्रकार अर्थसक्षम बनाने की नीति अपना रही है उससे एक बखेड़ा खड़ा हो रहा है। इस संदर्भ में मैं ब्रैथवेट का उदाहरण देता हूं। इस उपक्रम के कुछ कार्मिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। लेकिन उनके स्थान पर नई भर्ती नहीं की गई है। वहां एक नई स्टील फाऊण्डरी है जिसमें मोल्डर नहीं है। जो था उसने सेवानिवृत्ति ले ली है। इससे उस एकक की सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्था ही ठप्प हो गई। ऐसी परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी नीति पर पुर्नविचार करें जिससे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है तथा देश की प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता को सशक्त बनाया है, को पुनर्जीवित किया जा सके। इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां आने की आवश्यकता न होगी। यही मेरा अनुरोध है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

''कि यह सभा केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बढ़ती संख्या तथा उन एककों के कार्मिकों को उनके बकाया का भुगतान न किये जाने पर गम्भीर चिंता व्यक्त करती है तथा सरकार से आग्रह करती है कि देश हित में इन एककों को पुनर्जीवित करने तथा उनके कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने हेतु कदम उठाये।''

इस विषय के लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है। श्री सुदर्शन ने चर्चा की शुरूआत की तथा 40 मिनट लगा लिए है। अब हमारे पास 80 मिनट शेष हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : यह तो आरम्भ में ही लग गए हैं। चर्चा के दौरान समय बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सचेतकों से तथा उन सदस्यों से, जिन्होंने सचेतकों का ध्यान नहीं रखा है, स्लिपें/पर्चियां प्राप्त हुई हैं। यदि आप समय सीमा बनाए रखने में मेरी सहायता करें तो हम सभी को सन्तुष्ट रख सकते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 से 8 मिनट का समय मिलेगा। कृपया संगत बातें ही उठाएं।

श्री ओस्कार फर्नांडीज (उदुपी) : श्री मुनियप्पा यही कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां वह इधर-उधर की बातें कर रहे हैं जिससे कुछ भी हासिल नहीं होता है।

श्री गोपीनाथ गजपति अपना भाषण दें।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : निजीकरण आजकल सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। यह राष्ट्रीयकरण का विपरीतार्थक लगता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम आर्थिक विकास के नेहरूवादी मॉडल के बहुत ही सजग प्रतीक हैं। 80 के दशक से विश्व में लहर चली और शासन के स्वामित्व वाले उपक्रमों का विरोध होने लगा और भारत भी इस लहर से अछूता नहीं रह सका। 90 के दशक में आरम्भ की गई नई आर्थिक व्यवस्था के आधारभूत समायोजन कार्यक्रमों में निजीकरण को स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता मिली है। निजीकरण को समग्र रूप से विस्तृत नीति के रूप में देखना बेहतर होगा जिसमें आर्थिक विकास योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका पर जोर दिया गया है। यह आर्थिक उदारीकण प्रक्रिया का एक अंग है। यह दो मूल सिद्धान्तों पर आधारित है अर्थात संसाधनों का सर्वाधिक कुशल और प्रभावी उपयोग निजी क्षेत्र इन संसाधनों को उपयोग में लाने में कहीं अधिक कुशल है। 80 के दशक में यह पुनर्विचार आरम्भ हो गया कि राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके फलस्वरूप सेवाओं और उद्योगों को अपने अधिकार में रखने की राज्य की प्रक्रिया में बदलाव आ गया। इस तरह राज्य ने अपने पुराने मत को ही चुनौती देनी आरम्भ कर दी कि सरकारी स्वामित्व हमेशा अच्छा रहता है और इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। लेकिन बाद में यह धारणा बलवती होती गई कि निजी स्वामित्व और स्पर्धा से कार्यकुशलता बढ़ती है समाज को बेहतर सेवा सुविधा प्राप्त होती है।

निजीकरण प्रक्रिया में सबसे अग्रणी ग्रेट ब्रिटेन रहा जिसने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर के 1979 और 80 के दशक के बीच के शासन काल में अनेक सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया। वहां की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों अर्थात ब्रिटिश टेलीकॉम, जगुआर, ब्रिटोली, एमरशैम इन्टरनैशनल, ब्रिटिश गैस आदि का निजीकरण किया गया। पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राजील और अन्य देशों ने ब्रिटेन का अनुसरण किया। भारत ने भी इसमें पीछे नहीं रहा है।

निजीकरण अब एक सार्वजनिक शब्द स्वरूप हो गया है। इसका एक स्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजीगत आधार को बदलना तथा दूसरा, सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था को निजी कम्पनी को सौंपना हैं। एक उपक्रम और सरकार के बीच संबंधों के स्वरूप में परिवर्तन करके उसमें गैर-सरकारी क्षेत्र को भागीदार बनाना निजीकरण करना ही है। अत: हमें याद रखना होगा कि निजीकरण का सबसे प्रमुख उद्देश्य एकाधिकार को समाप्त करना है क्योंकि इससे अयोग्यता बढ़ती है और उपभोक्ता के प्रति संवेदनशीलता कम होती है। निजीकरण में बहुत सस्ते दामों पर परिसम्पत्तियों को बेचने का खतरा उठाना पड़ता है ताकि आम लोगों को शेयर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें।

''भारत में निजीकरण का सबसे लोकप्रिय स्वरूप अब तक

अनिवेश रहा है। यह प्रक्रिया 1991-92 में लागू हुई थी जिसे भली प्रकार लागू न करने के कारण केन्द्रीय राजस्व को 10,000 करोड़ रुपये की हानि हुई। शेयरों का मूल्य बहुत कम रखा गया और मूल्य निर्धारण के मानदण्डों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। इसमें पारदर्शिता की कमी रही। सरकारी क्षेत्र की परिसम्पत्तियों को सरकार के चालू वर्ष के खर्च को पूरा करने के लिए बेचा गया तथा इससे पूंजी बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिली।

सरकारी क्षेत्र में अनिवेश का अद्यतन दौर जनवरी, 1995 में शुरू हुआ जब सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहा तथा एक तिहाई लक्ष्य ही प्राप्त हो पाया। यह सब, गौण बाजार की विपरीत परिस्थितियों और नकदी के अभाव के कारण हुआ। कार्मिक संघों ने भी अनिवेश का डट कर विरोध किया।

रूग्ण मिलों के प्रति सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हैं। सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित किया जाए। अतः निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए। फालतू कर्मचारियों के बारे में कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें काम पर रखना चाहिए और वरीयता के आधार पर वैकल्पिक रोजगार दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों को भी बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना चाहिए और उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र की कार्य व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है।

"निजीकरण की प्रक्रिया राज्य की पूर्व नीति के विपरीत है। परन्तु अनिवेश पूर्ण अथवा अन्धाधुंध नहीं होना चाहिए। राज्य को उपक्रम के कार्यसंचालन पक्ष को देखना चाहिए। सरकार को एक नियंत्रक की भूमिका अपनानी चाहिए। इससे राज्य की भूमिका में परिवर्तन आयेगा।

सरकार को ग्रेट-ब्रिटेन की भांति नियंत्रक कार्यालय स्थापित करने होंगे। भारतीय प्रतिभूमि तथा विनिमय बोर्ड (सेवी) के अतिरिक्त भारत में और कोई नियंत्रक निकाय नहीं है। अमरीका में निजी क्षेत्र में स्वतंत्र नियामक आयोग है। भारत को भी ऐसे ही नियामक निकाय बनाने होंगे। खुली अर्थव्यवस्था अपनाने के परिणामस्वरूप भारत के निजीक्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के लिए स्पर्धा का अवसर मिल गया है। उनके कार्यकरण में उन्हें और आर्थिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। उनमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा की जानी चाहिए, चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अब बजटीय समर्थन पर निर्भर नहीं है और पूंजी बाजार में अपना धन लगा रहे हैं या धन जुटा रहे है इसलिए निवेश के मामलों में निर्णय लेने में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा वेतन में संशोधन निजीक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारी निजी क्षेत्रों में जा रहे है। क्योंकि वहां वेतन अधिक मिलता है। इस प्रतिभा पलायन को रोकना चाहिए। 1994 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स में से लगभग 1000 वरिष्ठ कर्मचारी बहुराष्ट्रीय कम्पनी एशिया ब्राऊन बोवेरी में चले गए।

इनके कार्य सम्पादन की भी समीक्षा की जानी चाहिए। हाल में किए गए आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समझौता ज्ञापन केवल लोकप्रिय ही नहीं हुआ है बल्कि उसे गम्भीरता से लिया जाने लगा है। कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन में संशोधन कर उसे व्यापार उन्मुख बनाया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप अब वैसा नहीं रहा है जैसा कि नेहरूयुग के समाजवादी काल में था। उनमें सरकार के शेयर कम हो गए हैं और बाजार की साम्यपूंजी बढ़ गई है। इनके शेयरों को स्टाक एक्सचेंजों में दर्शाया दिया जाता है। इसका एक मुख्य पहलू यह है कि एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच जो सीमा रेखा थी, जो दूरी थी वह अब समाप्त होती जा रही है। भारत सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पूर्व कमियों को दूर करने का आवश्यक प्रयास कर रही है।

अंत में, मैं श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का स्वागत करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त करने हेतु तथा औद्योगिक श्रमिकों, आम जनता और राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए गहराई से अध्ययन करें।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में कारखानों की स्थापना की। उस समय व्यक्तिगत रूप से लोग इतनी बड़ा मात्रा में कारखानें नहीं लगा सकते थे। सरकार ने बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना की, किन्तु इन 45 वर्षों में उन कारखानों ने जहां बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए वहीं पर आज यह स्थिति होती चली जा रही है कि वे कारखानें बन्द होते चले जा रहे हैं। उनमें ऐसी रूग्णता आ गई है कि उसका जितना इलाज हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उतनी ही बीमारी बढ़ती चली जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा पिछले चार वर्षों में अनेक घोषणाएं की गई है और कहा गया है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को पुनर्गठित किया जाएगा, लेकिन उनके पुनर्गठन की क्या योजना है, वह अभी तक स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं आ सकी है। इन कारखानों के बन्द होने का कारण अफसरशाही रही है और जो आधुनिक तकनीक इस समय में आ गई हैं, उस तकनीक का अभाव रहा है। कच्चे माल की कमी रही और कुछ हद तक मंदी के कारण मांग की भी कमी बहुत बड़ा कारण रहा हैं ये सारी जो छोटी-छोटी कमियां हैं, ये मिलकर एक बहुत बड़ी कमी के रूप में हो गई। इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह रहा है कि हमारे यहां कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर, ट्रेड यूनियनों के लोग थे,

शुरू में उन्होंने कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर, ट्रेड यूनियनों के लोग थे, शुरू में उन्होंने कारखानें के अंदर अपने अधिकार के लिए जो संघर्ष किया, उसमे जहां मजदूरों के हित में काम करने की आवश्यकता थी वहां कई बार उन संघर्षों की इतनी अति हो गई कि वे महीनों वर्षों तक बन्द पड़े रहे है।

उसके बाद स्थिति यह आ गयी है कि वह कारखाने हमेशा के लिए बंद हो गये हैं। इन सब कारणों से आज सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानें भारी मात्रा में बंद होते चले जा रहे है। यह देश के लिए बहुत चिंता का प्रश्न है क्योंकि इसके कारण लाखों मजदूर आज बेरोजगारी की स्थिति में आ गये है। बहुत से कारखानों की स्थिति यह हो गयी है कि भूखमरी के कारण उनके मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। आज उनके पास कोई रोजगार नहीं है। मुझे ध्यान है कि सरकार ने इस देश में जो कारखाने जरा से भी बीमार होते थे, उनमें जरा सा भी असंतोष पनपता था तो सरकार तुरंत उसमें कोई छोटी-मोटी घोषणा कर देती थी और घोषणा करके उसका सरकारीकरण कर लेती थी। उन कारखानों को शुरू में आर्थिक सहायता भी दी जाती थी जिसके परिणामस्वरूप वह कारखाने कुछ समय तक तो सही चलते थे लेकिन उसके बाद अफसरशाही के चगुंल में फंस जाते थे। आज इन कारखानों की स्थिति यह हो गयी है कि वे पूरी तरह से बंद हो गये हैं। आज पूरे देश में ऐसे कारखानों की बहुत बड़ी संख्या है।

महोदय, इस गंभीरता को देखते हुए हम अब सरकारीकरण से निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पहले हम सरकारीकरण की तरफ बढ़े लेकिन आज हम निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इस निजीकरण का क्या हो रहा है? इस निजीकरण की दौड़ में कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मालूम नहीं भविष्य में हामरी क्या स्थिति होगी? आज विदेशों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में आ रही हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई बहुत बड़ा षडयंत्र चल रहा हो। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं, वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए चुनौती हो सकती है और चुनौती भी बने हुए है। उनको शायद यह चुनौती अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वे योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र करके इन कारखानों को खत्म करना चाहते हैं। जो कारखाने बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई षडयंत्र चल रहा है ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में आकर अपना खुला खेल खेल सकें और जैसे तैसे यहां मुनाफा कमा सकें। विदेशों से जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, उनका यहां के लोगों के साथ कोई बहुत ज्यादा हित नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें मात्र उनका हित जुड़ा हुआ हैं। उन कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके प्रति भी उनका बहुत ज्यादा हित नहीं हैं। पता नहीं आगे चलकर इनकी क्या स्थिति होगी?

सरकार को इन विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए कोई व्यापक योजना बनानी चाहिए। मैं तो इसमें यह कहता हूं कि सभी राजनैतिक दलों के जो प्रमुख नेता है, उनको सामूहिक रूप से सरकार में बैठाना चाहिए क्योंकि यह समस्या कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगारी की स्थिति में हर साल आते जा रहे हैं। आज देश के सामने बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट खड़ा हो गया है। अगर इसी तरह से इसकी गति बढ़ती रही तो मैं समझता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने कारखाने हैं, उनमें से शायद ही कोई इक्का-दुक्का हम चला पायें। आज जो कारखाने थोड़े से लाभ की स्थिति में चल रहे हैं, चाहे वे बी.एच.ई.एल. हों या एच.एम.टी. हों, आज इन कारखानों की भी स्थिति यह है कि उनको जितना लाभ पहले मिलता था, वह भी अब कम होते-होते बराबर की स्थिति में आ गया है। ऐसा लगता है कि यह भी बीमारी की स्थिति में पहुंच जायेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि बी.एच.ई.एल. और एच.एम.टी. जैसे बड़े कारखाने, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं, घाटे के क्षेत्र में चले जायें और कल उनको भी निजीकरण के क्षेत्र में भेज दिया जाये, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो जायें।

अभी हमारी माननीय सदस्या ने जो व्यक्तिगत प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि वह इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर कोई गंभीर निर्णय लें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यू.एन.आई. ने एक बहुत ही गम्भीर और घबराने वाला समाचार प्रसारित किया है जिसमें बताया गया है कि केरल के तिरूरांगदी निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव, जहां से मुख्यमंत्री श्री ए.के. एन्टनी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग द्वारा स्थगित कर दिया गया है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है।

महोदय चुनाव कल होना है और चुनाव स्थगित करने का समाचार आज प्रसारित हो रहा है। यह बहुत ही खेदजनक समाचार है... **(व्यवधान)** एक ही बात है। यदि मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो इस देश के भविष्य का क्या होगा..?**(व्यवधान)** हर चीज की एक सीमा होती है।...**(व्यवधान)** देश में कोइ ऐसा प्राधिकारी नहीं है जो संसद के प्रति उत्तरदायी न हो। चुनाव आयोग संसद से ऊपर नहीं है। वह इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं मानो वह राष्ट्रपति से भी ऊपर हों। इस संबंध में कोई कार्यवाही की जानी चाहिए और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, कृपया आप मेरी बात सुनेंगे?

श्री ए. चार्ल्स : मैं आपकी बात सुन सकता हूं। लेकिन मैं बहुत परेशान हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप तो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और बड़े अनुभवी संसदविद है।

यदि संयोग से कोई और व्यक्ति यह बात उठाता तो आप इसे कैसे सहन करते?

श्री पी. सी. थामस : यह अन्तिम क्षणों में किया गया है। कल ही चुनाव होना है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह दूसरा मामला है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : यदि सत्ता पक्ष के लोग ही ऐसे बोलेंगे तो औरों से क्या उपेक्षा की जा सकती है...**(व्यवधान)** आखिर कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए।**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न है। श्री भोगेन्द्र झा ने संगत मामला उठाया है। हम गैर-सरकारी संकल्प पर विचार कर रहे हैं। चर्चा अभी भी जारी है। हम सभी की कुछ न कुछ समस्याएं हैं, तो फिर ये उत्तेजना क्यों? मैं समझता हूं यह तरीका उचित नहीं है।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय यह समाचार छपा है कि..**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : समूचे विश्व में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप केवल इसी बात पर सोचें।

(व्यवधान)

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, श्री चार्ल्स ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयोग संसद के प्रति जवाबदेह है।

श्री भोगेन्द्र झा : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : प्रत्येक संस्थान को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए क्योंक संसद सर्वोपरि है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें अपने विषय पर वापस आना चाहिए। वह एक संस्था है, एक स्वतंत्र निकाय है।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : आप प्राइवेट मैम्बर्स बिल तो चलने दीजिए...**(व्यवधान)** हमको यही तो समय मिलता है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स क्या आप इस विषय को छोड़कर मुख्य विषय पर बोलना चाहेंगे?

श्री ए. चार्ल्स : जी नहीं, अब मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं बहुत क्षुब्ध हूँ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि आपको मीटिंग में भाग लेने जाना है इसलिए आप 4.30 बजे वाद विवाद में भाग लेंगे। अत: मैंने 4.30 बजे के लिए आपका नाम रख लिया है। इसीलिए मैंने आपका नाम पुकारा। यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप आरम्भ कर दें, अन्यथा में श्री ओस्कर फर्नान्डीज को अवसर देता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओस्कार फर्नाडीज, एक मिनट, अब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की बारी है और श्री चक्रवर्ती बाहर जाना चाहते है। इसलिए उन्हें बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : ठीक है, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छी बात है।

श्री चक्रवर्ती आप 6 से 8 मिनट के अंदर अपना भाषण समाप्त कर दें। श्री सुदर्शन राय चौधरी ने सारी बातें कह दी है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : जी, नहीं श्रीमन्, मैंने सारी बातें नहीं कही है। इस मामले पर अभी बहुत से मुद्दे हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जातना हूं, लेकिन समय का अभाव है?

श्री सुदर्शन राय चौधरी : अभी तो मैंने थोड़े ही मुद्दे उठाये हैं। वैसे मैं हमेशा आपका आदेश मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति में समय निर्धारित किया जाता है। समिति में विभिन्न दलों के सदस्य भाग लेते हैं और विषय के महत्व के अनुरूप समय दिया जाता है और सभी दलों को शामिल करके ही निर्णय लिया जाता है। दलों के सचेतक वक्ताओं के नाम भेजते हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय, यह गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प है। यह राजनीतिक दलों की सम्पत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प के लिए केवल 2 घंटे का समय नियत किया गया था। क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होनी है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : महोदय दूसरे विषय पर चर्चा आज नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह कार्य 2 घंटे में पूरा करना है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : लेकिन क्यों नहीं, महोदय?

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि 2 घंटे का ही समय नियत है। श्री चक्रवर्ती, कृपया 6 से 8 मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुदर्शन राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का मैं समर्थन करता हूं जो रूग्ण सरकारी एककों को पुनर्जीवन प्रदान करने के बारे में है। यदि आप देखेंगे तो इस संकल्प के दो भाग है। पहला भाग भारतीय अर्थव्यवस्था में रूग्णता, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रूग्णता से संबंधित है। दूसरा भाग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने और सांविधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भारत सरकार की असमर्थता से संबंधित है।

महोदय, मैं दूसरे भाग पर बोलूंगा। इस संबंध में मैं अनेक उपक्रमों का उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन मैं अपने चुनाव क्षेत्र हावड़ा के कुछ ही उपक्रमों के नाम बताऊंगा।

महोदय, बर्न स्टैण्डर्ड के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। यही स्थिति रेरॉज बर्न इण्डिया लिमिटेड की है जो वर्न स्टैण्डर्ड की सहयोगी कम्पनी है। एन.जे.एम.सी. के कर्मचारियों की भी यही स्थिति है। जल भूतल मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल रहा है। मैं इस संबंध में वित्त मंत्री से कई बार मिला। बारह सांसद सदस्यों का एक दल इस महीने की 24 तारीख को प्रधानमंत्री से मिला और यह मुद्दा उनके सम्मुख उठाया। वित्त मंत्री कहते है कि मैं तो वेतन देने को तैयार हूं लेकिन संबंधित विभाग और मंत्रालय अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। जब हम विभागीय अधिकारियों से मिलते हैं तो वे कहते है कि वे यह कैसे कर सकते हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों को अपना वेतन वहां से स्वयं कमाना चाहिए लेकिन वह कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार का यह रवैया है। यही समस्या की जड़ हैं, वर्तमान सरकार का इन उद्योगों के प्रति यह रवैया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे और इसके लिए उन्हें समय चाहिए। मैं नहीं जानता, यह मामला कब निपटेगा। वर्न स्टेण्डर्ड भविष्य निधि के रूप में पर 30 करोड़ रुपये की देनदारी है।

एन.जे.एम.सी. को भी 30 करोड़ रुपये की सांविधिक जिम्मेदारियों, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की अदायगी शामिल है, का भुगतान अपने कर्मचारियों को करना है। 12 करोड़ रुपये हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड की ओर बकाया है। यह सभी धन राशि भारत सरकार को सांविधिक देयताओं के रूप में अदा करनी है। सांविधिक देयताओं का भुगतान न करना एक अपराध है। इस मामले में भारत सरकार स्वयं अपराधी है। यदि ऐसा निजी क्षेत्र की कम्पनी के मामले में होता तो उसे स्थगन आदेश भी नहीं मिलता और अब तक उसके प्रबंधक जेल में होते।

जब मंत्री अपनी आर्थिक नीति के पक्ष में तथा इन रूग्ण एककों के कर्मचारियों के पक्ष में बोलने के लिए खड़े होंगे तो पता नहीं वह क्या कहेंगे। क्या वह यह कहेंगे कि सरकार को सांत्रिधक जिम्मेदारियां पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्मचारी बिना वेतन के कब तक कार्य करते रहेंगे?

इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकाता है। यह रूग्णता भारतीय उद्योग में ही विद्यमान है चाहे वह निजी उद्योग हो अथवा सरकारी, छोटा उद्योग हो अथवा बड़ा उद्योग सभी में यह बीमारी है। इस समय 3 लाख उद्योग रूग्ण हैं। भारत सरकार ने ऐसे 53 उपक्रमों की सूची बनाई है जो बहुत समय से रूग्ण है। इन्हें बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा है। आशा की जाती है कि यह बोर्ड इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए सहायता देगा या इन्हें बंद करने के लिए सरकार से कहेगा।

यह रूग्णता क्यों हैं, इसका क्या कारण हैं ? भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके कई कारण बताए हैं - आन्तरिक और वाहय दोनों ही प्रकार के जिसमें कुप्रबन्ध, निधियों का अन्यत्र उपयोग करना, आरम्भिक चरण में ही दोषपूर्ण योजना पुरानी प्रौद्योगिकी को अपनाना, बाजार में मंदी, बिजली की कमी, कच्चे माल का अभाव अच्छे औद्योगिक सम्बन्धों का न होना आदि शामिल हैं। एक और कारण जिसका जिक्र भारतीय रिजर्व बैंक ने नहीं किया वह है, सरकार की आर्थिक नीति जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और विश्वव्यापी बनाने की वकालत की गई हैं। जिसे कुछ लोग एल.पी.जी. नीति भी कहते हैं। इस नीति के कारण ही भारत सरकार में भारतीय उद्योग में रूग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए ओंकार गोस्वामी समिति का गठन किया। इस समिति ने कहा कि उसे एक विकल्प चाहिए या तो यह कहो कि इन्हें बन्द किया जाये या फिर यह कहो कि इन्हें पुनर्जीवित किया जाए। तभी कोई समाधान निकल सकता है। इन्हें पुनर्जीवित करने का आसान तरीका इन्हें निजी व्यक्तियों के अधिकार में कर दिया जाना ही है। इन सभी समस्याओं का यही हल है।

जो 53 उपक्रम बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए उनमें से 20 उपक्रम हैं - मैसर्स जैसप, मैसर्स वर्न स्टैण्डर्ड, मैसर्स ब्रैथवेट, मैसस एम.ए.एम. सी., आई.आई.एस.सी.ओ., दुर्गापुर और हल्दिया स्थित फर्टीलाइजन यूनिट्स, मैसर्स बंगाल कैमीकल्स, मैसर्स बंगाल कम्यूनिटी, स्मिथ स्टैनस्ट्रीट आदि हैं। इनमें से पांच को पुनर्जीवित करने की स्वीकृति मिल गई है। इनमें से भी ये तीन कम्पनियों - मैसर्स भारत ब्रेक्स एण्ड बाल्वस, मैसर्स ब्रैथवेट तथा मैसर्स स्मिथ स्टैनस्ट्रीट का भविष्य खतरे में हैं। बी.आई.एफ.आर. ने क्या किया है?

महोदय, मुझे आज ही बताया गया है कि बी.आइफ.एफ.आर. ने स्थिम स्टैनस्ट्रीट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा छः कम्पनियां और हैं जिन्हें बन्द करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मैसर्स बेबर, मैसर्स बी.वी.एम.ई.एल., मैसर्स नैशनल इंस्ट्रूमेंटस, मैसर्स एम.ए. एम.सी. और मैसर्स भारत ऑफ्थैल्मिक शामिल है। भारत सरकार ने इसे नहीं रोका। कर्मचारी न्यायालय में गए। अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि कुछ पता नहीं क्या होगा।

सत्ताधारी दल के मेरे एक मित्र ने कहा कि एक मुख्य कारण जिसे महत्व दिया जाना चाहिए, वह है कार्य संस्कृति। मैं उनसे इन शब्दों की परिभाषा जानना चाहता हूं। इसके अलावा, उद्योग प्रबंधन, वित्तीय और प्रोमोटर संबंधी कार्य संस्कृति हो सकती है। लेकिन ये सभी कारण समग्र रूप में देखने हैं। बी.आई.एफ.आर. के भूतपूर्व चेयरमैन श्री गणपति ने बताया कि 100 मामलों में से केवल 2 प्रतिशत मामलों में कर्मचारियों के कारण उद्योग रूग्ण हुए हैं।

मेरे चुनाव क्षेत्र में एन.जे.एम.सी. मिल है। जिसमें 13000 से अधिक कर्मी काम करते हैं। मैं वहां गया और कम्पनी के सभी पहलुओं की जांच की। पता चला 170 से अधिक मशीनों पर पिछले 10 वर्ष से कोई काम नहीं हो रहा है केवल इसलिए कि उन्हें फालतू पुरजे सप्लाई नहीं किए गए। इसके लिए कुछ लाख रुपये की ही

आवश्यकता होगी। इसके अलावा कम्पनी को जूट भी सप्लाई नहीं किया गया। 600 से अधिक कर्मियों को सेवानिवृत कर दिया गया। लेकिन उनकी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण वे अभी कर्मचारी की हैसियत से वहां कार्य कर रहे हैं। वह खर्चा कौन वहन करेगा? मैं वस्त्र मंत्री से मिला और अनुरोध किया कि कम से कम उन्हें अपेक्षित मात्रा में जूट दिया जाए और फिर देखा जाए। जब उन्हें पूरी मात्रा में जूट दिया गया तो हमने देखा कि जो कर्मचारी 14 टन जूट के थैले बनाते थे उन्होंने एक दिन 125 टन जूट के थैले बनाए। अत: कार्य संस्कृति ही नहीं बल्कि और कारण भी इसके जिम्मेदार हैं? इस मामले में केवल कच्चा माल न मिलने से उद्योग में रूग्णता व्याप्त हुई। जब कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो एकक अर्थसक्षम बनने शुरू हो जाते हैं। वस्त्र मंत्री ने हमें पिछले वर्ष जून के महीने में यह आश्वासन दिया था कि वह बी.आई.एफ.आर. से कहेंगे कि यह एकक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कार्य कर सकता हैं। कम से कम एन.टी.सी. के बारे में तो घोषणा कर दी गई हैं। लेकिन एन.जे.एम.सी. को पुनर्जीवित करने की घोषणा अभी तक नहीं की गई हैं? हम इस संबंध में सरकार की नीति जानना चाहेंगे।

4.54 म.प.

[प्रो. रीता वर्मा पीठासनी हुईं]

बंगाल कैमिकल्स जिसे रूग्ण घोषित कर दिया था अब उसमें कार्य होने लगा है और यह अर्थसक्षम होता जा रहा है। इसके संबंध में भी निर्णय लिया जाना है। लेकिन कौन निर्णय लेगा। जब रूग्ण एककों की सूची संसद में प्रस्तुत की गई तो पश्चिम बंगाल के सदस्य प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने तीन सदस्यों की एक समिति बनाने का आश्वासन दिया जो इस मामले को देखेगी। हम श्री संगमा से भी अनेक बार मिल चुके हैं। उस समिति ने क्या किया? हम प्रत्येक मामले के बारे अलग-अलग जानना चाहते हैं। श्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बनी मंत्रियों की समिति ने भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। हम समय नष्ट करने जा रहे हैं और उद्योग रूग्ण होते जा रहे हैं।

महोदया, इस समस्या का गम्भीरता से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। बहुत से मामलों में अपेक्षित पूंजी का अभाव है। जैसे रेरॉल वर्न का मामला है। उसके पास क्रयादेश हैं लेकिन कार्य-पूंजी नहीं हैं। उसे बैंक गारन्टी नहीं दी जाती है। जब सरकार निजी व्यक्तियों को बैंक गारंटी देती हैं तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में बैंक गारन्टी क्यों नहीं दी जाती? सरकार के ऐसे रवैये से समस्याएं पैदा हो रही हैं।

सभापति महोदय : आप और कितना समय लेना चाहते हैं?

प्रो. सुशांत चक्रवर्ती : मैं 5 से 10 मिनट का समय लूंगा, महोदया, मैं केवल अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रहूंगा।

सभापति महोदय : आप 15 मिनट तो पहले ही ले चुके हैं।

प्रो. सुशांत चक्रवर्ती : महोदया, वैगन निर्माण उद्योग में अनश्चितता की स्थिति है। सारा दोष मजदूरों को दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 3 सरकारी उपक्रम अर्थात ब्रैथवेट बर्न स्टैंडर्ड और जेसप रेलवे का वैगन सप्लाई करते हैं। यह रक्षित उद्योग हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में 1,50,000 पहिए वैगन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। वैगन निर्माण उद्योग को इस मांग को पूरा करने हेतु तैयार रहने के लिए कहा गया है और उद्योग तैयार है। लेकिन सरकार ने क्या किया? वास्तविक स्थिति क्या है? 1989-90 वर्ष के दौरान 6045 वैगन का आदेश दिया गया। 1992-93 में 5120 वैगन का, 1993 94 में 4,425 वैगन का और 1994-95 में कुल 2317 वैगन बनाने का क्रयादेश दिया गया। इसमें से बर्न स्टैण्डर्ड को केवल 937 वैगन बनाने का क्रयादेश मिला। जबकि उसकी उत्पादन क्षमता 8000 यूनिट से अधिक वैगन बनाने की है। और कुल 2,317 वैगन बनाने के क्रयादेश हैं। इस तरह पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। जिससे उत्पादन की औसत लागत बढ़ रही है। इसका सारा दोष कार्मिकों को दिया जा रहा है? रेल मंत्री से हम मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि समस्या को हल करने के लिए प्रयास किए जायेंगे लेकिन 2 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री से भी मिल लिए है। वैगन उद्योग रेल मंत्रालय के अंतर्गत तथा अप-तटीय प्लेटफार्म उद्योग पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वे दोनों विभागों से मजदूर संघों और इच्छुक सांसदों की उपस्थिति में बात करें परन्तु आज तक कोई भी बैठक नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में समस्या का निदान कैसे हो सकता हैं समस्या बढ़ रही है और बढ़ती ही जायेगी।

5.00 म.प.

इस दौरान बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी का घाटा यह ... 31.3.94 को 176.10 करोड़ रुपये हो गय था। इसे बी.आई.एफ.आर. के पास भेज दिया गया। ऐसी स्थिति अचानक कैसे उत्पन्न हो गई? इसका कारण यह है कि 1993 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि सरकारी ऋण पर संचित ब्याज एक विशेष वर्ष में लगाया जाए। यह निर्णय क्यों लिया गया? श्रीमती कृष्णा साही यहां बैठी है। उन्हें स्थिति का ज्ञान होगा।

महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरे चुनाव क्षेत्र में ही नौ सरकारी उपक्रम रूग्ण हैं। इस बारे में मैं अपनी राय देना चाहता हूं। इन उद्योगों को अर्थसक्षम बनाने के लिए कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। श्री एटकिन्स ने एन.आई.डी.सी. के साथ मिलकर एक रिपोर्ट पेश की। उसका कुछ पता नहीं हैं। 1982 में सरकार ने 30 करोड़ रुपया लगाकर एक निगमित योजना तैयार की थी। अप्रैल 1992 में यह निवेश बढ़ाकर 62.63 करोड़ कर दिया गया था। पुनर्जीवन की योजना भी

सरकार ने स्वीकृत कर दी थी। अब उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं है। हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स की भी यह स्थिति है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में क्रयादेश मिले हैं।

सभापति महोदय : आप पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। अभी और सदस्यों को भी बोलना है। कृपया अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

प्रो. सुशांत चक्रवर्ती : यदि आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। महोदया, यह आज पूरा नहीं हो सकता है। श्री वसुदेव आचार्य यहां नहीं है।

सभापति महोदय : शीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी कम से कम 15 सदस्यों को और बोलना है।

प्रो. सुशांत चक्रवर्ती : मैं अध्यक्ष पीठ के आदेश का पालन करते हुए अपनी बात शीघ्र समाप्त करता हूं।

महोदया, ये क्षेत्र हम सब के लिए चिंता का विषय हैं, मैं जानता हूं कि समय का अभाव है सरकार कहती है कि संसाधनों का अभाव है। लेकिन उद्योग वित्त की वजह से रूग्ण हो रहा है। जब सरकार ने बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी तथा अन्य उपरोक्त कम्पनियों का राष्ट्रीकरण किया था तब उसे उनका आधुनिकीकरण करने से किसने रोका था। पश्चिम बंगाल की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था इन इजीनियरिंग उद्योग तथा जूट उद्योग पर आश्रित है। जो आनुषंगिक उद्योग जो इन कम्पनियों पर आश्रित हैं, उनकी समस्या का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। केवल संसाधनों के अभाव से ऐसा हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में संतरागाची में भारत सरकार का मुद्रणालय है। मैं इस एकक के आधुनिकीकरण के लिए पिछले 4 वर्षों से मांग करता रहा हूं। लेकिन न जाने कैबिनेट द्वारा कब इसका निर्णय लिया जायेगा। इसमें केवल 6 करोड़ रुपये का खर्चा हैं। मैंने कहा कि मूल्य ह्रास निधि से 11 करोड़ रुपया है उसे लगाइये।

लेकिन सरकार इसके लिए भी सहमत नहीं हुई। इसका इलाज हमारे पास मौजूद है परन्तु सरकार का रवैया ज्यादा महत्व रखता है। हम आज बहुराष्ट्रीय और प्राइवेट कम्पनियों पर निर्भर हैं। योजना आयोग, विभागों और मंत्रालयों में आपसी विवाद पैदा हो गया है। जब विभाग अथवा मंत्रालय किसी एकक को पुनर्जीवित करने की सिफारिश करते हैं तो योजना आयोग इसे विलासिता की संज्ञा देकर संसाधन जुटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। सरकार को कम्पनी के बंद होने से संसाधनों, रोजगार तथा श्रमिक नागरिकता के घाटे को भी ध्यान में रखना चाहिए, मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि किसी भी कामगार को वेतन से वंचित नहीं किया जायेगा और कामगारों को सांविधिक देयताओं का भुगतान कर दिया जायेगा।

***श्री ओस्कर फर्नांडीज** (उदुपी) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और इस संकल्प के प्रस्तावक सदस्य को बधाई देता हूं जो ऐसा महत्व का विषय इस सम्मानीय सदन में लाए। कर्नाटक में अनेक उद्योगों की स्थापना की गई हैं। सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योगों में आई.टी.आई., एच.एम.टी., बी.जी.ई.एम.एल., वी.ई.एम.एल., कोलार गोल्ड फील्डस तथा एच.ए.एल. तथा और भी बहुत से उपक्रम शामिल हैं जिनका मुझे गर्व है।

देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बहुत महत्व का है। इन उद्योगों में हजारों लोग कार्यरत हैं। हमारे देश की जहाँ एक तिहाई जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है वहां ऐसे उद्योगों की बहुत आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों के परिवार इन्हीं उद्योगों पर आश्रित हैं। यदि ये उद्योग रूग्ण हो जायेंगे तो सम्पूर्ण राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा जायेगी। गरीब लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं रहेगा और उनके परिवार अस्तव्यस्त हो जायेंगे।

हमें सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के रूग्ण होने के कारणों का पता लगाना होगा। हमारे सामने यही एक बड़ा प्रश्न है। अनेक राज्यों के राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। इसके क्या कारण हैं। यदि ये बिजली बोर्ड निजी क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे तो गरीब लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। इससे रोजगार के अवसर भी निजी हाथों में चले जाएंगे।

बिजली बोर्ड किसानों को बिजली देते है जो केन्द्र तथा राज्यों की नीति के मार्गनिर्देशों के अनुसार होता है। इन बिजली बोर्डो को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। यदि इन्हें पर्याप्त धन दिया जायेगा तो ये घाटे में नहीं चलेंगे। हम समझते हैं कि क्योंकि इनमें घाटा हो रहा है इसलिए इन्हें प्राइवेट क्षेत्र को दिय जाये परन्तु इससे किसानों को लाभ नहीं होने वाला। राज्यों को चाहिए कि वे इन बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। केवल इसी महीने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

हम कहते हैं कि उपनगरीय रेलवे प्रणाली घाटे में चल रही है। लेकिन हम रेलमंत्रालय को इसके लिए दोष नहीं दे सकते। वास्तव में केन्द्र को बजट में उपनगरीय रेल प्रणाली के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए। तभी हम उपनगरीय क्षेत्रों में बेहतर रेल सेवा प्रदान कर पायेंगे। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी होगी, तभी वे पूर्ण सक्षमता से कार्य कर पायेंगे। पश्चिम बंगाल से आए मेरे एक मित्र ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसंधान और विकास के महत्व पर ठीक ही जोर दिया है। हमें पुरानी प्रौद्योगिकी से ही नहीं चिपके रहना चाहिए। नई प्रौद्योगिकी अपनाने से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटे को रोका जा सकता हैं

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारे प्रशासनिक तंत्र में भी कुछ खामियां हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इन उपक्रमों का चेयरमैन बना दिया जाता है, इन्हें अध्ययन करने और प्रशिक्षण पाने हेतु 2 या 3 वर्ष के लिए विदेश भेजा जाता है। जब वे देश वापस आते हैं तो उन्हें दूसरे विभागों में लगाया जाता है। इसीलिए वहां प्रतिभा, अनुभव और प्रशासन एवं प्रबन्ध कुशलता का अभाव होता है। इनमें घाटे का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है। इन एककों के प्रतिभाशली और योग्य अधिकारियों को प्रबन्ध व्यवस्था में लगाया जाना चाहिए।

कर्नाटक में एच.एम.टी. को भी घाटा हो रहा है। कोलार गोल्ड माइन्स में अनेक समस्याएं हैं। ये विश्व विख्यात सोने की खानें हैं। हम पिछले अनेक दशकों से वहां से सोना निकाल रहे हैं। अब वहां प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें नई प्रौद्योगिकी का आयात करने से नहीं हिचकना चाहिए। हम इन खानों से अनेक वर्षों तक सोना निकाल सकते है। सोने की इन खानों को बंद नहीं करना चाहिए।

एम.डी.एल. मेरे चुनाव क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। दक्षिण कनाडा के लोग इसमें हो रहे घाटे से बहुत चिंतित हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस एकक को पर्याप्त क्रयादेश नहीं दिए हैं और इसके रूग्ण होने का मुख्य कारण यही है। इस संबंध में केन्द्र को शीघ्र ही सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

मैं पुन: कहता हूं कि हमारे देश की एक तिहाई जनता बहुत ही गरीब है। हमारा कर्त्तव्य है कि इस गरीबी में और वृद्धि न होने पाए। इसके साथ ही हमें गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो गरीब जनता हमारे विरूद्ध विद्रोह कर देगी। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन गरीब लोगों को अधिकाधिक रोजगार देकर उनकी गरीबी दूर करें।

मैं अध्यक्ष पीठ का आभारी हूं कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सभापति महोदय, श्री सुदर्शन राय जी चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में जो भी बीमार सार्वजनिक इकाइयां या उपक्रम हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या और जो यूनिट्स हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के बकाया का भुगतान नहीं किए जाने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त किए जाने का उल्लेख है। इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि देशहित में इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने और उनके बकाया का भुगतान करने हेतु कदम उठाए जाएं। मैं इसका समर्थन तो करता हूं लेकिन इसके जो प्रस्तावक महानुभाव है वे शायद इसको पश्चिमी बंगाल तक ही सीमित कर देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह पश्चिमी बंगाल का ही मामला नहीं है।...(**व्यवधान**) इस प्रकरण को बार-2 पश्चिमी बंगाल के संदर्भ में उठाया गया है और ज्यादातर वहीं का उल्लेख किया है। इसका कारण भी उनको समझाना पड़ेगा कि आखिर देश में सार्वजनिक क्षेत्र में जो उपक्रम स्थापित किए गए थे उनकी रूग्णता की स्थिति क्यों पैदा हुई? इसके क्या कारण थे? इसके लिए जहां अन्यान्य कारण उत्तरदायी है वहीं एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में कई प्रकार की यूनियनें, कई प्रकार के मजदूर संघों का होना भी है। आए दिन बंद-हड़ताल होती रहती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जब उदारीकण के नाम पर वह अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का संकलप लेती है तो इन रूग्ण सार्वजनिक इकाइयों के बारे में उसको ठीक से निर्णय करना चाहिए। ''आधा तितर-आधा बटेर'' वाली स्थिति पर उसे नहीं चलना चाहिए। जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उनको देश की जनता कब तक सहन करती रहेगी? हमारे सामने गरीबी उन्मूलन की समस्या है, शिक्षा के प्रचार-प्रसार की समस्या है, सबको साक्षर बनाने की समस्या है और सबके स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करना है। दूसरी तरफ इस प्रकार के कितने सफेद हाथी हैं, घाटे में चलने वाली इकाईयां हैं, जो देश के ऊपर भार बन चुकी हैं, उन भार बन चुकी इकाईयों के बारे में हमें दो टूक निर्णय करना ही होगा। लेकिन श्रमिकों के हितों का जहां तक सवाल है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मेरे पास कल ही, मेरे क्षेत्र से सूचना मिली है कि एन.टी.सी., सार्वजनिक वस्त्र निगम की दो इकाईयों, एडवर्ड और महालक्ष्मी मिलों में पिछले दो महीने से कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष बनाते समय, वस्त्र मंत्री जी ने यहां घोषणा की थी कि बहुत जल्दी उनका भुगतान करा दिया जायेगा, उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलने लग जायेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस कारण वहां के कर्मचारियों और मजदूरों में रोष और आक्रोश पैदा हो रहा है। उन्हें अपने भविष्य के बारे में चिन्ता हो रही है। आप जो स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना चला रहे हैं, उसके अंतर्गत रूग्ण इकाईयों को ठीक करने के नाम पर, मजदूरों की छंटनी की जा रही है या उन्हें जबर्दस्ती चार महीने या पांच महीने या छ: महीने का वेतन अग्रिम देरक घर भेजा जा रहा है। यह उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिये पहले सरकार को स्वयं आत्म-निरीक्षण करना पड़ेगा। एक समय था जब हमारे कांग्रेस के लोग नेहरू जी के बताये हुये समाजवाद के मॉडल का राग अलापते हुये इन सार्वजनिक उपक्रमों का गुणगान करते हुए थकते नहीं थे लेकिन आज उसी कांग्रेस के लोगों ने उदारीकण के नाम पर, नई आर्थिक नीति के कारण नेहरू जी के उस मॉडल को बिल्कुल भुला दिया है और एकदम से सरकारीकरण और राष्ट्रीयकरण को भूलकर, निजीकरण की तरफ या अन्य किसी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अब उन्हें आत्म-निरीक्षण करना पड़ेगा। इसलिये हम प्रारम्भ से ही कहते थे कि सरकारीकरण किसी समस्या का हल नहीं हैं, राष्ट्रीयकरण किसी समस्या का उपाय नहीं है। हमारे देश के लिये जो उपयुक्त हो, हमें उसी रास्ते को अपनाना

चाहिये। सोवियत रूस का उदाहरण हमारे सामने है। मैं अपने मार्क्सवादी वामपंथी मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि रूस ने पहले तो अपने यहां हर चीज का सरकारीकरण कर दिया, सरकारीकरण करते करते भले ही वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया लेकिन आर्थिक दृष्टि से रूस अंदर से खोखला होता गया और इतना बड़ा साम्राज्य एक दिन अचानक ध्वस्त हो गया, कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। आज वहां के लोग डबलरोटी के लिये लम्बी-2 लाईनें लगाते हैं, आज उन्हें अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं।

इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी कहीं ऐसा न हो कि गरीब लोगों की गरीबी दूर करने के प्रयास न किये जायें, सबको शिक्षित करने का जो हमारे ऊपर सांवैधानिक कम्पलशन हैं, सांवैधानिक प्रावधान है, उसका पालन न किया जाये, सबके लिये स्वास्थ्य हम उपलबध न कराये या घर बैठे कुछ लोगों को तनख्वाह मिले क्योंकि गोरखपुर में एफ.सी.आई.ई. की एक यूनिट को लगभग 4-5 साल पहले मैं एक संसदीय शिष्ट मंडल के साथ देखने गया था। वहां सैंकड़ों क्वार्टर बने हुये हैं, करोड़ो रुपये की मशीनें लगी हुई हैं लेकिन वहां के कर्मचारियों को और दूसरे लोगों को ऐसे ही कई वर्षों से तनख्वाह मिल रही है जबकि उनके सामने कोई काम नहीं है। इसलिये जो लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें काम न मिले और दूसरी तरफ कुछ लोगों को घर बैठे वेतन दिया जाता रहे, आखिर सरकार इस प्रकार का वित्तीय भार कब तक उठाती रहेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगिक रूग्णता किसी भी विकासशील देश के लिये हानिकारक होती है क्योंकि उससे उत्पादन की हानि होती है, रोजगार की हानि होती है, सरकारी राजस्व की हानि होती है और उसके कारण निवेश संबंधी या दूसरे दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर आधुनिक, विकसित और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत में प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनना चाहता है तो हमें समझना होगा कि औद्योगिक विकास उसकी रीढ़ होता है। यदि उसमें अवरोध पैदा हो गया तो समझ लीजिये, कि विकसित राष्ट्र का विकास अवरूद्ध हो जाता है। मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की गलत औद्योगिक नीतियों के कारण लगभग ढ़ाई लाख औद्योगिक इकाईयां ऐसी हैं, जिनमें कुछ लघु इकाईयां और भारत सरकार के कुछ बड़े उपक्रम भी शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 247 हैं, उनमें से लगभग 39 रूग्ण घोषित किये जा चुके हैं, कुल ढाई लाख औद्योगिक इकाईयां बीमार हैं, जिन पर 8837.32 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है, इससे पता चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है।

सभापति महोदया, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के लाखों प्रयासों के बावजूद कोई स्पष्ट नीति, कोई ठोस नीति हमारे सामने नहीं आई है। कोई सार्थक उपाय आप खोज नहीं पाए हैं कि आखिर इन घाटे में चलने वाली, बीमार इकाईयों का क्या इलाज किय जाए। कभी आप बी.आई.एफ.आर. के पास भेज देते है और वहां लम्बी प्रक्रिया चलती है और फिर वे उन्हें अधिकरण के पास भेज देते हैं और अभिकरण में निर्णय करने में बहुत टाइम लग जाता है। सरकार के सामने जब कोई संगठित दबाव पड़ता है, तो सरकार उसके सामने झुक जाती है और कहती है कि बी.आई.एफ.आर. को मामला भेज दिया गया है और वहां पर जब तक मामला चलता है, तब तक कोई और आंदोलन छेड़ देता है, तो कहते हैं कि नवीनीकरण के लिए हमने इतना पैसा मंजूर कर लिया है। इतनी मिलों का आधुनिकीकरण करेंगे और फिर वह मामला टल जाता है और फिर वही "ढाक के तीन पात" वाली कहावत चरितार्थ होती है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लें। सरकार की इस संबंध में न कोई स्पष्ट नीति है और न कोई व्यापक योजना है और इस प्रकार से औद्योगिक अशांति को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो उपाय किए जा रहे हैं वे केवल फौरी उपाय किए जा रहे हैं। सार्वजनिक उपकरणों के बन्द होने के कारण सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। अजमेर में एच.एम.टी. की एक इकाई है। पहले तो वह बड़े लाभ में चलती थी, लेकिन अचानक दो साल बाद ही वह घाटे में आ गई। आखिर लाभ में चलने वाली इकाई एकदम घाटे में कैसे आ गई? इसका मतलब यह है कि या तो वहां भ्रष्टाचार या वहां पर अफसरशाही है अथवा प्रबन्ध में कोई अव्यवस्था है या इस प्रकार का कोई दोष अवश्य है। हमने कई ऐसी शिकायतें अधिकारियों को भेजी, कि ब्यावर की जो एन.टी.सी. मिलों के प्रबन्ध में भ्रष्टाचार है। उनके बारे में कर्मचारी यूनियनों की, सारी कर्मचारी यूनियनों की, चाहे वे किसी भी विचारधारा की हों, सबकी शिकायत आई कि वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और प्रबन्धकों के बंगलों के अन्दर बड़े ठाठबाट हैं और सारे साधन जुटाए जा रहे हैं। जबकि मजदूरों की स्थिति यह है कि उन्हें जो रूई वगैराह मिलती है, वह भी नहीं दी जा रही है और उनको ले-आफ नहीं दिया जाता है और उन्हें दस्तखत करवा कर घर भेज दिया जाता है तथा उन्हें कहा जाता है कि जब काम आएगा, तब उनसे करा लिया जायेगा, उसके लिए कौन दोषी है। आखिर इसकी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदया, इसी प्रकार से हम सरकारी क्षेत्र की एक मिल आई.डी.पी.एल. को देखने गए, जो हरिद्वार के पास ऋषिकेश में हैं। औषधि का बहुत बड़ा केन्द्रीय सरकार का वह उपक्रम है। हमने कहा कि यह घाटे में क्यों चलता है, तो हमें वहां के लोगों ने बताया कि यह दूसरे दिन फायदे में बदल सकता है, लेकिन भारत सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण ऐसा है। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें जब दवा या गोलियां खरीदती हैं, तो उनके टेंडर मंगवाती है, तो बम्बई में कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होने वाली दवाई कम्पनियां जिनके पास न प्रामाणिक सामान होता है, न वैज्ञानिक तकनीक होती है और न विशेषज्ञ होते हैं, उनकी दवाओं के मूल्य स्वाभाविक तौर पर हमारी जैसी कम्पनी आई.डी.पी.एल. जो

प्रामणिक रूप से दवाएं बनाती है, जिसक पास विश्वसनीयता है जिसके पास तकनीकी आधार है उसकी दवा के मूल्यों से उन कम्पनियों की दवाओं के मूल्य थोड़े से कम होंगे, तो सरकार उनसे दवा खरीद लेती और परिणाम यह होता है कि सरकारी कारखाना घाटे में चला जाता है, इसलिए सारे उपक्रम घाटे में चलते हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि अगर सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है, तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष की जो राशि है, उस राशि को बढ़ाकर एक बार जिनको भी प्रशिक्षण प्रदान करना है, या उत्पादक इकाइयों को बढ़ावा देना है, उनको बढ़ावा दिया जाए और पुन: प्रशिक्षण का काम भी किया जाए, लेकिन यह स्वैच्छिक अवकाश वाली जो बात है, वह नहीं होनी चाहिए कि जबर्दस्ती श्रमिकों की छंटनी कर दी जाए या कर्मचरियों को निकाल दिया जाए या स्वैच्छिक अवकाश के पैसे देकर के किसी भी कोष के नाम पर उनको घर भेज दिया जाए, यह नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इन रूग्ण मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए एक ऐसे प्रतिष्ठान की स्थापना करनी चाहिए जिसमें उनके अपने विशेषज्ञ हों और जो उस कम्पनी के उद्योगों के और वाणिज्य मंडल के प्रतिनिध भी हों जो उन कम्पनियों को या सार्वजनिक उपक्रमों को भली प्रकार से राय दे सकें और उनको ठीक रखने के सारे सुझाव दे सकें। बीमार उद्योगों को अपने कंसल्टेंट, अपने सलाहकार भी नियुक्त करने चाहिए या उनको नियुक्ति की आज्ञा दी जानी चाहिए, जो उस उद्योग को तेजी से प्रमाणिकता से पुनर्जीवित करने की योजना बना सके और उस यूनिट को जो हानि में चल रही है, जो घाटे में चल रही है, उसका वापस लाभ के अन्दर लाने का प्रयास करें।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ इन सब के बारे में छानबीन कर के जो भी त्रिपक्षीय वार्ता हुई है मजदूरों को लेकर प्रबन्धकों को लेकर सरकार के बीच में अथवा संगमा जी के द्वारा अथवा उन्होंने जो त्रिपक्षीय समिति बनाकर औद्योगिक निर्माण बोर्ड आदि के बारे में सुझाव दिए हैं या रिजर्व बैंक वगैरह के माध्यम से, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, बी.एफ.आई.आर. की सिफारिश पर जितना पैसा चाहिए एक बारे वे उतना पैसा ले लें। एक बार उतना पैसा ले लें लेकिन वही पैसा प्रतिस्पर्धा के युग में वापिस लाभ के अंदर चला जाये, भली प्रकार से काम करने लग जाये। आप जो मल्टी नेशनल्स बुला रहे हैं, तो मैं सरकार से कहना चहाता हूं कि मल्टी नेशनल्स तो केवल टैक्नोलॉजी या अपग्रेडेशन के बारे में या जिन औद्योगिक इकाइयों में या सार्वजनिक उपक्रमों में कारखाने बीमार हैं, उनको मल्टी नेशनल्स क्यों नहीं लेती? अगर वे वास्तव में यहां पर सहयोग प्रदान करना चाहती है, यहां पर आकर उत्पादन और अपनी तकनीक का विस्तार करना चाहती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो रूग्ण कार्यक्रम हैं, उनको लेंकर सुधारें। बने हुए तो हर कोई बनाता है लेकिन जो बिगड़ा हुआ है, उनको बनायेंगे तो सारा देश यह कहेगा कि वे यहां आये और उन्होंने हमारे देश को सहयोग प्रदान किया। लेकिन वे इस क्षेत्र में हाथ नहीं डाल रहे हैं। पूंजी लगाने वाले भी इन घाटे के कारखानों के अन्दर कम पूंजी लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप बीमार उद्योगों को अपना एक सलाहकार नियुक्त करने की आज्ञा प्रदान करे ताकि वे अपनी योजना बना सकें। यह भी ध्यान रखा जाये कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वे बेरोजगार न होने पायें। आज देश में वैसे ही बेरोजगार बढ़ती जा रही है, कहीं उनके कारण और न बेरोजगारी बढ़ने पाये। केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे हमारे देश के श्रमिक, हमारे देश के उपभोक्ता, हमारे देश की आम जनता को लाभ मिल सकें। यह जो राजकोषीय घाटा है, उसको कम करने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को लाभ में चलाना चाहिए, इसलिए सभी राजनैतिक दलों को और उनसे संबंधित जितने भी मजदूर संगठन हैं, उन सबको राष्ट्रीय हित के लिए सर्वोपरि मानकर और हड़तालों आदि को भुलाकर अगर राष्ट्र का निर्माण करना है, राष्ट्र का विकास करना है, उनके हाथ में वे उपक्रम देने चाहिएं। अगर सभी मजदूर मिलकर सहकारिता के आधार पर अपनी सहकारी समितियां बनाकर उसको चलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें उनके हाथों में देने की अपेक्षा उन मजदूरों के हाथ में सौंपा जाना चाहिए जो कि सहकारी समिति के आधार पर उसे चलाना चाहते हैं। चार-पांच इकाई दी भी हैं और वे भली प्रकार से काम कर रही हैं। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि श्रमिक समस्याओं से निपटने के लिए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : संकल्प के लिए नियत समय समाप्त हो गया है, क्या सदन समय बढ़ाने के लिए सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, समय बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रमिकों की समस्याओं से निपटने के लिए और स्वैच्छिक सेवानिवृति आदि योजनाओं के लिए जो कार्य दल बनाये गये थे, उनका क्या होता है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, लागत व्यय कम करने के लिए, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, बिक्री प्रतियोगिता के लिए, उत्पादित सामान को तैयार करने के लिए, मुनाफे में वृद्धि करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के महत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए। इन सब बातों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए और यह बात नहीं होनी चाहिए कि ''माले मुफ्त दिले बेरहम''। वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनको कुछ करना न पड़े, वे कुछ काम भी न करना चाहें। स्वयं घाटे के लिए चिंतित न हों, उनको तनख्वाह हर महीनें मिलती रहे और इस देश की बेचारी गरीब जनता

पीसती रहे। इस राजकोषीय घाटे से और बजट से जो नवीकरण के नाम पर 700 करोड़ या 1200 करोड़ की राशि सार्वजनिक उपक्रमों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए लगाई जा रही है, वह राशि सार्वजनिक उपक्रमों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए लगाई जा रही है, वह राशि ऐसे ही न रहे। इस बारे में सरकार को एक स्पष्ट नीति रखनी चाहिए और सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वह हर उद्योग जो घाटे में चलने वाला है, उसे अपने पैसे से खड़ा करें, इसलिए हम वित्तीय संसाधन से या बी.आई.एफ.आर. से समझौता कर पुनर्वासी मदद कर रहे हैं। बी.आई.एफ.आर. की कार्य प्रणाली को भी थोड़ा सुधारना चाहिए ताकि वे जल्दी से फैसला हो सकें। सरकार अधिकरण की जांच करके, वित्तीय घाटे को देखकर, लेखों को देखकर निरक्षित लेखों की जांच करें और घाटे आदि के कारणों का पता लगाकर जहां जितना पैसा देना है, वहीं उसे दे। इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

आपने मुझे जो बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर, उन इकाइयां को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाहे वे बी.आई.एफ.आर. के माध्यम से हो या राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से चाहे बैंक के माध्यम से धन उपलब्ध कराकर और चाहे सरकार स्वयं अपनी ओर से सहायता करके या उन सक्षम लोगों से या मजदूरों की सहकारी समिति के हाथों सौंपकर, उनके घाटे की पूर्ति करनी चाहिए अन्यथा इन घाटों में निरंतर चलने वाली इकाइयों के कारण हमें बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी और उसका दुष्परिणाम राष्ट्र को उठाना पड़ेगा।

श्री विजय कुमार यादव : सभापति महोदय, यह प्राईवेट मैम्बर्स रैजालूशन ऐसे समय में आया है जब इस पर पहले भी बहस हुई थी लेकिन अभी भी जारी है। आम तौर पर सत्ता पक्ष को छोड़कर सब लोग इस नतीजे पर पंहुंच रहे हैं कि सरकार ने जो नई औद्योगिक या आर्थिक नीति अपनाई है, वह देश के हित में नहीं है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण की जो नीति अपनाई थी, वह अकारण ही नहीं अपनाई थी। दुनिया में आर्थिक तौर पर जो घटनाएं घट रही थी, उसका नतीजा निकालकर काफी सोच-समझकर अपनाई थी। भारत जैसे पिछड़े देश में आजादी के बाद किस तरह की आर्थिक नीति चलेगी, उसको सामने रखकर उस नीति का निर्माण किया गया था। उसके पीछे यह समझ थी कि देश के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके, क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जा सके, बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके, मुल्क को आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि वह आर्थिक मामलों में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि हमारा मुल्क गरीब है और हमारा स्टेट वैल्फेयर स्टेट है। इसलिए आम जनता के सामने जो समस्याओं की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी है। इन बातों को सामने रखकर इंडस्ट्रियल और आर्थिक नीति का निर्माण किया गया था। अब इसको बुनियादी तौर पर उलट दिया गया है जिससे जिन आधारभूत सिद्धान्तों को लेकर पुरानी नीति बनाई गई थी, उन सब पर गहरा प्रहार हुआ है। निजीकरण की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, कारखाने बन्द हो रहे हैं और मजदूर भी बेकार हो रहे हैं। हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े देश में वौलंट्री रिटायरमैंट और गोल्डन हैंड शेक के नाम पर मजदूरों को छांटा जा रहा है। निजीकरण की नीति और विदेशी पूंजी को जो आमंत्रण दिया जा रहा है, विदेशी पूंजी कहां आने को तैयार है? क्या बिहार जैसे राज्य में विदेशी पूंजी आने को तैयार है? नहीं, जहां इन्फ्रास्ट्रक्टर है, चाहे बिजली का मामला हो या दूसरा मामले हों, हमारे मुल्क में ही जो डैवलप्ड स्टेट हैं, विदेशी पूंजी वहीं आने को तैयार है, जो अंडर डैवलप्ड या बैकवर्ड स्टेट हैं, वहां निजी पूंजीपति भी नहीं जा पाते। इस तरह देश की एक बड़ी समस्या, जिसके समाधान के लिए 1956 की आर्थिक और औद्योगिक नीति का निर्माण रीजल इम्बैलैंस को दूर करने के लिए किया गया था, उससे क्षेत्रीय असन्तुलन और बढ़ रहा है। जब से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है, तब से एक हजार से ज्यादा यूनिटस शट डाउन हुए हैं। जहां तक बड़ी, मझली और छोटी इकाइयों का सवाल है, इस तरह की साढ़े तीन लाख से ज्यादा इकाइयां बन्द हो चुकी हैं।

हमारे यहां बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछड़ा हुआ राज्य होने की वजह से वहां अनुमान के मुताबिक 325 वृहद और मध्यम इकाईयां है। इनमें से 67 इकाईयां बीमार या बन्द होने के कारण बी.आई.एफ.आर. के दायरे में भेजी गई हैं। इसका नाम औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है, लेकिन काम यह क्या करता है, औद्योगिक इकाईयों को यह समाप्त करता है, पुनर्निमाण करने की बात नहीं करता है, बल्कि उसको पूरी तरह समाप्त कर देता है, जैसे यह समाप्त करने वाला बोर्ड है। बिहार में भी 17 इकाईयों के बारे में इन्होंने लिखा है कि इनको बेच दिया जाये, यह बेच देने लायक हैं, जिसमें एक ई.सी. की यूनिट भी है, जो एक बहुत अच्छी यूनिट है।

हमारे यहां सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना है, जो नोर्थ और ईस्ट में फर्टिलाइजर को सप्लाई करने की एकमात्र इकाई है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि संबंधित मंत्री जी, प्रधानमंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर से बिहार का डैलीगेशन और सिंदी फर्टिलाइजर के कर्मचारियों का डैलीगेशन एक बार नहीं, कई बार मिला है। एम.पीज. लोग, हम लोग भी कई बार मिलें हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक जोइण्ट आधुनिकीकरण और पुनर्निमाण के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया, जिसमें उन्होंने उपाय सुझाये थे, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। बरोनी रिफाइनरी की भी वही स्थिति है। एच.ई.सी. के बारे में भी मैंने आपको कहा। जमालपुर का वैगन का कारखाना है, उसका सवाल भी यहां कई बार उठाया गया है। मुजफ्फरपुर में भी

वैगन का कारखाना है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा बार-बार यहां आवाज उठायी जा रही है। चकिया शुगर मिल की यह स्थिति है कि उस पर काफी किसानों का बकाया पड़ा हुआ है। यह जो कारखाने बन्द हो रहे हैं और इन कारखानों को जो बीमार कहा जाता है और इस नाम पर बन्द कर दिया जाता है और सरकार को इसके लिए जो उचित सुझाव दिये जाते हैं, उन पर सरकार विचार नहीं करती हैं। कारखाने के मजदूर और कारखाने का जो मैनेजमेंट है, वह पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार है, चाहे वह जो भी कारखाना हो, बिहार में हो या दूसरे राज्यों में हो, जिस पर यह संकट आता है।...(व्यवधान) आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर या इस तरह के जो भी कारखाने हैं, सब में यही स्थिति है। हमने देखा है और जो तजुर्बा है, वहां मजदूर काफी आतंकित है।

जहां तक वर्क कल्चर की बात कही गई है तो मैं समझता हूं कि थोड़ी दूर तक इस आलोचना को माना जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जब शुरू में निर्माण हुआ तो मजदूरों को भी जितना ज्यादा इसको बचाने का काम करना चाहिए था, उसमें शिथिलता जरूर रही, लेकिन जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, मजदूरों ने भी इसको महसूस किया है, ट्रेड यूनियन वालों ने इसको महसूस किया है और उन्होंने यह समझा है कि उनकी रोजी-रोटी देश का निर्माण और देश की तरक्की इसके साथ पूरी तरह से सम्बद्ध है, इसलिए उनको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए और आज वह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज लोग पूरी मेहनत करना चाहते हैं, जिसको वर्क कल्चर कहते हैं, विदेशों में जो सुनते हैं कि वर्क कल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो हमारे मुल्क में भी अब उसकी कोई कमी नहीं है।

लेकिन जहां तक सरकार ने जो नीति अपना ली है, उस नीति की वजह से उससे जरा सी सरकार इधर से उधर होने को तैयार नहीं है। आज बड़े पैमाने पर मजदूरों के सामने जो समस्याऐं खड़ी हैं, चाहे उनका बकाया वेतन हो और चाहे सारी फैसिलिटीज हों, इस मामले में सरकार को विचार करना चाहिए। जब मजदूर और प्रबन्धन कारखाने के आधुनिकीकरण और रूग्णता को समाप्त करने के लिए आपसे फाइनेंशियल एड मांगता है और उसके लिए सुझाव देता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और विचार करके उनको काम करने की पूरी आजादी देनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है, हमारे यहां एक प्रतिष्ठामूल्क बी.एच.ई.एल. की इकाई है, जो बिजली उत्पादन की सारी मशीनें वगैरह तैयार करती हैं, हम-लोगों ने महसूस किया है कि विदेशी कंपनियों को हिन्दुस्तान में बिजली उत्पादन का ठेका देने के लिए बुलाया जा रहा है। यह काम उनके जिम्मे दिया जा रहा है और उनको सहूलियतें दी जा रही है। उनके लिए फाइनेंशियल फैसिलिटी की बात है या जो मुनाफे का रेट देने की बात है और जिस तरह के गारंटी और काउंटर गारन्टी की बात है, इन सब को देखते हुए बी.एच.ई.एल. के लोगों का कहना है कि उससे कम फैसिलिटी में सरकार जो योजना बनाती है कि पांच साल में हम इतने करोड़ यूनिट बिजली तैयार कर लें, तो सरकार का जो लक्ष्य है, उसके मुताबिक बी.एच.ई.एल. के पास बिजली उत्पादन करने की क्षमता मौजूद है और सामान तैयार करने की क्षमता मौजूद है। इतना होने पर भी केन्द्रीय सरकार उनको ऑर्डर न देकर विदेशी कंपनियों को बुला रही हैं इस तरह से मुल्क के अन्दर जो हमारी तैयारी है, हमारी जो इकायां सक्षम हैं और जो इन कामों को कर सकती हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है और पूरी तरह से भारत को विदेशी हाथों में सरन्डर किया जा रहा है। उनके हाथों में भारत को सौंपा जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसका नतीजा बुरा होगा और इसीलिए इस सिलसिले में मेरा यह सुझाव है कि सरकार की जो पुरानी नीति है, उस नीति की अच्छाइयों को सामने रखा जाए। रेयर केसेज में जहां विदेशी कंपनियों को लाना बहुत जरूरी हो, उस स्थिति में विदेशी टैक्नोलाजी लाने के लिए विदेशियों से सम्पर्क किया जा सकता है। अपने देश के उद्योगपतियों को, देश मजदूरों को और हमारी मैनेजमेंट को पूरा मौका मिलना चाहिए, उनको फाइनेंस की सुविधा मिलना चाहिए, तभी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें पब्लिक अन्डरटेकिंग्स को बचाने की जरूरत है, जो कि देश का गौरव है और देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में उसका एक ऐतिहासिक रोल रहा है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदया, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्याप्त रूग्णता के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले पश्चिम बंगाल में अपने साथियों से सहमत हूं। लेकिन यह चर्चा संकीर्ण दृष्टिकोण को लेकर नहीं होनी चाहिए। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के हित को सामने रखते हुए ही इस समस्या पर विचार करना चाहिए।

महोदय, आज सरकारी क्षेत्र अपना अस्तित्व खो रहा है। चाहे इसे जानबूझकर समाप्त किया जा रहा है, या यह अकुशलता से या फिर ऐतिहासिक कारणों से समाप्त हो रहा है। या फिर स्पर्धा के अभाव अथवा कार्य प्रणाली के कारण समाप्त हो रह है। इस बारे में कोई निर्णय नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यह बिखर रहा है। सरकारी क्षेत्र में ऐसे लाभदायक तल अवश्य हैं जिनको राष्ट्र के हित में बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें मुझे तो यह चिंता हो रही है कि सरकार ने अभी ऐसा कोई विचार नहीं बनाया कि क्या सरकारी क्षेत्र को बरकरार रखना चाहती है अथवा इसे समाप्त करना चाहती है। इस संबंध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। सम्भवत: यह पुरानी और नई मोहब्बत के बीच प्रतिस्पर्धा है। जो सरकार की आत्मा में निजीकरण के लिए है।

[हिन्दी]

यह दोनों के बीच का एक डेलिमा है जिसको अभी तक ये रिजोल्व नहीं कर पाए है।

[अनुवाद]

इसलिए आज हर कोई निजीकरण की बात कर रहे हैं जब कि कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीयकरण का राग अलापा जा रहा था। मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के आरम्भ में ही हम औद्योगिक उड़ान भरना चाहते थे।

हम राष्ट्रीय गौरव की भावना से एक शताब्दी आगे बढ़ना चाहते थे। हम कहना चाहते थे कि भारत सब कुछ स्वयं पैदा कर सकता हैं। हमें पूंजी मिली और हमने संभवत: उन क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया जिनकी उत्पादन अवधि बहुत लम्बी थी। निवेश के लिए निजी पूंजी नहीं मिली। हमने अपने लिए कुछ क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित की। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां राष्ट्र अभावग्रस्त था और हम किसी भी कीमत पर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। बाद में हमने पाया कि हम धीरे-धीरे लक्ष्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय आयोग के बीच अन्तर को कम करने के लक्ष्य से पीछे हटते जा रहे हैं। हम राजनीतिक दबाव में आकर राष्ट्रीयकरण की होड़ में तो लग गए लेकिन हमने नए उद्योग राष्ट्र की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं लगाए अपितु सरकार के सहारे पर लगाए। अब ये उद्योग बीमार हो गए है। अब हम महसूस करते हैं कि हमने जो मार्ग अपनाया था वह उचित नहीं था।

आज यदि आप रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची को देखें तो पता चलेगा कि उनमें से आधे एकक ऐसे हैं जो राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले नहीं हैं और न ही उन उद्योगों का कोई सामरिक महत्व है। तेल, साबुन, प्रसाधन सामग्री, कपड़ा आदि हमनें सभी को ले लिया क्योंकि हमारा लोकतंत्र था। लोकतांत्रिक बाध्यताओं तथा राजनैतिक गठबन्धन के कारण हमें अपने मित्र अपनी ओर रखने पड़े और यहां हमने गलती की क्योंकि इस बाध्यता के फलस्वरूप राष्ट्र को अनेक एककों का राष्ट्रीयकरण कर अपने अधिकार में लेने पड़े जिनका 1956 के औद्योगिक संकल्प की व्याख्या के अनुसार सरकरी क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। इसके फलस्वरूप हमें यह फल भुगतना पड़ रहा है। आज हम शोर मचा रहे हैं कि ये एकक रूग्ण क्यों हुए हैं। हमने अपनी नीतियों का ही अनुसरण नहीं किया। इसी दौरान एकाधिकार व्यवस्था की बुराई भी यहां आ गई। प्रबन्धन व्यवस्था कमजोर हो गई। सरकारी क्षेत्र अवांच्छनीय नौकरशाहों प्रक्षय स्थली बन गए। प्रत्येक नौकरशाह उनका अलग-2 मालिक हो गया। यह सब मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। लोक सरकारी क्षेत्र में बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि वहां उन्हें व्यक्तिगत लाभ मिलता था। वहां भाई-भतीजावाद आम बात हो गई थी। आप गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकारी अधिकारी होते हुए सम्भवत: अपने भतीजों, या भतीजियों को नौकरी न दिलवा पाए। लेकिन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने इसके लिए मैदान साफ था यह निहित स्वार्थ का क्षेत्र बन गया। इन्हीं कारणों से समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। इन सभी बातों को ओर से हमने आंखे बन्द कर रखी हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में वह अपनी नीति स्पष्ट करें। आप सरकारी क्षेत्र की सम्पूर्ण संकल्पना की समीक्षा करें और यह निश्चित करें कि सरकारी क्षेत्र में आप क्या रखना चाहते हैं। और जिसे नहीं रखना चाहते हैं उसका स्पष्टत: निरस्कार करें। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बुरी तरह से विघटित किया जा रहा है। जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई है और अनेक उपक्रम रूग्ण हो गए हैं, उनमें घाटा बढ़ता जा रहा है उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है। ये एकक अपने आरक्षित धन और कर्मचारियों की भविष्य निधि भी खा रहे हैं। उनकी परिसम्पत्तियां उनकी देयताओं को भी पूरा नहीं करती है। उनकी प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है। उनके पास कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अपने हाथ में आए क्रयादेशों को पूरा करने में ये असमर्थ हैं।

सब से अधिक संकट की स्थिति तो यह है कि जिस कैप्टिव बाजार के आधार पर सरकारी क्षेत्र में उपक्रम लगाए गए थे वह बाजार ही खुला छोड़ दिया गया है। जैसा कि वैगन उद्योग और एच.ई.सी. का मामला है। जब तक इस्पात यूनिट इनके ग्राहक नहीं बनते ये उद्योग जीवित नहीं रह सकते हैं। जब मैं विदेशों में भारत का राजनयिक था तो मैं वहां बड़े गर्व से कहता था कि मेरे देश में ऐसे एकक हैं जहां 10 लाख टन इस्पात का प्रतिवर्ष उत्पादन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा तो है कि एच.ई.सी. मूल उद्योग है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन ऐसी स्पष्ट संकल्पना प्रत्येक एकक के बारे में किये जाने की आवश्यकता है। केवल उन्हें बी.आई.एफ.आर. के पास भेजने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

बी.आई.एफ.आर. के पास इतने अधिक मामले पड़े हैं कि वह उन पर अपना निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए बी.आई.एफ.आर. परिहास बन गया है; लोगों को धोखा देने का साधन बन गया है। चूंकि आप स्वयं कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए इसे बी.आई.एफ.आर. को सौंप देते है।

मेरा अनुरोध यह है कि 1956 के संकल्प की मूल भावना का आदर करते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सम्पूर्ण संकल्पना की समीक्षा करें। यदि इन उपक्रमों में घाटा हो रहा है तो इन में राशि निवेश कर इन्हें लाभप्रद बनाएं। शेष उद्योगों को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है। इन्हें आरम्भ में ही सरकारी क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए था?

इन्हें जीवित रखने के लिए कोई दूसरा समाधान निकालना है। उन्हें चलाने, उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने, कच्चा माल खरीदने आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इसकी राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर सकते हैं? ऐसे सरकारी क्षेत्र के एककों को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। एक है - वे उद्योग जो अलाभप्रद हैं, जो ये निरंतर रूग्ण रहते

है और जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य नहीं हैं, इन्हें बन्द कर दिया जाना चाहिए। इनके कर्मचारियों को मुआवजा देकर, उनका पुनर्स्थापन करना चाहिए या उन्हें पुन: प्रशिक्षण देना चाहिए। लेकिन एककों को बंद करने के बारे में हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए।

दूसरे वे एकक हैं, जिन्हें उनकी परिसम्पत्तियों और देयताओं सहित आसानी से निजी क्षेत्र को बेचा जा सकता है, क्योंकि वे उन्हें लाभकारी बनाने की स्थिति में हैं और देश के कानून के तहत चला सकते हैं।

तीसरी श्रेणी में वे उपक्रम आते हैं जिन्हें उनके कर्मचारी अपने हाथ में लेकर स्वयं चलाना चाहते हैं। सहकारी उपक्रम के रूप में चलाकर उन्हें अर्थसक्षम बनाना चाहते हैं। इस संबंध में सरकार को यह स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि यदि किसी उपक्रम के कर्मचारी सहकारिता के माध्यम से उस उपक्रम को चलाना चाहते हैं तो वे आगे आएं। सरकार उन्हें वित्तीय और आधरभूत सुविधा उपलब्ध करायेगी। इस प्रकार से उपक्रम निजी उपक्रम बनेंगे और कर्मचारियों का अपना सहकारी उद्योग होगा। सरकार उनसे उस उद्योग की लागत का भुगतान किश्तों में करने की अनुमति दे सकती है। इस बीच, सरकार उन्हें ऋण भी दे सकती है ताकि उस एकक को पुनर्जीवित किया जा सकें।

चौथी श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिन पर सरकार अपना नियंत्रण रखना चाहे परन्तु बाद में आंशिक रूप से विनिवेश कर सकें। लेकिन विनिवेश स्पष्ट रूप में करना चाहिए। ऐसा एकक-वार किया जा सकता है। फिर आपसे उसके सही मूल्य के बारे में पूछा जा सकता है।

सभापति महोदय : श्री शहाबुद्दीन जी, आपको और अधिक समय चाहिए?

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं केवल 2 मिनट लूंगा, चूंकि यह संकल्प का अंतिम दिन है, मैं समझता हूं सदन की कार्यवाही 6 बजे से कुछ समय बाद तक चलेगी।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है, आप दो मिनट में इसे पूरा कीजिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि किस एकक में कितना-कितना विनिवेश किया जायेगा। लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए उसके शेयर का क्या अंकित मूल्य है। क्या लेख मूल्य है और क्या आरक्षित मूल्य है। फिर लोगों से ऊंची से ऊंची बोली लगाने के लिए कहे। यह सौदा पारदर्शी होना चाहिए। इसमें उस सम्बन्धित व्यक्ति की ईमानदारी पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए जो इस सौदे में सम्मिलित है। मैं यहां उन अफवाहों को नहीं दोहराना चाहता हूं कि विनिवेश के मामले में किसने कितने-कितने करोड़ रुपया बनाया है। इससे सरकार की साख नहीं बढ़ेगी।

अगले वर्ग अर्थात पाचवें वर्ग में वे उद्योग हैं जिनमें जिम्मेदारी बांटने का प्रश्न नहीं हैं - अर्थात् यह उद्योग राष्ट्रीय हित में हैं, इसे जीवित रखना है, यह सरकारी क्षेत्र में रहेगी और सरकार को हर मूल्य पर उसे जीवित रखना है। जब तक सरकार प्रत्येक वर्ग के एककों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाती है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का भविष्य अंधकार में रहेगा। 5000 वर्षों तक ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में रहते हुए भी हमने सभी आपदाओं और आक्रमणों का सामना किया और फिर भी हम जीवित हैं, हमारा अस्तिव कायम है। आज हमारी सरकार यह दावा करती है कि उसके पास ज्ञान, अनुभव, बुद्धि और प्रतिभावान लोगों की शक्ति है। सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिए और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की रक्षा करनी चाहिए।

महोदया, मैं फिर भी यह बात दोहराऊंगा कि हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में केवल उनको हो रहे घाटे के आधार ही निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें वहां के कर्मचारियों के हितों को भी देखना है। संगठित श्रमिकों के हितों की रक्षा करना आज स्वयं में एक वर्ग है और निहित स्वार्थ बन गया है। हमें इन उपक्रमों का वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण करना चाहिए। उनकी गम्भीरता से समीक्षा करनी चाहिए। आज राष्ट्र को सरकारी क्षेत्र के उन उनक्रमों की बहुत चिंता है, जो कभी देश के गौरव थे, जिनसे हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिकी के आधुनिक विश्व में पर्दापण किया, और जिनसे विश्व में स्पर्धा करने की भावना बलवती हुई थी, हम सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके लिए सरकार को अपेक्षित आर्थिक सहायता देनी होगी, अपेक्षित प्रबन्धन संरक्षण प्रदान करना होगा और प्रौद्योगिकीय सहायता देनी होगी।

सभापति महोदय : सभा अब सोमवार 29 मई, 1995 के ग्यारह बजे मध्याह्न पूर्व पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होता है।

6.04 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 29 मई 1995/8 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।